THE BOOK WAS DRENCHED

UNIVERSAL
LIBRARY
OU_176593

UNIVERSAL
LIBRARY

OUP—768—11-1-68—2,000.

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H323.2 U65B

Accession No. H.

Author उपाध्याय, देवनाथ.

Title बलिया में क्रान्ति और दमन.

This book should be returned on or before the date last marked below.

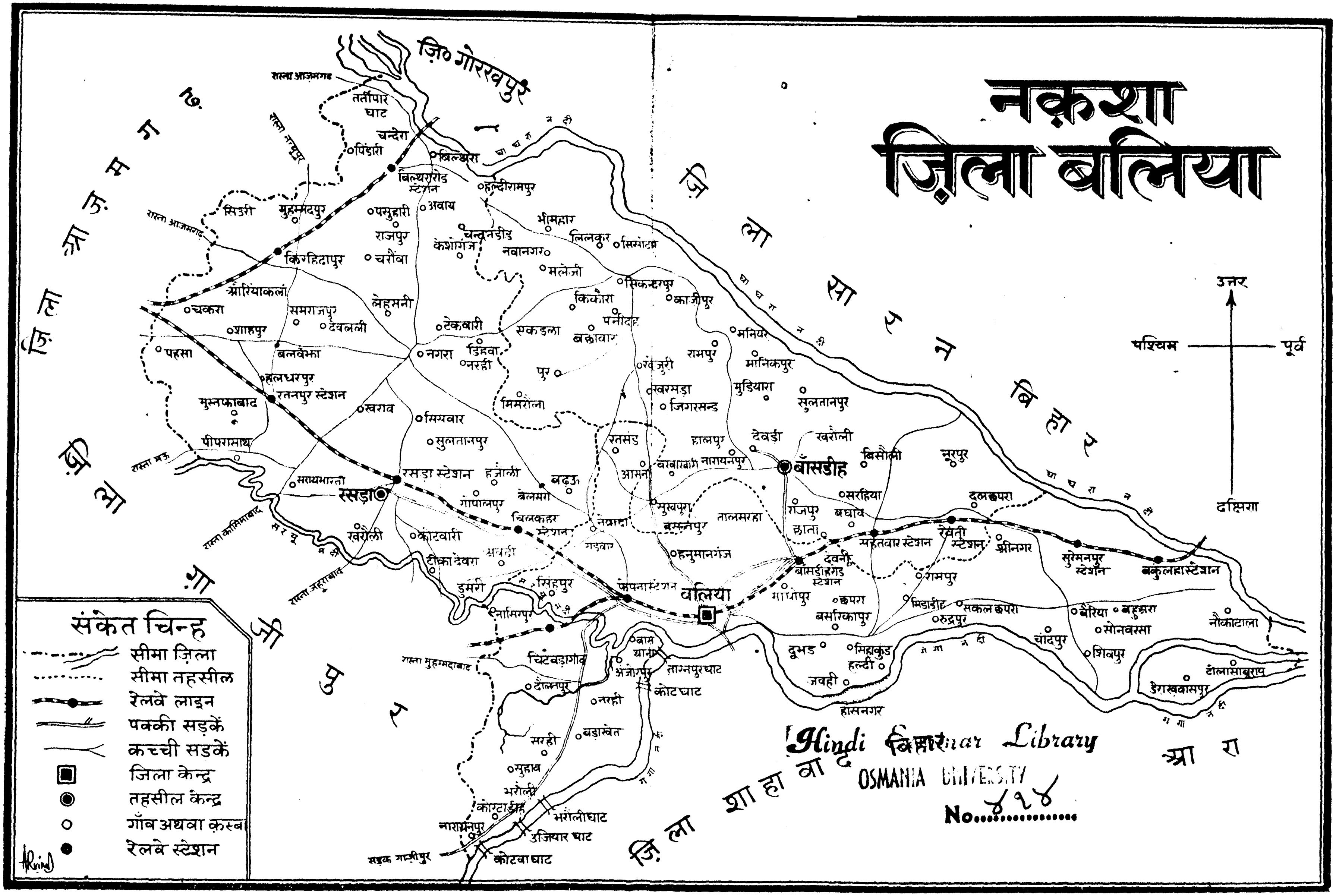

Hindi Seminar Library
OSMANIA UNIVERSITY
No. 424

बलिया में क्रांति और दमन

[अगस्त १९४२ में बलिया की अल्पकालीन स्वाधीनता
तथा नौकरशाही की दमनलीला का इतिहास]

लेखक

देवनाथ उपाध्याय

एम० ए०, बी० एस-सी०, साहित्य-रत्न

किताब महल

इलाहाबाद

प्रकाशक
डी० एन० उपाध्याय

प्रथम संस्करण १६४६
मूल्य, सजिल्द ३॥)

मुद्रक
शारदा प्रसाद जायसवाल
देश सेवा प्रेस,
५४ हेवेट रोड, इलाहाबाद

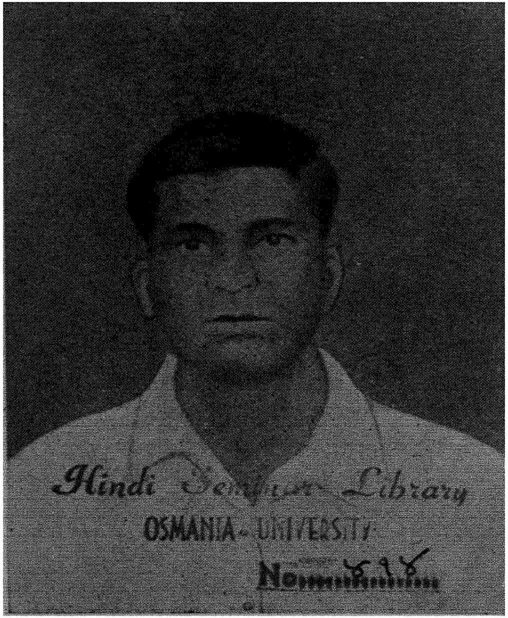

अमर शहीद श्री चन्द्रदी सिंह [आरीपुर सरयाँ] पृ० ६५

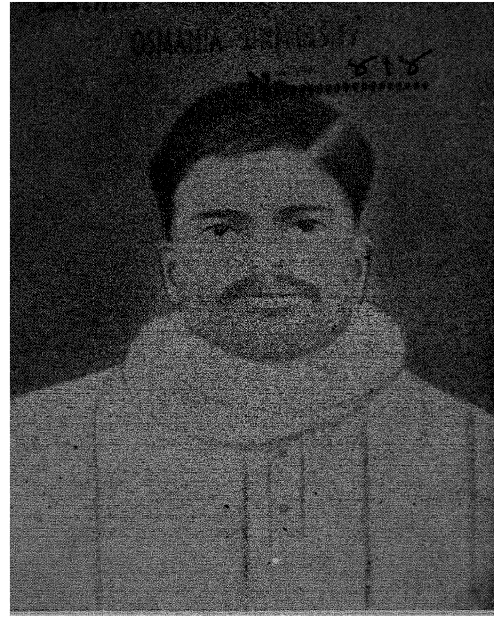

अमर शहीद श्री चन्डी प्रसाद [सुखपुरा] पृ० १७८

श्रद्धाञ्जलि

आज़ादी के लिये मर मिटने वाले
बलिया के सैकड़ों अमर
शहीदों की पुण्य स्मृति
में
सादर समर्पित

—लेखक

अपनी बात

'बलिया में क्रांति और दमन' बलिया के बहादुर किसानों और वीर युवकों की अमर कीर्ति तथा सरकार की नादिरशाही की गाथा है। विवरण का विशेषांश मुझ पर आप बीती और मेरी आंख देखी घटनाओं पर अवलंबित है। सही और विश्वसनीय विवरण प्राप्त करने के लिये मुझे बलिया जिले के हजारों गांवों, यहां की कचहरियों तथा अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की महीनों तक खाक छाननी पड़ी है।

प्रस्तुत पुस्तक को मैंने सन् १९४४ में, जब कि मैं बलिया जेल में था, लिखना शुरू कर दिया था। भांति भांति की कठिनाइयों के उपस्थित होने के कारण इसके प्रकाशन में देर हो गई, इसका हमें दुःख है।

बलिया में क्रांति का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि यदि किसी को धीरज हो तो वह एक एक गांव का अलग अलग इतिहास लिख सकता है। जितनी सामग्री मुझे मिल सकी, उसे काफी काट छांट के बाद, मैं पाठकों के सामने रखता हूं। प्रस्तुत पुस्तक में जितनी भी घटनाओं का विवरण है, मैं प्रायः उन सबका प्रमाण देता गया हूँ।

'क्रांतिकारी' और उसके पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में मैंने विशेष संयम से काम नहीं लिया है। सरकारी कागजों में उनके लिये बागी, बलवाई और मजमा कांग्रेसी इत्यादि शब्द आये हैं। प्रस्तुत पुस्तक में क्रांतिकारी, बागी, बलवाई, मजमा, कांग्रेसवादी,

जनसमूह, भीड़, उपद्रवकारी और आन्दोलनकारी आदि शब्द प्रायः एक ही अर्थ में लिये गये हैं।

यदि किसी सज्जन के देखने में कोई उल्लेखनीय विवरण छूट गया हो, तो वे कृपा कर मेरे पास लिखें। अगले संस्करण में आवश्यक सुधार करने का प्रयास किया जायेगा।

उर्दू और अंगरेजी पाठकों के लाभार्थ उर्दू और अंगरेजी संस्करण यथासंभव शीघ्र प्रकाशित करने का आयोजन किया गया है।

मलेजी, पो० नवानगर
जि० बलिया।
६ अगस्त, १९४६ ई०

देवनाथ उपाध्याय

विषय-सूची

क्रान्ति की पृष्ठ भूमि

[१९४२ का पूर्वार्द्ध, क्रिप्स-प्रस्ताव. कांग्रेस ने प्रस्ताव ठुकरा दिया भारत छोड़ो योजना, वर्किङ्ग कमेटी की बैठक, समाचार पत्रों पर रोक, अ० भा० कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव, यु० प्रा० कांग्रेस कमेटी की नाराजी, 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव का स्पष्टीकरण, साम्प्रदायिकता की आड़ में क्रिप्स. पं० नेहरू की चुनौती, मि० एमरी के कुत्सित विचार, महात्मा गाँधी की धारणा, कथित प्रस्ताव के प्रकाशन पर पं० नेहरू, बलिया में गिरफ्तारियां, अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक, 'मैं अंग्रेजों का मित्र हूं'—महात्मा गाँधी, प्रस्ताव पर पं० नेहरू, सरदार पटेल द्वारा समर्थन, अ० भा० कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पास, महात्मा गांधी का अंतिम संदेश, सरकार को गहरी चिंता, समाचार पत्रों को सूचना, कांग्रेस पर कुठाराघात] पृ० ३–४३

अध्याय १—क्रान्ति का विकास

[नेताओं की गिरफ्तारी पर असन्तोष, क्रान्ति का आरम्भ, एमरी का रेडियो भाषण, एमरी के भाषण से मार्ग निर्देश, कांग्रेस का सङ्गठन और पुलिस की सतर्कता, तोड़ फोड़ का प्रारम्भ, बिल्थरा रोड में कांग्रेसी गाड़ी, माल गाड़ी लूटी गई, पुलिस का इन्तजाम, उभांव थाने पर आक्रमण, सैनिकों ने गोली चलाई, नगरा का पोस्ट आफिस, गोविन्दपुर रेलवे लाइन, सोहाँव मंडल में

संगठन, चींट बड़ा गांव स्टेशन, नरही थाने पर आक्रमण, नरही का डाकखाना जला, वर्दी जलाइ गइ, कारंटा डीह का पोस्ट-आफिस; उजियार का ताड़ीखाना, काटवा नरायन पुर का डाकखाना, स्टीमर घाट पर धावा, यातायात के साधन विनष्ट, बलिया का तहसीलदार पकड़ा गया, चिल्कहर स्टेशन, औंदी का पोस्ट आफिस, चिल्हकर बीज गोदाम, रसड़ा स्टेशन की फूंक, धावा और गोली कांड, रतनपुरा स्टेशन, रतनपुरा का पोस्ट आफिस, बीज गोदाम, हलधर पुर थाना, पोस्ट आफिस में आग लगी, बच्चों पर घोड़ा दौड़ाया, खेजुरी मंडल में गिरफ्तारियां, सिकंदर पुर के थाने पर आक्रमण, कुतुब गंज घाट, थाने पर दूसरा आक्रमण, डाक बंगले पर आक्रमण, गड़वार थाना, हल्दी पोस्ट आफिस, स्टीमर स्टेशन जला, भड़सर का पोस्ट आफिस, बसरिकापुर का पोस्ट आफिस, नौरंगा घाट, सहतवार में बैठक, सहतवार थाना, डाकखाना, रेलवे स्टेशन, टाउन एरिया दफ्तर, थाने पर दूसरा धावा, रेवती को पुलिस चौकी, बीज-गोदाम, सुरेमनपुर स्टेशन, बकुलहा स्टेशन, बांसडीह में संगठन, बांसडीह थाने पर आक्रमण, तहसील और खजाना, बीजगोदाम और पोस्ट आफिस, कांग्रेस का स्थानीय शासन, बांसडीह रोड रेलवे स्टेशन, बैरिया कांड, थानेदार का समर्पण, थाने पर तैयारी, इधर खुली छाती उधर बंदूक, थाना चूर चूर कर दिया गया, हता-हतों की संख्या, बैरिया का बीजगोदाम]

पृ० ४४–१२७

अध्याय २—क्रान्ति का उग्र रूप

[बंदूकें छीनी गईं—फेफना में, भरखरा में, छाता में, भरसौता में, सिहाकुंड में, बलिया शहर—अंतिम मोर्चा, जहाजघाट, सिटी पोस्ट आफिस, मालगोदाम, कांग्रेस दफ्तर, पहली बार गोली,

स्टेशन जला, अधिकारियों पर प्रभाव, समझौते की वार्ता, तहसील-दार बैनारस भेजा गया, महेन्द्र प्रसाद कांस्टेबिल पीटा गया, ओकडनगंज चौकी, जासिनगंज चौकी, सरकारी आदमियों पर धावा, गांजे और शराब की दुकानें, बलिया खजाने पर धावा, बीजगोदाम, पुलिस ने फिर गोली चलाई, सार्वजनिक उत्सव, विद्यार्थियों का संगठन, गवर्नमेन्ट स्कूल और कालेज के दफ्तर जले। पृ० १२८-१६०

अध्याय ३—दमन का दौर

[सेना का आगमन, लूट फूंक—सुखपुरा, बांसडीह, सहतवार, छाता सिकंदरपुर, पन्दह, किसेार, रेवती, चरौंवा, हल्दी, मिश्रवली, नरही, चीब बड़ा गांव, गड़वार, पुलिस का राज, गांव फूंक डालने की धमकी, सामूहिक जुर्माने की वसूली, चंदा, युद्ध ऋण और विजय ऋण, कोतवाली में अमानुषिक अत्याचार, जेल में पिशाचों का सामना, लाठीचार्ज, जेल से कोतवाली फिर जेल] पृ० १६१-१८६

अध्याय ४—अदालतों में अन्याय

[नया आर्डिनेंस, वकीलों पर संकट, पुलिस की धांधली, रेलवे दरोगा की ज्यादती] पृ० १८७-१९४

अध्याय ५—धन जन की हानि

[विविध मंडलों के राजनीतिक बंदियों की नामावली, शहीदों की टोली] पृ० १९५-२१६

श्री बच्चा तिवारी [चौबे छपरा] का जलाया हुआ मकान
बीच में बैठे हुए चंगा बाबा जिनके बाल
उखाड़ लिए गये हैं

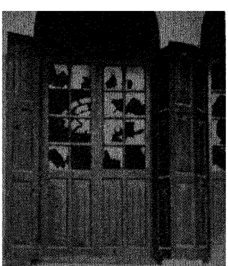

श्री शिवप्रसाद जी के बैठक के
शीशे तोड़े गये हैं

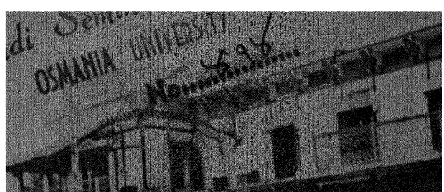

सुखपुरा के महंथ का जलाया हुआ
मकान

क्रांति की पृष्ठ भूमि

१९४२ का पूर्वार्द्ध

१९४२ के प्रारंभ में द्वितीय महासमर बड़े ज़ोरों पर चल रहा था। रूस में जर्मनी की सेनायें बढ़ी चली जाती थीं। अफ़रीकन मोर्चों पर मित्र सेनाओं को प्रति दिन नीचा देखना पड़ता था। प्रशान्त महासागर में जापान का बोलबाला था। वर्ष के प्रारम्भ से ही भारत पर जापानी आक्रमण की आशङ्का होने लगी थी। वर्ष के प्रथम दिवस के अवसर पर भारत के प्रधान सेनापति ने संदेश देते हुये कहा—भारत में सन १९४१ ने महायुद्ध को हमारे निकट ला दिया है जिससे हमारे ऊपर नये ख़तरे और नई जिम्मेदारियां आ गई हैं*।

युद्ध की विभीषिका से भारत त्रस्त हो उठा था। जापानी आक्रमण से अपने धन-जन की रक्षा करने की लालसा सब के दिल में थी किन्तु ब्रिटिश सरकार भारत को आत्मरक्षा के लिये न तो जिम्मेदारी देने को तैयार थी और न भारतीयों के पास निजी शस्त्रास्त्र थे जिनसे सैन्य बल का मुकाबला किया जाता। ब्रिटिश सरकार दृढ़ थी। वह भारत की रक्षा तथा शासन सम्बन्धी मामलों में कोई व्यापक परिवर्तन करने को तैयार न थी।

---

* Here in India, 1941 has brought the war nearer to us and has brought fresh dangers and responsibilities.

कांग्रेस युद्ध से पूर्ण रूपेण असहयोग करने का प्रस्ताव पास कर चुकी थी। देश की बागडोर महात्मा गांधी को दी जा चुकी थी। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन को उठा लिया था और सत्याग्रह आन्दोलन में जेल जाने वाले बंदियों में से कुछ को छोड़ कर सब लोग वापस आ चुके थे। कांग्रेस बिना शर्त भारत की स्वाधीनता की मांग पर दृढ़ थी और भारतीय विधान के निर्माण के लिये बालिग मताधिकार के आधार पर निर्वाचित विधान सभा की स्थापना चाहती थी।

परिस्थिति कुछ असाधारण सी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह अथवा अविनय अवज्ञा आन्दोलन के लिये समय उपयुक्त नहीं था। महात्मा गांधी ने ७ जनवरी को बारडोली से एक वक्तव्य निकाला जिसमें कहा गया कि :—जहां तक मैं देखता हूं जिस प्रकार का सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया गया था वैसा संभवतः अब कांग्रेस की ओर से जब तक महायुद्ध समाप्त न हो, न चलाया जायेगा। कांग्रेस की ओर से नहीं किन्तु युद्ध का विरोध करने वाली जनता की ओर से शुद्ध अहिंसा के आधार पर आदर्श रूप में यह आन्दोलन चला करेगा। यह आन्दोलन युद्ध विरोधियों के इस अधिकार की पुष्टि करेगा कि उन्हें हर प्रकार के युद्ध के विरुद्ध प्रचार करने का अधिकार है। महात्मा गांधी का यह कथन केवल वृटिश साम्राज्य के प्रति ही नहीं लागू था बल्कि धुरी राष्ट्रों के प्रति भी लागू था। १८ फरवरी, १९४२ के "हरिजन" में उन्होंने एक लेख में लिखा—"अगर नाज़ी हिन्दुस्तान में आये तो कांग्रेस उनसे भी उसी तरह लड़ेगी जिस तरह आज अंग्रेजों से लड़ रही है।"

स्थिति उत्तरोत्तर खराब होती गई। जापान ने मलाया पर धावा बोल दिया। मित्र सेना की ओर से कभी भी पर्याप्त प्रतिरोध

न हुआ। शत्रु आगे बढ़ते आये। भारतीय राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तन की आशा नहीं थी। क्रिप्स योजना की चर्चा चल रही थी किन्तु यह बात सब के दिलों में बैठ गई थी कि इस योजना से कुछ होने जाने का नहीं। राष्ट्रपति मौलाना अज़ाद ने ३ फरवरी को प्रयाग में सार्वजनिक भाषण देते हुये कहा—सरकार की ओर देखना और समझौते की आशा करना केवल समय नष्ट करना है। जापान ने जब से मलाया पर हमला किया तब से बड़ी नाज़ुक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और भारत के लिये ख़तरा बढ़ गया है।

आखिर १३ फरवरी, १९४२ को सिंगापुर का पतन हो गया। फिर भी सम्राट की सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सख्ती और बढ़ गई। फौज में भर्ती और युद्ध कार्य के लिये चन्दे का आन्दोलन जोरों पर चला। भारत की रक्षा के नाम पर भारत रक्षा कानून की धाराओं में आवश्यकतानुसार समय समय पर नई धारायें जुड़ती गईं। आर्डिनेन्सों का ज़माना था। युद्ध के विषय में टीका टिप्पणी करना भारी अपराध था।

बड़ी उत्कंठा से लोग क्रिप्स योजना की प्रतीक्षा कर रहे थे।

क्रिप्स प्रस्ताव

२८ मार्च, १९४२ को सरकारी तौर पर क्रिप्स प्रस्तावों की घोषणा हुई। उसमें कहा गया कि (१) युद्ध के समाप्त होने के बाद फौरन ही भारत में एक निर्वाचित संस्था स्थापित करने के लिये कार्रवाई की जायगी। यह संस्था भारत के लिये बिधान बनायेगी, (२) बिधान निर्माण करने वाली सभा में देशी राज्यों के भाग लेने के लिये व्यवस्था की जायगी; (३) प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभायें निर्वाचक के रूप में सानुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार बिधान निर्मात्री संस्था के चुनाव का कार्य आरंभ

करेंगी। चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या सदस्यों की संख्या का दसवां भाग होगी।

क्रिप्स ने अपने प्रस्तावों की व्याख्या करते हुये कहा:—
"भारत के सामने इन दिनों जो नाजुक समय उपस्थित है, और तब तक के लिये जब तक नया विधान बन न जाय, सम्राट की सरकार को भारत की रक्षा की जिम्मेदारी और तत्संबंधी कार्यों का नियंत्रण विश्व युद्ध प्रयत्नों के एक हिस्से के रूप में अपने हाथमें रखना होगा। मगर भारत के सैनिक, नैतिक और भौतिक साधनों के पूर्ण रूप से संघटन के कार्य की जिम्मेदारी भारतीय जनता के सहयोग के साथ भारत सरकार पर रहेगी।

"भारतीय नेता ऐसे कार्य में अपनी क्रियात्मक और रचनात्मक सहायता दे सकेंगे, जो भारत की स्वतंत्रता के भविष्य के लिये महत्व-पूर्ण और आवश्यक है।

"हमारा उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता को पूर्ण स्वशा-सन का अधिकार दिया जाय और उसे यह पूरी स्वतंत्रता रहे कि वह अपना विधान जिस प्रकार चाहे बनावे और उसे संगठित करे। यह निश्चय करने का काम भारतीय जनता का है, किसी बाहरी अधिकारी का नहीं कि भारत भविष्य मेंअपना शासन किस प्रकार करेगा।

"भारत का शासन विधान सब लोग एक साथ मिल कर बनाने के लिये आइये और यदि आप उस विधान बनाने वाली संस्था में आकर सब बातों पर विचार कर तथा आदान प्रदान की नीति पर चल कर यह देखें कि मतभेदों को दूर नहीं कर सकते हैं और यदि कुछ प्रान्त तब भी विधानं से संतुष्ट न हों तो वे उसमें से निकल सकते हैं और बाहर रह सकते हैं और उन्हें आत्म शासन का उतना ही अधिकार तथा स्वतंत्रता रहेगी, जो संघ को

होगी। यह हम अंगरेजों का काम नहीं है कि आप भारतीय जनता को कोई अपनी आज्ञा दें। उस समस्या का हल और निश्चय स्वयं आप करेंगे। अब हम वह नेतृत्व दे रहे हैं जिसे देने के लिये हमसे कहा जाता था और अब यह भारतीयों के ही हाथ में है कि वे उस नेतृत्व को स्वीकार करें और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करें। यदि वे इस अवसर को खो बैठते हैं तो असफलता की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी। भूत काल में हम इस बात की प्रतीक्षा करते थे कि विभिन्न भारतीय संप्रदाय इस सर्व सम्मत निर्णय पर पहुँचेंगे कि भारत के स्वशासन का नया विधान किस प्रकार का बनाया जाय और चूंकि भारतीय नेताओं में कोई समझौता नहीं हुआ इस लिये ब्रिटिश सरकार पर कुछ लोगों ने यह दोष लगाया कि वह भारत को स्वतंत्रता देने में विलंब लगा रही है।

"इस प्रस्ताव में एक आवश्यक बात बचा रखी गई है और वह है रक्षा की ज़िम्मेदारी। इस दीर्घ व्यापी युद्ध में रक्षा का काम किसी एक देश में केन्द्रित नहीं रह सकता और इसकी तैयारियां सरकार के समस्त विभागों द्वारा होनी चाहिये। मेरा आपसे कहना यह है कि पीछे की बातों को भुला दीजिये। मेरा हाथ, हम लोगों की मित्रता का हाथ स्वीकार कीजिये। विश्वास कीजिये और हमें यह अवसर दीजिये कि आप की स्वतंत्रता और स्वशासन स्थापित करने का कार्य कार्यान्वित करने में हम आप का साथ दें।"

कांग्रेस ने प्रस्ताव ठुकरा दिया

कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने १ अप्रैल, १९४२ को क्रिप्स प्रस्तावों को ठुकरा दिया। वर्किंगकमेटी ने कहा कि रक्षा का कार्य इस समय भारतीयों से ले लेना उनकी जिम्मेदारी का मज़ाक करना है। इस समय यह आवश्यक है कि यह स्वीकार कर लिया जाय कि

भारतीय जनता स्वतंत्र है और अपनी रक्षा की जिम्मेदारी उस पर है।

रक्षा का प्रश्न अब ऐसा नहीं था जिसकी उपेक्षा की जाती। देखते देखते भारत की भूमि पर शत्रु के विमानों के आक्रमण होने लगे। अप्रैल, १९४२ में बंगाल की खाड़ी में जापानी नौसेना की कार्रवाई बढ़ी और ६ अप्रैल को कोकोनाडा और विजगापट्टम के बंदरगाहों पर बम गिरे। कलकत्ता और ढाका आदि नगरों में इतना आतंक फैला कि लोग अपनी संपत्ति छोड़ छोड़ कर भागने लगे। भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत युद्धकेन्द्र बना हुआ था और इसकी रक्षा का कोई उपाय सामने नहीं दिखाई देता था। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उपर्युक्त घटनाओं का हवाला देते हुए ७ अप्रैल को अपने भाषण में कहा—"भारत के तटवर्ती नगरों पर जापानियों द्वारा बम गिराये जाने से भारतीयों के हृदय अवश्य आन्दोलित हो उठे होंगे। जापानियों का यह कथन बिलकुल झूठा और वाहियात है कि वे भारत को स्वतंत्र करने के लिये आ रहे हैं।"

'भारत छोड़ो' योजना

२६ अप्रैल १९४२ के "हरिजन" में महात्मा गांधी का एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें 'भारत छोड़ो' आन्दोलन की भावी योजना पर प्रकाश डाला गया था। भारत की रक्षा के लिए विदेशी सेनाओं की उपस्थिति पर दुःख प्रकट किया गया था। महात्मा जी ने यह विचार प्रकट किया था कि यदि अंग्रेज़ भारत को उसके नाम पर छोड़ दें, तो अहिंसक भारत को इससे कुछ हानि न होगी और संभवतः जापान उससे कुछ न बोलेगा।

लेख में यह भी कहा गया था कि "भारतवर्ष के लिये चाहे इसका कुछ भी फल हो, उसकी और ब्रिटेन की

भी वास्तविक सुरक्षा इसी में है कि अंग्रेज व्यवस्था पूर्वक और समय रहते भारत से चले जाँय।" फिर ३ मई, १९४२ के "हरिजन" में गांधी ने लिखा—"मेरा विश्वास है कि भारत में अंगरेजों की उपस्थिति जापानी आक्रमण के लिए प्रेरणा है।"

१० मई के "हरिजन" में गाँधी जी ने अपने विचारों की व्याख्या करते हुये फिर लिखा कि "भारत वर्ष में अंगरेजों की उपस्थिति जापान को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण है। उनके चले जाने से यह प्रलोभन हट जायेगा। फिर ३१ मई १९४२ के "हरिजन" में आपने लिखा—"निस्सन्देह लोगों को किसी भी दशा में अंगरेजी शासन सत्ता से छुटकारा पाने के लिए जापानियों पर आस नहीं बाँधनी चाहिये। वह तो बीमारी से भी बुरा इलाज होगा। किन्तु जैसा मैं पहले कह चुका हूँ इस संग्राम में हमें तरह तरह का खतरा उठाना पड़ेगा ताकि हम अपने आपको उस महाव्याधि से मुक्त करा सकें जिसने हमारे पौरुष को जर्जरित और हमें शक्तिहीन बना दिया है। हमें सदा गुलाम ही बने रहने का विश्वास करने को वाध्य किया है। यह विचार असह्य है। इस इलाज की कीमत महँगी होगी, पर दासता से मुक्ति के लिये कोई भी कीमत महँगी नहीं।"

वर्किंग कमेटी की बैठक

अप्रैल १९४२ के अंत में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। महात्मा गांधी इस बैठक में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने वर्किंग कमेटी में विचारार्थ कतिपय योजनायें कुमारी मीरा बेन द्वारा भेज दी थीं। सरकार वर्किंग कमेटी से बहुत संशंक रहा करती। उसे डर था कि इस बार कमेटी कोई ऐसी योजना न पास कर दे जिससे भारत में व्यापक आन्दोलन छिड़े और 'भारत छोड़ो' योजना सफल हो जाय।

समाचार पत्रों पर रोक

२८ अप्रैल १९४२ को भारत सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कार्यवाहियों के छपने पर रोक लगा दी।

केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों ने आज्ञाओं के द्वारा कांग्रेस के कार्यक्रम एवं कांग्रेस जनों की गतिविधि की जानकारी प्राप्त करने से जनता को वंचित रखना चाहा। समाचार पत्रों पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी और जैसे जैसे समय बीतता गया प्रेस संबंधी नई नई आज्ञायें जारी की जाने लगी।

ऐसी आज्ञाओं के जारी होने से जनता को सही समाचारों का मिलना बन्द हो गया और समाचार पत्रों के लिये ईमानदारी के काम करना असंभव होगया। कई पत्र संपादकों को धमकियां दी गईं। कई पत्रों की जमानतें ज़ब्त हुईं, कइयों से ज़मानत मांगी गई और कइयों का प्रकाशन बंद कर देना पड़ा। लखनऊ के राष्ट्रीय पत्र "नेशनल हेराल्ड" ने १५ अगस्त, १९४२ से अपना प्रकाशन बंद कर दिया और लिखा कि अब समय आ गया है कि अपमानपूर्ण नियंत्रण को स्वीकार करने की अपेक्षा काम बंद कर देना अच्छा है। "हिन्दुस्तान टाइम्स" के संपादक श्री देवदास गांधी, "हिन्दुस्तान" के संपादक श्रीमुकुट बिहारीलाल तथा दोनों के प्रिंटर श्री देवीप्रसाद शर्मा को गिरफ्तार कर लिये; उन पर मुकदमा चला किन्तु वे छोड़ दिये गये। फैसले में मजिस्ट्रेट ने लिखा-- मेरे सामने ऐसी कोई शहादत पेश नहीं की गई है जिससे यह साबित हो कि दंगों का संबंध उस आन्दोलन से है जिसके लिये अ० भा० कांग्रेस कमेटी ने मंजूरी दी है।

"नेशनल हेराल्ड" के संपादक श्री रामराव पर मुकदमा चला। उन्हें ६ महीने की सज़ा दी गई। प्रेस बंद होने पर भी युक्त प्रान्त के गवर्नर ने घोषित किया कि उक्त पत्र की इमारत

ग़ैरकानूनी बैठकों के लिये इस्तेमाल होती है। इमारत ज़ब्त कर ली गई। एक एक करके भारत के प्रायः सारे राष्ट्रीय पत्रों का प्रकाशन बंद हो गया।

२७ अप्रैल से २ मई तक कांग्रेस कमेटी की जो बैठकें हुईं, उनमें जापान के प्रति कांग्रेस के रुख़ के विषय में कड़ी बहस हुई। भारत पर जापान के आक्रमण की आशंका थी और यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने भारत को उसकी इच्छा के विरुद्ध युद्ध में झोंक दिया था फिर भी आक्रमण की दशा में भारत ने अहिंसात्मक रूप से पूर्णतया जापान से असहयोग करने का निश्चय किया और कहा गया कि ऐसे अवसर पर केवल ब्रिटिश सेनाओं के मार्ग में कोई बाधा न डालने के ही द्वारा हम आक्रमणकारी के प्रति अपने असहयोग को प्रकट करेंगे।

अ० भा० कांग्रेस कमेटी का प्रस्ताव

इलाहाबाद में २ मई को अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंत जी ने वर्किङ्ग कमेटी का नियमित प्रस्ताव पेश किया, उसमें कहा गया है कि भारत आक्रमणकारी सेनाओं के साथ पूर्ण अहिंसात्मक असहयोग करेगा। प्रस्ताव यों है—

"भारत पर आक्रमण होने का जो तात्कालिक ख़तरा उत्पन्न हो गया है उसे तथा बृटिश सरकार के रुख़ को जो कि सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स द्वारा लाये गये प्रस्तावों में पुनः प्रकट किया गया था, ध्यान में रखते हुये अ० भा० कांग्रेस कमेटी को भारत की नई नीति की घोषणा करनी है और निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थिति में किये जाने वाले कार्यों के संबन्ध में देश की जनता को सलाह देनी है।

"बृटिश सरकार के प्रस्तावों और सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स द्वारा की गई उनकी व्याख्या के फलस्वरूप पहले से अधिक कटुता और

संकट उत्पन्न हुआ है और ब्रिटेन के साथ असहयोग करने की भावना की बृद्धि हुई है। उन प्रस्तावों से प्रकट हो गया है कि इस ख़तरे के समय में जो न केवल भारत के लिये बल्कि संयुक्तराष्ट्रों के लिये भी है, बृटिश सरकार साम्राज्यवादी सरकार की भाँति कार्य करती है और भारत की स्वाधीनता स्वीकार करने से अथवा उसे कोई वास्तविक अधिकार देने से इनकार करती है।

युद्ध में भारत का भाग लेना सर्वथा बृटिश कार्य है जिसे भारतीयों पर बिना उनके प्रतिनिधियों की मंजूरी लिये ही लादा गया है। एक ओर जब कि भारत का किसी देश से कोई झगड़ा नहीं है, तो दूसरी ओर भारत बारम्बार नाज़ीवाद, फासिस्टवाद और साम्राज्यवाद के प्रति अपनी घृणा की भावना प्रकट करता है। यदि भारत स्वतन्त्र होता तो वह अपनी नीति स्वयं निर्धारित करता और संभव है कि वह अपने को युद्ध से अलग बनाये रखता। हालांकि स्वभावतः उसकी सहानुभूति उन देशों के प्रति होगी जिनपर आक्रमण किये गये हैं। लेकिन अगर परिस्थितियों के अनुसार उसे युद्ध में प्रवेश करना पड़ता तो वह ऐसा स्वतंत्रता के लिये लड़ने वाले एक स्वतंत्र देश की हैसियत से करता और भारत की रक्षा का संगठन, राष्ट्रीय सेना का नियंत्रण तथा नेतृत्व लोकप्रिय आधार पर किया जाता और जनता के साथ निकट सम्बन्ध रखा जाता। केवल स्वतंत्र भारत ही यह जानता कि उसपर हमला करने वाले किसी आक्रमणकारी से अपनी किस प्रकार रक्षा करनी चाहिये। वर्तमान भारतीय सेना वस्तुतः बृटिश सेना की ही एक शाखा है और इसे अब तक मुख्यतः भारत को पराधीन बनाये रखने के लिये प्रयोग में लया गया है।

"रक्षा के सम्बन्ध में साम्राज्यवादी और लोकप्रिय धारणाओं में क्या अन्तर होता है यह इस बात से प्रकट हो जाता है

कि एक ओर जब रक्षा के लिए भारत में विदेशी सनायें निमन्त्रित की जाती हैं तो दूसरी ओर भारत की महान जनशक्ति का उसके लिये उपयोग नहीं किया जाता है। अतीत के अनुभवों से भारत को यह शिक्षा मिलती है कि भारत में विदेशी सेनाओं का आगमन भारत के हितों के लिये हानिकारक और उसकी स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिये खतरनाक है। यह एक उल्लेखनीय और असाधारण बात है कि भारत की अक्षुण्ण जनशक्ति का उपयोग न किया जाय जब कि दूसरी ओर भारत विदेशी सेनाओं के बीच रणक्षेत्र के रूप में परिणत हो जाय और उसकी रक्षा को लोकप्रिय नियंत्रण के लिये उपयुक्त न समझा जाय। भारत इस बात पर असन्तोष प्रकट करता है कि यहां की जनता को नगण्य समझा जाय और विदेशी अधिकारियों के द्वारा मनमाने-पन का बर्ताव किया जाय।

"अखिल भारत वर्षीय कांग्रेस कमेटी को यह यक़ीन है कि भारत स्वयं अपनी शक्ति से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करेगा और इसी प्रकार उसे कायम रखेगा। वर्तमान संकट से, तथा सर स्टैफ़र्ड क्रिप्स के साथ वार्ता के समय प्राप्त हुये अनुभवों से कांग्रेस के लिये यह असंभव हो जाता है कि वह किन्हीं ऐसी योजनाओं और प्रस्तावों पर विचार करे जिनके द्वारा अंशिक रूप में ही सही ब्रिटिश नियंत्रण और अधिकार भारत पर क़ायम रखा जाता है। न केवल भारत के हित का बल्कि ब्रिटेन की सुरक्षा और विश्व शान्ति और स्वतंत्रता का यह तकाजा है कि ब्रिटेन को अनिवार्यतः भारत पर से शिकंजा हटा लेना होगा। भारत केवल स्वतंत्रता के ही आधार पर ब्रिटेन अथवा किसी अन्य राष्ट्र से बात कर सकता है।"

उक्त प्रस्ताव में आगे चलकर इस धारणा का खण्डन किया

गया है कि किसी विदेशी राष्ट्र के हस्तक्षेप अथवा आक्रमण करने से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। अगर भारत पर हमला हो तो उसका अवश्यमेव विरोध करना होगा। इस तरह विरोध केवल अहिंसात्मक असहयोग का ही रूप धारण कर सकता है।

"इसलिये आ० भा० कांग्रेस कमेटी देश की जनता से यह आशा करेगी कि वह आक्रमणकारी सेनाओं से पूर्ण अहिंसात्मक असहयोग करेगी और उनको किसी प्रकार की सहायता न पहुँचायेगी। हम आक्रमणकारी के सामने घुटने नहीं टेक सकते और न उसके किसी आदेश का ही पालन कर सकते हैं। हम उसकी कृपा नहीं चाह सकते और न उसके द्वारा दिये जाने वाले घूस को ही ले सकते हैं। अगर वह हमारे घरों और खेतों पर अधिकार करना चाहता है तो हम उसे देने से इनकार करेंगे और हमें चाहे मरना ही क्यों न पड़े, हम उसका विरोध करेंगे। जिन स्थानों में ब्रिटिश और आक्रमणकारी सेनाओं में लड़ाई हो रही है वहां पर हमारा असहयोग निष्फल और अनावश्यक होगा। केवल ब्रिटिश सेनाओं के मार्ग में कोई बाधा न डालने के ही द्वारा हम आक्रमणकारी के प्रति अपने असहयोग को प्रकट करेंगे।

"आक्रमणकारी के साथ असहयोग और उसका अहिंसात्मक विरोध किया जाना बहुत अधिक अंशों में कांग्रेस के रचनात्मक कार्य को विस्तृत रूप से कार्यान्वित किये जाने पर और खास करके आत्म निर्भरता तथा आत्म रक्षा पर निर्भर करेगा।"

वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ।

युक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने ३१ मई १९४४ को अपनी लखनऊ की बैठक में एक प्रस्ताव पास करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उन प्रस्तावों को मंजूर किया जो हाल में इलाहाबाद में पास किये गये थे और जिनमें कांग्रेस की वर्तमान नीति समझाई गई थी।

यु०प्रा० कांग्रेस कमेटी को नाराज़ी

एक प्रस्ताव द्वारा कमेटी ने इस पर नाराज़ी प्रकट की कि इस प्रान्त के कुछ नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों से जनता निकाल दी गई। ऐसा करते समय न तो कोई सूचना दी गई न मुआवज़ा दिया गया, और न लोगों को हटाने का कोइ प्रबन्ध किया गया, और न उनके लिये ज़मीनों और घरों का प्रबन्ध किया गया।

जुलाइ १९४२ को गोरखपुर में युक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कौंसिल में भी कुछ ऐसा ही प्रस्ताव पास हुआ जो इस प्रकार है:—

"युक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कौंसिल सरकार के स्कूल की इमारतों को अपने कब्जे में करने और स्कूल अधिकारियों को बहुत थोड़े समय की सूचना पर हटने के लिये बाध्य करने की नीति को नापसंद करती है। कौंसिल यह स्वीकार करती है आवश्यकता के समय फौजी आवश्यकताओं को जीवन के अनेक साधारण कार्यों से पहले स्थान देना चाहिये किन्तु एक बिदेशी शासक का निर्णय जो लोकमत के प्रति जिम्मेदार नहीं है और उसकी ओर ध्यान नहीं देता, इस प्रकार के कार्यों के लिये उचित नहीं कहा जा सकता।

स्पष्ट है कि कांग्रेस ज्यों ज्यों लोकमत की आवाज़ उठा रही थी सरकार लोकमत को कुचलने पर तुली हुई थी। युद्धोद्योग के सामने लोकमत की यह अवहेलना किसी भी आत्माभिमानी देश

अथवा संस्था को मान्य न होगी। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों पर कांग्रेस का रुख और भी कड़ा होता गया।

महात्मा गांधी के अन्दोलन की रूपरेखा यद्यपि स्पष्ट नहीं थी, फिर भी इतना प्रकट हो चुका था कि कांग्रेस अधिक दिनों तक रुकने को तैयार नहीं थी। यह भी विदित हो चुका था कि कांग्रेस का अगला कदम महत्वपूर्ण तथा निर्णायक होगा।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने २ जुलाई को महात्मा गांधी के नये अन्दोलन की ओर संकेत करते हुये कहा कि महात्मा जी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये सत्याग्रह या कोई अन्य कार्य प्रारम्भ करने ही वाले हैं। जनता को उसके लिये तय्यार रखना चहिये। जब तक हम बंधन में पड़े हैं, तब तक हम देश की रक्षा नहीं कर सकते। इसी लिये महात्मा गांधी यह चाहते हैं कि अंगरेज चले जांय और देश की रक्षा का भार हिन्दुस्तानियों के हाथों में सौंप दे।

पंडित जी ने आगे कहा कि हमने दीर्घ काल तक इंतजार किया, हम एक या दो वर्ष और ठहरते, पर युद्ध के कारण हम अब नहीं ठहर सकते। इस लिये हमारे लिये जरूरी है कि हम भारत को स्वतंत्र करें और तब उसके बाद जापानी या किसी भी अन्य आक्रमणकारी से शस्त्रों से या बिना शस्त्रों के लड़े। यदि हम स्वतंत्र होते तो हम किसी भी शत्रु का मुकाबला कर सकते थे।

उधर सरदार बल्लभ भाई पटेलने २जुलाई को ही रात में भाषण देते हुये कहा कि मैं यह नहीं जानता कि गांधी जी किस समय आदेश निकालेंगे लेकिन उन्होंने हाल ही में जो कुछ लिखा है उससे प्रकट होता है कि वे कल आदेश निकाल सकते हैं। यह सभाओं जुलूसों और भाषण का समय नहीं है। अगर भीषण विनाश का आप पर प्रभाव नहीं पड़ा और आने वाले प्रस्ताव को आप न समझ सके तो यह हमारा

दुर्भाग्य ही होगा। संभव है मैं फिर आपसे न मिल सकूँ। मैं आशा करता हूँ आप प्रत्येक अपील का हृदय से समर्थन करेंगे।

'भारत छोड़ो' प्रस्ताव का स्पष्टीकरण

महात्मा गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव पर देश विदेश में बड़ी गलत फहमी फैली। ऐसे संकट काल में जब कि भारत के चारों ओर शत्रु मड़रा रहे हैं, 'भारत छोड़ो' आन्दोलन का क्या अर्थ हो सकता है! महात्मा गांधी के कतिपय निकटवर्ती सहयोगियों तक को उक्त आन्दोलन में सन्निहित परिणामों के विषय में बड़ी चिन्ता हो रही थी। महात्मा गांधी ने ५ जुलाई के 'हरिजन' में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव का स्पष्टीकरण करते हुए लिखाः—

"एक भी अंगरेज सिपाही के बिना स्वतंत्र भारत का मैंने जो आकर्षक चित्र खींचा है, उसके लिये मुझे भारी मूल्य चुकाना पड़ रहा है। हमारे मित्र यह जान कर चक्कर में पड़ गये हैं कि मैंने जो प्रस्ताव किया है उसमें ब्रिटिश और अमेरिकन फौजों के भी उपस्थित रहने की गुँजाइश है। मेरी यह बहस बेकार है कि यदि मित्रराष्ट्रों की फौजें रह गईं तो वे जनता के ऊपर या भारत के खर्चे से अधिकार जमाने के लिये नहीं होंगी, बल्कि स्वतंत्र भारत के साथ की गई संधि के अनुसार और संयुक्त राष्ट्रों के खर्चे पर यहां रहेंगी और उनका एक मात्र उद्देश्य जापानी आक्रमण विफल करने और चीन को सहायता पहुँचाने का होगा।

"यह संकेत किया गया है कि युद्ध काल तक मित्रराष्ट्रों की फौजों को भारत में रहने देने पर न राजी होने का अर्थ भारत और चीन को जापान को दे डालने का होगा और उसके फल-स्वरूप मित्रराष्ट्रों की पराजय निश्चित हो जायेगी। मैं यह कभी

नहीं सेाच सकता था। इसका एक मात्र उत्तर दिया जा सकता है, वह यह है कि फौजों के मौजूद रहने को बरदाश्त किया जाय। वे स्वतंत्र भारत की इजाजत से रहेंगी; स्वामी के रूप में न रहेंगी।

"मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी ही कठिन योजना की सबसे कमजोर बातों पर ही दृष्टि रखना भारी गलती है। संभव है कि भारत में फौजों को रहने देने पर भी वह योजना स्वीकार न की जाय। यदि ब्रिटेन ईमानदारी के साथ भारत का परित्याग परित्याग करने के वास्तविक अर्थ में कर दे तो निश्चित रूप से इस शताब्दी की यही मुख्य घटना होगी और संभव है कि युद्ध की प्रगति में परिवर्तन हो जाय। मेरी राय में परित्याग के मूल्य का उसके गुण पर तनिक भी प्रभाव न पड़ेगा। क्योंकि मित्रराष्ट्रों की फौजें भारत में जापानी आक्रमण रोकने के एक मात्र उद्देश्य से काम करेंगी। कुछ भी हो आक्रमण बचाने में भारत की भी उतनी ही दिलचस्पी है जितनी कि मित्र राष्ट्रों की, फिर भी मेरे प्रस्ताव के अनुसार फौजों के लिये भारत को एक पाई भी खर्च न करना पड़ेगा।

"जहां तक मैं देख सकता हूँ इन फौजों की उपस्थिति से स्वतंत्र भारत को कोई खतरा न होगा। उनकी वजह से भारत की स्वतंत्रता छोटी न हो जायेगी। प्रस्तावों का अर्थ महात्मा जी ने सूत्र रूप में इस प्रकार समझाया है :—

(१) भारत ब्रिटेन का किसी भी रूप में आर्थिक कर्जदार नहीं रहेगा।

(२) ब्रिटेन को जो रकम वार्षिक दी जाती है वह आप से आप बन्द हो जायेगी।

(३) ब्रटिश सरकार के स्थान पर कायम होने वाली सरकार जो टैक्स लगायेगी अथवा जिन टैक्सों को जारी रखेगी उन्हें छोड़कर बाकी सभी टैक्स बन्द हो जायेंगे।

(४) इस देश में सब को परतन्त्रता में रखने वाली सर्वशक्ति सम्पन्न सरकार का सारा भार शीघ्र हट जायेगा।

(५) संक्षेप में भारत में अपने राष्ट्रीय जीवन में एक नये अध्याय का प्रादुर्भाव होगा। मुझे आशा है कि अहिंसा द्वारा युद्ध की प्रगति पर प्रभाव डालने का भाव असहयोग या उसकी तरह की किसी चीज का रूप न ग्रहण करेगा। वह अपने को इस रूप में प्रकट करेगा कि हमारा राजदूत धुरी राष्ट्रों के पास जायगा—शान्ति की भीख मांगने के लिये नहीं बल्कि उन्हें यह दिखाने के लिये किसी सम्मान पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिये युद्ध निरर्थक है। यह तभी हो सकता है जब कि बृटेन अपने संगठित तथा सफल हिंसा, जिससे बढ़कर संगठित और सफल हिंसा शायद संसार को देखने को न मिली होगी,—के लाभों छोड़ दे।

कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी की बैठक ६ जुलाई १९४२ से १४ जुलाई तक होती रही। यों तो वाद विवाद के लिये समय की गंभीरता के कारण अनेकानेक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित थे किन्तु विशेष रूप से विचार महात्मा गांधी के 'भारत छोड़ो' विषयक प्रस्ताव पर ही हुआ।

जर्मन सेनायें मिश्र में ऊधम मचा रही थीं, जापानियों ने सिंगापुर और बर्मा पर अधिकार कर लेने के बाद भारत का दर्वाजा खटखटाना शुरू किया था। इधर भारत सरकार भारत की सुरक्षा के प्रति उतनी ही उदासीन दिखाई देती थी जितनी बर्मा और सिंगापुर की सुरक्षा के प्रति। नगरों में जहां तहां खाइयां खोदी जाती थीं, बालू के बोरे रखे जाते थे, दीवारें उठाई जा रही थीं तथा हवाई हमले से हिफाजत के केन्द्र स्थापित हो रहे थे, किन्तु यह सब कोरा मजाक मालूम होता था। भारतीय जनता को भुलावे में डालने के लिये

यह सारी कार्रवाई धोखे की टट्टी थी। हां, इन कार्रवाइयों का इतना प्रभाव अवश्य पड़ा कि भारतीय जनता समझ गई कि जापानी अक्रमण अति निकट है और हमारी रक्षा का भार सरकार अच्छी तरह नहीं निबाह सकती।

लंबी बहस के बाद वर्किङ्ग कमेटी ने १४ जुलाई को निम्न लिखित प्रस्ताव पास किया :—

"जो घटनायें नित्य प्रति हो रही हैं और भारतीय जनता जो कुछ अनुभव कर रही है उससे कांग्रेस वादियों के इस विचार की पुष्टि होती है कि भारत में ब्रिटिश शासन का तुरंत ही अंत हो जाना चाहिये। केवल इस लिये नहीं कि विदेशी प्रभुत्व चाहे कितना भी अच्छा हो, बुरा है और परतंत्र जनता के लिये हानिकर है, बल्कि इसलिये कि भारत परतंत्रता में रह कर अपनी रक्षा के लिये कोई प्रभाव शाली कार्य नहीं कर सकता और इस युद्ध की स्थिति पर कुछ भी असर नहीं डाल सकता, जो मानव जाति को छिन्न भिन्न किये हुये है। इस तरह भारत की स्वतंत्रता केवल भारत के ही हक में आवश्यक नहीं है बल्कि वह संसार की रक्षा तथा नाजी वाद, फासिस्टवाद, सैनिक वाद और सम्राज्यवाद, का अंत करने और एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र का आक्रमण रोकने के लिये भी आवश्यक है। जब से विश्वव्यापी महायुद्ध आरंभ हुआ तब से कांग्रेस की नीति परेशान न करने की रही है।

"कांग्रेस को आशा थी कि वास्तविक शासन शक्ति का अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को सौंपा जायगा ताकि संसार भर में मानव स्वतंत्रता स्थापित करने में राष्ट्र (भारत) पूर्ण सहयोग दे सके, क्यों कि वह स्वतंत्रता इस समय नष्ट होने के खतरे में है। यह भी आशा की गई थी कि नकारात्मक रूप से ऐसा कुछ भी न किया जायेगा जिससे ब्रिटेन का फंदा भारत पर मजबूत हो सके।

"पर कांग्रेस की ये सब आशायें नष्ट कर दी गईं। क्रिप्स के निरर्थक प्रस्तावों से यह स्पष्ट हो गया कि भारत के प्रति अंगरेज सरकार के रुख में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व किसी तरह भी ढीला करने का इरादा नहीं है। सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स से वार्ता के समय कांग्रेसी प्रतिनिधियों ने इसका यथा शक्ति प्रयत्न किया कि राष्ट्रीय मांग के अनुसार कम से कम कुछ प्राप्त हो जाय, पर इसका कुछ फल न हुआ। इस प्रकार निष्फल होने के कारण ब्रिटेन के विरुद्ध व्यापक रूप से देश में दुर्भाव फैल गया है, और जापानियों की सफलता पर संतोष बढ़ रहा है। वर्किंग कमेटी इस स्थिति को बहुत ही चिंता के साथ देखती है और यदि वह न रोकी गई तो इसका फल आक्रमकारी के प्रति आत्म समर्पण करना होगा। कमेटी का यह विचार है कि सब तरह के आक्रमण का अवश्य मुकाबला किया जाय। क्योंकि उसके प्रति आत्म समर्पण करने का मतलब भारतीय जनता का पतन और उसकी परतंत्रता जारी रहने का है। कांग्रेस चाहती है कि मलाया सिंगापुर और बर्मा के अनुभव यहां न हों और जापनी या किसी भी विदेशी शक्ति के द्वारा आक्रमण होने पर उसका मुकाबला करने की तैयारी की जाय। इस समय ब्रिटेन के विरुद्ध जो दुर्भाव है, उसे कांग्रेस सद्भाव में बदल देगी और संसार को राष्ट्रों के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति के संयुक्त प्रयत्न में भारत खुशी से भाग लेगा। पर यह तभी संभव है जब भारत स्वतंत्रता के प्रकाश को महसूस करे।

"कांग्रेस प्रतिनिधियों ने साम्प्रदायिक समस्या हल करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया पर विदेशी शक्ति की उपस्थिति के कारण उसे हल करना असंभव हो गया। विदेशी प्रभुत्व और हस्तक्षेप का अंत होने ही पर वर्तमान अवास्तविक स्थिति वास्तविकता में परिणत होगी और समस्त दलों की भारतीय जनता भारतीय

समस्याओं को पारस्परिक समझौते के आधार पर हल करेगी।

"देश के वर्तमान राजनीतिक दलों के संगठन मुख्यतः अंगरेजों का ध्यान आकृष्ट करने के लिये बनाये गये हैं, और तब उन लोगों का कार्य भी बंद हो जायगा। भारत के इतिहास में पहली बार देशी नरेश, जागीरदार, जमीन्दार, और धनी लोग यह समझेंगे कि खेतों और कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही वे धन प्राप्त करते हैं और शासन शक्ति और अधिकार वास्तव में उन्हें ही मिलना चाहिये।

"भारत से ब्रिटिश शासन के हट जाने पर देश के जिम्मेदार नर नारी मिल कर एक अस्थायी सरकार कायम करेंगे और भारतीय जनता के प्रमुख भागों के प्रतिनिधि भावी संबंध बनाने के लिये तथा दोनों देश मित्रराष्ट्रों की तरह सहयोग और आक्रमण का सामना करने के लिये आपस में परामर्श करेंगे। कांग्रेस की यह हार्दिक इच्छा है कि वह जनता की संयुक्त इच्छा और शक्ति से आक्रमण का मुकाबला करे।

"भारत से ब्रिटिश शासन के हटाये जाने के प्रस्ताव पर कांग्रेस की यह इच्छा नहीं है कि वह ब्रिटेन या मित्रराष्ट्रों के युद्ध के प्रयत्नों में किसी तरह की परेशानी पैदा करे या भारत अथवा चीन पर वह धुरी राष्ट्रों के आक्रमण को प्रोत्साहन दे, और न कांग्रेस मित्र राष्ट्रों को रक्षा की क्षमता को आघात पहुँचाना चाहती है।

'कांग्रेस यह मानती है कि भारत में मित्रराष्ट्रों की फौजें यदि चाहें तो रहें ताकि जापानी या अन्य किसी शक्ति के आक्रमणों को रोका जा सके और चीन की रक्षा तथा सहायता की जाय। भारत से ब्रिटिश के हटने का यह मतलब नहीं है कि सब अंगरेज भारत से चले जांय और निश्चय ही यह उनके लिये नहीं है जो भारत को अपना घर बना कर नागरिक के रूप में यहां समान भाव से रहना

चाहें। यदि अंगरेज सद्भाव के साथ हटें तो इससे भारत में मजबूत अस्थायी सरकार बनाने में सहायता मिलेगी और इस सरकार और मित्रराष्ट्रों में चीन की सहायता के लिये सहयोग हो सकेगा।

"कांग्रेस यह समझती है कि ऐसा करने में संभव है जोखिम हो। पर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये किसी भी देश को ऐसे जोखिम सहन करने होंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अधीर है पर वह जल्दबाजी के साथ कुछ करना नहीं चाहती और यथा संभव वह संयुक्त राष्ट्रों को परेशान करना भी नहीं चाहती।

"यदि यह अपील निष्फल हो जाय तो कांग्रेस मौजूदा हालतों को बड़ी शङ्का की दृष्टि से देखेगी और भारत के मुकाबला करने की शक्ति घटती जायेगी। तब कांग्रेस इसके लिये मजबूर होगी कि वह उस समस्त अहिंसात्मक शक्ति से काम ले जो उसने सन् १९२० से संग्रह की है ताकि वह अपने राजनीतिक हकों के लिये आन्दोलन करे और यह आन्दोलन निश्चय ही महात्मा गांधी के नेतृत्तव में होगा। चूंकि यह विषय भारत और संयुक्त राष्ट्रों की जनता के लिये बहुत आवश्यक है इसलिये वर्किंग कमेटी अंतिम निर्णय लेने के लिये उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भेजती है। इसके लिये आ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक ७ अगस्त को बंबई में बुलाई जायेगी।

सत्याग्रह शीघ्र छेड़ने के संबंध में स्वयं महात्मा गांधी ने १९ जुलाई के हरिजन में लिखाः—

डाक्टरों ने मुझे बीमार नहीं घोषित किया है। मैं थका हुआ हूँ और उन्होंने मुझे सलाह दी है कि मैं विश्राम करूँ और करीब १५ दिन तक किसी ठंडे स्थान पर चला जाऊँ। मैं अपने को विश्राम देने के लिये प्रयत्न करता हूँ किन्तु कर्तव्य का ध्यान ऐसा करने से मुझे रोकता है।

वाजिब बात यह है कि जब तक बुद्धि में कोई दोष न हो तब तक राजनीतिक बीमारी सत्याग्रह आन्दोलन चलाने में बाधा नहीं बन सकती।

साम्प्रदायिकता की आड़ में क्रिप्स

महात्मा गांधी के प्रस्तावित आन्दोलन से इङ्गलैंड और अमेरिका में गहरी चिंता हुई। प्रायः सारे पत्रों ने महात्मा जी के प्रस्तावों को असामयिक और अनुचित बताया। सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स ने रेडियो भाषण के दौरान में कहा :—

"गांधी जी यह मांग की है कि हम लोग भारत छोड़कर चले जांय। जहां पर धार्मिक मतभेद गहरे हैं और कोई भी सुसंगठित शासन नहीं है, वहां कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसा नहीं कर सकती, विशेष कर इस युद्धकाल में।

"आठ करोड़ मुसलमान हिन्दुस्तान के प्रभुत्व के विरुद्ध हैं। इसी तरह अछूत भी हिन्दुओं के विरोधी हैं। कांग्रेस दल या महात्मा गांधी की बातें स्वीकार करने से देश में गड़बड़ और उपद्रव जयेहोगा। महात्मा गांधी को एक महान राष्ट्रीय और धार्मिक नेता समझ कर मैंने उनका आदर किया है, पर इस समय वे व्यावहारिक और वास्तविक समझदारी नहीं दिखा रहे हैं। इस समय वे महान आम सत्याग्रह की धमकी दे रहे हैं जिससे युद्ध सम्बंधी प्रयत्नों को हानि पहुँचेगी और शत्रु खुश होंगे। मुझे इसका बड़ा दुख है कि गांधी ने यह रुख ग्रहण किया है। मैं जानता हूँ कि समस्त भारतीय जनता उनके इस रुख का समर्थन नहीं करती। आम सत्याग्रह के लिये संभव है कि कुछ लोग उनके साथ हो जांय, पर भारत और मित्र-राष्ट्रों के उद्देश्य के लिये हमारा यह कर्तव्य है कि जापानियों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के लिये भारत को हम सुव्यवस्थित जङ्गी अड्डा बनावें। इसके लिये

चाहे जो भी उपाय करने पड़ेंगे हम उन्हें अवश्य निर्भीकता पूर्वक करेंगे।"

इस प्रकार सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स ने मुसलमानों और दलित जातियों के पक्ष का समर्थन कर भारतीय दलों के प्रति अंगरेज़ शासकों की नीति का प्रतिपादन किया। मुसलमानों और दलित वर्गों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयत्न बार बार होता है, फिर ऐसे संकटपूर्ण अवसर पर साम्प्रदायिक भावनाओं को प्रज्वलित करने की तो महान आवश्यकता थी।

पं० नेहरू की चुनौती

पं० जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स के भाषण पर वक्तव्य देते हुये कहा कि एक होशियार वकील की भांति सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स ने महात्मा गान्धी के वक्तव्योंमें से कुछ शब्द चुन लिये हैं और उनके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यबादियों के पक्ष का औचित्य प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। इङ्गलैण्ड और भारत के बीच स्थिति काफी खराब है। फिर भी सर स्ट्रैफर्ड उसे खराब बनाना चाहते हैं। वे मुसलमानों तथा दलित जातियों आदि के नये समर्थक बने हैं। मैं अपने देश के मुसलमानों को सर स्ट्रैफर्ड से कुछ ज्यादा जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि उनके बारे में सर स्ट्रैफर्ड ने जो कहा है वह उनमें से बहु-संख्यकों के लिये निन्दा के रूप में है।

प्रस्ताव पर मि० एमरी के कुत्सित बिचार

तत्कालीन भारत सचिव मि० एमरी ने वर्किङ्ग कमेटी के प्रस्ताव को धमकी समझा। ३० जुलाई १९४२ को कामन सभा में भाषण देते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया वादी नीति का परिचय इस प्रकार दिया :—

"यदि मांग स्वीकार कर ली जाय तो भारत सरकार का शासन संघ पूर्ण रूप से स्वप्न हो जायेगा और ऐसे

समय में जब कि रूस, चीन और मिश्र तथा अन्य रणक्षेत्रों में स्थिति ऐसी है कि सभी मित्र राष्ट्रों की सारी शक्ति, सहयोग और साधनों को एक साथ लड़ाई में लगा देने की आवश्यकता है, मांग पेश करने से बढ़कर और कोई हानि नहीं पहुँचाई जा सकती।

"ब्रिटिश सरकार भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये पूरा अवसर देने के अपने संकल्प को दुहराती है किन्तु वह उन सभी लोगों को, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा निर्धारित की गई नीति का समर्थन करते हैं, चेतावनी देती है कि भारत सरकार स्थिति का मुकाबला करने के निमित्त प्रत्येक संभव उपाय करने के अपने कर्तव्य में तनिक भी नहीं हटेगी।"

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक अभी बंबई में होने ही वाली थी कि एकाएक भारत सरकार ने तथाकथित गांधी जी के उस प्रस्ताव के मसविदे को, जिसके प्रकाशन पर २८ अप्रैल १९४२ को भारत सरकार ने रोक लगाई थी और जिस पर वर्किङ्ग कमेटी में बहस हुई थी, प्रकाशित किया। सरकारी विज्ञप्ति का कहना है कि इस मसविदे में निम्नलिखित मुख्य प्रसंग थे :—

१. ब्रिटिश सरकार के भारत से चले जाने की मांग की जाय।

२. भारत ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के कारण ही युद्धक्षेत्र के अंतर्गत आ गया है।

३. इस देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये किसी भी विदेशी ताकत की सहायता की आवश्यकता नहीं है।

४. भारत का किसी भी दूसरे देश से कोई झगड़ा नहीं है।

५. यदि जापान ने भारत पर हमला किया तो उसका मुकाबला अहिंसात्मक विरोध से किया जायगा।

६. असहयोग का स्वरूप क्या होगा ?

७. देश में विदेशी सैनिकों की उपस्थिति भारत की स्वतंत्रता के लिये बहुत बड़ा खतरा है।

सरकारी विज्ञप्ति में कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी की बैठक में होने वाली बहस का जो विवरण दिया गया, इसके अतिरिक्त कई अनर्गल बातें पं० जवाहरलाल नेहरू डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री अच्युत पटवर्धन तथा मौ० अबुल कलाम आजाद आदि के नाम पर कही गई थीं।

महात्मा गाँधी की धारणा

सरकार ने उपर्युक्त मसविदा प्रकाशित करा कर समझा कि ऐसा करने से गांधी जी के प्रति जनता की अश्रद्धा होगी। महात्मा जी ने प्रेस प्रतिनिधियों द्वारा पूछे जाने पर तद्विषयक कई प्रश्नों का स्पष्टी करण किया। उन्होंने कहा—"जिस ढंग से सरकार ने कागजात को प्राप्त किया है, उसके संबंध में मैं दो एक बात कह देना चाहता हूँ। मेरा खयाल है कि आ० भा० कांग्रेस कमेटी के दफ्तर की तलाशी करने तथा कागजात को कब्जा में रखने के लिये जो कार्य प्रणाली अख्तियार की गई वह आपत्ति जनक थी। कांग्रेस कोई गैर कानूनी संस्था नहीं है। उसके प्रतिनिधि भारतीय शासन विधान द्वारा दी गई आंशिक स्वधीनता के अन्दर भारत के सात बड़े प्रान्तों पर शासन कर चुके हैं और जहां तक मुझे ज्ञात है उन प्रान्तों के गवर्नरों ने उनके शासन की प्रशंसा की है। ऐसी संस्था के साथ सरकार को अच्छा बर्ताव करना चाहिये था। उन कागजों का अनुचित या अवैध उपयोग करने के पूर्व यदि सरकार आ० भा० कांग्रेस कमेटी को उसका हवाला देकर उसे कुछ कहने का अवसर देती तो कहीं बेहतर होता। गृह विभाग ने कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी के सदस्यों को कलंकित करने का जो प्रयत्न किया है उसके होते हुये भी उन कागजों को पढ़ने से जो अप्रामाणिक हैं, कांग्रेस की प्रतिष्ठा में

कम से कम भारत के अन्दर, कोई अन्तर नहीं पड़ सकता। उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है जिससे सदस्य लज्जित हों।"

प्रतिनिधियों द्वारा यह पूछे जाने पर कि जैसा आपके कथित प्रस्ताव से प्रकट होता है, क्या आप का विश्वास है कि जापान और जर्मनी युद्ध में विजयी होंगे? महात्मा जी ने कहा कि मैंने कभी की, बहुत लापरवाही के समय भी, यह मत नहीं व्यक्त किया कि जापान और जर्मनी युद्ध में बिजयी होंगे. यही नहीं मैंने अकसर यह राय प्रकट भी है कि अगर ब्रिटेन सदा के लिये साम्राज्यवाद छोड़ दे तो वह युद्ध में जीत सकता है।

२६ जुलाई को महात्मा गांधी ने 'हरिजन' में जापानियों को संबोधित करते हुये लिखा था कि—"मैं आप से यह कहूँगा कि यदि आपका यह विश्वास है कि भारत में आप का खुशी से स्वागत होगा तो आप का यह बहुत बड़ा भ्रम है। आप को बहुत गलत सूचनायें मिली हैं, कि हमने इस अवसर पर जब कि आप का अक्रमण भारत पर होने वाला है, मित्र राष्ट्रों को परेशान करने का निश्चय किया है। यदि हम ब्रिटेन की कठिनाई को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये सुअवसर समझते तो हमने तीन बर्ष पूर्व ही ऐसा किया होता, जब कि युद्ध आरंभ हुआ था।"

सरकारी विज्ञप्ति के प्रकाशन की निन्दा करते हुये पं० जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित वक्तव्य दिया—

कथित प्रस्ताव के प्रकाशन पर पं० नेहरू

मैंने पहली बार सरकार की विज्ञप्ति देखी है जिसमें वे कागजात प्रकाशित किये गये हैं जिन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर धावा करने में पुलिस ने पकड़े थे। इस बात से आश्चर्य होता है कि सरकार ऐसी स्थिति पर पहुँच गई है कि उसे इस प्रकार की अश्रेयस्कर तथा अपमानजनक नीति अख्तियार करनी पड़ी है। साधारणतः इस तरह की चालों के लिये कोई

उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती किन्तु चूँकि कुछ गलत-फहमी पैदा होने की आशङ्का है। इस लिये मैं कुछ बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

यह हमारी प्रथा नहीं है कि वर्किंग कमेटी की बैठक की कार्यवाही की हम विस्तृत रिपोर्ट रखें, केवल अन्तिम निर्णय दर्ज किये जाते हैं इस अवसर पर असिस्टेंट सेक्रेटरी ने बैठक के बारे में संक्षिप्त नोट लिये थे जो कांग्रेस की ओर से नहीं लिये गये थे ; नोट प्रत्यक्षतः उन्होंने अपने लिये ले लिये थे। ये नोट बहुत ही संक्षिप्त हैं और इनमें एक बात का दूसरी बात से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये नोट कई दिन की लम्बी बहस के बारे में है जिस बीच मैं कई बार दो या तीन घंटे तक बोला हूँगा। केवल कुछ वाक्य ले लिये गये हैं जिनके ऊपर पहले और बाद में कही गई बातों का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये वाक्य प्रायः गलत विचार पैदा करते हैं। हममें से किसी को ये नोट देखने को नहीं मिले थे और न उन्हें दुहराने का ही हममें से किसी को कोई अवसर मिला था। जो नोट किये गये थे वे बड़े हीं असंतोष-जनक थे। वे अपूर्ण थे इसलिये प्रायः गलत भी।

भारत से अंगरेजों के वापस चले जाने के प्रश्न पर जिस समय विचार किया गया तब मैंने संकेत किया कि यदि सशस्त्र फौजें सहसा हटा ली जायेंगी तो संभव है जापानी आगे बढ़ें और बिना किसी रुकावट के हमारे देश पर आक्रमण करें। यह प्रत्यक्ष कठिनाई उस समय दूर हो गई जब गांधीजी ने यह बताया कि आक्रमण रोकने के लिये ब्रिटिश तथा अन्य सशस्त्र फौजें भारत में रह सकती हैं। यह कहने में कि गांधीजी को धुरी राष्ट्रों की विजय की आशा है महात्मा गाँधी द्वारा इस कथन के साथ लगाई गई एक महत्व पूर्ण शर्त को नहीं बताया गया है। महात्माजी ने जो बात बार बार कही है और जिसका मैंने जिक्र किया है वह यह है

कि उनका यह विश्वास है कि यदि अंगरेज भारत तथा उपनिवेशों के संबन्ध में अपनी सारी नीति को नहीं बदल देंगे तो वे काफी विपत्ति में पड़ेंगे। गांधी जी ने यह भी कहा है कि यदि इस 'नीति में उपर्युक्त परिवर्तन कर दिया जाय और लड़ाई वास्तव में सभी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता की लड़ाई का रूप धारण करले तो विजय निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्रों की होगी।

२८ अप्रैल को भारत सरकार ने प्रस्ताव के मसविदे पर रोक लगाकर जनता का कौतूहल तो बढ़ाया ही था साथ ही जनता को इस कार्रवाई पर बड़ा क्रोध आया। थोड़े ही दिनों बाद सरकार ने अकारण अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के दफ़्तर पर आक्रमण करके कांग्रेस के आत्म सम्मान को बड़ी ठेस पहुँचाई थी। सरकार ने ५ अगस्त को कांग्रेस के कागजात का प्रकाशन करके वास्तव में कांग्रेस के अग्रगण्य नेताओं को बदनाम करना चाहा और महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के कतिपय अन्य नेताओं को धुरी राष्ट्रों का समर्थक प्रमाणित करना चाहा। महात्मा गांधी के 'हरिजन' के लेखों तथा समय समय पर दिये गये वक्तव्यों से यह बात स्पष्ट थी कि उन्होंने कभी भी धुरी राष्ट्रों के समर्थन का विचार तक नहीं किया, बल्कि धुरी राष्ट्रों द्वारा भारत पर आक्रमण होने की दशा में उनका अहिंसात्मक विरोध करने के लिये बार बार कहा था।

सरकार की पक्की धारणा हो चुकी थी कि महात्मा गांधी तथा काँग्रेस वर्किङ्ग कमेटी के अधिकांश सदस्य धुरी समर्थक हो चुके हैं—इस धारणा से प्रेरित होकर उसने उपर्युक्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराई थी ताकि काँग्रेस जनों पर भावी कार्रवाई करने के लिये सरकार का पक्ष मजबूत रहे। कांग्रेस पर से सरकार का विश्वास उठ चुका था। वह धीरे धीरे कांग्रेस को दबाना चाहती थी। भारत रक्षा कानूनों की धूम थी। प्रति दिन कांग्रेस जन किसी न

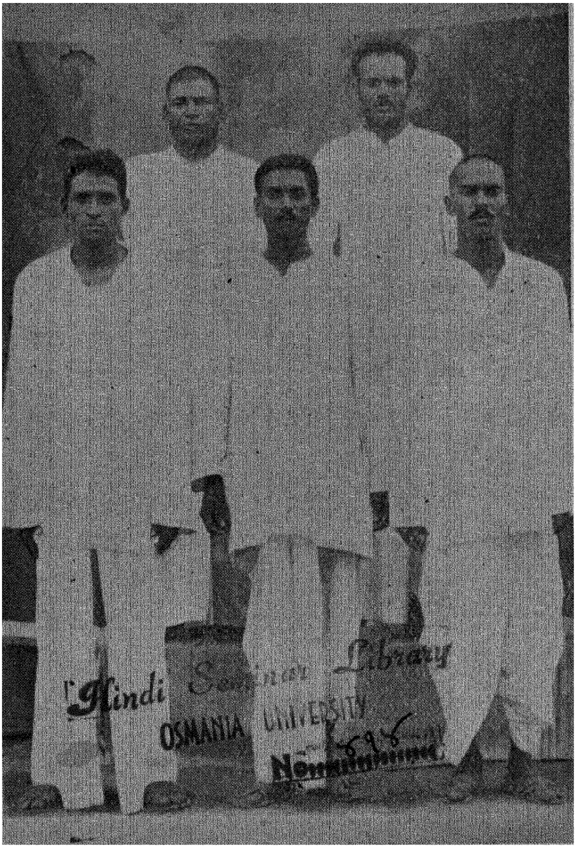

काँग्रेस समाजवादी नेता

दाँयें से—

१—श्री पारसनाथ मिश्र

२—श्री शमशेर बहादुर

३—श्री रामलक्षण तिवारी

४—श्री महानन्द मिश्र

५—श्री विश्वनाथ चौबे

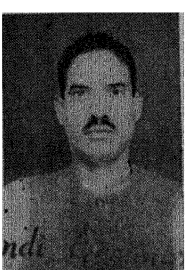

श्री शिवपूजन सिंह, सुखपुरा।

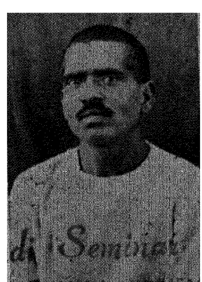

श्री शिवनारायण सिंह, कथैता......

किसी बहाने से जहां तहां पकड़े जाते थे। इनमें सर्व श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल (युक्त प्रान्त), पं० गंगा सहाय चौबे (युक्तप्रांत), जी ठक्कर) बंबई, विश्वनाथ दास (उड़ीसा) के नाम उल्लेखनीय हैं। कोई भी जिला ऐसा नहीं का जहां १०, २० कांग्रेस कार्यकता जेलों में न भरे गये हों।

बलिया में गिफ्तारियां

बलिया के अग्रगण्य कार्यकर्ताओं में सर्व श्री जगन्नाथसिंह, चीतू पांडेय, शिवपूजनसिंह, राजेश्वर तिवारी, रामलक्षण तिवारी, बालेश्वरलेसिंह और यूसुफ़ कुरेसी आदि को अपत्ति जनक भाषण देने तथा अन्य छोटे मोटे गढ़े गढ़ाये अपराधों में फँसा कर जेल में डाल दिया गया। शेष कांग्रेस जनों पर सरकार की कड़ी नजर थी। कांग्रेसजन भी अपनी ओर से चूकने वाले न थे। उनका संगठन कार्य जोरों पर चल रहा था। गांव-गांव में घूम घूम कर प्रचार कर कहे थे।

जहां तहां चर्चा चल रही थी कि महात्मा जी शीघ्र नजर बन्द किये जायंगे। ऐसे कश्मकश के जमाने में बम्बई में कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई।

अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक

७ अगस्त १९४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ६॥। बजे ग्वालियर तालाब के मैदान में हुई। २५० सदस्य तथा १० हजार दर्शक उपस्थिति थे। वर्किङ्ग कमेटी द्वारा पास किये गये प्रस्ताव को समझाते हुये मौ० अबुल कलाम आजाद ने लगभग १॥ घंटे तक भाषण दिया। आप ने कहा कि हमें वादों का भरोसा नहीं करना चाहिये। हमारे लिये भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा शीघ्र हो जानी जाहिये। हम संयुक्त राष्ट्रों से यही करने के लिये

कह रहे हैं। मैं इस मञ्च से घोषित करता हूं कि स्वतन्त्र भारत सभी आक्रमण के विरुद्ध होने वाली लड़ाई में जी खोलकर संयुक्त राष्ट्रों के साथ लड़ेगा।

महात्मा गांधी ने अपने ३ घंटे के लम्बे भाषण में अहिंसा का महत्व समझाते हुये कहा कि मैं अब भी अहिंसा के सिद्धान्त पर अटल हूँ। यदि आप उनसे थक गये हों तो आप को मेरे साथ आने की आवश्यता नहीं है।

मैं अङ्गरेज़ों का मित्र हूँ—महात्मा गांधी

महात्मा गांधी ने आगे कहा कि हम अपनी वास्तविक शक्ति और बीरता तभी दिखा सकते हैं जब यह हमारी लड़ाई हो जाय। उस हालत में एक बच्चा भी बीर बन जायेगा। हम अपनी स्वतन्त्रता लड़कर प्राप्त करेंगे। वह आकाश से टूट कर हमारे सामने नहीं आ सकती।

वास्तविक बात यह है कि अंगरेजों का जितना बड़ा मित्र मैं इस समय हूँ उतना वड़ा मित्र मैं अंगरेजों का कभी नहीं था। इसका कारण यह है कि इस समय अंगरेज कठिनाई में हैं। मेरी मित्रता का तकाजा है कि मैं उनकी त्रुटियों से उन्हें परिचित कराऊँ।

यह सम्भव है कि अंगरेजों को समझ आ जाय तथा वे यह गलती महसूस करें कि उन्हीं लोगों को जेल में डालना गलती है जो उनके लिये सदा लड़ना चाहते हैं।

महात्मा गांधीजी ने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य विश्व संघ है। यह केवल अहिंसा के द्वारा स्थापित हो सकता है। निरस्त्रीकरण केवल उसी समय सम्भव है जब आप अहिंसा के बेजोड़ अस्त्र का उपयोग करें। कुछ लोग मुझे खयाली पुलाव पकाने वाला कह सकते हैं लेकिन मैं आप को बताता हूँ कि मैं पक्का बनिया हूँ और मेरा सौदा स्वराज्य प्राप्त करना है। अगर आप

मेरे प्रस्ताव को स्वीकार न करेंगे तो मुझे अफसोस न होगा। इसके विपरीत मैं खुशी से नाच उठूंगा क्योंकि मैं उस अत्यंत भारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँगा जो आप मुझे सुपुर्द करने वाले हैं।

प्रस्ताव पर पं० नेहरू

पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा प्रस्ताव किसी प्रकार किसी के लिये चुनौती नहीं है। अगर ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो उससे परिस्थिति राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ढंग पर सँभल जायेगी। पं० नेहरू ने आगे कहा कि पिछले चन्द महीनों में हमने भारत सरकार की बेमिसाल नालायकी देखी है। उस प्रणाली में घुन लग गया है। भारत सरकार का वर्तमान ढाँचा जर्जरित है और मैं उसके साथ अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकता। राष्ट्रीय मोर्चों की पुकार की आलोचना करते हुये आपने कहा कि इसमें न तो राष्ट्रीय और न मोर्चे की ही भावना है। इस समय इस सरकार का केवल एक ही तात्पर्य रह गया है कि कांग्रेस का विरोध किया जाय। मैं इसकी शिकायत नहीं करता। भारत सरकार का समूचा संगठन ही ऐसा है। वह तत्परता केवल बहुत से लोगों के गिरफ्तार करने में दिखाती है। एक बार फिर सरकार कांग्रेस के विरुद्ध अपनी इस तत्परता का परिचय देगी। अब हम ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसमें पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। यदि ब्रिटेन की ओर से सद्भाव दिखाया जाय तो सब ठीक हो सकता है। तब युद्ध का समस्त रुख बदल जायेगा और संसार का भविष्य परिवर्तित होगा। मेरा यह विश्वास है कि चीन और रूस को सहायता देने का यही (प्रस्ताव) एक तरीका है।

कांग्रेस तूफानी सागर में उतर रही है। वह या तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी अथवा डूब जायेगी। पहले आन्दोलनों की तरह यह आन्दोलन चंद दिन का न होगा, यह आखिरी दम तक की लड़ाई है। कांग्रेस को एक भीषण आन्दोलन शुरू करना

है। मैं अपने आपको कभी ऐसी सरकार के साथ काम करने के लिये राजी नहीं कर सकता जिसमें न सूझ है, न समझ।

प्रस्ताव का समर्थन करते हुये सरदार पटेल ने कहा कि यदि अमेरिका और इङ्गलैंड अब भी यह समझ रहे हैं कि वे अपने शत्रुओं से भारतीयों द्वारा बिना ४० करोड़ भारतीयों के सहयोग के लड़ सकते हैं, तो वे मूर्ख हैं। जनता पर यह बात प्रकट करनी होगी कि यह लड़ाई जनता की लड़ाई है और उसे अपने देश तथा आजादी के लिये लड़ना चाहिये। भारत की रक्षा करने में ब्रिटेन की दिलचस्पी केवल इतनी ही है कि भारत अंगरेजों की आगामी पीढ़ी के लिये सुरक्षित रहे। पर यदि भारत भारतीयों के लिये नहीं है तो यह लड़ाई जनता की लड़ाई कैसे कही जायेगी?

सरदार पटेल द्वारा समर्थन

अंत में आपने लोगों को इस बात से सावधान किया कि इस बार का आन्दोलन बहुत ही कड़ा होगा। केवल जेल जाने की बात न होगी। हमारा ध्येय जापान द्वारा हमारे ऊपर आक्रमण करने के पहले ही स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना है ताकि यदि जापान आक्रमण करे तो उससे लड़ा जाय। आन्दोलन केवल कांग्रेसी लोगों तक ही सीमित न रहेगा वह अपने को भारतीय कहने वाले सभी लोगों को अपने दायरे में खींच लेगा। आन्दोलन में अहिंसात्मक विरोध के सभी पहलू रहेंगे।

८ अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव को भारी बहुमत से पास किया। केवल १३ सदस्यों ने विरोध में वोट दिया। प्रस्ताव पर बड़ी गरमागरम बहस चली, कई संशोधन आये किन्तु वे बहुधा गिर गये। प्रस्ताव इस प्रकार है—

आ० भा० कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव पास

"अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यसमिति के १४ जुलाई १९४२ के प्रस्ताव और बाद की घटनाओं पर, जिनमें युद्ध की घटनावाली, बृटिश सरकार के जिम्मेदार वक्ताओं के भाषण और भारत तथा विदेशों में की गई अलोचनाएं सम्मिलित हैं, अत्यन्त सावधानी के साथ विचार किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उस प्रस्ताव को स्वीकार करती है और उसकी राय है कि बाद की घटनाओं ने इसे और भी औचित्य प्रदान कर दिया है और इस बात को स्पष्ट कर दिखाया है कि भारत में बृटिश शासन का तात्कालिक अन्त, भारत के लिए और मित्रराष्ट्रों के आदर्श की पूर्ति के लिए, अत्यन्त आवश्यक है। इस शासन का स्थायित्य भारत की प्रतिष्ठा को घटाता और उसे दुर्बल बनाता है और अपनी रक्षा करने तथा विश्व स्वातंत्र्य के आदर्श की पूर्ति में सहयोग देने की उसकी शक्ति में क्रमिक ह्रास उत्पन्न करता है।

"अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रूसी और चीनी मोर्चों पर स्थिति के बिगड़ने को निराशा के साथ देखा है और यह रूसियों और चीनियों की उस वीरता की भूरि भूरि प्रशंसा करती है, जो उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने में प्रदर्शित की है। जो लोग स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न कर रहे हैं और आक्रमण के शिकार हुए व्यक्तियों से सहानुभूति रखते हैं उन सबको नित्य बढ़ता जाने वाला खतरा उस नीति की परीक्षा करने के लिए बाध्य करता है जिसका मित्रराष्ट्रों ने अभी तक अवलम्बन किया है और जिसके कारण बारम्बार भीषण असफलताएं हुई हैं। ऐसे उद्देश्यों, नीतियों और प्रणालियों पर आरूढ़ बने रहने से असफलता सफलता में परिणत नहीं की जा सकती, क्योंकि पिछले अनुभव से प्रकट हो चुका है कि असफलता इन नीतियों में निहित है। ये नीतियाँ स्वतन्त्रता पर आधारित नहीं की गई हैं बल्कि परा-

धीन और औपनिवेशिक देशों पर प्रभुत्व रखने और साम्राज्यवादी परम्परा और तरीकों को क़ायम करवाने के लिये हैं। साम्राज्य का कायम करवाना शासन शक्ति की ताकत को बढ़ाने के बजाय एक अभिशाप शिद्ध हुआ है। हिन्दुस्तान जो कि आधुनिक साम्राज्य-वाद का जीता जागता नमूना है इस समस्या का मुख्य बिन्दु बन गया है क्योंकि भारत की आज़ादी के आधार पर ही ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों की परीक्षा होगी और एशिया और अफरीका के लोगों में आशा और उत्साह का संचार होगा।

"इस प्रकार इस देश में अंगरेजी राज को खत्म करने का सवाल एक महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल है जिस पर युद्ध का भविष्य और आजादी तथा लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। आजाद भारत अपने महान साधनों को नाजीवाद फासिस्टवाद और साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई में झोंक कर विजय को निश्चित कर देगा। इसका न केवल भौतिक रूप से युद्ध के भविष्य पर असर पड़ेगा बल्कि वह तमाम पराधीन और जीवित मानवता को मित्रराष्ट्रों के पक्ष में खड़ा कर देगा और उन राष्ट्रों को जिनका भारत साथी होगा दुनिया का नैतिक और आध्य-त्मिक नेतृत्व प्रदान कर देगा। पराधीन भारत बृटिश साम्राज्यवाद का चिह्न बना रहेगा और साम्राज्यवाद का कलंक तमाम मित्रराष्ट्रों के भविष्य पर असर डालेगा।

"अतः आज जो खतरा है वह भारत की आजादी और अंग्रेजी प्रभुत्व के अंत को जरूरी बना देता है। भविष्य के वादों तथा गारं-टियों से मौजूदा स्थिति पर असर नहीं पड़ सकता था। उस ख़तरे का मुकाबिला नहीं किया जा सकता। उनसे जनता के दिलों पर जरूरी मनोवैज्ञानिक असर नहीं पड़ सकता। सिर्फ आजादी की लहर ही लाखों आदमियों की उस शक्ति और उत्साह को जागृत कर सकती है जो फौरन युद्ध के स्वरूप को बदल देगी।

"अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अंगरेज की सत्ता के हिन्दुस्तान से हट जाने की मांग को अपने पूरे जोर के साथ दुहराती है। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा होने के बाद एक अस्थायी सरकार बनाई जायेगी और आजाद भारत मित्र राष्ट्रों का मित्र बन जायेगा और आजादी की लड़ाई के संयुक्त उद्योग में उनकी मुसीबतों और कष्टों में हिस्सा बटायेगा। अस्थायी सरकार देश की मुख्य पार्टियों और दलों के सहयोग से ही बनाई जा सकती है। इस तरह वह संयुक्त सरकार होगी और भारत के सभी महत्वपूर्ण दलों की प्रतिनिधि होगी। उसका मुख्य काम होगा भारत की रक्षा करना और आक्रमण का मुकाबला करना। वह मित्रराष्ट्रों के साथ सहयोग करती हुई अपनी तमाम सशस्त्र और अहिंसक शक्तियों से ऐसा करेगी। वह खेतों और कारखानों में तथा अन्यत्र काम करने वाले मजदूरों की भलाई और तरक्की की कोशिश करेगी जिनके हाथों में तमाम सत्ता और अधिकार होने चाहिये।

"अस्थायी सरकार विधान सम्मेलन की योजना बनायेगी, जो भारत सरकार का सब वर्गों को मान्य होने वाला विधान बनायेगा। यह विधान कांग्रेस के दृष्टिकोण के अनुसार संघात्मक होना चाहिये और वह उसमें शामिल होने वाले प्रान्तीय अंगों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देगा और अवशिष्ट अधिकार भी उन्हीं हाथों में रहेंगे। मित्रराष्ट्रों और भारत के भावी संबंध इन स्वतंत्र अंगों के प्रतिनिधि पारस्परिक लाभ और आक्रमण का प्रतिरोध करने के अपने समान कार्य की दृष्टि से तय करेंगे। आजादी भारत को आक्रमण का सफल प्रतिरोध करने के योग्य बनायेगी क्योंकि जनता की संयुक्त इच्छा और शक्ति उसके पीछे होगी।

भारत की आजादी विदेशी गुलामी में पड़े हुये तमाम एशियाई राष्ट्रों की आजादी का चिह्न और पूर्व भूमिका होगी। बर्मा, मलाया, इंडोचीन डच ईस्ट इन्डीज, ईरान और इराक देशों को भी उनकी

पूर्ण आजादी मिलनी चाहिये। यह साफ समझ लिया जाना चाहिये कि इनमें से जो देश इस समय जापान के अधीन हैं, उन्हें बाद में किसी दूसरी औपनिवेशिक ताकत के शासन या नियंत्रण में नहीं रखा जायेगा।

"इस खतरे की घड़ी में यद्यपि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यतः भारत की स्वाधीनता और रक्षा से सरोकार रखती है, कमेटी की राय है कि भावी शान्ति, सुरक्षा और संसार की व्यवस्थित उन्नति के लिये आजाद राष्ट्रों का विश्व संघ कायम होना चाहिये। और किसी प्रकार से आधुनिक संसार की अवश्यकताओं को हल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का विश्वसंघ उनके अंगभूत राष्ट्रों की आजादी को सुरक्षित कर देगा; एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण और आक्रमण को रोक देगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को संरक्षण देगा, पिछड़े हुये देशों और लोगों की तरक्की करेगा और सबके समान हित के लिये दुनिया के साधनों का संग्रह संभव बनायेगा।

"इस प्रकार के विश्वसंघ की कल्पना के बाद सब देशों में निरस्त्रीकरण सम्भव हो जायेगा और विश्व-संघ की रक्षासेना विश्व-शान्ति की रक्षा करेगी तथा आक्रमण को रोकेगी। "आजाद भारत ऐसे विश्व-संघ में खुशी से शामिल होगा और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल करने में दूसरे देशों के साथ बराबरी के आधार पर सहयोग करेगा। ऐसे संघ के द्वार उन सब देशों के लिए खुले होने चाहिए जो उसके आधारभूत सिद्धान्तों से सहमत हों। किन्तु युद्ध के कारण संघ शुरू में जरूरी तौर पर मित्रराष्ट्रों तक सीमित रहेगा। ऐसा कदम यदि इस समय उठाया गया तो उसका युद्ध पर, धुरी राष्ट्रों की जनता पर और आने वाली शान्ति पर जबरदस्त असर पड़ेगा। किन्तु कमेटी अफसोस के साथ महसूस करती है कि युद्ध के दुःख जनक और भारी परिणामों में और

दुनिया के सिर पर खतरों के मंडराने के बावजूद कुछ देशों की सरकारें अभी विश्व-संघ की दिशा में यह अनिवार्य कदम उठाने को तैयार नहीं हैं। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया और विदेशी अखबारोंकी गुमराह आलोचना से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की आजादी की सीधी सी मांग का भी विरोध किया जा रहा है, हालां कि मौजूदा खतरे का सामना करने और अपनी रक्षा करने के लिए हिन्दुस्तान को समर्थ बनाने और चीन तथा रूस को उनकी जरूरत की घड़ी में मदद पहुँचाने की दृष्टि से ही मुख्यतः इस मांग को पेश किया गया है। कमेटी चीन अथवा रूस की रक्षा में किसी तरह बाधा न डालने को उत्सुक है, क्योंकि इन देशों की आजादी बहुमूल्य है और उसकी रक्षा की जानी चाहिए। कमेटी मित्रराष्ट्रों की रक्षा शक्ति में भी किसी तरह का विघ्न नहीं डालना चाहती। किन्तु भारत और मित्रराष्ट्रों दोनों को खतरा बढ़ रहा है और इस मौके पर निष्क्रियता और विदेशी शासन तन्त्र की आधीनता न केवल भारत को गिरा रही हैं तथा उसकी रक्षा करने की और आक्रमण का मुकाबला करने की शक्ति को घटा रही है, बल्कि वह बढ़ते हुए खतरे का कोई जवाब ही नहीं है। ब्रिटेन और मित्रराष्ट्रों के नाम कार्य समिति की हार्दिक अपील का अभी तक कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला है और अनेक विदेशी हल्कों में जो आलोचना हुई है वह भारत की और दुनिया की जरूरत से अनभिज्ञता सूचित करती हैं। उससे कभी कभी भारत की आजादी के विरोध की भी ध्वनि निकलती है जो प्रभुत्व और जातीय श्रेष्ठता की मनोवृत्ति प्रकट करती है जिसको एक स्वाभिमानी कौम, जिसे अपनी शक्ति और अपने उद्देश्य के औचित्य का ध्यान है, सहन नहीं कर सकती।

"अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस अन्तिम समय में विश्व स्वतन्त्रता के हितार्थ एक बार फिर ब्रिटेन व मित्रराष्ट्रों के सामने

यह अपील रखती है। लेकिन कमेटी महसूस करती है कि अब राष्ट्र को एक ऐसी साम्राज्यवादी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से अधिक रोकना न्यायसंगत नहीं है, जो उस पर प्रभुत्व जमाये हुए है और मानवता के हित के काम करने से रोके हुए है। कमेटी इस लिये भारत की स्वतन्त्रता व स्वाधीनता के अधिकार को स्वीकार कराने के निमित्त एक बड़े पैमाने पर अहिन्सात्मक सामूहिक आन्दोलन आरम्भ करने को इजाजत देती है, ताकि देश उस समस्त अहिंसात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके जो कि उसने विगत २२ वर्षों के शांतिपूर्ण संग्राम में संचय की है। इस प्रकार का आन्दोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलना चाहिए, अतः कमेटी गांधी जी से प्रार्थना करती है कि वह देश का पथ प्रदर्शन करें।

"कमेटी भारतीय जनता से अपील करती है कि वह उन खतरों व मुसीबतों का उत्साह व सहिष्णुता के साथ सामना करें जो कि उनके भाग्य में लिखे हैं और महात्मा गांधी के नेतृत्व के अधीन संगठित होकर भारतीय स्वतन्त्रता के अनुशासित सैनिकों की तरह उनकी हिदायतों पर चलें। उन्हें यह स्मरण रहे कि इस आन्दोलन का आधार अहिंसा है। एक समय ऐसा भी आ सकता है, जब कि हिदायतों का जारी करना या उनका हमारे लोगों के पास पहुँचना सम्भव न हो और कांग्रेस कमेटियां काम न कर सकें। जब ऐसा हो जाय तो इस आन्दोलन में भाग लेने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को स्वयं आम हिदायतों के अन्दर काम करना चाहिए। प्रत्येक भारतीय को, स्वयं अपना पथ-प्रदर्शक होना चाहिये और कठोर मार्ग पर जहां कोई विश्राम करने की जगह नहीं है और जो अन्त में भारत की स्वतंत्रता व मुक्ति पर ले जाता है, आगे बढ़ते रहना चाहिये।

"अन्त में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यह स्पष्ट कर देना

चाहती है कि कमेटी एक सामूहिक संघर्ष आरंभ करके अकेली कांग्रेस के लिए सत्ता प्राप्त करने का इरादा नहीं रखती। शासन-सत्ता, जब मिलेगी भारत के समस्त राष्ट्र के लिए होगी।"

महात्मा गांधी का अन्तिम सन्देश

प्रस्ताव पास हो जाने पर महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में फिर भाषण दिया। आपने कहा कि आन्दोलन शुरू करने के पहले वायसराय से मिलने का प्रत्येक प्रयत्न करूँगा। समस्त भारतीयों को लक्ष्य करते हुये आपने कहा कि वे अपने को स्वतंत्र व्यक्ति समझना शुरू कर दें। भारतीय नरेशों के कहा कि वे अपनी प्रजा के संरक्षक बनें, स्वेच्छाचारी न बनें। सरकारी कर्मचारियों के संबंध में महात्मा जी ने कहा कि उन्हें फौरन इस्तीफा दे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें सरकार को यह लिख देना चाहिये कि वे कांग्रेस के साथ हैं। अध्यापकों और विद्यार्थियों से आपने कहा कि वे मैदान में निकल आने के लिये तैयार रहें।

सरकार को गहरी चिंता

उधर बम्बई में अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही थी, इधर दिल्ली में वायसराय की कौंसिल की बैठकें हो रही थीं। कौंसिल की बैठकें घटों तक होती रहतीं और कभी कभी तो रात के १२, १ बचे तक होगी रहतीं। बम्बई की राजनीतिक घटनाओं तथा वहां होने वाले भाषणों के प्रति सरकार बड़ी सतर्क थी। बड़े पैमाने पर अहिंसात्मक सामूहिक आन्दोलन से जो गांधी जी की देख देख में होने वाला था, सरकार काफी भयभीत हो चुकी थी।

एकाएक ८ अगस्त १९४२ को भारत सरकार ने एक आज्ञा जारी करके यह रोक लगाई कि कोई भी मुद्रक समाचार पत्रों को प्रकाशक अथवा संपादक ऐसी घटना के समाचार, जिसमें इस कमेटी में सर्व साधारण द्वारा दिये गये भाषणों की रिपोर्ट अथवा वक्तव्य भी आते हैं, को मुद्रित अथवा प्रकाशित न करें जो अ० भा० कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वीकार किये गये जन आन्दोलन अथवा सरकार द्वारा उसको रोकने के लिये किये गये उपायों से सम्बन्ध रखते हैं।

सूचना

कांग्रेस की ओर से बार बार ब्रिटेन से सहयोग करने का आश्वासन दिया गया था किन्तु ब्रिटेन को कांग्रेस की न्यूनतम मांग भी स्वीकार करने की क्षमता नहीं थी। अ० भा० कांग्रेस कमेटी में अहिंसात्मक व्यापक आन्दोलन का प्रस्ताव पास हो जाने पर भी महात्मा जी ने तत्काल आन्दोलन आरंभ करने की आज्ञा नहीं दी बल्कि कहा कि वायसराय को अंतिम पत्र लिखेंगे और उसके उत्तर की एक पखवारे तक प्रतीक्षा करेंगे। किन्तु सरकार को धीरज बिलकुल नहीं था। भारत सरकार तो परेशान थी ही, ब्रिटिश सरकार भी आंतकित हो उठी।

कांग्रेस पर कुठाराघात

९ अगस्त को सवेरे ६ वजे से भी पहले महात्मागांधी, मौ० आजाद, सरदार पलेट, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा श्रीमती सरोजनी नायडू आदि कांग्रेस के कर्णधार वंबई में गिरफ्तार कर लिये गये। बंबई के लगभग २० स्थानीय कार्यकर्ता जिनमें बंबई प्रान्तीय कमेटी के उच्च पदाधिकारी तथा बंबई एसेंबली के स्पीकर श्री मालवंकर भी थे गिरफ्तार कर लिये गये। नगर में पुलिस का पहरा कड़ा कर दिया। ९ अगस्त को ही क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट के अनुसार कांग्रेस वर्किंग कमेटी और अखिल

भारतीय कांग्रेस कमेटी गैर कानूनी घोषित कर दी गईं। युक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त और उड़ीसा के गवर्नरों और दिल्ली के चीफ कमिश्नर ने अलग अलग आज्ञा निकाल कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी तथा प्रान्तीय, जिला, कस्बा हल्का और मंडल कांग्रेस कमेटियों को अनियमित घोषित किया। दूसरे, तीसरे दिन तक भारतवर्ष की समस्त कांग्रेस कमेटियां अवैध करार दी गईं। उनके दफ़्तरों पर ताले लगा दिये गये। कांग्रेस के नेताओं के नाम वारंट जारी किये गये और वे पकड़ पकड़ कर जेलों में बंद किये जाने लगे।

अध्याय १

क्रान्ति का विकास

नेताओं की गिरफ्तारी पर असंतोष

महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल, पं० जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती सरोजनी नायडू तथा कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी के अन्य सदस्य बंबई में ९ अगस्त १९४२ को लगभग ६ बजे सबेरे गिरफ्तार कर लिये गये। यह समाचार बलिया में उसी दिन संध्या समय रेडियो पर सुना गया। १० अगस्त को सवेरे दैनिक पत्रों के देखने से पता चला कि ९ को ही बंबई के लगभग २० कांग्रेस कार्यकर्ता बिला वजह गिरफ्तार किये गये हैं। वर्किङ्ग कमेटी के सदस्य कतिपय अन्य प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्पेशल ट्रेन में बिठा कर ले जाये गये हैं जो संभवतः पूना को गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पंडाल के सामने जो कांग्रेस स्वयं सेवक और देश सेविकायें झंडाभिवादन करने के लिये आईं उन्हें डंडों से मार मार कर भगा दिया गया। पुलिस ने झंडा उतार लिया और लगभग १ दर्जन स्वयं सेवकों को गिरफ्तार भी किया। नगर में जहां तहां पुलिस को उत्तेजित भीड़ से मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस के ३४ सिपाहियों और ११ अफसरों को चोट आई। नगर में ७॥ बजे संध्या से ६ बजे सबेरे तक करफ्यू आर्डर लगा दिया गया। सभाओं और जुलूसों पर रोक लगा दी गई।

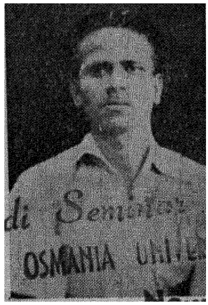

श्री सूरजप्रसाद [बलिया] पृष्ठ १६२

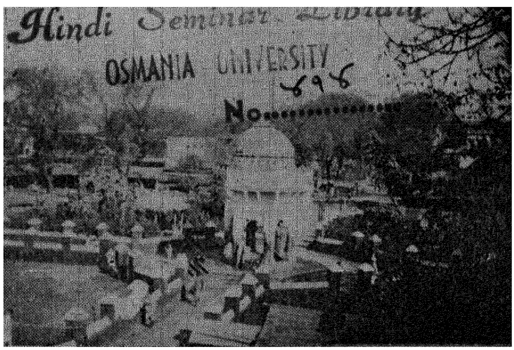

बलिया चौक जहाँ ७ नवयुवक नंगा करके पीटें गये थे

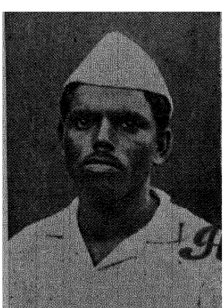

श्री सूर्यनारायण मिश्र [रेवती]

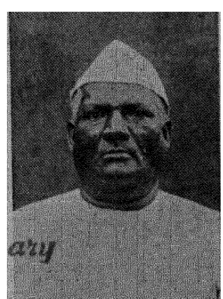

श्री रामधारी सिंह [झरकटहा]

समाचार पत्रों के पढ़ने से यह भी पता चला कि कांग्रेस के सभी अग्रगण्य नेताओं की गिरफ्तारी की आज्ञा जारी कर दी गई है। बंबई तथा अहमदाबाद आदि नगरों के कारबार एकदम ठप हो गये। यद्यपि नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका सब को थी किन्तु कोई यह नहीं सोच सकता था कि सरकार एकाएक इतना खतरनाक कदम उठायेगी। पुलिस ने ८ अगस्त को ही अहमदाबाद कांग्रेस भवन पर अधिकार कर लिया था। युक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के लखनऊ वाले दफ्तर की तलाशी हुई और उस पर ताला पड़ गया। धीरे धीरे स्थान स्थान से कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के समाचार आने लगे।

हड़ताल करने मे विद्यार्थी आगे ही रहते हैं। देश भर में स्कूलों और कालेजों में हड़ताल हुई। लड़कों ने जुलूस निकाले। कहीं कहीं उनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई और कुछ ईंट पत्थर चले।

क्रान्ति का आरंभ

बलिया जिले के अन्दर कांग्रेस के कर्णधारों की गिरफ्तारी का समाचार बिजली की तरह फैला। १० अगस्त तक कानों कान सब लोगों तक यह दुखद समाचार पहुँच गया। जिले के अन्दर जितने भी अंग्रेजी स्कूल थे, सबके सब प्रायः बंद हो गये। अधिकतर विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी, जुलूस निकाले और नारे लगाये। 'भारत छोड़ो', 'स्कूल छोड़ो', 'कालेज छोड़ो' और कांग्रेसी नेताओं को छोड़ो' के नारे प्रायः दिन भर शहर की सड़कों पर सुने जाने लगे।*

---

* नकल कानफिडेन्शल डायरी बलिया कोतवाली :—

तारीख २९ नवंबर १९४२ ई०

अरज है कि मुख्तसरन इन वाकयात की कैफियत यह है कि इस जिले में कांग्रेसी सरगरमी अव्वलन १० अगस्त १९४२ ई० से लड़कों के जुलूसों से शुरू हुई।

कांग्रेस के कर्णधारों अथवा स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं का कोई आदेश विद्यार्थियों अथवा कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को जो जेल के बाहर थे नहीं मिला। ऐसी परिस्थिति में नेताओं की गिरफ्तारी पर असंतोष प्रदर्शित करने के अतिरिक्त जनता के सामने कोई चारा न था। असंतोष प्रकट करने का सब से सरल तथा अहिंसात्मक मार्ग हड़ताल है। विद्यार्थियों ने १० अगस्त को एक जुलूस निकाला और नगर में हड़ताल की घोषणा की। दुकानें बात की बात में बंद हो गईं। ऐसा लगता था मानो दुकानदार स्वयं हड़ताल करने को तैयार हों।

जुलूस स्कूलों में गया। कुछ विद्यार्थी स्कूल छोड़ कर निकल आये और कुछ पढ़ते रहे। स्कूल में आये हुये बच्चों पर प्रिंसिपल, हेडमास्टर तथा अध्यापकों का नियंत्रण कड़ा था। कस्बे के स्कूलों के अध्यापकों को स्थानीय अधिकारियों द्वारा धमकी दी गई थी। वे अपनी ओर से बड़े मुस्तैद रहने लगे।

डी० ए० बी० स्कूल बिल्थरा रोड १० अगस्त को स्कूल के अधिकारियों की ओर से बंद कर दिया गया। उसके बाद बाहर से तरह तरह की सनसनी पूर्ण खबरों के प्राप्त होने पर उक्त स्कूल के विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी। खूबी यह है कि वे घर से स्कूल प्रतिदिन आते थे। स्कूल के मैदान में सभा करते, बाजार में जुलूस निकालते और घूम फिर कर घर चले जाते थे।

११ अगस्त को लगभग ६ बजे से बलिया शहर के स्कूलों के विद्यार्थियों तथा नागरिकों का एक बृहत् जुरम शहर की परिक्रमा करता हुआ चौक में आया। करीब २० हजार जनता के सामने जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री पं० राम अनन्त पांडे ने लगभग १॥ घंटे तक भाषण दिया। उन्होंने बतलाया कि नेताओं की यह गिरफ्तारी हमारे लिये चुनौती है। अंगरेजी सरकार ने

हमसे लड़ाई ठान ली है, हमें लड़ना ही होगा। हम तब तक चैन लें जब तक अंगरेजी हुकूमत को नष्ट न कर दें।

जन समूह ने इस आह्वान को ध्यान से सुना और हृदय से स्वीकार किया। सभा भंग होने पर जुलूस सरकारी कचहरियों को बंद कराने के लिये बढ़ा। बात की बात में कचहरियों पर ताले पड़ गये। १९२० से लेकर अब तक बलिया की कचहरियों में ऐसी हड़ताल नहीं हुई थी। उसी दिन पं० राम अनन्त पांडे गिरफ्तार कर लिये गये। १२ अगस्त को फिर विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा जुलूस दिन को लगभग १० बजे शहर में घूमता हुआ कचहरियों की ओर बढ़ ही रहा था कि रेलवे गुमटी के पास जहां कच्ची सड़क रेलवे लाइन को काटती है, १०० हथियार बंद पुलिस ने उसे रोका। पुलिस के साथ बलिया के परगना हाकिम मि० ओवेस थे। जुलूस ने रुकने से इनकार किया। फिर क्या था? पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। विद्यार्थी भी मानने वाले न थे। रेलवे लाइन पर पड़े हुये कंकड़ों को उठा कर उन्होंने फेंकना शुरू किया। दोनों ओर के कई आदमी घायल हुये। इसके बाद भगदड़ मची। अधिकतर विद्यार्थी तो आगे बढ़ आये और कचहरी को बन्द कराया किन्तु जो थोड़े के विद्यार्थी पुलिस के घेरे में पड़ गये उनकी बड़ी दुर्गति हुई। एक एक विद्यार्थी को पकड़ पकड़ कर खूब पीटा गया। फिर उसी दिन लगभग आधी रात के समय विद्यार्थी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई। सबेरा होते होते लगभग ३० विद्यार्थी पकड़े जा चुके थे। इनमें से कुछ को मारपीट कर कोतवाली से ही छोड़ दिया गया और कुछ को जेल में बंद कर दिया गया। विद्यार्थी जिद पर थे। उन्होंने १३ को भी जुलूस निकाला। शहर की दुकानें तो बंद हो गईं किन्तु कचहरियों में पूरी हड़ताल न हो पाई। ऐसी हड़ताल

कब तक चलेगी और इनका क्या अंत होगा, इन प्रश्नों का उत्तर देना उन दिनों सरल न था।

१२ अगस्त के समाचार पत्रों में कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी तथा कांग्रेस के प्रति की गई कार्रवाइयों की सफाई देते हुए भारत सचिव मि० एल० एस० एमरी का निम्न लिखित भाषण जो उन्होंने रेडियो पर दिया प्रकाशित हुआ :—

मि० एमरी का रेडियो भाषण

"भारत सरकार ने दृढ़ता पूर्वक समयोचित कार्रवाई करके भारत और मित्र राष्ट्रों के हितों की भीषण बर्बादी से रक्षा की है। संभव है ऐसा करने में कुछ उपद्रव हो। यद्यपि अभी इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता किन्तु मेरा विश्वास है कि ऐसा उपद्रव न होगा जिसे भारत सरकार पुलिस और अदालत द्वारा दबा न सके।

"यदि कांग्रेस का कार्यक्रम सफल हो जाता तो यह उन सारे भारतीय, ब्रिटिश, अमेरिकन और चीनी बहादुर सिपाहियों के लिये, जो भारतीय भूमि पर भारत की रक्षा में लगे हैं और शत्रु पर आक्रमण करने के लिये भारत को आधार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, सब से बढ़ कर अहितकर बात होती।

"ब्रिटेन के प्रस्तावों के (कांग्रेस द्वारा) ठुकराये जाने पर भारतीय जनमत को घोर निराशा हुई है। इससे कांग्रेसी नेताओं पर से एतबार जोरों में उठता जा रहा है। इस स्थिति में महात्मा गांधी ने सरकार के विरुद्ध खुली कार्रवाई करने की ठानी है ताकि उससे व्यापक रूप में रोष उत्पन्न हो और उनके (महात्मा गांधी) तथा उनके सहयोगियों के स्वत्व जो जाते रहे हैं, फिर से प्राप्त हो जायँ। ऐसा करके वे तथाकथित ब्रिटिश दमन के जबरदस्त विरोधी कहला कर अपनी ओर जनता का ध्यान आकर्षित करायेंगे। उनकी अंतिम कार्रवाई का बस यही सार है।

"कांग्रेसी नेता इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि वर्तमान शासन का अन्त विप्लव किये बगैर हो सकता है। अगर उनका यह विश्वास था कि विधान संगत सरकार बनाई जाय, तो सब से अच्छा तरीका यह था कि भारत को पहले से ही बता दिया जाता कि उसका धन धान्य किसे सौंपा जाय।

"वास्तव में इस बात की चिंता नहीं है कि उनकी माँगें पूरी नहीं की जा सकतीं, किन्तु चिन्ता इस बात की है कि कांग्रेस ने कार्रवाई करने की ठानी है और कुछ समय से उसके लिये तैयारी होती आई है।

"ऐसी कार्रवाई के अंतर्गत उद्योग धंधों, वाणिज्य व्यवसाय, शासन, कानूनी अदालत और जनोपयोगी विभागों में हड़ताल कराना, टेलीग्राफ और टेलीफोन के तार काटना तथा सेनाओं और सेना की भर्ती करने वाले केन्द्रों पर धरना देना है।

"इससे सारे कार्य कलाप रुक जायेंगे। यह चीन और रूस के प्रति धोखा होगा। इससे भारत जापानियों का गुलाम बनेगा।

सरकार ने केवल इतना ही किया है कि उसने महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को (जनता से) अलग कर दिया है। इस प्रकार तोड़ फोड़ के उग्र प्रवर्तकों को उन समस्त आग्नेय और विस्फोटक साधनों से, जिन्हें वे सारे भारत वर्ष में भड़काना चाहते थे, पृथक कर दिया है।"

एमरी के भाषण से मार्ग निर्देश

मि० एमरी का रेडियो भाषण क्या आया एक बड़ी भारी उलझन दूर हुई। अब तक लोग असमंजस में पड़े थे कि क्या करें, क्या न करें। नेताओं ने कोई कार्यक्रम दिया नहीं था, स्थानीय नेता प्रायः सब के सब जेलों में थे। एमरी के भाषण को लोगों ने समाचार पत्रों में बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा। कांग्रेस के नाम पर जो आदेश दिये गये थे उन्हें वस्तुतः लोगों ने

कांग्रेस का आदेश समझा। एमरी ने स्वयं अपने भाषण में उपद्रव की आशंका की थी। उपद्रव को शान्त करने के लिये एमरी ने पुलिस और अदालतों का उल्लेख किया था, इसे जनता ने चुनौती समझ कर स्वीकार किया। मित्रराष्ट्रों द्वारा भारत को युद्ध का आधार बनाने का विरोध महात्मा जी के लेखों में हो चुका था। मि० एमरी को आशंका थी कि उद्योग धंधों के केन्द्रों तथा जनोपयोगी संस्थाओं में हड़ताल तथा तोड़ फोड़ के कामों से सरकार के कार्य कलाप रुक जायेंगे, तो क्यों न ऐसा कर दिखाया जाय–यह भावना सर्व साधारण के हृदय में बैठ गई। देश उन दिनों वस्तुतः आग्नेय हो चला था। भारत हर मानी में बारूद खाना बना हुआ था। मि० एमरी ने समझा कांग्रेस के कर्णधारों को जनता के बीच से हटा देने से, विस्फोट न होगा। यदि एमरी ने भाषण न दिया होता तो संभव है विस्फोट न हुआ होता। मि० एमरी द्वारा प्रमाणित कांग्रेस के आदेशों को लोगों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ कांग्रेस का आदेश समझा। मि० एमरी ने जहां यह कहा कि कांग्रेस में कुछ समय से तैयारी होती आई है, इस संबंध में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि कम से कम बलिया जिले में अहिंसात्मक रूप से संगठन कार्य चल रहा था। सरकारी इमारतों में आग लगाने अथवा टेलीग्राफ़ और टेलीफोन के तार और खंभों को तोड़ने की कल्पना बलिया की जनता के विचार में आन्दोलन के पहले कभी आई तक नहीं थी।

कांग्रेस का संगठन और पुलिस की सतर्कता

१९४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के राजनीतिक बन्दी, दो चार को छोड़ कर, सब के सब मार्च, १९४२ तक रिहा हो चुके थे। बलिया शहर और जिले के अन्दर स्थान स्थान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जाल सा बिछा हुआ था। सरकार को उनसे डर था। उनकी गतिविधि की देखरेख सरकार

की ओर से होती रहती थी। ज़िले के अन्दर जितने भी कस्बे अथवा खास खास बाजार थे, वहां खुफिया विभाग के कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये थे। उनका काम था मुनाफाखोरी और चोर बाजार पर कड़ी नजर रखना तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गतिविधि का अवलोकन करना। उनकी दैनिक रिपोर्ट पास के थाने और जिले के पुलिस कप्तान के पास जाती थी।

द्वितीय महासमर जोरों पर चल रहा था। सरकार को रुपये की सख्त जरूरत थी। चन्दा बसूली जोरों पर चल रही थी और लोगों से बरबस रुपया वसूल किया जाता था। साथ ही साथ रंगरूटों की भर्ती का आन्दोलन भी चल रहा था। गाँव गाँव में भर्ती कराने वाले दलाल और फौजी आदमी बर्दी पहन कर घूमा करते थे। कांग्रेस जनों को युद्ध कार्य के लिये चन्दा वसूली तथा फौज में भर्ती संबंधी कार्यों से नैतिक विरोध था। भाषण करने की मनाही तो थी ही, कांग्रेस की ओर से भी उक्त योजनाओं का विरोध करने की कोई खुली आज्ञा व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के बन्द हो जाने के बाद जारी नहीं की गई। १९४२ के मई के महीने में प्रयाग में जो कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी की बैठक हुई उसके बाद से वातावरण और भी क्षुब्ध हो चला था। छोटे से छोटे कांग्रेस कार्यकर्ता के भाषण की रिपोर्ट ली जाती और उस पर उचित कार्रवाई की जाती थी।

बलिया के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाँव गांव घूम कर संगठन का काम करना शुरू किया। खुल कर किसी ने युद्धोद्योग में बाधा पहुँचाने का यत्न तो नहीं किया किन्तु भीतर ही भीतर चंदा वसूली और फ़ौज में भरती की योजनायें किसी को प्रिय न थी। ज़िला कांग्रेस कमेटी की ओर से आजाद हिंद स्वयंसेवक दल की स्थापना हुई। इन स्वयं सेवकों का कर्तव्य जनता की सेवा करना था। गांव गांव में पहरे का इन्तजाम किया गया। इन दिनों चोरी और

डकैतियां बहुतायत से हो रही थीं, आवश्यकता भी ऐसे पहरेदारों की थी। सर्वश्री चीतू पांडे (प्रेसिडेंट ज़िला कांग्रेस कमेटी), राजेश्वर तिवारी, शिवपूजन सिंह और जगन्नाथ सिंह स्वयं सेवक दल के प्रमुख प्रवर्तकों में से थे। यद्यपि स्वयं सेवक दलों और ग्राम पंचायतों का उद्देश्य आंतरिक शांति स्थापित करना था फिर भी मई के अंत तक उपर्युक्त कार्यकर्ता किसी न किसी अभियोग में गिरफ्तार कर लिये गये। स्वयं सेवक दल का संगठन अब ठा० राधा मोहन सिंह, राधा गोविन्द सिंह और ठा० परमात्मानन्द सिंह के जिम्मे आया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सर्वसाधारण के जान माल की रक्षा के लिये ग्राम पंचायतों और स्वयं सेवक दलों का संगठन कर के जनता से जो घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित किया वह आगे चल कर बड़े काम का साबित हुआ।

इधर कांग्रेस जनों की ओर से प्रचार कार्य चल रहा था उधर सरकार एक एक कार्यकर्ता को जेलों में भरती जाती थी। ज़िले के शेष कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में अगस्त के प्रथम सप्ताह में सरकार का यह आदेश आया कि वे यथा संभव शीघ्र गिरफ्तार कर लिये जांय। कुल दो लिस्टें थीं। 'ए' लिस्ट में ठा० राधा मोहन सिंह और ठा० राम नरेश सिंह थे। उन्हें पहले गिरफ़्तार करना था। 'बी' लिस्ट में ठा० राधा गोविन्द सिंह और ठा० परमात्मानन्द सिंह आदि १२ कार्यकर्ता थे।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई वाले अधिवेशन के विषय में तरह तरह की बातें सुनी जाने लगी थीं। आसन्न संकट का सामना करने के लिये बलिया के पुलिस कप्तान ने ७ अगस्त को अपने बँगले पर ज़िले भर के पुलिस सब इन्सपेक्टरों की बैठक की और अपनी जानकारी के आधार पर कांग्रेस और सरकार की स्थिति का परिचय दिया। ऊपर से आई हुई दोनों लिस्टें पेश की गईं। कहा गया कि चूँकि अधिक खतरनाक कांग्रेसियों को पहले से ही

जेल भेजा जा चुका है, नई गिरफ्तारियां करने में कोई जल्दी न की जाय। हां, इनकी गतिविधि पर कड़ी नज़र रहे और इनका पता ठिकाना अच्छी तरह लगा कर रखा जाय ताकि अगला आदेश प्राप्त होने पर वे यथा संभव शीघ्र गिरफ़्तार किये जा सकें। पुलिस कप्तान ने यह भी कहा कि मौक़ा आने पर मैं इन आदमियों की गिरफ़्तारी के विषय में आज्ञा भेजूँगा।

आखिर ६ अगस्त को लगभग १ बजे दिन में ठा० राधा-मोहन सिंह गिरफ़्तार कर लिये गये। गिरफ्तारी के समय एक अच्छी खासी भीड़ एकत्र हो गई। ठाकुर साहब को दो चार मिनट तक भाषण देने का अवसर मिला। भाषण में उन्होंने कहा कि इस गिरफ़्तारी को आप मुस्तकिल न समझें। कांग्रेस के आदेशानुसार आप अहिंसात्मक ढंग से यदि आन्दोलन चलायेंगे तो हम लोग एक पखवारे के अन्दर छूटेंगे।

इस बार जेल जाना किसी को अच्छा नहीं लगता था। देश-व्यापी गिरफ्तारी होते देखकर बलिया के जो भी छोटे मोटे कांग्रेसी नेता बच गये थे, या तो दबे पांव शहर से हट गये अथवा भाग कर कहीं दूर चले गये ताकि आसानी से गिरफ़्तार न हों। उन्होंने अपना कार्य-क्रम देहातों में जारी रखा।

बलिया के कोतवाल ने इन घटनाओं का इस प्रकार वर्णन दिया :—

६ अगस्त १६४२ को राधा मोहन सिंह, राधा गोविन्द सिंह, व परमात्मानन्द सिंह इलाका हाज़ा हस्ब में दफ़ा १२६ डी० आई० आर० गिरफ्तार हुये। दीगर थानेजात में भी दीगर दीगर लीडरान गिरफ़्तार हुये लेकिन फिर भी मुतद्दित लीडरान गिरफ़्तारी से अमूमन बच कर देहातों में काम करने और नावाकिफ लड़कों को अपने अगराज़ के लिये अपनी

तहरीक में शामिल करने चले गये और हुक्काम शहर को स्कूली लड़कों के जुलूस निकाल कर मसरूफ़ रखा। चित्तू पांड़े व रामजी पहले ही से जेल में थे। देहातों में पहले ही से तयशुदा स्कीम और तैयार कर्दा प्रोग्राम के मातहत नावाकिफ़ पबलिक को उभार कर लूट मार करने और रेल तार उखाड़ने, डाकखानाजात लूटने फूंकने, गरज़े कि मुकम्मल बग़ावत पर आमादा कर लिया। अव्वलन उन्होंने रेल उखाड़ कर, तार तोड़ कर सड़कों और पुलों को खोद कर जुमला रास्ता मसरूर कर देने और उसके बाद फिर एके बाद दीगरे दिहात के थानाजात व चौकीजात व दीगर सरकारी मुहकमाजात की इमारतों को लूटना शुरू किया। किसी न किसी तरह उनको देहात में खातिरख्वाह कामयाबी भी हासिल हो गई थी। उनके साथियों में और इज़ाफा होता रहा।*

तोड़ फोड़ का प्रारंभ

भारतसचिव मि० एमरी का ब्राडकास्ट कांग्रेस के कार्यक्रम के अनुरूप था अथवा नहीं, इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एकमत नहीं थे। बाद को जो समाचार प्राप्त हुये उनसे विदित हुआ कि बंबई, अहमदाबाद में जनता और पुलिस में जोरों का संघर्ष चल रहा है। लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस भी इस संघर्ष से अछूते न रहे। कालेज और युनिवर्सिटियां या तो सरकारी तौर पर बंद कर दी गईं अथवा विद्यार्थियों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और पटना के विश्वविद्यालयों और कालेजों से जो विद्यार्थी बलिया आये उन्होंने यही समाचार दिया कि सरकारी यातायात के साधनों को तोड़ना फोड़ना, टेलीग्राफ और टेलीफोन के तारों को काटना, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाना तथा देश व्यापी हड़ताल

---

* कानफिडेन्शल डायरी बलिया कोतवाली तारीख २९ नवम्बर, सन् १९४२।

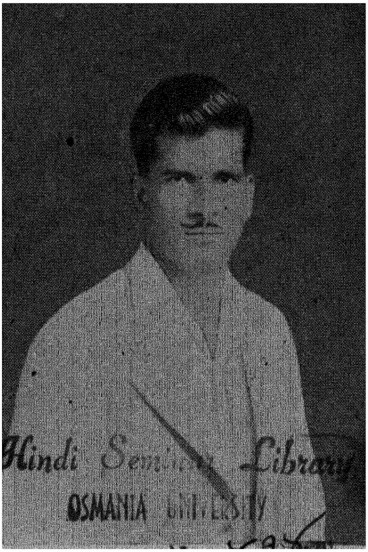

श्री देवनाथ उपाध्याय
[मलेजी]

श्री राधाकृष्ण [सवान]

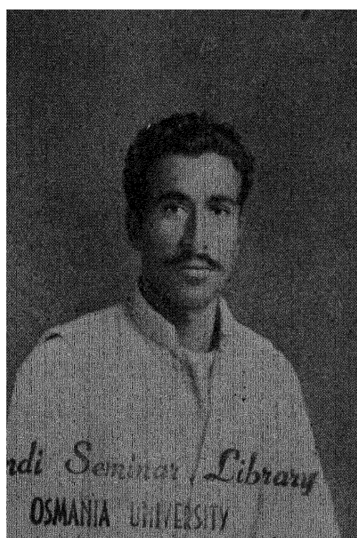

करना कांग्रेस के अधिकृत कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। काशी विश्वविद्यालय के छात्र सर्व श्री पारस नाथ मिश्र, उमादत्त सिंह और केदारनाथ सिंह १२ अगस्त तक जिले के अन्दर आ गये। उनका प्रचार कार्य देख-कर बाद को आने वाले कई विद्यार्थियों को स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

१३ अगस्त, १९४२ (वृहस्पतिवार) को बिल्थरा रोड स्टेशन के पास डंबर बाबा की परती पर एक मेला लगा था। हजारों की संख्या में ग्रामीण जनता वहां एकत्र थी। मेले में एक सभा हुई जिसमें श्री पारस नाथ मिश्र और श्री रामदेव जी के भाषण हुये। श्री पारस नाथ मिश्र ने जनता को आह्वान दिया कि अगले दिन सुबह सबेरे बिल्थरा रोड स्टेशन पर धावा बोला जाय।

बिल्थरा रोड में कांग्रेसी गाड़ी

१३ अगस्त की आधी रात को जो ट्रेन इलाहाबाद से बनारस होती हुई लगभग १ बजे रात को बिल्थरा रोड पहुँचने वाली थी वह १४ को लगभग ८ बजे सबेरे पहुँची। कौतूहल वश हजारों आदमी स्टेशन पर दौड़े गये। ट्रेन में सैकड़ों विद्यार्थी थे। उन्होंने कहा यह आज़ाद हिंद ट्रेन है। बिला टिकट के जो चाहे चढ़ सकता है और जहाँ चाहे उतर सकता है। एक विद्यार्थी ने उतर कर अपने भाषण में बिल्थरा रोड के निवासियों को कायर प्रमाणित करते हुये कहा कि यहां से दक्षिण के सारे स्टेशन जलाये जा चुके हैं। शरम की बात है कि यह स्टेशन अब भी खड़ा है। इसके बाद एक महिला ने जोश भरे शब्दों में कहा यहां के मर्द मर्द नहीं मालूम होते। वे जाकर चूड़ियां पहनें। वेश भूषा से मालूम होता था कि वह किसी कालेज में पढ़ रही थी। फिर एक लम्बे कद का आदमी उतरा। उसने कहा स्वराज हो चुका है। मैं पुलिस की नौकरी में था। इस्तीफा देकर घर जा रहा हूँ और अब कांग्रेसी राज में नौकरी करूंगा।

सेट फार्म पर एकत्र भीड़ ने समझा वास्तव में स्वराज्य हो चुका है। जब सब जगह के स्टेशन जलाये जा चुके हैं तो इस स्टेशन को भी जला डालना चाहिये। उस वक्त धीरे धीरे सब लोग वापस चले गये। पिछले दिन की मेले की सभा का कोई विशेष फल न निकला। एक तिरंगे झंडे के साथ श्री पारस नाथ मिश्र और श्री कपिल सिंह ७, ८ छोटे छोटे बच्चों के साथ डी० ए० वी० स्कूल में आये। स्कूल के सब लड़कों ने जुलूस बनाया। वह जुलूस मिडिल स्कूल पर गया। वहां के लड़के भी साथ हो लिये फिर जुलूस मुसलिम स्कूल पर आया। कुछ लड़के बाहर आये और जुलूस में शामिल हो गये। बाद को महाजनी स्कूल और प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी भी आ मिले। ज्यों ज्यों जुलूस स्टेशन की ओर बढ़ता गया उसमें अधिकाधिक संख्या में लोग मिलते गये। स्टेशन पर आक्रमण का समाचार पाकर देहात की जनता टूट पड़ी। स्टेशन से बाहर ऊपर ऊपर तार जाता था। स्कूली लड़के और अध्यापक अपने साथ डोरी लेते गये थे। कार्यक्रम पूर्व निश्चित था। डोरी तार पर फेंक दी गई। एक सज्जन डोरी पकड़ कर लटक गये। तार टूट गया और पास का खंभा ज़मीन से आ लगा। फिर क्या था लड़कों ने तार को टुकड़े टुकड़े काट डाला। भीड़ स्टेशन के अन्दर घुसी।

स्टेशन मास्टर तथा उनके सहयोगियों ने नाम मात्र का विरोध किया। स्टेशन के सारे कागज़ात एकत्र किये गये। मिट्टी का तेल भी एक कमरे में रखा मिला। तेल छिड़क कर आग लगा दी गई हां, स्टेशन के कर्मचारियों को किसी ने नहीं छेड़ा। वे अपनी चीजें लेकर चलते बने। सेफ खोलने पर नोटों का पुलिन्दा मिला। वह भी आग के सुपुर्द कर दिया गया। लगभग आधे घंटे में स्टेशन की इमारत जलकर गिर पड़ी।

पानी के पंप और टंकी तोड़ डाली गई। इसी बीच गोरखपुर की ओर से एक मालगाड़ी आई। स्टेशन के पास मालगाड़ी लूटी गई की लाइन चूंकि उखाड़ डाली गई थी, वह स्टेशन से लगभग १०० गज़ की दूरी पर खड़ी हो गई। भीड़ ने ड्राइवर को पकड़ा और उससे औज़ार ले लिये। फिर इञ्जन पर हथौड़ों का प्रहार होने लगा और वह तोड़ फोड़ डाला गया। इसके बाद गार्ड की खोज हुई। वे अपने कपड़े लत्ते छोड़ कर भाग गये थे। एक चूल्हे पर उनकी रसोई बन रही थी जो प्रायः तैयार थी। पास ही एक भिखमंगा था। उसे गार्ड साहब की रसोई खाने को दे दी गई और उनका कोट पहनने को। लाल हरी झंडियां स्कूल के लड़कों के हाथ लगीं।

मालगाड़ी में हजारों टन चीनी और शीरा लदा था। किसी तरह यह खबर फैली कि यह सरकारी माल है और फ़ौज के काम के लिये जा रहा है। कुछ जानकार लोगों ने ऐलान किया कि माल किसी का हो सरकार को इसे लूटे जाने पर पूरा दाम अदा करना होगा। बस क्या था, बात की बात में डब्बे खाली होने लगे।

पास पड़ोस के रईसों ने देखा कि सारी चीनी लूटी जा रही है, हमारे घर एक बोरा भी नहीं आया। उन्होंने बैल गाड़ियां भेजीं और २०, २५ बोरे इकट्ठे मगवा लीं। ये लोग सरकार के खैर-ख्वाह थे, किन्तु बहती गङ्गा में कौन हाथ न धो लेगा? शाम को ५ बजे तक मालगाड़ी बिलकुल खाली हो गई।

स्टेशन मास्टर ने अधिकारियों के पास उक्त घटना की निम्नलिखित रिपोर्ट भेजी:—

कागज़ात, टिकट, नक़द और स्टेशन की इमारत बिलकुल जला दी गई, तार तोड़ दिये गये, माल और पारसल लूट लिये गये। ३३९ अप के इंजन और पंप इंजन को बुरी तरह से नुक-

सान पहुँचाया गया है । ३३९ अप के कई डब्बों के सामान १० बज कर ५० मिनट पर लूट लिये गये । इंजन चल नहीं सकता। ३३९ अप यहां रुकी पड़ी है। कृपया पुलिस की सहायता शीघ्र भेजी जाय जिसकी सख्त जरूरत है। माल गाड़ी के डब्बे अब भी लूटे जा रहे हैं ।*

लगभग ११ बजे तक स्टेशन की इमारत जल चुकी थी। माल गाड़ी की लूट चल ही रही थी कि जन समूह का एक भाग पोस्ट आफ़िस की ओर गया। पोस्ट मास्टर की ओर से एक आदमी विप्लवकारियों से मिला और कहा कि पोस्ट आफ़िस की इमारत सरकारी नहीं है। उसमें पोस्ट मास्टर के बाल बच्चें हैं, अतएव उस इमारत को जालाया न जाय। विप्लवकारियों ने बात मान ली और कहा कि हमें केवल पोस्ट आफ़िस के कागज़ात चाहिये।

पुलिस का इन्तजाम

उभाँव थाने के थानेदार शेख मुर्तज़ा हुसेन १४ अगस्त को ही सबेरे वाली ट्रेन से उतरे। उन्होंने रंग कुछ बदला देखा। दो सशस्त्र पुलिस को पोस्ट आफ़िस में रख दिया और मि० शाकिर कान्सटेबिल तथा नूर मुहम्मद चौकीदार को रेलवे स्टेशन पर रख छोड़ा। पोस्ट आफ़िस पर रखे हुये कान्स्टेबिलों के पास एक-एक राइफ़िल और

---

*Hours 11/30, Bilthra Road Dated 14-8-42.

Records, cash and, station building totally burnt, line signals broken, goods and parcels looted also. Engine of 339 Up and pump engine are badly damaged. Goods of several wagons by 339 looted at the 10/50 hrs.

Engine unable to move, 339 Up waiting here. Please arrange police help, urgently required. Wagons still being looted.

Kali Shanker Upadhyaya
Station Master

पर्याप्त संख्या में कारतूसें दे दी गईं। स्टेशन वाली पुलिस को विप्लवकारियों ने क़ाबू में कर लिया। पीछे वे भाग गये।*

नूरमुहम्मद चौकीदार अपने बयान कहता है:—

मैं बर वक्त हमला स्टेशन पर था। मुज़हिर और मुहम्मद शाकिर हुसेन कान्स्टेबिल ने मजमा को स्टेशन के अन्दर दाखिल होने से बहुत रोका लेकिन वह लोग अन्दर गये। मुजहिर को चार आदमियों ने पकड़ लिया और मुसाफ़िर ख़ाने की तरफ लेकर चले गये। भीड़ ने बहुत मारा। बजाहिर कोई निशान नुमायां नहीं हैं। मुज़हिर ने किसी तरह अपनी जान उन लोगों से बचाई। बहुत ज्यादा मजमा आदमियों का पहुँच गया था। पहले रेलवे स्टेशन के बाहर लेक्चर के तौर पर डा० हरचरन लाल, देवनाथ उपाध्याय, हेडमास्टर डी० ए० बी० स्कूल वगैरह ने हम राहियान को मुखातिब करके जोश दिलाया और मुस्तैद किया। कहा कि स्वराज अगर लेना है तो स्टेशन को फूंक दो, तार काट दो और जुमला तार और रेल की पटरी उखाड़ दो, थाना और डाकखाना लूटकर आग लगा दो। मजमा गांधी जी की जै बोल रहा था और इनक़लाव ज़िन्दाबाद के नारे लगा रहा था। लोगों ने इसमें आग लगा कर जला दिया है। पटरी उखाड़ दिया है। खंबा तार के गिरा दिये हैं माल गाड़ी के बैगनों को लूट लिया है। डाकख़ाना के कागज़ात जला दिये हैं।*

पोस्ट आफिस वाली पुलिस आख़िरी वक्त तक डटी रही। भीड़ जब सामने आई तो पुलिस ने बंदूकों से डराया। फिर वे पोस्ट आफ़िस के अंदर चले गये और वहीं से राइफ़िल का कुन्दा बाहर निकाल कर डरवाया। स्टेशन पर बागियों को जो सफलता मिली थी उससे उनकी हिम्मत बढ़ी हुई थी। पोस्ट आफ़िस के

* डायरी थाना उभाँव १५ अगस्त, १९४२।

अधिकारियों और पुलिस को बड़ा खौफ़ था। उन्हें डर था स्टेशन की तरह पोस्ट आफ़िस भी जला डाला जायेगा और पोस्ट आफ़िस में जल मरेंगे। सामने करकट का बरामदा था। उस पर भीड़ ने पत्थर फेंकना शुरु किया। साथ ही सैकड़ों पत्थरों की चोट खाने से करकट से भीषण आवाज़ निकलती थी। पोस्ट मास्टर से कहा गया कि कागजात तथा टिकट, पोस्ट कार्ड, और लिफ़ाफ़े जिस कदर उनके पास हों, सब दे दें। पहले तो उन्होंने आनाकानी की किन्तु बाद को देना ही पड़ा। बूढ़ा पुलिस कान्सेटबिल मि० फ़ारूक पोस्ट आफ़िस के अन्दर बंदूक हाथ में लिये कांप रहा था और डाकखाने के अन्य कर्मचारी जल्दी जल्दी कागजात दे रहे थे।

पुलिस के सामने बयान देते हुए बा० मथुरा प्रसाद पोस्ट मास्टर ने कहा—बलवाइयों में कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी हर किस्म के आदमी थे। जो लोग सामने थे उनमें से मुजहिर ने देवनाथ उपाध्याय, हेड मास्टर, डी०ए०वी० स्कूल, सीयर, पारस नाथ मिश्र, मिश्रवली और हर चरन लाल को नाम से जानता है और यह लोग शरीक जुर्म थे। काश मुलाजिमान पुलिस उस वक्त मौजूद न होते तो मुजहिर और मुजहिर के बाल बच्चों की जान और रकम सरकारी जो बहुत ही कसीर तादाद में थी बहुत तलख और नुकसान होते। खतरा अजीम का सामना था। मुजहिर ने उन लोगों को धोखा देकर रकम सरकारी बचाया है। सुना जाना है कि दुबारा हमला करने की फिक्र में हैं।*

उपर्युक्त दोनों कांडों का विवरण देते हुए खुफिया पुलिस के कर्मचारी मि० मुहम्मद हाशिम ने थाने में निम्नलिखित रिपोर्ट दर्ज कराई:—

तारीख १४ अगस्त, १९४२ वक्त १०॥ बजे दिन या ११ बजे

* डायरी थाना उभाँव १५ अगस्त, १९४२।

दिन को डी० ए० वी० स्कूल के तमाम लड़के व हेड मास्टर डी० ए० वी० स्कूल व बहुत लोग जिनका नाम मैं नीचे दर्ज करूंगा मय झंडा के स्टेशन की तरफ गये और कुछ देर तक स्टेशन बिल्थरा रोड के बाहर ही से जय का नारा करते स्टेशन की तरफ गये और रकम वगैरह व टिकट वगैरह छीन लिया और फाड़ कर फेंक दिया। स्टेशन में आग लगा दी। इस दौरान में एक मालगाड़ी स्टेशन बिल्थरा रोड आई जिसमें भूरा और चीनी जिस कदर भी था ताला खोलकर लूट लिया। इसके बाद डाकखाना पर हमला किया। स्टेशन अब तक जल रहा है। इत्तलाई रिपोर्ट मारूज है। नाम लीडरान (१) देवनाथ उपाध्याय, हेड मास्टर डी० ए० वी० स्कूल, (२) हरचरन लाल शर्मा, (३) सरजू चमार, (४) सुदेश्वर लाल, (५) पारसनाथ, (६) ऋषि तिवारी, (७) चन्द्र दीप सिंह, (८) चन्द्रमा वल्द रामदेव अहीर (९) जगन्नाथ पांडे तुर्तीपार, (१०) प्यारे मोहन लाल, (११) वासुदेव सिंह, (१२) माधव, (१२) लालजी दुबे, (१३) श्री कांत। मुकुन्द बलवा में शरीक था, अपने पलास वगैरह तार काटने को दिया था और स्टेशन पर भी मौजूद था। तमाम महाजन भी स्टेशन पर मौजूद थे। यह सब सामान लूटकर देहात में गया।*

उभाँव थाने पर आक्रमण

धीरे धीरे जिले के अन्य कई बीज गोदामों और थानों पर जनता का अधिकार हो गया। बिल्थरा रोड का बीज गोदाम और उभाँव का थाना अभी सुरक्षित था। जिस जनता ने १४ अगस्त को स्टेशन और पोस्ट आफिस पर विजय प्राप्त की थी वह बीज गोदाम और थाने को कब छोड़ सकती थी? रविवार २३ अगस्त को बिल्थरारोड का

---

* डायरी थाना उभाँव १४ अगस्त, १९४२।

बाजार लगा था। बाजार में ही बीज गोदाम था। सोचा गया कि बीजगोदाम पर धावा बोल दिया जाय। बाद को विचार बदल गया और यह तय पाया कि कल देहात से अधिकाधिक संख्या में आदमी आवें, पहले उभाँव थाने को फूकें और फिर बीजगोदाम को लूटें। जोरों पर यह खबर उड़ गई थी कि ज्योंही रेलवे लाइन ठीक हो जायेगी बीजगोदाम का सारा गल्ला किसी फौजी स्टेशन पर भेज दिया जायेगा।

बाजार में गांव गांव के आदमियों को खबर दे दी गई कि लोग २४ अगस्त को ९ बजे सबेरे उभांव के थाने को फूंकने और बिल्थरा रोड के वीज गोदाम को लूटने आवें। संध्या शमय ४ आदमी थाने की कैफियत का पता लगाने गये। दो सिपाहियों से मुलाकात हुई। उन्हों ने कहा हम लोगों ने हथियार रख दिये हैं। जब जिले के अन्य थाने जला डाले गये तो आश्चर्य है यह अब तक नहीं जल सका। दो और सिपाहियों से मुलाकात हुई जो सिकंदर पुर थाने के भाग कर आये थे। उन्होंने कहा हम लोग यहां आज शाम को दरिया पार करके घर जा रहे हैं। सिकंदर पुर से किसी कदर जान बचा कर यहां तक आये हैं वास्तव में थाने वालों की हिम्मत इन बाहरी सिपाहियों ने और भी कमकर दी थी, थाने दार शेख मुर्तजा हुसेन का निजी सामान दो तीन हिन्दुओं के घर भेजा जा चुका था और वे खुद गांव में एक सज्जन के घर के अन्दर जा छिपे थे।

इधर तुर्तीपार का पुल काट डालने की भी बात चल रही थी, किन्तु चूंकि वहां १० सशस्त्र पुलिस पहरा दे रही कार्य क्रम पूरा न हो सका। पुल का इंतजाम अब फौज के सुपुर्द कर दिया गया था, वहां एक अंगरेज कैप्टन और ५ बिलूची सिपाही भी आगये। एक रेलवे इंजन और एक डब्बा भी उनके पास था जिस पर वे इधर उधर आया जाया करते थे। कैप्टन ने थानेदार को बुलयाया। उसे

हथियार और कारतूसें दीं और हिम्मत बंधाई। इधर जिले के कृषि बिभाग के इन्सपेक्टर बीज गोदाम पर आगये थे। उन्हें जब फौजी सिपाहियों के आगमन का समाचार मिला तो जान में जान आई। एक पत्र लिख कर उन्होंने कैप्टन के नाम भेजा और उनसे सहायता मांगी।

२४ को सबेरे ९ बजे तक लगभग १५,००० आदमी बंदूक, लाठी और बल्लम लिये हुये बिल्थरारोड बाजार में आ गये। सारी भीड़ पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार उभांव थाने की ओर बढ़ी। लगभग १ मील आगे जाने के बाद पता चला कि फ़ौज का कैप्टन और ५ अन्य सैनिक बिल्थरा रोड बाज़ार में आ गये हैं। और उन्होंने बा० देवेन्द्रसिंह के मकान में आग लगा दी है। भीड़ लौट आई। पता चला कि फ़ौज के साथ मि० रियाज़ अहमद (इमलिया), मुहम्मद अज़ीम मुखिया (बिल्थरारोड) और ख़ुफ़िया पुलिस भी घूम रही है तथा उन्हीं के संकेत से बाज़ार में आग लगाई जा रही है। देवेन्द्र सिंह के मकान को अधजला छोड़ कर फ़ौज वालों ने बा० द्वारका प्रसाद के मकान में आग लगाई। वे अपने घर के अन्दर थे। अपने बच्चे को लेकर कूद पड़े। किसी तरह जान बची। फ़ौज वाले फिर स्टेशन पर चले गये। इधर मि० रियाज़ अहमद बाज़ार से निकल कर अपने घर जाने लगे। लोगों ने उनके कारनामे सुन कर उन्हें घेर लिया और वे उन्हीं पर पिल पड़े।

सैनिकों ने गोली चलाई

थाने को फूंकने और बीज गोदाम को लूटने का विचार छोड़ देना पड़ा। नेताओं ने निश्चय किया कि फ़ौजी कैप्टन को ही पकड़ लिया जाय। लगभग ५०० आदमी रेलवे लाइन पर चढ़ गये और पटरी उखाड़ने लगे ताकि फ़ौज वालों की ट्रेन वापस न जा सके और वे इधर ही घिर जांय। कैप्टन ने राइफ़िल उठाई।

और लोग तो लाइन से नीचे उतर आये किन्तु डी० ए० बी० स्कूल के सहायक अध्यापक ठा० चन्द्रदीप सिंह ज्यों के त्यों लाइन पर खड़े रहे। सिपाहियों ने हटने का इशारा किया, फिर भी वे न डिगे। आखिर कैप्टन ने गोली चलाई, जो ठा० चन्द्रदीप सिंह की टांग में लगी। दो सिपाही उन्हें घसीट कर ले गये और रेल के डब्बे में डाल दिया।

भीड़ और भी उत्तेजित हो गई। उसने चारों ओर से ज़ोरों से चिल्ला कर धावा बोल दिया। एक मकान की आड़ से कैप्टन ने फिर गोली चलाई, उसके बाद भीड़ का पीछा किया। चारों ओर मीलों तक गन्ने और बाजरे के खेत लगे थे। उसमें केवल आदमी ही आदमी नज़र आते थे। सैनिकों ने ५, ६ बार फिर फ़ायर किया। टगुनिया निवासी राम अवतार भर के सीने में गोली लगी और पीछे से निकल गई। बिचारा वहीं ढेर हो गया। अंग्रेज कैप्टन जब वापस फिर स्टेशन की ओर जाने लगा तो ठा० सीताराम सिंह ने उस पर गोली चलाई। वह बाल बाल बच गया। जवाब में उसने भी एक बार और फ़ायर किया किन्तु कोई मरा नहीं।

मि० रियाज़ अहमद पर जो आक्रमण हुआ, उसके ऊपर पर जो रिपोर्ट अव्वल दर्ज हुई वह इस प्रकार है:—

उभांव थाने के सीयर (बिल्थरारोड) कस्बे में एक सरकारी बीज गोदाम है। एक भीड़ वहां २४ अगस्त को गई जिसका इरादा बीज गोदाम लूटने का था। रियाज़ अहमद और उनके साथी भीड़ को हटाते रहे। २४ अगस्त १९४२ को दोपहर के करीब हल्दी के सीताराम सिंह एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ वहां आये उनके साथ उनके भाई देवेन्द्र सिंह थे। उन्होंने कहा कि इमलिया के रियाज़ अहमद, सीयर के मुहम्मद अज़ीम और बिठुआ के मुजतबा हुसन बीज गोदाम की हिफ़ाज़त कर रहे थे। जब भीड़

में आदमियों की संख्या बढ़ गई और अख्तियार से बाहर होगई तो अस्पताल वाली सड़क से मुद्दई और उसके साथी इमलिया वापस जाने लगे। इस मौक़े पर देवेन्द्र सिंह और उनके भाई सीताराम सिंह, द्वारका कांदू और उनके भाई रामदीन कांदू, मुन्नीलाल हर-द्वार प्रसाद फ़र्म के कारिन्दा विश्वनाथ तेली, बाबूराम तेली, राम स्वरूप धोबी, देवनाथ उपाध्याय हेड मास्टर डी० ए० वी० स्कूल सीयर और कई दूसरे आदमी जिनका नाम मुद्दई नहीं जानता था किन्तु ज़रूरत पड़ने पर पहचान सकता है, मुद्दई हूट पड़े। मुद्दई जान बचाने की गरज़ से भागना चाहता था किन्तु सीताराम सिंह ने उस पर गोली चलाई। डर के मारे मुद्दई बैठ गया और गोली उसे नहीं लगी। तब ऊपर कहे हुये आदमियों ने उसे लाठी से मारा।

इसी बीच फ़ौजी अफ़सर आये। उन्होंने बीज गोदाम और रेलवे लाइन को बचाया।

अमर शहीद ठा० चन्द्र दीप सिंह (आयु २८ वर्ष) की लाश नहीं मिल सकी। पीछे पता चला कि सैनिकों ने लाश को तुर्ती पार के पुल से घाघरा नदी में डाल दिया।

नगरा का पोस्ट आफ़िस

१५ अगस्त १९४२ को लगभग ९ बजे छितौना, नरही और खरुआंव गावों से अलग अलग जुलूस इन्क़लाब के नारे लगाते हुये, नगरा में आये। पोस्ट आफ़िस के सारे कागज़ात मय टिकट पोस्ट कार्ड और लिफ़ाफ़ा बड़ी आसानी से हाथ लग गये। उनमें आग लगा दी गई। इमारत गैर सरकारी थी, उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाया गया। उसके बाद डाक बंगले पर तिरंगा झंडा फहराया गया। लौटते समय जन समूह ने रास्तों पर के पुल जो ताखा, नरही, और सोनापाली में थे तोड़ डाले। कहीं से एक चौकीदार आता दिखाई दिया। वह अपनी

वर्दी पेटी छिपाये भगा जा रहा था। लोगों ने उसे पकड़ा उसकी वर्दी, पेटी और थैली जला दी। कांग्रेस के तिरंगे झंडे के साथ वह भी घूमा, तब तो उसे छुट्टी मिली।

इन कांडो को लेकर आस पास के प्रमुख कांग्रेस वासियों पर मुकदमे चलाये गये। जुर्म साबित हुआ और निम्न लिखित कांग्रेस जनों को को छ माह से ९ बर्ष तक की सजा दी गई:—

स्वामी चन्द्रिकादास, सर्व श्री वालेश्वर सिंह, हंसनाथ सिंह, हर गोविन्द सिंह, सत्य नरायन सिंह, मुसाफिर अहीर, राम अचन गोंड, सहदेव चमार, गौरी कलवार, इंद्रदेव प्रसाद आदि। श्री महेश दास अंतिम समय तक फरार रहे।

गोविन्द पुर रेलवे लाइन

बिल्थरा रोड और किरहिदा पुर स्टेशनों के जलाये जाने और लाइन उखाड़ने के बाद तर्तीपार पुल की निगरानी में रखे हुये फौजी सिपाहियों ने लाइन की मरम्मत करा ली। वे अपना इंजन लेकर किरहिदा पुर तक आया जाया करते थे। १९ अगस्त की रात को गोविन्द पुर के पास रेलवे लाइन का पुल तोड़ा गया। और मीलों तक रेलवे लाइन उखाड़ी गई।*

---

*बयान धरम देव चौकीदार थाना उभांव तारीख १९ अगस्त सन् ४२:— आज ज्यां रात बीत गई करीब ८ बजे रात के ४-५ सौ आदमी कांग्रेसी लोग मोहना, बिगाही, चरौंवा, सरयां गोविन्द पुर बिलबी गांव के रेल के लाइन की पटरी कुदारी हथौड़े से तोड़त रहले। हमके ठांय ढांय के बोली सुनाईल हम जाय के देखली तो लोग लाइन के पटरी उखाड़-उखाड़ के फेंक दिहले। हम उन लोग में से समर बहादुर सिंह सरयां, सिऊ अहीर, रजकू अहीर, देब अहीर, सती सिंह, बासुदव सिंह के पहचान कराइन। यह लोग खंभा, पटरी उखारत रहले और खंबा का तार

१५ अगस्त को संध्या समय ४ बजे सेाहांव में एक सभा हुई जहां निश्चय हुआ कि अन्य स्थानों की भांति यहां भी आसपास की रेलवे लाइनें उखाड़ी जांय और स्टेशन जलाये जायँ। १६ अगस्त को लगभग १० बजे दिन तक चौरा गांव में हज़ारों

सोहाँव मंडल में संगठन

ग्रामीण जनता एकत्र हुई। यह भीड़ ४ मील दूर बड़ागांव आई जहां रेलवे स्टेशन है। आते आते रात होगई। सब लोग चीट बड़ागांव के पोखरे वाले धर्मशाले में पड़ रहे। चीट बड़ा गांव के मंडल के कार्य कर्ताओं ने १६ अगस्त को एक मीटिंग की और निश्चय किया कि चौरा से आई भीड़ के साथ इस मंडल की ओर से भी लोग चलें और चीट बड़ागांव के स्टेशन और नरही के थाने पर अधिकार करें।

१६ अगस्त १९४२ को चीट बड़ागांव रेलवे स्टेशन पर आक्रमण हुआ। इस स्टेशन के जलाने में सोहांव और नरही दोनों मंडलों के कार्यकर्त्ताओं का भी हाथ था। लगभग २ बजे दिन को हज़ारों आदमियों की एक भीड़ स्टेशन पर चढ़ आई।

चीट बड़ा गांव स्टेशन

स्टेशन मास्टर तथा स्टेशन के अन्य कर्मचारी स्टेशन पर ही थे। किन्तु उन्होंने कुछ भी प्रतिरोध नहीं किया। तार काट डाले गये, सिगनल तोड़ दिये गये और स्टेशन के सारे कागज़ात में तेल

तोड़ के खंबा आधा आधा तोड़ के गिरा दिहले। जब ऊपर पानी पड़े लाग तब लोग तोड़ ताड़ ले के चल गइले। गोविन्द पुर गांव से इत्तला करे अइली। हम ई बयान कइलीं जौन लिखलें।

छिड़क कर आग लगा दी गई। स्टेशन का कैश बक्स किसी ने छुआ तक नहीं। सरकारी रकम ज्यों की त्यों बनी रही।†

चिट बड़ागांव कांड के संबंध में सर्व श्री हीराराम, आत्मा कान्दू, रज्जन, राधाकृष्ण, अच्छेलाल, जनार्दन, जगन्नाथ तिवारी, छेदी, शिवपूजन और जनार्दन आदि पर मुकदमे चलाये गये। इनमें से श्री राधाकृष्ण को छोड़ कर सब मुकदमे से रिहा कर दिये गये।

नरही थाने पर आक्रमण

१६ अगस्त को तीसरे पहर के बाद चीट बड़ागांव स्टेशन के फूंके जाने के बाद वहां से एक बहुत बड़ा जुलूस बिजय के नारे लगाता हुआ नरही थाने की ओर बढ़ा। इस जुलूस में वे लोग भी सम्मिलित थे जो एक रोज पहले चौरा से जुलूस बनाकर चीट बड़ागांव में गये थे। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ता गया आदमियों की संख्या बढ़ती गई। शाम को चार बजे यह विशाल जन समूह नरही के थाने के सामने आया। पुलिस को इस आक्रमण का समाचार मिल चुका था। उसने बड़ी बड़ी तैयारियां की थीं। देहातों से कुछ बंदूकें मगवा रखी थीं। पेन्शनयाफ्ता थानेदार चौधरी बेनी माधव सिंह (अब राय साहब चौधरी बेनी माधव सिंह) उस समय बागियों का सामना करने के लिये अपने साथ दो ढाई सौ लठैतों को लेकर थाने पर मौजूद थे। उमड़ती भीड़ का बढ़ता हुआ जोश देखकर थाने वालों के होश उड़ गये। थानेदार सुन्दर सिंह डर के मारे कांपने लगे। थानेदार ने चौधुरी साहब से

---

†Station records, tickets, tube burnt and destroyed, telegraph instrument damaged by large number of public. Life in danger arrange safe guard for Ry. cash

Station Master

राय ली। उन्होंने बागियों से पूछा आप क्या चाहते हैं। बागियों ने कहा कि आप कांग्रेसी झंडे की छत्र छाया में आइये और कांग्रेस की अधीनता स्वीकार किजिये। थानेदार ने कुछ आनाकानी की। भीड़ ने अंतिम चुनौती दी और कहा कांग्रेस का राज्य मान जाइये वरना आज हम थाने की एक एक ईंट उठा ले जायेंगे। चौधुरी बेनी माधव सिंह ने रंग बदला देखकर अपना रास्ता लिया। कुँवर सुंदर सिंह थादनेार ने अपने हाथों से कांग्रेसी झंडा फहराया और १०) कांग्रेस कोष में दिया। थाने की हवालात में उस समय कारों का शिवानन्द नामी मुजरिम बंद था। कांग्रेसियों की आज्ञा से वह उसी समय रिहा कर दिया गया।

नरही का डाकखाना जला

भीड़ आगे बढ़ी। उसने नरही के डाकखाने पर आक्रमण किया। लगभग २ हजार आदमियों ने डाकखाने को चारों ओर से घेर लिया। ब्रांच पोस्ट मास्टर मौजूद थे। स्वामी ओंकारानन्द ने चाभियों का गुच्छा उनसे लेलिया। सैकड़ों आदमी अन्दर घुस गये। डाकखाने के सारे कागजात, लकड़ी का संदूक, लेटर बक्स वगैरह जला डाले गये।

पोस्ट मास्टर ने थाने में रिपोर्ट दी :—

करीब ५ बजे मेरे घर में जो डाकखाना है मैं उससे मौजूद था। करीब २ हज़ार कांग्रेसी गुंडा व बदमाश शरीक थे, जिनके आगे-आगे ओंकरानन्द, वृजनन्दनराय, बालेश्वरराय, लक्ष्मी तिवारी साकिन नरही व जंग बहादुर साकिन चौरा वगैरह झंडा लिये नारा लगाते हुये कि हमारा राज हो गया, अंगरेजी हुकूमत खतम हो गई आये हमारे मकान और डाकख़ाने को चारों तरफ़ घेर लिया। ओंकरानन्द ने चाभी का गुच्छा हमसे छीन लिया। और ताला खोल कर कुछ लोग डाकख़ाना में घुस गये।

जिन लोगों को हमने पहचाना है और उनका नाम ऊपर लिखाया है यह लोग डाकख़ाने में घुसने और जलाने में थे। बाक़ी लोग को नहीं जानते ; देख कर पहचान सकते हैं। डाकख़ाना के तमाम काग़जात, लकड़ी का संदूक, लेटर बाक्स, व साइन बोर्ड व ताला वग़ैरह सब लोगों ने मिल कर फूंक दिया है।

वर्दी जलाई गई

१७ अगस्त को जो चौकीदार थाना नरही पर तैनात थे, १८ को सबेरे अपने अपने घर जाने लगे। जब वे सुरही गांव के पास पहुँचे तो उनसे स्वामी ओंकरानन्द और हरद्वार राय आदि २५ आदमी मिले और कहा कि तुम अपनी वर्दी पेटी सब दे दो, हम जलायेंगे। चौकीदार १७ तारीख़ वाली थाने की घटना देख चुके थे। जब उनके थानेदार कांग्रेसियों के सामने झुक गये तो उनके झुकने में कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी वे आना कानी करते हुये आगे बढ़े। कांग्रेस जन भी उसके पीछे हो लिये। समझा बुझा कर यदि कोई काम हो जाय तो सख्ती करने की जरूरत नहीं। यह उनका सिद्धान्त था। चौकीदार बढ़ते-बढ़ते सोहांव मिडिल स्कूल पर आये। यहां पहले से ही हजारों आदमियों की भीड़ थी। उन्होंने चौकीदारों की वर्दी छीन ली। उन्हीं से उसमें आग लगाने को कहा गया। चौकीदारों ने ऐसा ही किया। उन्होंने कांग्रेस की जय भी मनाई।*

---

*रिपोर्ट अव्वल थाना नरही—

हम कि नगेसर बाप का नाम बिग्गन दुसाध चौकीदार घर कोटवा थाना नरही में था। ता० १८–८–४२ को हम और फकीर चौकीदार उभांव, लोरी चौकीदार नरायनपुर, खेदन चौकीदार नरायनपुर, बदन चौकीदार नरायनपुर अपने अपने घर जा रहे थे। जब सुरही गांव के पास हम लोग पहुँचे तो करीब २५ आदमी

उधर एक भीड़ ने भरवली के पास सड़क का पुल तोड़ डाला। इसके बाद वह कोरंटाडीह डाकखाने पर गई। पोस्ट मास्टर श्री सिद्धनाथ राय को भीड़ के आने का समाचार पहले ही मिल चुका था। वे अपने कागज़ात हटा रहे थे।

कोरंटाडीह का पोस्ट आफिस

भीड़ को देखकर उन्होंने ताला बन्द कर दिया। बागियों ने उनसे डाकखाने के नगद और टिकट फार्म मांगे। पोस्ट मास्टर ने देने से इनकार किया। इस पर लोगों ने धमकियां दीं और पोस्ट मास्टर भाग खड़े हुए। बागियों ने डाकखाने का ताला तोड़ा कागज़ात, ३८॥=) के पोस्टकार्ड लिफाफे, कुनैन का डब्बा मय दीगर सामान के बाहर निकाला और उसमें आग लगा दी कुछ सामान गंगा नदी में भी फेंक दिया।*

जिनमें ओंकारानन्द नरही, हरद्वार राय नरायनपुर, विश्वनाथ पंडित नरायनपुर, भवानी लाल नरायनपुर, शिवमुनी मल्लाह कोटवा, जगदीश राय नरही, अर्जुन राय सुरही, जगतलाल नरही, बाला राय सोहांव, जिनको पहचान किया मिले और हम लोगों से सरकारी वर्दी फूंकने के लिये मांगने लगे।......

नगेसर

* On 18.8 42 At about 11 hours a band of so called Congress workers, about 200 in number, with Congress flags and armed with lathis raided the P.O. The S. P. M. on hearing their slogans of 'Inqualab Zindabad,' 'Bharat Mata ki Jai, etc. locked up the P.O. and came out. The people forcibly took away the bunch of

बागियों ने इसके बाद उँजियार के ताड़ीखाने पर आक्रमण किया। और जितने ताड़ी रखने के बर्तन वगैरह थे सबको तोड़ फोड़ डाला। गांजे और शराब की दुकान में आग लगा दी। दुकान वालों की ओर से कोई प्रतिरोध न हुआ। एक लड़का एक सेर गांजा लेकर भागा जा रहा था एक कांग्रेसी ने उसे पकड़ा और गांजा छीन कर आग में डाल दिया।

उजियार का ताड़ीखाना

बागियों की भीड़ इसके बाद कोटवा में ७ बजे दिन को पहुँची। पोस्ट मास्टर राम आधार राय ने डाकखाने का सारा सामान कमरे में बंद कर रखा था। चाभियों का गुच्छा उनके पास था। मांगने पर उन्होंने बहाने बाज़ी की। श्री जगतलाल ने उनके जेब से गुच्छा निकाल लिया। डाकखाने का एक एक सामान निकाला गया और आग में जला दिया गया।

कोटवा नरायन पुर का डाकखाना

पोस्ट मास्टर ने नरही थाने में निम्नलिखित रिपोर्ट दी :—जनाब इन्सपेक्टर साहब थाना नरही।

अरज है कि तारीख १८–८–४२ ई० को करीब १ बजे दिन में

---

removed all the records and forms, type box containting al stamps ete.ete.

Loss caused to the P. O. is detailed below:—

Stamps	Rs.	38—10—0
Quinine	Rs.	4 —11—0
Total	Rs.	43—5 —0

Some articles were thrown by them in the Ganges.

Siddhnath Rai
Sub Post Master
9-9-42

जबकि मैं अपने डाकखाना मौजा कोटवा नरायन पुर में काम सरकारी कर रहा था एक मजमा करीब ४५०० आदमियों के जिसमें लोग लाठी, भाला, झंडा कांग्रेसी लिये हुये थे नारा लगाते हुये कि अंगरेज़ी हुकूमत को हम लोगों ने फतह कर लिया, तमाम थाना, कचहरी, स्टेशन, डाकखाना को फूंक कर लूट लिया है और सरकारी बंदूकें और गोलियां छीन ली गई हैं, और राज हम लोगों का हो गया है. डाकखाना को चारों ओर से घेर लिया। उसमें आगे हाथ में झंडा लिये हुये ओंकारानन्द और जगत लाल सा० नरही मेरे पास मय विश्वनाथ पांडे व चन्द्र राय, ब्रह्मदेव राय, हरद्वार राय, विभूती लाल साकिनान नरायनपुर व शिव मुनी राम सा० कोटवा व १०, १५ आदमी थे, जिनको मैं नहीं जानता था। लोगों से और चौकीदार से पूछने पर मालूम हुआ कि उनमें शिवपूजन राय, बाला राय सा० सोहांव, त्रिभुवन राय सा० सुरही-गाम' दहिन राय सा० लछमनपुर थे। यह सब लोग अंदर घुसने वालों में से थे और तमाम गुँडा और बदमाश लोग थे। जिन आदमियों का नाम हमने ऊपर कहा है और जो डाकखाना में घुस रहे थे हमसे चाभी मांगे। हमने चाभी देने से इनकार किया। उस पर जगत लाल ने हमारी जेब से चाभी छीन लिया और संदूक खोलकर जो कागज सरकारी था उसको बाहर निकाल कर फूंका। मैंने उनको रोका। उस पर सब लोग मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। मैं डर गया। सब कागज सरकारी इस्टाम्प ८ या ६ रु० के, कुनैन ५ रु० का, लेटर बक्स व साइन बोर्ड, मुहर ताला वगैरह जो सामान पोस्ट आफिस का था सब तोड़ फोड़ जला दिये और ले गये।"

कोटवा में एक छोटा सा स्टीमर का स्टेशन था। उपद्रव के

कारण स्टीमरों का आना जाना बन्द था।
कोटवा स्टीमर घाट स्टेशन की इमारत कच्ची थी। उसके अंदर थोड़ा
पर धावा सा सामान था। बागियों की भीड़ ने उस पर भी धावा बोल दिया। दो एक कर्मचारी जो भी वहां थे, भाग खड़े हुये। स्टेशन की इमारत मय कागज़ात, टिकट और दीगर सामान के जला डाली गई।

१८ अगस्त को क्रान्तिकारियों को कई जगह मोर्चा लेना पड़ा था। वे काफ़ी थक चुके थे। इधर शाम हो गई। आसपास के रहने वाले तो अपने घरों को चले गये किन्तु अधिकतर लोग उस रात को भरवली गांव में ही रह गये। गांव वालों ने बड़ी ख़ातिर की और कांग्रेसी नेताओं का तो ऐसा स्वागत हुआ मानो वे वास्तव में भारत माता का बंधन काट कर आज़ादी का पैग़ाम लिये आ रहे हों।

१९ अगस्त को सबेरे यह जन समूह प्रसन्नता पूर्वक वापस लौटा। परगने के अन्दर जितनी भी सरकारी संस्थायें थीं उन पर से सरकारी कब्ज़ा जाता रहा। थाने और डाकख़ाने का काम बन्द कर दिया गया। थानेदार और सिपाहियों को ताक़ीद कर दी गई कि वे ब्रिटिश सरकार का आदेश अब न मानें और जब तक कांग्रेसी सरकार के आदेश उन्हें नहीं दिये जाते वे कोई काम न करें। इस तरह सरकारी काम बिलकुल रुक गया। चौकीदार, सिपाही, थानेदार तथा पुलिस विभाग के उच्च कर्मचारी ढूढ़ने से भी नहीं मिलते थे। पटवारी क़ानूनगो तहसीलदार तथा डिप्टी कलेक्टरों ने भी घर से निकलना छोड़ दिया। चंद रोज पहले जहां सरकारी अफसरों के अत्याचार से चारों ओर आतंक फैला हुआ था, वहां अब लोग कांग्रेस की छत्र छाया में सुख और संतोष का अनुभव करने लगे।

यातायात के साधनों को विनष्ट करना कार्यक्रम में प्रमुख स्थान रखता था। रेलों का चलना बंद था, डाक का चलना बन्द था, और कच्ची सड़कों के भी कई पुल काट डाले गये थे। भरवली से जो लोग घर जाने लगे उन्होंने सड़कों के किनारे के कई पेड़ काट कर गिरा दिये। सुरही, लछमनपुर और बसंतपुर के पास के पुल तोड़ दिये। शाम को बेलरिया मौज़े के पास ३०, ४० पेड़ काटे गये और मगई का पुल बर्बाद किया गया। २० तारीख़ को नरही के उत्तर चाँदनारा का पुल और महरइया के पुल तोड़े गये।

यातायात के साधन विनष्ट

सड़कों को विशेष रूप से इसलिये भी बर्बाद किया गया कि जनता को मालूम था कि १८ अगस्त को बलिया के तहसीलदार ठा० रामलगन सिंह इसी रास्ते से होते हुये बनारस की ओर गये थे। यद्यपि ठीक जानकारी तो लोगों को नहीं थी, किन्तु संदेह यह था कि तहसीलदार बनारस से सशस्त्र पुलिस अथवा सेना लाने के लिये जा रहे हैं।

ठा० रामलगन सिंह के विषय में लोग सतर्क थे। १५, २० आदमियों का पहरा नरही में कर दिया गया कि जब वे आवें तो उनको गिरफ्तार कर लें। २१ अगस्त को लगभग ८॥ बजे सबेरे उनकी कार लछमनपुर के पास आती हुई दिखाई दी। वहां से कुछ आदमियों ने बाइसिकिल पर कार का पीछा किया। साइकिल वाले आगे बढ़ते जाते थे और लोगों से कहते जाते थे रामलगन सिंह तहसीलदार वापस जा रहे हैं। इन्होंने बलिया में १६ अगस्त को गोली चलवाई और वे ही मदद लेने के लिये बनारस गये थे। जिसने जहां सुना वहीं से वह आगे बढ़ा। हज़ारों की संख्या में आदमियों ने ठा० रामलगन सिंह की कार का पीछा किया। नरही के पास ही एक पुल था जो

बलिया का तहसीलदार पकड़ा गया

खोद दिया गया था। ठा० रामलगन सिंह कार को भगाये लिये जा रहे थे। कार उसी खोदे हुये पुल में गिर गई। मोटर से निकल कर वे गांव की ओर भागे। क्रान्तिकारी उनकी इन्तज़ार में थे ही, चटपट सामने आये। किसी ने तहसीलदार को पकड़ा, किसी ने ड्राइवर को और किसी ने चपरासियों को।

तहसीलदार और उनके सहयोगी खद्दर की पोशाकमें थे। मोटर में राष्ट्रीय झंडा लगा था, देखने से कोई नहीं कह सकता था कि इस वेश भूषा में कोई सरकारी अफ़सर सफ़र कर सकता है। बात की बात में हज़ारों आदमियों ने [illegible] लिया। भीढ़ में दो चार आ। द।मयों ने एकाध ड ंडे चल भी दिय। तह[illegible] दार साहब बुरी तरह रो रहे थे; मिन्नत कर रहे थे; माफ़िया [illegible] ग रहे थे किन्तु कोई सुनने वाला न था। मोटर में रखी हुई राइ।फल मय कारतूस क्रान्तिकारियों के हाथ लगी। रिवाल्वर भी मोटर में एक तरफ़ पड़ा हुआ मिल गया, उसे भी ले लिया गया। मोटर में कुछ पेट्रोल रखा था उसे छिड़क कर मोटर में आग लगा दी गई। जलती हुई मोटर को तहसीलदार साहब ने सतृष्ण नेत्रों से एक बार देखा और कहा कि मोटर तो राय बहादुर काशीनाथ मिश्र की है, फिर भी किसी को दया न आई।

लोग जब आग लागाने में लगे हुये थे तो तहसीलदार साहब को कुछ फ़ुर्सत मिली। वे फिर भागे किन्तु लोगों ने फिर पकड़ा। खींचते खांचते वे नरही गांव में आगये। एक बिधवा बुढ़िया के दरबाजे पर गिर पड़े। बुढ़िया ने उन्हें बचाया और बागियों से कहा कि यह मेरी शरण में आया है, पहले मुझे मारो तब इसे मार सकते हो। बुढ़िया पर हाथ कौन छोड़े। वह ज़िद पर आगई थी। बागियों का भी काम पूरा हो गया था। उन्होंने कहा हम तहसीलदार को छोड़ देंगे मगर याद रहे, ये बलिया न जाने पावें।

चौधरी धर्मदेव राय ने उन्हें अपने मकान में ३ दिनों तक रखा, जब तक फ़ौज के अफ़सर नरही में आ नहीं गये।*

---

*While returning from Benares with the special message of the Commissioner Benares division, I met an accident about a mile south of Narhi P. S.. My car fell in a ditch made by the rioters near the bridge at about noon of 21st August, 1942. I, along with my peons and driver was busy in getting out the car. In the meantime a mob surrounded us and one of them began to point out at me regarding the fire which was opened by me at Ballia on 16th August, 1942. I, finding myself helpless as every thing was in the car, tried to run away but the mob chased me. After running about a furlong the mob cried out from behind to catch me and the persons coming out from the side of the P. S. Narhi blocked my way and tried to stop me. Then I turned towards the village but I met with the same fate. After going a few bighas It was caught hold of by two persons from the front. In the meantime the mob arrived there and a few of them attacked me with *lathis*.

I recognised them all who beat me but I do no know their names except Jagat Lal, the local D. B. Teacher who gave me a *lathi* blow on my head. Ch. Dharmadeo Rais s/o Bachchu Babu arrived thre after. I was given *sharbat* and water for drinking by an old lady in whose house I ran when I was being beaten by the rioters and was saved by Bachchu Babu from further molestation.

After that two constables also came firing and the

चिलकहर स्टेशन फूँका गया

फेफना से जो लाइन मऊ जाती है उस पर अगला स्टेशन चिलकहर पड़ता है। पहले तो एकौनी गांव के पास सैकड़ों गज की दूरी तक रेलवे लाइन उखाड़ी गई। यह एक अभ्यास मात्र था। दूसरे दूसरे दिन चिलकहर स्टेशन पर आक्रमण हुआ। आस पास के गांवों से लगभग ८ हजार आदमी आ जुटे। इनकलाब जिन्दाबाद और बंदे मातरम के नारों से आकाश गूंज उठा। यहां के स्टेशन के अधिकारी पहले से ही बलवाइयों के आगमन की राह देख रहे थे। भीड़ को देखते ही स्टेशन के अधिकारी भाग खड़े हुये। स्टेशन खाली मिला सारे कागजात और समान एकत्र किये गये। फिर तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। स्टेशन की इमारत का कुछ हिस्सा जल कर गिर पड़ा। लगभग डेढ़ साल के बाद सर्व श्री जगदीश सिंह, मानधाता सिंह, ब्रह्मासिंह और चन्द्रमा सिंह पर मुकदमा चला।

---

mob totally disper·ed them. I was given shelter for 3 days by Ch. Dharmadeo Rai and his family and stayed there till the arrival of the rescue party.

My gun No. 14435 By Enoo james service surprise & co. with about 14 cartridges and service revolver with 36 cartridges were looted by the rioters along with some clothes, one box, a wrist watch and other arlicles.

The mob also burnt the car and its body which was brought by Ch. Dharmadeo Rai to his house under my order which is still there.

Ramlagan Singh
Dy. Collector,
Ballia.

30-9-42

सिंह को ५ वर्ष की सजा हुई, अन्य अभियुक्त सेशन जज द्वारा रिहा कर दिये गये।

औंदी का पोस्ट आफिस

१७ अगस्त को ही औंदी के पोस्ट आफिस पर आक्रमण हुआ। छोटा पोस्ट आफिस था। नकद रुपया नहीं था। लगभग १०० आदमी पोस्ट आफिस पर आये। पोस्ट मास्टर से कागजात मागे गये। पहले तो उन्होंने आपत्ति की किन्तु बाद को कागजात और टिकट लिफाफे सुपुर्द कर दिये। सारे कागजात जला डाले गये। लेटर बक्स का लड़कों ने ढोल बनाया जिसे वे हफ्तों तक बजाते रहे। श्री महाराज बहादुर और मोहन राम आदि गिरफ्तार किये गये। ८, ९ महीने तक हवालात में बंद रहे। सेशन अदालत तक मुकदमा चला किन्तु सबूत न मिलने के कारण सब अभियुक्त रिहा हो गये।

चिलकहर के बीजगोदाम पर आक्रमण

बागियों ने १८ अगस्त को चिलकहर बीजगोदाम पर आक्रमण किया। बीजगोदाम पर जब वे पहुँचे तो कुछ दूसरा नकशा नजर आया। देखा गया कि गांव के चन्द इने गिने आदमी, जो सरकार के हिमायती कहे जाते थे, पहरा दे रहे थे। उन्होंने भीड़ को लूटने से रोका। बलवाइयों ने कहा हमें लूटना नहीं है, हम तो केवल अधिकार करना चाहते हैं। रक्षकों की ओर से, जिनमें से श्री अंजिनी कुमार सिंह का नाम उल्लेखनीय है, कहा गया कि अधिकार तो इस वक्त हमारा ही है। सरकारी नौकर भाग चुके हैं। बलवाई ठंडे पढ़ गये। कब्जा चाहे गांव वालों का हो अथवा कांग्रेसी स्वयं सेवकों का हो, बात एक ही है। आखिर गांव वालों से लड़े कौन? भीड़ हट गई।

किसी मन चले ने बीज गोदाम के सुपर वाइजर की बाइसिकिल उठा ली और लेकर चलता बना। इस काण्ड में बा० जग-

दीश सिंह और ठा० मानधाता सिंह पर मुकदमा चला किन्तु वे लोग निर्दोष प्रमाणित हुये।

१९ अगस्त को चिलकहर के पास पिपरिया का पुल काटा गया और कई पेड़ सड़क पर काट कर बिछा दिये गये।

रसड़ा स्टेशन की फूंक

१७ अगस्त १९४२ को रसड़ा पर कब्जा करने के लिये लभभग २० हजार आदमियों की भीड़ चारों ओर की देहातों से आ गई। पहला आक्रमण स्टेशन पर हुआ। भीड़ को देखते ही स्टेशन के अधिकारियों ने फाटक में ताला लगा दिया। कुछ भीड़ फाटक तोड़कर प्लेट फार्म पर आई। स्टेशन मास्टर का कहीं पता न था। स्टेशन में बहुत सा माल भरा पड़ा था, जिसके जी में जो आया लेकर चलता बना। इसके बाद स्टेशन की सारी चीजें एकत्र की गईं और उन सब में आग लगा दी गई। स्टेशन की इमारत का एक कोना जला, पूरी इमारत में आग न फैल सकी।

बलवाइयों की भीड़ अब शहर की ओर बढ़ी। स्टेशन से कचहरी को जाने वाली सड़क पर आदमियों का हंगामा देखने लायक था। लगभग ३ बजे संध्या समय यह भीड़ पोस्ट आफिस पर आई वहां के कर्मचारी भाग निकले। भीड़ पोस्ट आफिस में घुस गई। टिकट, पोस्टकार्ड तथा अन्य कागजात बाहर निकाले गये और उनमें आग लगा दी गई। पोस्ट आफिस की इमारत किराये की थी, इसलिये उसे नुकसान नहीं पहुँचाया गया।

पोस्ट आफ़िस के पास ही कचहरी और थाने हैं। भीड़ का उद्देश्य सरकारी इमारतों पर कबजा करना भी था। कचहरी पर भीड़ चढ़ आई। वहां देखा गया ८-१० सशस्त्र पुलिस बंदूकें भर कर तैयार हैं। उपद्रवी भीड़ शान्त हुई। पुलिस सरकारी अफसरों और कांग्रेसी नेताओं में संधि हुई। कांग्रेस की ओर से डा० हरिचरण लाल, ठा० हर गोविन्द सिंह, मुहम्मद अयूब शौकती,

स्वामी चन्द्रिका दास और ठा० गिरधारी सिंह आदि थे। इधर से कहा गया कि हम सरकारी इमारतों पर केवल झंडा फहराना चाहते हैं। तहसीलदार सहमत होगये। स्वंय उन्होंने अपने हाथ से तहसील की इमारत पर झंडा फहराया।

धोखा और गोली कांड

रसड़ा के प्रमुख अवसरवादी श्री गुलाब चन्द के भाई श्री ठाकुर प्रसाद दौड़े आये। उन्होंने नेताओं से प्रार्थना की कि चलिये सब लोग मेरे यहां जल पान कर लें। उन्होंने अपनी गोदाम का फाटक खोल दिया। गोदाम में एक ओर सरकारी बीज गोदाम था, दूसरी ओर इंपीरियल बैंक का कुछ समान और तीसरी ओर उनकी २-४ कपड़े की गांठे थीं। नेताओं ने इस विशाल जन समूह के साथ अंदर जाने से इनकार किया, किन्तु ठाकुर प्रसाद के आग्रह में बड़ा ज़ोर था। अन्दर जाते ही उत्तेजित भीड़ ने बीज गोदाम लूटना शुरु कर दिया। इधर बा० गुलाब चन्द दौड़े थाने में आये। उन्होंने थाने से ८ सशस्त्र सिपाही लिये और वहां से थोड़ी ही दूर पर मुसहरों की बस्ती है, जहां से १०-१५ मुसहर बुला लिये। इन लोगों को गोदाम के फाटक पर खड़ा करा दिया।

फाटक पर आकर पुलिस वालों ने गोली चलानी शुरु की और मुसहरों ने अपने खंतो से चोट की। घबरा कर लोग उस पतले फाटक से गिरते पड़ते भागे। फाटक तक आते आते बहुतों को गोली लगी। वास्तव में उस समय गुलाब चन्द का हाता कुछ कुछ जालियां वाले बाग़ की याद दिला रहा था। सुल्तान पुर निवासी श्री हरी चमार और रसड़ा निवासी श्री विश्वनाथ राम तो वहीं गोली खाकर मर गये। कुल ४१ आदमी बुरी तरह घायल हुये, जिनमें से दो दूसरे दिन अस्पताल में मर गये। सैकड़ों को साधारण चोट आई।

स्टेशन की इमारत पर पहले से ही मुर्दनी छाई हुई थी। स्टेशन मास्टर और उनके सहायक इधर उधर छिपे थे। इनकलाब जिन्दाबाद के नारे के साथ भीड़ एकाएक प्लेटफार्म पर चली आई। स्टेशन की इमारत में आग लगा दी गई। हजारों आदमी इधर स्टेशन की दाह क्रिया कर रहे थे उधर डिस्टेंट सिगनल के पास इंदारा की ओर से आने वाली गाड़ी आ खड़ी हुई। सिगनल डाउन न होने के कारण गाड़ी काफी देर तक रुकी रही। इतने में किसी ने सिगनल भी डाउन कर दिया और गाड़ी प्लेटफार्म पर आ लगी। लोग ब्रेक वाले डब्बे पर टूट पड़े और उसे खोलने लगे। उस डब्बे में काफी माल था। अभी दो रोज पहले ही बिल्थरा रोड रेलवे स्टेशन पर पूरी मालगाड़ी लूटे जाने की खबर बलवाई सुन चुके थे। उस गाड़ी में ५ सशस्त्र पुलिस गाड़ी की हिफाजत के लिये मौजूद थी। मजमे का रुख देखकर पुलिस गारद ने गोली चलाई। एक आदमी के पैर में गोली लगी। बाकी लोग तितर बितर हो गये। गाड़ी थोड़ी देर तक खड़ी रही, फिर आगे बढ़ी।

रतनपुरा स्टेशन जलाया गया

भगवता सिंह हेड कान्सटेबुल ने अपनी रिपोर्ट में कहाः—

जब ट्रेन स्टेशन पर आकर खड़ी हुई तो मजमा में से अन्दाजन ५, ६ सौ आदमी ट्रेन के इंजन की तरफ लपके और इंजन के पास वाले डब्बे को हथौड़ी से तोड़ने लगे। उस डब्बे में काफी माल था जिसकी हिफाजत के लिये तावेदार के साथ गार्ड ट्रेन भी मौजूद था। कार मनसवी समझकर डब्बे से तावेदार अपने गारद को लेकर उतर गया और मजमा खिलाफ कानून से एलान करके कहा कि अगर तुम लोग फौरन हट नहीं जाते हो तो हम गोली चला देंगे। मजमा बजाय फरी होने के ढेला मारते हुए व गाली गुफ्ता देते हुए उसी डब्बे की तरफ आ गया।

एक राउन्ड गोली हमारे सिपाहियों ने और एक राउन्ड गोली ताबेदार ने मजमा के ऊपर फायर किया। मजमा गिरता पड़ता भाग चला। चंद आदमी गोली से घायल होकर कुछ फासले पर गिर गये जिनको मजमा उठा भाग गया। मजमा फरी होने के बाद मैंने मुनासिब नहीं समझा कि ट्रेन देर तक खड़ी रहे और ड्राइवर को कहा कि फ़ौरन गाड़ी आगे बढ़ाओ और वहां से पूरब ट्रेन मज़कूर लेकर स्टेशन बलिया आया हूँ।

रतनपुरा का पोस्ट आफिस

रतनपुरा स्टेशन से थोड़ा हट कर एक सरकारी पोस्ट आफिस की इमारत पास ही थी। १६ अगस्त को लगभग १२ बजे दिन में पोस्ट आफिस पर आक्रमण हुआ। पोस्ट मास्टर ने भर सक बचाने की कोशिश की किन्तु उनकी एक न चली। दरवाजा तोड़कर लोग डाखाने के अन्दर दाखिल हो गये। जितने संदूक और थैले थे सब खोल डाले गये। ८५) नगद और १७) का टिकट मिला। डाकखाने के सारे कागजात, मय संदूक, बक्स, नकद और टिकट जला डाले गये।‡

---

‡The Sub-Inspector.
Haldharpur.

Sir

Today on the 16th of August 1642, at about noon, a mob of some 400 hundred persons entered the post office. They looted all the Government money and public papers, brought them out and burnt them, and fled away with the cash. I tried to protect these things to the best of my effort. But they began to ply lathis upon me. About 2-3 persons knocked me pown upon the ground and kept me under their weight. the The amount lost is mentioned below.

पोस्ट आफिस के कागजात जला लेने के बाद बागियों ने बीच गोदाम पर आक्रमण किया। सुपरवाइजर में सामना करने की हिम्मत न रही। सारा बीज गोदाम बात की बात में साफ हो गया।* भूखी और कृषित जनता दो ढाई मन के बोरे पीठ पर रखे इधर उधर जाती नजर आई।

बीज गोदाम पर आक्रमण

रतनपुरा हलधरपुर थाने में पड़ता है। रतनपुरा पर जो भीषण आक्रमण हुआ था उसका समाचार जब थाने में पहुँचा तो वहां की पुलिस के कान खड़े हो गये। उक्त घटनाओं का समाचार विदेशी चौकीदार ने थाने पर दिया और यह भी कहा कि स्टेशन जला डालने के बाद बलबाई थाने पर आक्रमण करने वाले हैं। स्टेशन पर जिस दिन आक्रमण हुआ उस दिन सब इन्सपेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ हथियार से लैस होकर बलवाइयों का सामना

हलधर पुर थाना

---

(1) Cash Rs. 85/- and some annas.

(2) Stamps worth Rs. 17/-and some annas.

(3) They took all the cash inside the token.

(4) They burnt all the papers-they were old.

(5) They broke the delivery bag of the post master and threw it outside. But nothing was found in it.

Deo Narain singh, Branch post Master
Ratanpura-16/8/42.

*I beg to report that some robbers have looted the Government seed store at Ratanpura Depot.

Kanhia Shukla, Supervisor
16/8/'42.

करने चले किन्तु घटनास्थल तक नहीं पहुँच सके। उन्होंने भय-भीत होकर सिकंदरपुर के थानेदार के नाम सत्यनारायन पांडे के हाथ एक पत्र भेजा और सहायता माँगी।†

२३ अगस्त को लगभग ११ बजे दिन में हलधरपुर थाने पर आक्रमण हुआ। चारों ओर से भगभग ४-५ हजार आदमियों ने एकाएक थाना घेर लिया। थानेदार को इस आक्रमण का समाचार पहले ही मिल चुका था। वे भाग चुके थे। उनके भागने के बाद थाने के अन्य कर्मचारी भी भाग निकले। केवल दो कानेस्टेबिल सादी पोशाक में थाने के बाहर पड़े थे, उनके साथ कुछ चौकीदार भी थे। उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। थाना जला डाला गया, उसकी ईटें पीट पीट कर तोड़ दी गईं। जो कागजात और दीगर सामान थाने के अन्दर मिले जला डाले गये।

---

†Bideshi Bhar, Chaukider of Ratanpura of this circle lying five miles east of this station came to the thana and made a report that some 700-800 congressites and public men had come to Ratanpura from the northern corner. They were cutting wires, brea king glasses etc., and they were making preparations for burning the station and its papers,.......He stated further that the congressites were saying that after burning the station they should raid the thana also and burn it. ...... Formal writings were sent through Pandit Satyanarain Pande to the sub Inspector Sikandarpur asking him to come to the thana with an armed guard.......

Rajnet Singh, Sub Inspector,
Generrl Diary of
P. S. Haldharpnr on 16. 8. 42.

इसके बाद थानेदार के निजी कार्टर पर आक्रमण हुआ। ताला तोड़ने पर पता चला कि वे अपनी सारी चीजें लेते गये थे। फिर भी जो कुछ मिला उसे एकत्र किया गया और उसमें आग लगा दी गई। कार्टर में भी आग लगा दी गई।

इस कांड के सम्बन्ध में मुँशी मथुरा लाल, स्वामी चन्द्रिका दास, और श्री बालेश्वर सिंह आदि पर मुकदमा चला। बहुतों की लम्बी सजायें हुईं।

थाने को जला लेने के बाद लोग हलधरपुर डाकखाने की ओर बढ़े। यह डाकखाना गाँव के प्राइमरी स्कूल में था और प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ही पोस्ट मास्टर का काम करते थे। पोस्ट मास्टर ने आक्रमण का हाल सुनकर नकद और टिकट लिफाफे हटा दिये। भीड़ को डाकखाने पर कोई रोकने वाला नहीं था। स्कूल के अन्दर सैकड़ों आदमी घुस पड़े और जिस कदर भी कागजात, मेज कुर्सियाँ और थैले वगैरह मिले उन्हें बाहर निकाल कर जला डाला। लेटर बक्स को तोड़ कर कुयें में डाल दिया गया।

पोस्ट आफिस में आग लगी

बलिया से २३ मील की दूरी पर सिकंदरपुर एक व्यवसायी कस्बा है। यहाँ थाना, डाक बङ्गला, पुलिस चौकी, मवेशी खाना, सरकारी बीजगोदाम और कई स्कूल हैं। १४ अगस्त को यहाँ के स्कूलों में कुछ कुछ हड़ताल रही।

बच्चों पर घोड़ा दौड़ाया गया

१५ अगस्त को श्री राम नगीना राय, किसोर के साथ स्कूलों के छोटे छोटे बच्चों का एक जुलूस मिडिल स्कूल सिकंदरपुर पर आया। लड़के राष्ट्रीय गाना गा रहे थे और साथ में तिरङ्गा झंडा लिये हुये थे। मिडिल स्कूल के सामने जो लड़कों ने गाना

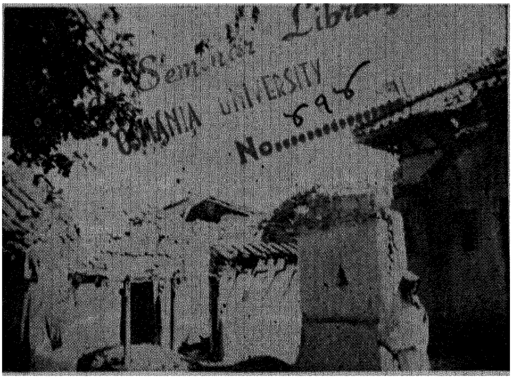

स्वतंत्र आश्रम
[खेजुरी]
जलाने के बाद

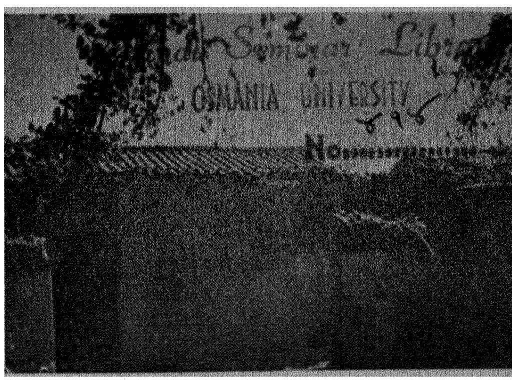

श्री चन्द्रिका प्रसाद
[खेजुरी]
का कारखाना
जलाने के बाद

श्री राधाकृष्ण
[बरमाइन]
का मकान जलाने
के बाद

गाया उसकी आवाज़ थाने तक गई। थानेदार शेख़ अशफ़ाक अहमद राष्ट्रीय भावनाओं के कट्टर विरोधी थे।

छोटे छोटे सैकड़ों लड़के स्कूल के एक एक कमरे में बारी बारी घुसते थे। हर एक विद्यार्थी को ३, ४ लड़का पकड़ता और बाहर निकालता। विद्यार्थी भी विरोध नहीं करते। आग्रह मान जाते थे। किन्तु अध्यापकों का रंग गाढ़ा था. जब बच्चे दूसरे कमरे में घुसते तो बाहर निकले हुये विद्यार्थी इधर अपने कमरे में दाख़िल हो जाते। यह खींचातानी लगभग १ घंटे तक चलती रही। अंत में बहुतेरे विद्यार्थी बाहर निकले और सब के सब जुलूस बना कर जाने लगे। इतने में सब इन्सपेक्टर शेख मु० अशफ़ाक घोड़े पर चढ़े हुये आये और बिना कुछ पूछे ताछे जुलूस में बेतहाशा घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। दस पन्दरह चक्कर दौड़े। बीसों लड़के इधर उधर गिर पड़े और जुलूस तितर बितर हो गया। श्री राम नगीना राय राष्ट्रीय झंडा लिये हुये खड़े थे। वे पकड़े गये और थाने की हवालात में बन्द कर दिये गये।

खेजुरी मंडल में गिरफ्तारियां

सिकंदरपुर थाने में दो मंडल है। एक सिकंदरपुर, दूसरा खेजुरी। खेजुरी मंडल में यद्यपि बाद को कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई फिर भी शुरू शुरू में सिकंदरपुर के सब इन्सपेक्टर ने खेजुरी मंडल पर ११ अगस्त को ही धावा बोल कर कांग्रेस कार्य कर्ताओं को जिस प्रकार उत्तेजित किया उसका वर्णन लगे हाथ दे देना आवश्यक है। सिकंदरपुर की पुलिस ने ११ अगस्त को मंडल की इमारत की तलाशी ली। जो कागज़ात मिले उन्हें पुलिस उठा ले गई और मंडल की इमारत पर ताला मुहर लगा दी। १३ अगस्त को मंडल के कार्य कर्ता सैकड़ों आदमी लेकर मंडल के दफ़्तर पर चढ़ आये। उन्होंने पुलिस का ताला तोड़ डाला और इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराया। पुलिस को जब

इस घटना का समाचार मिला तो उसने फिर खेजुरी पर धावा किया। भीड़ तब तक तितर बितर हो गई थी। रात भर पुलिस गश्त लगाती रही अन्त में बिसहर गाँव में लग भग ३ बजे रात को पं० नन्दलाल शर्मा, श्री केदारनाथ राय और पं० इन्द्रजीत तिवारी आदि ९ कांग्रेस कार्य कर्ताओं को गिरफ़्तार किया। १४ को ये लोग थाने में लाकर बंद किये गये और १५ को मोटर द्वारा बलिया भेज दिये गये।

११ अगस्त को ही सिकंदरपुर की पुलिस ने सिवान निवासी श्री राधा कृष्ण काँदू को भारत रक्षा विधान की ३४ वीं और ३८ वीं धारा के अंतर्गत गिरफ़्तार कर लिया। और बलिया जेल में बन्द कर दिया। १९४१ वाले सत्याग्रह में वे जेल जा चुके थे। पुलिस ने सोचा उन्हें गिरफ़्तार कर लेने से भारी आन्दोलन कमज़ोर पड़ जायेगा, किन्तु असर बिलकुल उल्टा हुआ।

१९ को बलिया जेल के सारे राजनीतिक बंदी रिहा हुये। (वर्णन आगे दिया जावेगा)।

सिकंदरपुर के थाने पर आक्रमण

ज़िले के विविध थानों और स्टेशनों से समाचार मिला कि या तो वे जला डाले गये अथवा उन पर जनता का अधिकार है। सिकंदरपुर का थाना तथा वहां की अन्य सरकारी संस्थायें क्यों कर बची रहें? २० अगस्त को मंडल के कार्यकर्ता एकत्र हुये, कार्य क्रम यह बना कि २१ को जनता आवे और सिकंदरपुर की सरकारी संस्थाओं पर अधिकार करे। गांव गांव संदेश भेज दिये गये। फिर क्या था, लगभग १५ हजार आदमी २१ को करीब २ बजे तक सिकंदर-पुर कस्बे में एकत्र होगये।

कस्बे से भीड़ एक जुलूस बनाकर थाने की ओर बढ़ी। वक्त बदल चुका था। वे ही थानेदार जो १५ अगस्त को बच्चों

पर धोड़ा दौड़ा चुके थे. आज छिपे बैठे थे। बलवाइयों ने जब थाने पर शोर मचाना शुरू किया और फूंकने तापने की तैयारी की तो वे बाहर निकले। पूछा आप लोग क्या चाहते हैं। बहुतों ने कहा हम थाने की इमारत फूंकने आये हैं। सरकारी राज उठ चुका है। मुँशी अशफाक अहमद बात करने में बड़े तेज़ थे। उन्होंने कहा थाना आपका है। इमारत जल जाने पर फिर आपकी ही सरकार इसे बनवायेगी। थाने की इमारत को न फूंकिये, बाकी जो कहिये मैं मानने को तैयार हूं। बलवाइयों में से कुछ लोगों ने कहा हथियार और वर्दी दे दीजिये। उसे हम जलायेंगे। थानेदार राजी हो गये। दो बंदूकें दीं और कुछ वर्दियां। थाने पर झंडा फहरा कर लोग कस्बे में वापस आये।

कस्बे में पुलिस की चौकी थी। चौकी के अधिकतर सिपाही थाने में जा चुके थे। १० हज़ार आदमियों ने चौकी को घेर घेर लिया। एक टिन मिट्टी का तेल मगवाया गया। छिड़क कर चौकी की इमारत में आग लगा दी गई।

चौकी के पास ही मवेशी ख़ाना था। वह जानवरों का जेल था। बलवाइयों ने उसका ताला तोड़ा, गदहे, घोड़े और बकरियां जो उसमें बंद थीं उन्हें बाहर किया।

लगभग दो फर्लाङ्ग की दूरी पर बीज गोदाम था। लोग वहां तक बढ़ गये। सरकार ही उठ गई तो सरकारी माल अपना माल है। इस भावना से उत्प्रेरित होकर बलवाइयों ने बीज गोदाम पर आक्रमण किया। लगभग २ बजे रात तक बीज गोदाम की लूट होती रही। बीज गोदाम का एक एक दाना तो चुन ही लिया गया उसका दर्वाजा भी लोग उठा ले गये।

मु० अशफ़ाक अहमद ने इस घटना पर निम्न रिपोर्ट दी :—

२१ अगस्त को ४२ को ४॥ बजे दिन मजमा काम्रेंसी मुसल्लहा

जिसमें बन्दूक, बल्लम, गड़ासा, कुदाली व लाठियों से जानिब पूरब, कस्बा सिकंदरपुर से नारा इनक़लाब जिन्दाबाद वगैरह लगाता हुआ, जिनके आगे आगे एक बड़ा झंडा गौरी शंकर राय उर्फ़ छोटे लाल अपने हाथ में लिये हुये थे, मय अपने भाइयों मुसम्मियान झारखंडे राय, शिवप्यारे, छट्टू राय, उमा राय, सिंगासन राय, सिवदास राय साकिनान पन्दह, इन्द्रजीत तिवारी रामनगीना तिवारी पकड़ी, नन्दलाल शर्मा अहिरौली, कुलदीप राय साकिन जेठवार, चंद्रिका ओझा, राम सच्चन तिवारी, मुजही, सहदेव राय, रामलाल काँदू, फ़तेह बहादुर लाल, बलदेव सोनार, सहदेव सोनार, बालूपूर, विश्वनाथ लाल, चन्द्रिका लाल काँदू साकिन खेजुरी, कन्हैयालाल, जमादार दुबे, कमला दुबे कस्बा सिकंदरपुर, नगीना राय चेतनकिसोर, हीरा राय वल्द सीताराम राय, हीरा राय वल्द मान राय, हजारी राय मय आठ दस हज़ार आदमियों के चहार सिम्त से आकर इमारत थाना को घेर लिया। दो अदद बंदूक जिनकी बटन बहिक़मत अमली तब्दील कर दी गई थी लिया और रजिस्टरान दफ़्तर और कुछ मुलाजिमान की वर्दी फूंक कर. झंडा कांग्रेसी गाड़ कर नारा इनक़लाब जिन्दाबाद लगाते हुये वापस जानिब कस्बा गये। चुनांचे ७ बजे शाम को इमारत चौकी कस्बा सिकंदरपुर पहुँचे और इमारत चौकी पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। मजमा को नज़दीक चौकी खड़ा कर के गौरी शंकर उर्फ़ छोटे लाल जो कांग्रेस का कलैक्टर बना हुआ था, उसने मजमा को सभापत कर के कहा कि भाइयों अब आप लोगों ने दिलोजान से मुकम्मिल सुराज लेने की कोशिश की जिसकी वजह से मुकम्मिल सुराज इस हिस्से का हो गया। अब मेहमत का कुछ सिला आप लोगों के फ़ौरन आगे है। चुनांचे अब आप लोग मेरे हमराह जैसे आये वैसे ही चलो। सरकारी बीज गोदाम जिस पर बहुत ज्यादा गल्ला गेहूँ, चना, मटर

मौजूद है और लोहे का सामान है चलो लूटो और अपने अपने घर ले जाओ।.........कुल नुकसान इमारत चौकी और बीज गोदाम मिलकर २० हज़ार रुपये का हुआ।

सिकंदरपुर से लगभग २ मील उत्तर कुतुब गंज में घाघरा नदी पर स्टीमर का स्टेशन है। आसपास के यातायात के सारे साधन बंद थे। स्टीमर कभी कभी आया जाया करता था। २० अगस्त को दोपहर के समय बागियों ने स्टीमर घाट पर सहसा धावा बोल दिया। छप्पर के मकान में स्टेशन था। उसमें आग लगा दी गई। स्टेशन के सामान और कागज़ात सब जल गये। साल भर के बाद लिलकर के श्री प्रमोद राय और श्री हीरा राय पर इस संबंध में मुक़दमा चला किन्तु दोनों सज्जन सेशन अदालत से छोड़ दिये गये।

कुतुबगंज घाट पर आक्रमण

सिकंदरपुर से लगभग ४ मील पश्चिम नवानगर है। वहाँ एक पोस्ट आफ़िस है। २२ अगस्त को ९ बजे सबेरे आस पास के गाँव के कार्य कर्ता नवानगर में एकत्र हुये। एक जुलूस बनाया गया जो मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल पर गया। दोनों स्कूल बंद हो गये। स्कूलों के विद्यार्थी जुलूस में शामिल हो गये। इसके बाद जुलूस नवानगर के डाकख़ाने पर आया। हज़ारों आदमियों की भीड़ देख कर पोस्टमास्टर ने दरवाज़ा बंद कर लिया। भीड़ का रुख बिगड़ता हुआ देख कर आख़िर पोस्टमास्टर ने दरवाज़ा खोल दिया। डाकख़ाने के काग़ज़ात, मेज़ कुर्सियों और पोस्टकार्ड लिफाफे जिस क़दर उनके पास थे जुलूस के सुपुर्द कर दिये गये। उन सारी चीजों में आग लगाई गई।

नवानगर में

इसके बाद हुसेनपुर का प्राइमरी स्कूल बंद कराया गया। गाँजे की दुकान वाला जुलूस को पहले ही देख चुका था। उसने

अपनी सारी चीजें हटा दीं। दुकान के दरवाजे पर जो बाँस की ठटरी लगी थी उसे लड़कों ने तोड़ टाला।

कोथ पहुंचने पर देखा गया कि मवेशी खाने में कोई जानवर नहीं है। उसकी इमारत वहीं के किसी निवासी की है। कागजात शेख बदरुल सलाम के मकान पर थे। मागने पर उन्होंने सारे कागजात आगे रख दिये। फिर उनसे सरपंची के कागज मागे गये। शेख साहब ने उन्हें भी लाकर आगे रख दिये। सारे कागजात में आग लगा दी गई। थकी माँदी भीड़ आगे बढ़ी। अभी सिकंदरपुर जाना था। शिवप्रसाद की दुकान पर सब ने जल पान किया। कुछ लोग थाना फूंकने के लिये सिकंदरपुर की ओर बढ़ गये और बाक़ी लोग वापस अपने अपने घर लौट आये।

२१ अगस्त को सिंकदरपुर की बहुतेरी सरकारी संस्थाओं का

थाने पर दूसरा आक्रमण

ख़ातमा करके बागियों की भीड़ घर घर लौटी किन्तु सबके दिल में यह खटका रह गया कि थाने को बग़ैर फूँके वापस नहीं आना चाहिये था। थानेदार की बातों में लोग थोड़ी देर के लिये आ गये थे किन्तु यह सब को मालूम था कि उनकी बातों का कोई ठिकाना नहीं। नतीजा यह हुआ कि २२ अगस्त को देहातों से लगभग १०, १२ हजार की संख्या में लोग फिर आये। कस्बे में एक शानदार जुलूस बना। जुलूस में हाथी और घोड़े भी थे।

इधर थानेदार और थाने के अन्य कर्मचारियों को भी २२ अगस्त को सबेरा होते होते मालूम हो गया कि बागी फिर आक्रमण करने वाले हैं। रात में ही थानेदार मु० अशफाक अहमद ने अपने बाल बच्चों और सामान को कस्बे में शेख़ अता हुसेन के मकान पर भिजवा दिया। वे स्वयं भाग कर बलिया चले गये। नायब थानेदार ने बलिया का रास्ता लिया। उन्होंने अपनी घोड़ी एक चौकीदार के हाथ आगे आगे भेजी और ख़ुद पैदल लुक छिप

कर चले। थाने के सिपाहियों ने भी अपने अपने घर की राह ली। आक्रमण कारी बागियों ने घोड़ी को जाते देखा। घोड़ी जीन के साथ थी। श्री जलधारी सिंह उस पर सवार हो गये।

भीड़ जब थाने पर आई तो वहाँ पुलिस का कोई भी कर्मचारी नज़र नहीं आया। लोग थाने के अन्दर और कर्मचारियों के क्वार्टरों में दाखिल हो गये। थाने में जो कागज़ात और वर्दियाँ मिलीं सब सब एकत्र की गईं। बाकी चीज़ों को लोगों ने अपने लिये चुन लीं। किसी ने घड़ी उठाई, कोई चारपाई लेकर चलता बना, किसी हाथ बर्तन लगे, किसी ने दरी उठा ली और किसी को थानेदार की मुर्ग़ियों से ही संतोष करना पड़ा। कुदालों से काट काट कर लोगों ने सारे जँगले और दरवाज़े अलग किये। इसके बाद काग़-ज़ात और वर्दियों तथा अन्य छोटी मोटी चीज़ों को एकत्र कर उन पर तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। कुदाली और फावड़े से दीवारें काट डाली गईं और फिर उन पर लाठियों की ऐसी मार पड़ी कि दीवारें तो बिलकुल गिर ही गई, सारी इटें चूर चूर हो गईं।

डाक बँगले पर आक्रमण

थाने का काम तमाम करके लोग डाक बंगले पर आये। डाक बंगले के चौकीदार ने अपनी सारी चीज़ें समेट लीं। पहले लूट हुई। अच्छी से अच्छी दरियाँ चारपाइयाँ और कुर्सियाँ बागियों के हाथ लगीं। एक पंडित जी को कुछ न मिला तो एक कमोड ही उठा लिया, समझा कि स्टूल है। इसके बाद इमारत में आग लगा दी गई। बिचारा चौकीदार एक कोने में खड़ा हो कर रो रहा था मानो उसका निजी घर जल रहा हो।

सिंकदरपुर थाने के अफसर दोयम अपनी रिपोर्ट में लिखते है :—

ता० २२ अगस्त १९४२ को बवक्त २ बजे दिन मजमा कांग्रेसी

झंडा लिये हुये व बल्लम, गड़ासा, टांगी, गड़ासी, ईंटा, कनस्टर मय तेल मट्टी हर चहार तरफ के एकबएक दौड़ा हुआ आया और इमारत थाना को अफसरान व मुंशी को दीगर मुलाज़मान को घेर लिया। जो मजमा पूरब से आया, आगे मजमा के मेरी घोड़ी पर जो साईस ले जा रहा था करीब जंगल जमुआँव कांग्रेसी जो खेजुरी की तरफ से आ रहा था, मुलाकात हुई। मेरी घोड़ी को साईस से छीन कर मुसम्मी जलधारी सिंह कांग्रेस लीडर साकिन पुर चढ़ लिया और साईस को मुश्क बाँध कर मुसम्मी राम सरन नोनिया साकिन जगदरा अपने हरासत में लाया।

मजमा कुल तखमीनन ८, १० हजार का था। क्वार्टरान थाना में तेल छिड़क कर आग लगा दी और इनकलाब जिन्दाबाद का नारा लगाना शुरू किया। बाद फूंकने इमारत थाना व क्वार्टर अफसरान व मुँशी क्वार्टर, आलमारी सरकारी अशयाय, दरवाजा व अलमारी, व छड़, जँगला इमारतहाय व आलात व माल असबाब सरकारी व निजी मुलाजिमान को लूट कर व फूंककर जानिब डाक बँगला वापस चले। चुनांचे डाक बँगला पर जाकर उसको भी फूंका और उसके अशयाय लूट कर व सामान इमारत निकाल कर जानिब पंदह व दीगर सिम्त ले गये। नुकसान तखमीनन १५ हज़ार रुपये का हुआ है।

सिकंदरपुर के कांडों के संबंध में सर्व श्री गौरीशंकर राय, मनबोध रँगबा, शिवपूजन राय, हीरा राय, पे० मानराय, हीराराय पे० सीताराम राय, हजारी राय, चन्द्रिका ओझा, राम सच्चन तिवारी, जलधारी राय, राजकिशोर राय, धर्मदेव पांडे, गनेश राय, हरीराय, परशुराम मिश्र, कवलदेव अहीर, प्रमोद राय, सूर्य दीप राय, रामधारी शर्मा, विश्वनाथ राय (१), विश्वनाथ (२), विश्वनाथ लाल, शंकर दत्त, कन्हैया लाल, देवनाथ उपाध्याय, सुग्रीव राय और राधाकृष्ण कांदू पर मुकदमे चले। सर्व

Hindi Seminar Library
OSMANIA UNIVERSITY
No. 498

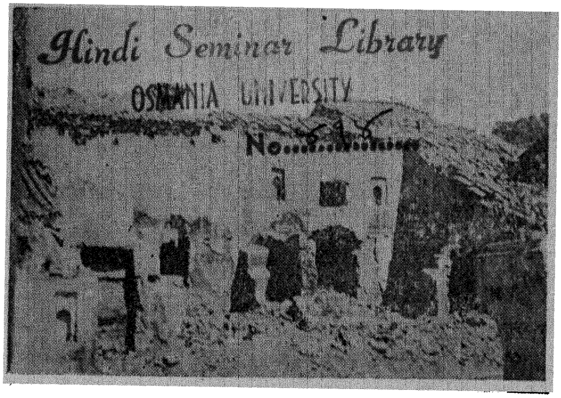

श्री कन्हैयालाल
[सिकंदरपुर]
की दुकान जलाने
के बाद

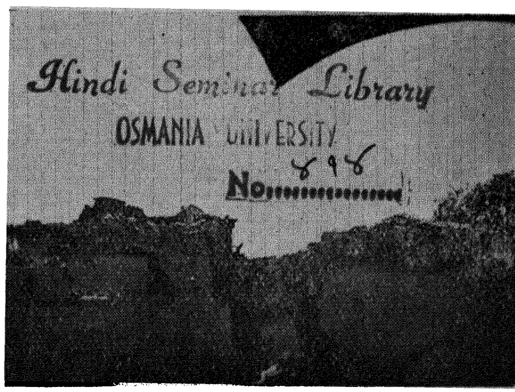

श्री रामनगीना राय
[किसोर]
के मकान का
भग्नावशेष

श्री राधाकृष्ण कांदू, शंकर दत्त, रामनगीना राय और सुग्रीव राय को सेशन अदालत से जेल की सजा हुई। श्री सुग्रीव राय और राम नगीना राय को पूरी सजा काटनी पड़ी और श्री शंकर दत्त तथा श्री राधाकृष्ण अपील करने पर छोड़ दिये गये।

गड़वार थाने पर आक्रमण

गड़वार थाने के थानेदार बा० बंशगोपाल सिंह का जिले में बड़ा नाम था। लगभग १४, १५ वर्ष से बलिया जिले के विभिन्न थानों पर काम कर चुके थे। कुछ दिनों तक खुफिया विभाग की भी सेवा कर चुके थे इससे उन्हें पुलिस के सारे हथकंडे अच्छी तरह मालूम थे। १३ अगस्त तक तरह तरह की अफवाहें सुनाई देने लगी थीं। वे बलिया आये ताकि वास्तविक स्थिति का परिचय मिले। यहां का हाल भी कुछ अच्छा नहीं दिखाई दिया। उनसे कहा गया कि जाकर थाने की हिफाजत करें। उन्हीं के हल्के में १६ को चिलकहर स्टेशन जला और १८ को फेफना में बंदूकधारी सिपाही लूट लिये गये। स्थिति बिगड़ती देख कर उन्होंने १८ अगस्त को जिले के अधिकारियों से सशस्त्र पुलिस की सहायता मांगी। जो सिपाही उनका पत्र लेकर आया था यह पुलिस कप्तान का एक पत्र १९ अगस्त को इस आशय का लेकर वापस आया कि 'हिकमत अमली' से असलहा बचाये जांय, सरकार कोई फोर्स नहीं भेज सकती। यह समाचार पाना था कि कुछ सिपाहियों ने थाना छोड़कर घर की राह ली। ४, ५ सिपाही रह गये। हेड मुहर्रिर मि० अब्दुल रशीद के बाल बच्चे थाने पर मौजूद थे। उन्हें स्थानीय कांग्रेस कार्य कर्ता श्री शिवपूजन सिंह के हवाले कर दिया गया। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर लिया। ३ और सिपाहियों ने उनके मकान पर शरण ली।

आस पास के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने २० अगस्त को सभा

की। निश्चय हुआ कि २१ को ९ बजे सबेरे थाने पर आक्रमण हो। इस निश्चय की घोषणा रातों रात देहात में कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि ८॥ बजे तक थाने के सामने कई हजार आदमी एकत्र हो गये।

थानेदार एक दिन पहले ही बलवाइयों के आक्रमण का समाचार पाकर थाने से एक मील दूर बुढ़ऊँ गांव में चले गये थे। वहीं थाने के हथियार और जरूरी कागजात थे।

९ बजे थाने में आग लगादी गई। सारी इमारत जल उठी। कार्टर भी जला डाले गये थाने की जो भी चीजें वहाँ मिलीं आग में डाल दी गईं। दिन भर आग जलती रही, कोई बुझाने वाला नहीं था।

कांग्रेस वादियों का एक दल थानेदार की खोज में चला। उनकी जान मारने का विचार किसी को नहीं था। हाँ उनका हथियार लोग अवश्य लेना चाहते थे। लगभग ११ बजे तक लोग बुढ़ऊँ गाँव में पहुँच गये। थानेदार ने सरकारी हुक्मनामा (जिसके अनुसार उनसे 'हिकमत अमली' से असलहा की हिफाजत करने को कहा गया था) खपैरल में छिपा दिया और श्री राजदेव सिंह (जिसके मकान में ठहरे थे) से कहा कि बागी अगर मुझे मार डालें तो इस कागज को सरकार के सामने पेश करना, इसके बिना पर मेरे बच्चों को पेंशन तो मिल जायगी।

थानेदार बाहर आये। श्री विश्वनाथ चौबे और महानन्द मिश्र सामने पड़े। पीछे सैकड़ों की भीड़ थी। लोगों ने हथियार और कागजात मांगे। बंदूक, रिवाल्वर, भाले, हथकड़ी, रस्सी और कागजात बात की बात में मिल गये। बागी हथियार लेकर चलते बने. शेष चीजें जला डाली गईं।

२३ अगस्त को थानेदार ने फिर बलिया के अधिकारियों को

लिखा कि पुलिस फोर्स भेजी जाय ताकि मैं सदर में आऊँ। फौज की एक टुकड़ी आई और उन्हें बलिया ले गई।

सर्व श्री विश्वनाथ चौबे, महानन्द मिश्र, शिवपूजन सिंह आदि २१ आदमियों पर पहले मुकदमा चला। बहुतों को ३-३ साल की सजा होगई। बाद को श्री रामचन्द्र अहीर, रामनाथ बरई, जमुना सिंह, जगदीश सिंह और मानधाता सिंह पर भी स्टेशन फूंकने और हथियार लूटने का मुकदमा चला, किन्तु सेशन जज ने कइयों को छोड़ दिया।

हल्दी पोस्ट आफिस में आग लगी

१७ अगस्त को लगभग ३ बजे संध्या समय बागियों की एक भीड़ हल्दी के पोस्ट आफिस पर पहुँची। यह पोस्ट आफिस बड़ा था और यहाँ कारबार काफी होता था। 'लगभग १०० आदमियों की भीड़ ने चुपके से आकर पोस्ट आफिस को घेर लिया। पोस्ट मास्टर डाकखाने का ताला बंद करने ही वाले थे कि लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। भीड़ डाकखाने के अन्दर दाखिल हो गई। सेफ में ३००) नगद मिला और कुछ गहने भी थे। पोस्ट मास्टर ने कहा कि ये रुपये और गहने हमारी लड़की के हैं। ये चीजें उसे लौटा दी गईं। कैश बक्स में ६) और कुछ आने नगद मिले यह कांग्रेस कोष में श्री रामपति राय कोषाध्यक्ष के यहां जमा हुआ। सेविंग बैंक और नये आये हुए मनी आर्डर फार्म को छोड़कर बाकी हरएक चीज डाकखाने के बाहर लाकर जला डाली गई। डाकखाने की इमारत में कांग्रेस की ओर से ताला पड़ गया।*

---

*The Post Office of Haldi has been looted by a gang of public having Congress flag in the hand of a man who commanded the gang. They were armed with

पोस्ट आफिस जला डालने के बाद बलवाइयों का समूह
हल्दी जहाज घाट पर आया। भीड़ को
स्टीमर स्टेशन जला देखते ही स्टेशन मास्टर भाग चले और ऐसे
भागे कि फिर लौट कर वापस आये ही नहीं।
रजिस्टर और टिकट तथा मेज कुर्सियां जला डाली गईं। लोहे की बनी जो चीजें थीं, उन्हें एक आदमी के सुपुर्द कर दिया और कहा गया कि जब तक कांग्रेस सरकार इस स्टेशन का चार्ज न ले आप इन चीजों को सुरक्षित रखें।

इसके बाद भीड़ शाराब की दुकान पर आई। ठेकेदार ने लाख मिन्नतें कीं, कांग्रेसवादियों के पैरों पड़ा किन्तु उसकी सुनता ही कौन था ? बात की बात में हजारों रुपये की शराब उड़ेल दी

---

spears, lathis etc. Here is nothing left in the office except two chairs, one table and three almirahs. All the records, books, registers and other forms and furniture havs been burnt to ashes. The cash box containing cash, stamps and cash certificates etc. have been taken away by them.

Please enquire and do the needful. The occurrence took place at 3-30 P. M.

However, the following persons have been recognised :—

Subhnarain Kunwar, Dadan Upadhyaya, Raghunath Singh, Deonath Tiwari, Indrajit Singh, Brijraj Kunwar, Gajadhar Kunwar, Bhola Singh, Kalika Tiwari. Bishwanath Singh, Mahadeo Tiwari and Rambrichh Tiwari

Prayag Nath. Postmaster.

गई और बोतल वगैरह तोड़ दिये गये। यही नकशा गांजे की दुकान का रहा। दुकान में गाँजा नाम को ही था। उसे फूंक दिया गया और दुकान में आग लगा दी गई।

हल्दी का सारा कांड लगभग ५।। बजे शाम तक समाप्त हो गया। इसके बाद भीड़ भड़सर की ओर बढ़ी।

भड़सर का पोस्ट आफिस

आते आते रात हो गई। गाँव वालों ने समझा कि डाकू हैं, इस लिये वे मुकाबला करने के लिये उठ खड़े हुये। फिर उन्हें मालूम हुआ कि ये कांग्रेसवादी हैं और केवल पोस्ट आफिस के कागजात जलाने आये हैं तो उन्होंने हथियार रख दिया और साथ हो लिये। पोस्ट आफिस के सारे कागजात निकाल कर जला डाले गये। लोगों ने जब आलमारी खोलना चाहा तो पोस्ट मास्टर की स्त्री आकर वहाँ खड़ी हो गई। उसके हाथ में एक कटार थी। उसने कहा कि यदि आलमारी छूओगे तो मैं अपने पेट में कटार मार दूंगी। लाख समझाने पर भी वह हटने वाली न थी। घंटों हुज्जत हुई। आखिर भीड़ को हट जाना पड़ा।

पास ही शराब और गाँजे की दुकाने थीं। शराब उड़ेल दी गई और गाँजे का स्टाक फूंक दिया गया। गाँजे की दुकान पर कुल ३ पैसा नकद हाथ लगा, वह कांग्रेस कोष में जमा हुआ।

भड़सर तक जो भीड़ आई थी वह रातो रात बसरिकापुर तक बढ़ आई। यहां पोस्ट आफिस था जिसे फूंकने का विचार था। रात के लगभग ११ बज चुके थे। गाँव वालों ने उन्हें बुलाकर बैठाया और जलपान कराया फिर उन्होंने विश्वास दिलाया कि आप लोग अब जाइये, कल स्वयं हम लोग पोस्ट आफिस के कागजात जला देंगे। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन

बसरिकापुर का पुर पोस्ट आफिस

(१८ अगस्त) को बसरिकापुर पोस्ट आफिस के सारे कागजात फूंक दिये गये।

नौरंगा घाट का अग्नि कांड

१६ अगस्त १९४२ को जो स्टीमर बलिया की ओर से नौरंगा घाट पर आया उस पर बलिया से कई कांग्रेस स्वयं सेवक चढ़े हुये आये। पूर्व निश्चित कार्य क्रम के अनुसार एक भीड़ घाट से थोड़ी दूर पर बैठ कर स्टीमर के आने का इंतजार कर रही थी। स्टीमर के खड़ा होते ही भीड़ के लोग उस पर चढ़ गये। स्टीमर पर जो 'वी' (विजय) का निशान बना हुआ था उसे सबसे पहले तोड़ा। फिर एक एक चीज उठाकर गंगा में फेंक दिया। स्टीमर के इंजन को भी नुकसान पहुँचा और उसका लंगर काट कर फेंक दिया। बढ़ी हुई नदी में स्टीमर बह गया।

इसके के बाद स्टेशन की बारी आई। भीड़ ने इस पर भी आक्रमण किया और सारे कागजात, मेज कुर्सियां, टिकट मय स्टेशन की इमारत को जला डाला। जो चीजें जलने से बच गई उन्हें नाव पर चढ़ा कर बीच नदी में ले जाकर पानी में फेंक दिया। स्टीमर घाट के सब एजेंट श्री कालिका प्रसाद ने जो रिपोर्ट ज्वायंट एजेंट को भेजी उसमें सर्व श्री भूपनारायण सिंह, दर्शन सिंह, परशुराम सिंह, रामजन्म पांडे, पूतन मिश्र, . नागेश्वर मिश्र और पारस राय का नाम बताया।*

*The steamer "Hermas" came here at 10. 30 from Ballia with passengers, The passengers were landing. All of a sudden a mob of Congress volunteers nearly 500 or 700 in number entered in the steamer and destroyed the steamer articles and threw in the Ganges the life buoys, the buckets, the

सहतवार मंडल के काँग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक १३ अगस्त को हुई। मंडल कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री

सहतवार में बैठक श्री इन्द्रदेव प्रसाद को बड़ी चिन्ता रहती कि हमारा मंडल अन्य मंडलों से पीछे न रहे। किन्तु किया क्या जाय ? कार्य क्रम क्या है ?, इतने में अफवाह आई कि रेलवे स्टेशन, डाकखाने, थाने तथा अन्य सरकारी संस्थायें जलाई जा रही हैं। स्थानीय कार्य कर्ताओं ने भी इसी कार्यक्रम का प्रतिपालन किया। १४ अगस्त को डाकगाड़ी के गार्ड को लोगों ने बहुत परेशान किया। गाड़ी को करीब ३० मिनट तक रोक लिया। एंग्लो

---

furniture and other things. And were ready to burn the steamer. I requested them very much not to make any Golmal but to no effect.

After that the mob of the Congress volunteers ran up to my station and burnt the station, huts furniture, records, beams, scales iron safe, tickets almirah and pigeon hole.

Most of the articles were burnt and some of them were thrown in the river. I requested them very much not to make these Golmal, but they did not hear and set fire in my station. Every thing has been burnt. Please note. The name ot the Congress workers and volunteers whom I recognised are given below.

Bhuo Narayn Singh, Sudarshan Singh. Parshuram Singh, Ram Janam Pande, Pitum Mishra, Nageshar Misir, Paras Ram

Kamla Prasad Singh . Sub Agent.

इण्डियन गार्ड ने जब अपने मुँह से 'गांधी जी की जै' का नारा लगाया तो लोगों ने उसे छोड़ा।

१७ अगस्त को लगभग ४ बजे संध्या समय बागियों की भीड़ जिसमें लगभग १५ हजार सशस्त्र नौजवान थे

सहतवार थाने पर आक्रमण

सहतवार के थाने पर जा पहुँची। थाने वालों को पहले से आतंक तो था ही, इतनी बड़ी भीड़ को देख कर उनके होश उड़ गये। भीड़ ने थाने को चारों ओर से घेर लिया और इनकलाब जिन्दाबाद के नारे लगाने शुरू किये। थाने वालों ने पहले तो फाटक बंद कर दिया और भीड़ को समझाने बुझाने की कोशिश की। किन्तु कोई मानने वाला नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया भीड़ उत्तेजित होती गई। थानेदार ने बाहर आकर पूछा 'आप क्या चाहते हैं'। प्रतिनिधियों ने कहा, हम थाने पर अधिकार करने आये हैं, आप लोग २४ घंटे के अंदर यहां से निकल जाइये। हम झंडा लगायेंगे और अब से हमारा पहरा रहेगा। थानेदार अभी उत्तर देने ही वाले थे कि हजारों आदमी थाने के अन्दर घुस गये। और कागजात इकट्ठा करके जला डाले। थाने की इमारत पर कांग्रेस का झंडा लगा दिया गया। थानेदार ने वादा किया कि कांग्रेस के हुक्म के मुताबिक हम २४ घंटे में मय दीगर मुलाजिमान थाना खाली कर देंगे। तब से कांग्रेस के स्वयं सेवकों ने पहरा देना शुरू किया।

भीड़ ने डाकखाने पर आक्रमण किया। थाने पर बलवाइयों की जो विजय हो चुकी थी उसे देखकर भी पोस्ट

डाकखाने पर आक्रमण

मास्टर अपने डाकखाने की ममता नहीं छोड़ना चाहते थे। बहुत कहने सुनने पर भी जब वे न माने तो भीड़ ने उनकी परवा न करके डाकखाने का दर्वाजा तोड़ना शुरू किया। पोस्ट मास्टर भाग खड़े हुये।

डाकखानों के कागजात, पोस्ट कार्ड लिफाफे, मुहर, थैले सब जला डाले गये। इमारत पर कॉंग्रेस का झंडा लगाया गया।

रेलवे स्टेशन का अग्निकांड

भीड़ ने १७ अगस्त को संध्या समय सहतवार के रेलवे स्टेशन पर आक्रमण कर दिया। स्टेशन के कर्मचारी पहले से डरे हुये थे। वहां जो पुलिस रहा करती थी वह भी थाने की रक्षा करने चली गई थी। स्टेशन मास्टर तथा स्टेशन के अन्य कर्मचारी अपना असबाब और अपने बाल बच्चों को ही हटाने में लगे थे। भीड़ ने आते ही ताले तोड़ दिये और सारे कागजात तथ मेज कुर्सियों पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। पार्सल या माल जो कुछ भी स्टेशन की इमारत के अंदर था आग के सुपुर्द कर दिया गया।*

---

* On 17. 8. 42 when the Armed Police was withdrawn from the station to protect the thana, our wives and children were weeping bitterly and we were busy in binding our luggage, a mob came to the station in the afternoon and set fire to the station. We came running and extinguished the fire with the help of the staff. When we came, they fled away. As far as we came to know, they were the following men :—

Mandhir Ahir, Din Dayal Singh, Jamuna Singh, Sripat Kunwar, Raghunath Pathak.

Station Master.
Sahatwar.

टाउन एरिया दफ्तर में लूट

१८ अगस्त को लगभग ४ बजे डेढ़ दो सौ आदमियों की भीड़ सहतवार टाउन एरिया पर आई। टाउन एरिया के बख्शी अली मुहम्मद एक दिन पहले ही अपना दफ्तर छोड़ कर भाग गये थे। उन्हें डर था कि जैसे स्टेशन, पोस्ट आफिस और थाने पर बलवाइयों का अधिकार हो चुका है वैसे ही टाउन एरिया के दफ्तर पर भी हो जायेगा। जरूरी कागजात वे अपने साथ लेते गये। क्रान्ति की ज्वाला जब शान्त हुई तो वे वापस आये।

१८ अगस्त को जब आक्रमण हुआ तो टाउन एरिया दफ्तर का ताला बन्द था। लोगों ने उसे तोड़ डाला और कागजात मय दीगर सामान लेकर चलते बने।

टाउन एरिया के बख्शी मि० अली मुहम्मद ने घटना का वर्णन देते हुये लिखा :—

अर्ज है कि १८-८-४२ को ४-५ बजे शाम के करीब हस्ब जैल अश्खास दफ्तर टाउन एरिया और हमारे मकान को जो दफ्तर से मुतह्हिक है जमुना सिंह लँगड़ा के लीडर शिप में घुस पड़े और दफ्तर टाउन एरिया और मेरे मकान का सामान जिसकी फिहरिस्त हम बाद को देंगे लूट ले गये इस वाकया को हर हंगी मुलाजिम टाउन एरिया व रामपूजन सिंह जमादार टाउन एरिया ने देखा है। लूटने वालों में हस्ब जैल अश्खास शामिल थे :—

शिवगोपाल सिंह, शिवनाथ कुँवर, केदार कुँवर, कामता कुँवर, सदा शिव कोइरी, शिवबालक तुरहा, चंद्रिका राय के भाई रामराज, बलीराम, जमुना राय लंगड़ा, गंगा माली, महंत राय, दमड़ी लाल।*

*रिपोर्ट इत्तला अव्वल थाना सहतवार।

सहतवार थाने पर दूसरा धावा

थाने के बाहर कांग्रेस वादियों का पहरा था किन्तु भीतर पुलिस वाले पड़े थे। उन्हें २४ घंटे का निकलने के लिये मौका दिया गया और वास्तव में २४ घंटे के अंदर ही वे बाहर चले गये। वर्दी, पेटी तो पहले ही जलाई जा चुकी थी। थाने के सिपाही एक एक कर के सादी पोशाक में रातों रात निकल गये। कुछ ने आसपास के गावों में छिप कर शरण ली और कुछ अपने अपने निवास स्थानों को चले गये।

जनता को डर हुआ कि कहीं पुलिस फिर जोर न पकड़ ले। निश्चय हुआ कि १९ अगस्त को थाना जलाया जाय। यद्यपि वहां कोई सिपाही नहीं रह गया था और यदि ५ आदमी भी चाहते तो उसे फूंक सकते थे किन्तु सज धज के साथ फूंकने में कुछ और ही शान है। हजारों आदमी निश्चित समय पर आ गये। तेल छिड़क कर थाने की इमारत में आग लगा दी गई। जो सामान थाने में या क्वार्टरों में बच गया था वह भी जला डाला गया। थाने की इमारत को फावड़े और बरमे से खोद खोद गिरा दिया गया। मु० हबीब खां ने रिपोर्ट में लिखाः—

१७ अगस्त सन् १९४२ ई० को बवक्त करीब ५ बजे शाम २०-३० हजार आदमियों का मजमा जो लाठी बल्लम और गड़ासा से मुसलह थे नारा लगाते हुये थाने की इमारत को चारों तरफ़ से घेर लिया हर चन्द रोक थाम की गई और सबील मुनासिब मजमा के भगाने की की गई। लेकिन मजबूरी थी और मजमा थाना के अन्दर घुस पड़ा। कोठरियों और दफ्तर में घुस कर रेकार्ड फूंकना और मुलाजमीन का माल असबाब लूटना शुरू कर दिया। बवक्त शाम थाना छोड़ने पर २४ घंटा की मुहलत देकर मजबूर किया और सरकारी सामान और मुलजिमान के

लूटे हुये सामान ले कर चले गये। इस मुहलत के दरमियान चारों तरफ से थाना का घेरा डाले हुये थे। बलिया सदर या किसी मुकाम पर जाने का रास्ता न पाकर मुलाजिमान ने १९ अगस्त सन १९४२ ई० कस्बा सहतवार में जाकर पनाह लिया। थाना छोड़ने के बाद मालूम यह हुआ कि फिर इसी मजमा ने इमारत थाना को उजाड़ कर लूट लिया और फूंक दिया जिसको जुमला मुलाजिमान थाना व चौकी सहतवार बचश्म खुद देखा है। इस मजमा का हेड लीडर जमुना राय सा० दतौली था और वह श्रीपत कुंवर, इन्दर देव राम, बालेश्वर ओझा, राम लखन सोनार, रघुनाथ पाठक, राम राज सिंह, रामलखन कलवार, श्री कृष्ण कलवार, विश्वनाथ रौनियार, जमुना सिंह, रापट राय डाकूर कमला के जेर में जुर्म कर रहा था।*

रेवती की पुलिस चौकी

१८ अगस्त को लगभग ४ बजे संध्या समय करीब १०,००० आदमियों की एक भीड़ पुलिस चौकी के फाटक पर आ खड़ी हुई। कांग्रेस जनों का कार्यक्रम चौकी की पुलिस को पहले से ही मालूम हो चुका था। वे लोग १७ अगस्त को ही अपना हथियार लेकर चलते बने और थाना सहतवार में जाकर शरण ली। बलवाई जोर-जोर से नारा लगाते हुये पुलिस चौकी के हाते के अन्दर दाखिल हुये। हाते का फाटक तोड़ डाला गया। भीतरी कमरों का ताला भी तोड़ा गया। जिस कदर सामान मिला एकत्र करके फूंक दिया गया। चौकी की इमारत के आगे एक छप्पर था जिसमें वहां के कर्मचारी उठते-बैठते थे, उसमें भी आग लगा दी गई। चौकी की पक्की इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया

*चेक नं० ९१ थाना सहतवार जबानी मु० हबीब खाँ, हेडमुहर्रिर।

गया। सारा सामान जब जल कर खाक हो गया तो एक कांग्रेस स्वयंसेवक को वहाँ का इन्चार्ज बना दिया गया और इमारत पर कांग्रेस की ओर से ताला लगा दिया गया।

हेड कान्स्टेबिल ने इस घटना की रिपोर्ट में लिखा:—

१७ अगस्त १९४२ को ववक्त ५ बजे शाम सूरज सिंह साकिन श्रीनगर की लीडरी में एक मजमा जो करीब दस हजार आदमियों का था, चौकी के सामने नारा लगाता हुआ गुजरा। अफसर दोयम साहब उस वक्त मौजूद थे। मजमा का इरादा चौकी लूटने फूंकने और उस पर कब्जा करने का था।..........अशियाये सरकारी व मुलाजिमान के निजी सामान जहां तक छिपाया जा सका छिपाया गया। चौकी बंद कर दी गई। हम लोगों के चले जाने के बाद भी मजमा ने फिर वापस आकर चौकी को लूटा और फूंका। मुलाजिमान व चौकीदारान व पब्लिक से फूंकने व लूटने वालों के जिस कदर नाम मालूम हो सके हस्ब जेल हैं:—

हरबंश मिश्र, लक्ष्मण केसरवानी, हरबंश ओझा, लाल मोहर, सूरज मिश्र, बरमेश्वर तिवारी, सूरज सिंह, जगा तिवारी, राम निशान पांडे, रामनारायण मिश्र, रामधारी सिंह, अजोध्या प्रसाद, बच्चा तिवारी, विश्वनाथ बरई, बलराम सिंह, अभिमन्यु पांडे, राम पूजन तिवारी, पारस पांडे।

बीज गोदाम पर अधिकार

बलवाइयों ने बीज गोदाम पर धावा किया। वहां के सुपरवाइजर, कामदार और अन्य नौकर ताली का गुच्छा दे कर अलग हट गये। बीज गोदाम पर कांग्रेस का पहरा बैठा दिया गया। एक स्थानीय कांग्रेसजन को उसका इन्चार्ज बनाया गया। निश्चय हुआ कि बीज बोने का मौसम जब आयेगा तो कांग्रेस की देख-रेख में यह गल्ला किसानों में बांटा जायेगा।

द्वाबा के अंदर सबसे पहला जबरदस्त आक्रमण सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन पर १५ अगस्त को लगभग ३ बजे दिन को हुआ। करीब १० हजार आदमियों की एक भीड़ एकाएक स्टेशन पर टूट पड़ी। स्टेशन के अधिकारी भीड़ को देख कर अवाक रह गये। प्लेटफार्म पर, लाइन पर, मुसाफिर खाने में, स्टेशन में जहां देखिये विशाल जन समूह 'इनकलाब जिन्दाबाद' के नारे लगा रहा था और विध्वंस कार्य में लगा था। किसी ने पटरी उखाड़ी, किसी ने तार काटा और किसी ने सिगनल तोड़ा।

सुरेमनपुर स्टेशन पर आक्रमण

स्टेशन मास्टर ने स्टेशन के कमरे का ताला बंद कर रखा था। दरवाजा तोड़कर भीड़ अन्दर घुसी। सारे सामान, कायजात. टिकट और औजार निकाले गये। स्टेशन में ही मिट्टी का तेल पड़ा था। तेल छिड़क कर कागजात में आग लगा दी गई। लकड़ी का सारा, पार्सल वगैरह जो स्टेशन में मौजूद था जल गया। इमारत भी जल कर गिर गई। जो सामान लोहे का था और जल न सका उसे उठाकर बागियों ने पास के नाले में गिरा दिया।* सुरेमनपुर की गांजे और शराब की दुकानें भी जला डाली गई।

---

*A crowd of about 10,000 persons mostly Congress men of neighbouring villages holding Congress flags attacked suddenly. At about 15hrs. of date, they forcibly entered the station office, assaulted and handicapped the staff, broke, the locks doors, glasses, root files, etc and set the office records, instruments, tickets and the tools and plants on fire for about one hour and threw some damaged articles in water and took away something with them. After that a party of the

इसके बाद क्रान्तिकारियों का दो दल होगया। एक बकुलहा स्टेशन की ओर गया। रास्ते में जितने भी सिगनल पड़े थे गिरा दिये गये। तार के खंबे गिराये और रेल की पटरियाँ उखाड़ी। पानी का पंप तोड़ दिया गया और जहाँ तहाँ पड़ी हुई रेलवे की जायदाद जैसे लकड़ी और कोयले में आग लगा दी गई। रास्ते में जो गोमटियां पड़ीं वे भी तोड़ फोड़ डाली गईं।

इस संबंध में सर्व श्री बंशरोपन राम, शिवपूजन राम, भगवती पांडे, डोमन चमार, शिवपूजन सोनार और सुन्दर नोनिया आदि पर मुकदमे चले। कुछ अभियुक्तों की सजा सेशन अदालत से होगई और कुछ रिहा कर दिये गये।

बकुलहा स्टेशन पर आक्रमण

जैसा पहले कहा जा चुका है बकुलहा स्टेशन की ओर जो भीड़ सुरेमनपुर से गई वह रास्ते में विध्वंस करती गई। बकुलहा स्टेशन पर जाकर इसने वहाँ के प्वाइंट्स, पटरी, स्लीपर उखाड़ दिये और स्टेशन के कागजात और टिकट

---

excited mob turned towards Reoti side and one part towards Bakulaha side, damaged the track, dismantled the rails, lever box, switches, points, indicators, signls, wires, lamps, telegraphs posts and all the engineers tools and S.P.V. trolls, rest house, furniture, and removed engineering stores by breaking the locks and assaulted and handicapped the mate. engineering coolies and pump drivers and Khalasis. All the machinery work is totally damaged and station bulding is burning....

Station Master

जला दिये। स्टेशन की इमारत में भी तोड़ फोड़ करने के बाद आग लगा दी।*

लाइन उखाड़ी गई

सुरेमनपुर और रेवती के बीच दलछपरा के पास रेलवे लाइन की मरम्मत हो रही थी। मरम्मत करने वालों के पास औजार थे। इन्हीं औजारों को लूटने के लिये लगभग २०० आदमियों की भीड़ आई। मरम्मत करने वाले गैंग पर छापा पड़ा। सब के सब पकड़ लिये गये। उनके औजार छीन लिये गये और वहाँ की रेलवे लाइन उखाड़ी गई। यह भीड़ फिर रेवती की ओर बढ़ आई। श्रीठाकुर मिश्र और रामधारी सिंह आदि पर मुकदमा चला जिसमें श्री ठाकुर मिश्र की सजा हुई।

बाँसडीह में संगठन

बाँसडीह और उसके इर्द गिर्द कांग्रेस का संगठन अच्छा था। स्वयं सेवकों और कार्य कर्ताओं में बड़ी लगन थी। १३ अगस्त को बाँसडीह थाने का एक सिपाही घूमते फिरते कोडर गाँव में जा पहुँचा। उसने किसी आदमी से घूस के तौर पर कुछ रकम वसूल की। कोडर उपमंडल के सभापति श्री वृन्दा सिंह को इसका पता चला तो उन्होंने स्वयं सेवकों द्वारा सिपाही को पकड़ मगवाया और उसे २४ घंटे की सजा दी। उसे दिन भर बंद रखा गया। और २॥ आना (जितना सरकार हवालातियों को दिया करती है) खाने को दिया। रिहाई के वक्त उसे गाँव में घुमाया गया और फिर अच्छी तरह खिला कर वापस भेज दिया गया।

---

*......Report is received from Bakulaha wherein Station yard rails, points and slippers have been dismantled and stolen, and the building set on fire. ..

Police Diary P.S Bairia

१४ अगस्त को लड़कों का एक जुलूस मंडल कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर गया। वहां बाँसडीह थाने के नायब थानेदार मि० जाफर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने मंडल के दफ्तर की तलाशी ली, बहुत सा उपयोगी सामान जब्त कर लिया और इमारत में सरकारी ताला बंद कर दिया। लड़कों ने मना किया कि ऐसा न कीजिये किन्तु उनकी एक न चली। मि० जाफर बिगड़ खड़े हुये। उन्होंने बहुत से आदमियों को मारा पीटा। फिर कुछ आदमियों को बिला वजह गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया।

बाँसडीह थाने पर आक्रमण

१८ अगस्त को लगभग २ बजे दिन को आसपास के गावों से लगभग २० हजार आदमियों की भीड़ ने आकर थाने को घेर लिया। राष्ट्रीय नारों से आकाश गूंज उठा। पुलिस के लिये इस उत्तेजित भीड़ का सामना करना असंभव था, उसे यह भी पता चल गया कि हथियार उठाने का नतीजा अंत में अच्छा न होगा। पुलिस ने आत्म समर्पण किया। आध घंटे का मौका दिया गया कि पुलिस अपनी निजी चीजों और बाल बच्चों को लिये दिये थाना और कार्टरों को खाली कर दे। पुलिस कान्सटेबिल थानेदार और नायब थानेदार थाने के बाहर निकले और कांग्रेसी झंडे के नीचे स्वराज्य सरकार को मानने की शपथ ली। फिर थाने वालों ने जाकर जहाँ तहाँ कस्बे में अपने बाल बच्चों का बन्दोबस्त किया। थाने की सारी चीजें बलवाइयों ने एकत्र कीं—और उनमें आग लगा दी। कागजात जले, मेज कुर्सियाँ जलीं और फिर थाने की इमारत जली। इमारत की दीवारों को भी जहाँ तहाँ तोड़ डाला गया। थाने के अंदर लोहे की संदूक में स्थानीय डाकखाने के नकद और कीमती कागजात रखे हुये थे। बलवाइयों ने उसे

खोल डाला और जो नक़द रुपया मिला उसे पुलिस में और गरीबों में वहीं बांट दिया।

तहसील और खजाना

थाना फूंक देने के बाद बलवाई तहसील की ओर बढ़े। अबकी बार जुलूस का नेतृत्व थानेदार हाथ में कांग्रेसी झंडा लिये हुये कर रहे थे। तहसील की इमारत पास ही थी लोग वहां चटपट पहुँच गये। इधर थाने की इमारत से धुंवा निकल रहा था, उधर तहसील के भीतर और बाहर जिधर देखिये उधर आदमी ही आदमी नजर आते थे। जोरों का शोर हो रहा था। तहसीलदार की परेशानी की कुछ सीमा न रही। एकाएक इनकलाब के नारे लगा कर कुछ लोगों ने तो खज़ाने पर पहरा देने वाले सिपाहियों को पकड़ लिया और बाकी लोग तहसील के दफ्तर और खजाने के अंदर घुस गये। सरकारी कर्मचारी चुपचाप बाहर निकल आये और तहसीलदार भाग चले। तहसील के सारे कागजात जो कई कमरों में भरे पड़े थे जला डाले गये। सैकड़ों वर्ष के रखे हुये तहसील के सरकारी कागज बात की बात में जल गये।

खजाने का सारा रुपया लगभग ३० हजार बलवाइयों के हाथ लगा। उसमें से तहसील, खजाना. थाना और चौकी के सारे कर्मचारियों की ६ महीने की तनख्वाह पेशगी दे दी गई और उन्होंने स्वीकार किया कि अब वे जनता की सरकार के नौकर हैं।*

---

*A typical instance of mass attacks on Government building led by Congressmen occurred at a Tahsil in Ballia district in the east of United Provinces (which was one of the main storm centres in the opening

तहसील के कागजों के जलाने का विशेष महत्व था। १८ अगस्त तक बलिया जिले के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारियों को भी, यह पक्का विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार का अन्त हो चुका है और स्वराज्य सरकार की स्थापना हो चुकी है। तहसील में रखे हुए चालू कागजों की एक नकल पटवारियों के पास रहती है। जहाँ तहाँ लोगों ने पटवारियों के कागज भी जला दिये। उन्हें भय था कि भावी सरकार में जब भूमि का नये सिरे से बँटवारा होगा तो इन कागजों से जमींदारों को अधिक हक मिलेगा। बहुतेरे पटवारी छिप गये और हफ़्तों नजर नहीं आये।

बीजगोदाम और पोस्ट आफिस पर आक्रमण

संध्या समय भीड़ बीजगोदाम की ओर बढ़ी। जब सरकारी खजाना लुट गया तो बीजगोदाम किसी के बचाये कब बच सकता था? भीड़ बेतरह बीजगोदाम पर टूट पड़ी। लगभग आध घन्टे के अन्दर बीजगोदाम से १५०० बोरा गल्ला उठ गया। कहना न होगा कि बलवाइयों के जुलूस में अब तहसील के चपरासी और निम्न श्रेणी के पुलिस कर्मचारी भी

---

phase). At this Tahsil, there was a well constructed office with a strong record room and good quarters. A mob led by a local congressman who installed himself as a Swaraj Tahsildar for a short period, broke down the perimeter wall, destroyed every record in the office, broke into the treasury and looted Rs. 15000.

Congress Responsibility for the Disturbances 1942-43 p. 32, (*Published with authority*) *Govt. of India Press, New Delhi* (*1943*).

शामिल हो चुके थे। कोई रोकने वाला नहीं था. जिससे जितना बन पड़ा गल्ला अपने घर ले गया।

अब केवल पोस्ट आफिस रह गया था। उस पर भी धावा हुआ। नकद तो कुछ नहीं हाथ लगा। सारे कागजात और दीगर सामान जला कर भीड़ को संतोष करना पड़ा।

मुहम्द मुइन हेड कान्सटेबिल अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं :—

बनाम १५, २० हजार अशखास जिनका मालूम हो सका पुश्त पर तहरीर है बाकी अशखास देख कर पहचाने ज सकते हैं। मसरूफा ३२०६५ रू०।

१८ अगस्त सन १९४२ ई० बवक्त ३ बजे दिन जब कि थाने पर बा० छविनाथ सिंह सब इन्सपेक्टर व मुंशी अहमद याकूब हेड का० सटेबिल व शहजाद खां कान्सटेबिल व नजीर अहमद कान्सटेबिल चौकी बांसडीह व मुहम्मद मुइन हेड कान्सटेबिल मुहर्रिर व मुंशी मुहम्मद वली व मुहम्मद नजीर खां, हरनरायन सिंह व सूबेदार सिंह व हजारी सिंह व डिप्टी सिंह कान्सटेबिल थाना मौजूद थे, करीब १५,२० हजार के मजमा ने हर चहार तरफ से थाना व तहसील को घेर लिया और मुलाजिमान को पकड़ लिया। थाना व थाना वाज़ा डाकखाना व तहसील को लूट लिया। थाना व तहसील फूंक कर कागजात जला दिया। इमारत तहसील को तोड़ डाला और तहसील का खजाना भी लूट लिया। इस मजमे में हस्बजैल अशखास शरीक जुर्म रहे हैं :—

गजाधर लोहार, राम सेवक तिवारी, सुधाकर पांडे, जमुना सिंह, बासुदेव सिंह, खखनू अहीर, जगन्नाथ सिंह, उदित राय, श्री कृष्ण सिंह, महंथ सिंह, राम बड़ाई सिंह, जमुना सिंह, रामपति अहीर, हरनन्दन सिंह, बिपिन बिहारी, शिव प्रसाद कोहार, जङ्गबहादुर सिंह, रामदेनी लोहार, हरी पांडे जदुनंदन कोइरी, मधुई,

लखन अहीर, सूबेदार सिंह, शिव प्रसाद सिंह, शिव भर, वृन्दा भर, निरंजन सिंह, रंजीत सिंह, नन्द कुमार सिंह, रामेश्वर शर्मा, बनवारी सिंह, मूस अहीर, शिव बचन देवधारी, शिवराज सिंह, शिव जी, कपी सिंह, विश्वनाथ सोनार रामचन्द्र मुख्तार, शिव कुमार लाल, रामप्रीत कोइरी, लक्ष्मण सिंह, काशीनाथ राय, जटाधारी पाठक, शिव पूजन कुंवर, रामलाल कोहार, नगेसर सिंह कुलदीप सिंह, सरजू सिंह, सच्चिदानन्द, सिराजुद्दीन, रामविलास, शिवनाथ राम, गोपाल तिवारी, शंकर दयाल, बिहारी राम, जगदीश राम, शिवकुमार पांडे, जमुना सिंह, जमुना सिंह, पृथ्वी सिंह, श्री रंगसिंह, मुनेसर सिंह, बासुदेव सिंह सलिक सिंह, राम अधार कोइरी, धूरा सोनार, सीताराम, दुर्गाराम, राम बहादुर राय, नोका भर, वृन्दा सिंह, नगीना ब्राह्मण, शिवबहादुर सिंह, साधो राम, मुन्नीलाल, शिवदत्त कोइरी, डिगरी, उपाध्याय, रामजनम सिंह, रामजतन अहीर, शिवकुमार लाल, केदार अहीर, रामप्रसाद अहीर, कपिल राम, मनबोध सिंह।

सरकारी कर्मचारियों और पुलिस के चले जाने के बाद अव्यवस्था फैल सकती है, इसका अनुमान कांग्रेसवादियों को था अतएव अस्थायी तौर पर शासन के लिये स्थानीय कांग्रेसजनों की एक कमेटी बनाई गई जिसमें सर्व श्री मथुरा प्रसाद निरंजन सिंह, रामेश्वर शर्मा आदि थे। बाजार में रुपये का ५ सेर गेहूँ बिकवाया गया। और स्वयं सेवकों से पहरा दिलवाया गया।

कांग्रेस का स्थानीय शासन

चटपट पंचायतें भी स्थापित हुईं। कोडर गाँव में ही एक पटान का मुकदमा बहुत दिनों तक चलने के बाद कचहरी में तय न हो पाया था। वह पंचायत के सामने रखा गया। पंचायत ने जो फैसला दिया वह आज भी दोनों दलों को मान्य है।

१९ अगस्त १९४२ को लगभग ५०० आदमियों ने एकाएक बाँसडीह थाने पर धावा बोल दिया। भीड़ का देखना था कि स्टेशन के कर्मचारी भाग खड़े हुये। उन्होंने अपना निजी सामान स्टेशन तथा कार्टरों से हटवा कर आस-पास के गावों में रखवा दिया था। स्टेशन की इमारत में ताला बन्द था। आक्रमण कारियों ने ताले की तोड़-फोड़ शुरू कर दी। ताला तोड़ कर स्टेशन के कमरे में दाखिल हुये। सेफ तोड़ा गया मगर उसमें कुछ पैसों और कुछ कागजात के अतिरिक्त कुछ न था। सारे कागजात, मेज, कुर्सियाँ, संदूक वगैरह को एकत्र करके उन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। बात की बात में आग की लपटों से सारा स्टेशन जलने लगा। समूचा खपरैल का ढाँचा गिर पड़ा।

बाँसडीह रोड रेलवे स्टेशन

बाँसडीह के स्टेशन मास्टर अब्दुल हसन ने ४ फरवरी सन् १९४४ ई० को मि० ओ० पी० गुप्ता की अदालत में अपना बयान देते हुये कहा:—

१९-२० अगस्त की रात में पाँच सौ आदमियों का मजमा बाँसडीह रोड स्टेशन पर आया। आकर शोर किया तो मैं स्टेशन पर अपने कार्टर से आया। मगर अन्दर स्टेशन जाने से मजमा ने रोक दिया। मजमा ने स्टेशन को फूंक दिया। मुलजिमान हाजिर अदालत को शरीक जुर्म देखा था और मैंने विश्वनाथ सिंह, राम ध्यान सिंह, सूरज पाठक, नगीना चौबे और गजाधर लोहार को नाम से पहचाना था। मैं उस वक्त वहाँ स्टेशन मास्टर था।

बैरिया कांड

गोलियों की बौछार के सामने सीना तान कर चलने वाले बैरिया के आस-पास बसते हैं। बैरिया का थाना क्या है, अमर शहीदों की समाधि भूमि है। जिस चूने गारे से उसकी इमारत बनी है उसमें शहीदों

श्री उमादत्त सिंह
(देवढ़ी)
का जला हुआ
मकान

श्री गयाप्रसाद सिंह
(देवढ़ी)
का जला हुआ
मकान

Hindi Seminar Library
OSMANIA UNIVERSITY

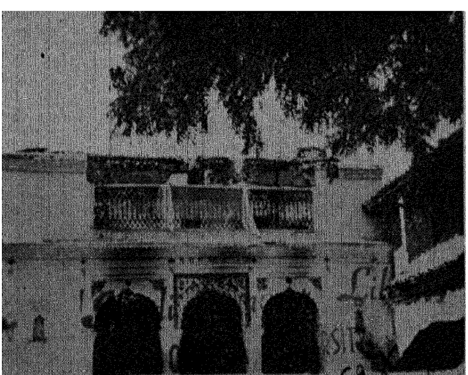

श्री रामचीज मिश्र
[बाँसडीह]
का जला हुआ
मकान

का खून पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है।

११ अगस्त को स्थानीय नेता सर्व श्री काली प्रसाद, राम दयाल सिंह और मदन सिंह दफा ३४-३८ (भारत रक्षा कानून) के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तारी के बाद रानीगंज बाजार में भारी जुलूस निकला और बाद में सभा हुई। फिर लाल गञ्ज बाजार में १२ अगस्त को और डोकटी में १३ अगस्त को सभायें हुईं। मि० एमरी के मुँह से जो ब्राडकास्ट निकला था उसी के आधार पर इन सभाओं में कार्यक्रम बनाया गया। डोकटी की सभा में किसी ने एक पर्चा दिखाया जिस पर कांग्रेस के कुछ प्रमुख नेताओं के दस्तखत थे। उसमें भी यही आदेश था कि अहिंसात्मक उपायों से सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया जाय, पुलिस का हथियार छीन लिया जाय, तार काट दिये जाँय और यातायात के सारे साधन विनष्ट कर दिये जाँय। बस क्या था, उपर्युक्त आदेशों के अनुरूप कार्यक्रम बनाया गया और निश्चय हुआ कि १२ अगस्त को बैरिया थाने पर कब्जा किया जाय। फिर पास का रेलवे स्टेशन जालाया जाय, लाइन उखाड़ी जाय, गाँजे शराब की दुकानें लूटी जाँय, और स्टीमर का स्टेशन फूंका जाय, इत्यादि इत्यादि।

लगभग ४ महीने पहले से ही बैरिया मंडल में कांग्रेसी स्वयंसेविकों को शिक्षा की व्यवस्था चल रही थी। विविध क्षेत्रों के लिये नायक नियुक्त किये गये थे। १४ अगस्त को ही बजरंग आश्रम बहुआरा में लगभग ३०० सैनिकों ने शपथ खाई कि कल बैरिया थाने पर अधिकार किये बगैर वापस न लौटेंगे।

थानेदार का समर्पण

१५ अगस्त को लगभग १२ बजे दिन में करीब १५ हजार आदमियों का जत्था बैरिया थाने पर आया। सर्व श्री डा० अयोध्या सिंह और राम अवतार दो-एक अन्य आदमियों के साथ थाने के फाटक

पर गये। थानेदार को बुलाया और कहा कि आप स्वराज्य सरकार मान जाइये, ब्रिटिश सरकार का राज्य उठ चुका है।'

थानेदार ने बड़े तपाक से कहा 'हम तो तैयार बैठे हैं हम कांग्रेस के ताबेदार हैं।'

एक तिरंगा झंडा लाया गया। थानेदार ने उसे खुद फहराया। फिर वह थाने के हाते में गाड़ दिया गया। जनता विजय के नारे लगाती हुई वहाँ से वापस लौटी।

लगभग १००० आदमियों ने रानीगंज गाँजे की दुकान पर आक्रमण किया। जिस कदर गाँजा, भाँग और दूसरी नशीली चीजें वहाँ मिलीं सब जला डाली गईं। इसके बाद बैरिया का गाँजे की दुकान पर आक्रमण हुआ। वहाँ भी सारी नशीली चीजें एकत्र करके जला डाली गईं।

थाने पर तैयारी

तरह-तरह की अफवाह सुनकर बैरिया के थानेदार ने १४ अगस्त को ही बलिया के अधिकारियों को पत्र भेजा जिसमें स्थिति का परिचय देते हुये उसने सशस्त्र पुलिस की माँग की थी। १५ अगस्त को लगभग ३ बजे (जब जन समूह थाने से वापस जा चुका था) ५ सशस्त्र कान्स्टेबिल थाने की रक्षा के लिये आये। उन्हें देख कर थानेदार की जान में जान आई। तुरन्त ही उसने कांग्रेसी झंडे को उखाड़ कर फेंक दिया। गाँवों के चौकीदारों और मुखियों को ताकीद कर दी कि वे बलवाइयों की गतिविधि का समाचार बराबर देते रहें। हरचरन चौबे नामी खुफिया पुलिस सादी पोशाक में गांव-गांव जाता था और सारी खबरें थानेदार को सुनाता था। जनता ने सुन लिया था कि थाने पर अधिक पुलिस और हथियार आ गये हैं और थानेदार अपनी बात का कच्चा निकला तथा उसने

झंडे को उखाड़ कर फेंक दिया है। जनता ने तैयारी की कि १७ अगस्त को थाने पर आक्रमण किया जाय। उस समय थाने में १० सशस्त्र सिपाही थानेदार के साथ बंदूकों से लैस थे। २४० राइफिल की गोलियां ३० राउन्ड भरका और १२, १३ अदद रिवाल्वर की गोलियाँ भी थीं।

इधर खुली छाती उधर बंदूक

१७ अगस्त को लगभग १ बजे दिन में २५००० आदमियों की भीड़ थाने पर आ डटी। भीड़ से दो-तीन आदमियों ने आगे आकर थानेदार को बातचीत करने के लिये बुलाया। वे अपने सिपाहियों के साथ ऊपर छत पर चले गये और उन्होंने नीचे आने से इनकार किया।

फाटक पर से लोगों ने कहा 'आप हमारे भाई हैं, हमारे साथ आइये और थाने पर हमारा कब्जा स्वीकार कीजिये'।

थानेदार ने कहा 'मैं आपका राज मानता हूँ किन्तु नीचे नहीं आ सकता। मैं लोगों से डरता हूँ। आप लोग झंडा फहरा कर चले जाइये, थाना आपका है। मैं अपने बाल बच्चों को लेकर आज अपने घर चले जाता हूं।'

जनता चकमे में नहीं पड़ने वाले थी। झंडा लगा कर चले जाने से कब्जा नहीं हो जाता, इससे राष्ट्रीय झंडे की बेइज्जती होती है—यह बात अब तक साफ हो चुकी थी।

जनता बढ़ती गई। सैकड़ों आदमी फाटक के अन्दर कूद कर भीतर पहुँच गये। इधर ३-४ आदमियों ने थानेदार का घोड़ा खोल लिया और घुड़साल को तोड़-फोड़ डाला। बगल में एक और छप्पर थी जिसमें थाने के कर्मचारी उठते-बैठते थे, उसे गिरा दिया।

थानेदार ने गोली चलाने का हुक्म दिया। तड़ातड़ गोलिय

चलने लगीं। लोग जिद पर थे। आगे बढ़ते जाते थे और गिरते जाते थे। सब के दिल में यही लालसा थी कि कांग्रेसी झंडा किसी तरह से थाने की इमारत पर फहराया जाय और थाने वालों को मजबूर कर दिया जाय कि वे भी उसकी प्रतिष्ठा करें।

गोलियाँ तड़ातड़ चलती थीं। जिससे लाशों की ढेर हो गई। लोग गिरते पड़ते थाने तक पहुँच ही तो गये। कौशिला कुमार नामी २० वर्षीय नवयुवक एक तिरंगा झंडा हाथ में लिये पीछे की ओर से थाने पर चढ़ गया और झंडा फहराने लगा। जगदम्बा प्रसाद कान्स्टेबिल ने उसका झंडा छीन लिया। श्री कोशिला कुमार ने उसे पटक कर उसकी बंदूक छीन ली। इतने में एक दूसरे सिपाही ने उसे गोली मार दी और वह वीर नवयुवक झंडा लिये दिये जमीन पर आ गिरा। वह झंडा अब भी सुरक्षित है; उसमें उस चिर स्मरणीय अमर शहीद श्री कोशिला कुमार के पवित्र रक्त के धब्बे लगे हैं।

अहिंसा की भावना हिंसा में बदल गई। ७ बज चुके थे। निश्चय हुआ कि आज रात को थाने पर पहरा दिया जाय ताकि कोई कर्मचारी भाग न जाय। रातोंरात गाँवों में खबर भेजी जाय ताकि लोग हथियार लेकर आवें और हिंसकों का जवाब हिंसा से दें।

हजारों आदमी थाना को तीन तरफ से घेर कर पड़ रहे। पीछे की ओर ४, ५ फीट पानी मीलों तक लगा था। जोरों की वर्षा हो रही थी। लोगों को विश्वास नहीं था कि थाने वाले इतने पानी को पार करके भागेंगे। किन्तु वे अपने बाल बच्चों के साथ पीछे की ओर से निकल कर पानी हेलते हुये चोर की नाईं रातों रात भाग निकले।

दूसरे दिन सबेर उत्तेजित भीड़ हथियार लिये दिये थाने पर
पर आई। देखा तो किसी कर्मचारी का पता
थाना चूर चूर कर नहीं है। सारा सामान एकत्र किया गया उसमें
दिया गया आग लगा दी गई। थाने की इमारत जला दी
गई। लाठियों से दीवारों को इस कदर पीटा
गया कोई ईंट साबित न बची। कर्मचारियों के क्वार्टरों को भी फूंक दिया। सब इन्स्पेटर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा:—

११-८-४२ को रामदयाल सिंह सा० बहुअरा, काली प्रसाद केसरवानी सा० रानीगञ्ज बाजार, मदनसिंह साकिन सिरसा कांग्रेसी को हस्ब दफा ३४-३८ डा० आई० आर० हरिचरन चौबे, अली मुहम्मद, सूरज नारायण सिंह कान्स्टेबिलान गिरफ्तार करके थाने पर लाये।

२४ अगस्त १९४२ को जानकी दुसाध, लछमन दुसाध चौकीदार बहुआरा ने आकर मुझ सब इन्सपेक्टर से कहा कि गौरी शङ्कर राय सा० बहुअरा ने कहा है कि जाकर दरोगा जी से इत्तला कर दो कि १५ अगस्त को थाना लूटने की तैयारी हो रही है। मुझ सब इन्सपेक्टर से एक रिपोर्ट तलब की गई जो जरिया महमूद खां कान्सटेबिल के पास साहब सुपरिन्टेडेन्ट पुलिस बहादुर के बलिया भेजी। रिपोर्ट पर १५-८-४२ को करीब ३ बजे दिन को एक गारद मुसल्लह पहुँची। गारद के इन्चार्ज मुहम्मद हुसेन नायक और जगदंबा प्रसाद व मुस्तफा खाँ बल्लू अहीर, रामसरन राय व शिवनारायण तिवारी थे। ५-६ हजार का मजमा करीब १ बजे दिन के बाद गांधी जी की जै, गवर्नमेंट का नाश हो, अंगरेज हमारा दुश्मन है, पुलिस हमारे भाई हैं आवाजें लगाते हुये थाना के सामने से सड़क पर पहुँचा। मैं सब इन्स-पेक्टर जुमला मुलाजिमान आरम पुलिस व सिविल पुलिस

थाना के छत पर था। राम अवतार (बहुआरे) अयोध्या सिंह (करन छपरा) थाना के फाटक पर आये। फाटक पर ताला लगा दिया गया था। इन दोनों ने मुझ सब इन्सपेक्टर से आकर कहा कि आप सबसे २ मिनट बातचीत करना है। छत से नीचे चले आइये। मैं छत से उतरा। अन्दर झंडा गाड़ने को कहा। इस पर मैंने इनकार किया। थाना के फाटक के सामने बाहर एक झंडा गाड़ के चले गये। और कहा कि यह झंडा गड़ा रहेगा। थाना हम लोगों का है। उसके बाद मजमा रानीगंज बाजार की तरफ चला गया और फिर मुझ सब इन्सपेक्टर ने झंडा उखाड़ दिया। और कुछ लोग रानीगंज बाजार की तरफ गये। उसके थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि शराब व गाजा की दुकान जो रानीगंज बाजार में थी एक हजार कांग्रेसी बदमाशों ने लूट लिया। जमुना राय की दुकान जो गांजे की दुकान के बगल में थी वह भी लूटा। उसके बाद मौजा बैरिया में शिव बालक कुंवर की गांजे की दुकान पर २, ३ सौ आदमी पहुँचे और उसका गांजा लूटा और छीट दिया। उसके बाद १६ अगस्त को हरचरन चौबे कान्सटेबिल डी० आई० एस० से मालूम हुआ कि मजमा खौफ की वजह से १५ अगस्त १९४२ को हमला न कर सका। किसी रोज धोखा देकर थाना पर आकर हमला करेगा। करीब १ बजे दिन के १५, २० हजार आदमियों का मजमा कस्बा बैरिया की तरफ से गांधी जी की जै वगैरह का नारा लगाते हुये थाना पर पहुँचा। जंग बहादुर सिंह और शिव दर्शन (बहुआरा) मजमा के लीडर थे। उन लोगों ने कहा कि हम लोग आज थाना में झंडा गाड़ेंगे। आप थाना खाली कर दीजिये और थाने के पिस्तौल और बन्दूक हमें दे दीजिये वरना आज जबरदस्त लड़ाई होगी और यह भी कहा कि अब से रेलवे की पटरी उखाड़ दी जायेगी।

इस दर्मियान में तकरीबन ४, ५ सौ का मजमा फाटक चहार दीवारी फाँद कर अन्दर थाना के घुस आये और १०० आदमी के करीब थाना के अंदर घुस आये और १०० से जायदे पार्क में घुस गये और सख्त तकरार करने लगे और ईंट व कंकड़ से मजरूर करने लगे और धरीछन अहीर व सिरी अहीर गोपालपुर और मुखी राम बहुअरा मुझ सब इन्सपेक्टर का घोड़ा अस्तबल से खोलकर मय अगाड़ी पिछाड़ी के चल दिये और कुछ लोग थाना के आफिस का दर्वाजा तोड़ने लगे। हम ने जब देखा कि हम लोगों की जान व माल सरकारी इमारत का नुकसान व सरकारी इमारत का खतरा ज्यादा हो रहा है तो मजमा को आगाह किया गया कि अपनी हरकतों से बाज आओ वरना गोली ३ मिनट के बाद चलाने का हुक्म दूंगा। मजमा ने कुछ नहीं सुना बल्कि चौरीचौरा जिन्दाबाद का नारा लगाने लगे। तब मुझ सब इन्सपेक्टर ने फायर गोली चलाने का हुक्म दिया। गोली चलना शुरू हुई। कुल हम लोगों के पास २४० गोली राईफल और ३० राउन्ड झरका और १२, १२ अदद रिवाल्वर की गोलियाँ थी। करीब डेढ़ बजे दिन से ६॥ बजे शाम तक हम लोग बराबर गोलियां बारी बारी चलाते रहे। मजमा २,-२, ४-४ करके थाने के सामने आता था और ईंटा को लेकर हर चहार तरफ से बरसा रहा था। जङ्ग बहार सिंह कांग्रेसी मजमा से कहने लगा कि पुलिस के ऊपर एक बारगी टूट पड़ो और पकड़ लो। उसमें ज्यादा नहीं मरेंगे। तब इम्तयाज मुहम्मद कान्सटेबिल सूरज नारायन कान्सटेबिल ने दो राउन्ड फायर किया जो करकट छेद कर दो आदमियों को खतम कर दिया। उसके बाद सब लोगों ने टिन फेंक दिया और कहा कि टिन बेकार है। अब दरख्तों की आड़ में छिप छिप कर ईंट और पत्थर बरसाने लगे।

इसी दर्मियान एक कांग्रेसी अफसर दोयम साहब के क्वार्टर की तरफ से छत पर चढ़ आये और जगदंबा प्रसाद आरम पुलिस को पटक बंदूक छीन लिया और फौरन ही जगदंबा प्रसाद कान्सटेबिल ने उस कांग्रेसी को पटक दिया और उसके ऊपर सवार हो गया। इतने में महमूद खाँ कान्सटेबिल ने कांग्रेसी के हाथ से बंदूक छीन कर गोली मारी। कांग्रेसी फौरन छत से नीचे गिर पड़ा। मजमा बढ़ रहा था। मजमा में एक के पास बंदूक थी। निशाना लगा रहा था। मगर कोई आवाज फायर की नहीं आई। मुझ सब इन्सपेक्टर और कान्सटेबिल ने यह कहते हुये सुना कि सबेरे मुकाबला किया जायेगा। उसके बाद करीब ३, ४ सौ आदमी थाने के उत्तर व दक्खिन जानिब सड़क पर दोनों साधुओं की कुटी का रास्ता घेर कर पुलिस की निगरानी करने लगे ताकि भागने न पावें। पश्चिम तरफ फसल लगी हुई थी। तकरीबन २ मील के फासले पर सैलाब का पानी ६, ७ फीट की ऊंचाई पर जमा था। खिड़की की ऊंचाई पर भरा था। बलवाइयों ने यह सोचकर कि इस राह से पुलिस वाले न भाग सकेंगे इसलिये उस तरफ नहीं घेरा और खाली छोड़ दिया। उस वक्त करीब ७ बजे थे। जब बलवाई थाना को छोड़कर चले गये तो हम लोगों को जरा इतमीनान हुआ और मुझ सब इन्सपेक्टर ने जुमला मुलाजिमान को इकट्ठा करके कारतूसों को शुमार किया। सिर्फ १५ कारतूस राइफल और ६ राउन्ड रिवाल्वर बच गये थे। अंदाजन ३०, ४० आदमी मारे गये और १०० करीब घायल हुये होंगे। हम लोगों ने यह तै किया कि अपने बच्चों और असलहा को लेकर सरहदी थाना पर ले चला जावे। बादल घिरा हुआ था और बूंदें भी पड़ रही थीं। दिन भर की जांफिशानी से हम लोग तंग आ गये थे।

रात ११ बजे के करीब हम लोग जुमला सामान को छोड़ कर

मय बाल बच्चों के मय असलहा के थाना के पश्चिम तरफ से रवाना हुये। रास्ते में खेती व सैलाब के पानी में हेलते हुये खुद व बाल बच्चों के १४ मील सफर करने के बाद ६ बजे सहतवार थाना के पास पहुँचे। वहां की हालत भी खराब पाया। सब इन्सपेक्टर साहब बैलगाड़ियों पर अपना सामान लदवा रहे थे। कस्बा सहतवार की तरफ से कांग्रेसियों का बड़ा भारी मजमा थाने की जानिब बढ़ता हुआ व जै बोलता हुआ नजर आया ताहम हम लोग अपनी बीबी और बच्चों को सब इन्सपेक्टर साहब सहतवार के सुपुर्द करके और अपना असलहा अलावा रिवाल्वर के सहतवार थाना के कुआं में यह खयाल करते हुये कि कांग्रेसियों के हाथ न पड़ जावे डाल कर और खतरा महसूस कर के वहां से मुन्तशिर होकर चल दिये। मुझ सब इन्सपेक्टर मय कान्सटेबिल कुतुबद्दीन, अली हसन, इम्तयाज अहमद, सूरज नरायन सिंह, शकुल्लाह, महमूद खां मौजा हुसेननाबाद थाना बांसडीह जो सहतवार से ४ मील के फासले पर अस्करी के मकान पर पहुँचे। वहां मालूम हुआ कि लोगों ने १७ अगस्त १९४२ को थाना व तहसील लूट लिया गया और पुलिस वालों की तलाश में घूम रहे हैं और बन्दूकें भी उनके हाथ में हैं। अब तक हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। उस गांव में दो रुपया का सत्तू लेकर थोड़ा थोड़ा खाया और फिर हम आगे बढ़े। पता चला कि जेल से तमाम कैदी व कांग्रेसी छोड़ दिये गये हैं और फिर यह कि पुलिस जिसने गोली चलाई है उसकी तलाश में लोग घूम रहे हैं। लोग यह भी कह रहे थे कि बैरिया की पुलिस ने सौ सवा सौ आदमियों को गोली का निशाना बना दिया। इस लिये अगर दरोगा जी मिल जावें तो उनकी बोटी बोटी काट दी जावेगी। हम लोग वहां देहातियों के लिबास में थे। इस वजह से कोई पहचान

नहीं सका। सुबह को हम लोग एक कश्ती पर सवार होकर बरहज की तरफ रवाना हुये।

दो रोज सफर के बाद तुर्तीपार के आगे जिला आजमगढ़ पहुँचे और पैदल २० मील का सफर करके २३ अगस्त १९४२ को थक कर चूर चूर होगये थे। पैरों में छाले पड़ गये थे। सबके जिस्म में दर्द हो रहा था। भूक से हालत तबाह थी। न पैरों में जूते थे न बदन पर सिवाय धोती व कमीज के कोई कपड़ा था।

३० अगस्त ४२ को हम लोग आजमगढ़ होते हुए २ सितंबर ४२ को बलिया पहुँचे। हम लोगों का जुमला सामान बलवाई लूट ले गये थे। कागजात सरकारी, रसूमात सरकारी, माल कुर्क शुदा मौजा बलवाइयों ने लूट लिया और कागजात सरकारी फूंक दिया और थाना को पस्ट कर दिया और बगीचा व फुलवारी को काट कर फेंक दिया। कुआं में ईंट भर दिये।

मुल्जिमान में शिवदास राय सीताराम तेली, हर दत्त, मनोहर लाल, शिवपूजन कुंवर, देवनरारायन हरवंस नरायन सिंह बड़ाई, अजोध्या प्रसाद सिंह, मथुरा सोनार, कुंज विहारी मिश्र, खूबचंद तेली, रामचन्द्र ठाकुर, राम ऋषि, जमुना, भिक्खो, राम बरन, हरदेव राय, राधाकृष्ण सिंह, राम जतन राय वैरिया चालान अदालत गिरफ्तार हो चुके हैं। उनमें से ९ नफर मुल्जिमान गोली व छर्रे से मजरूब थे।

थाने पर जो मुकाबला हुआ उसमें लगभग ५० आदमी वीर गति को प्राप्त हुये और लगभग १०० घायल हुये

हताहतों की संख्या मृतकों को लोग उठा लेगये और धूमधाम से उनकी अंतिम क्रिया की। घायलों को सोनबरसा अस्पताल में लाया गया। फिर वहां से १८ अगस्त को नाव द्वारा वे बलिया लाये गये। इनमें श्री कोशिला कुमार भी था। उदई

घाट के सामने उसे होश और पूछा—थाने का क्या हुआ ?

किसी ने कहा कांग्रेस का कब्जा हो गया। उस पर राष्ट्रीय झंडा लहरा रहा है।

वीर युवक का चेहरा खिल उठा; फिर उसने अपनी आंखे सदा के लिये बंद कर लीं।

गोपालपुर के नवयुवकों ने उसका वीरोचित दाह संस्कार किया।

बैरिया का बीज गोदाम

पचासों नवयुवकों की आहुति देने पर जो अधिकार प्राप्त हुआ उसे कांग्रेस ने अच्छी तरह सँभाला। सर्व श्री बाबा लक्ष्मण दास, जगदीश नारायण तिवारी और काली प्रसाद की एक कमेटी बनाई गई जिसके जिम्मे शान्ति और व्यवस्था का भार था। स्वयं सेवकों का संगठन पहले ही से था। उनके उपर गांव गांव पहरा देने का भार भी सौंप दिया गया। बैरिया बीज-गोदाम पर कांग्रेस का अधिकार हो चुका था। सारा गल्ला आस पास के गाँवों में बाँट दिया गया।

सोन बरसा के डा० बैजनाथ प्रसाद आन्ददोलन से डरकर भाग रहे थे। उनका सामान कुछ लोगों ने छीन लिया। कांग्रेस वादी स्वयं सेवकों को जब पता चला तो उन्होंने बदमाशों को पकड़ा और सारा सामान दिलवा दिया।

अध्याय २

क्रान्ति का उग्र रूप

बंदूकें छीनी गईं

१८ अगस्त १९४२ तक क्रान्तिकारियों ने पूर्ण रूप से अहिंसात्मक आन्दोलन चलाया। उन्हें पर्याप्त सफलता भी मिली। पुलिस यद्यपि जहां तहां सख्ती से पेश आई किन्तु क्रान्तिकारियों ने बड़े संयम से काम लिया। सामूहिक रूप से उन्होंने पुलिस पर अथवा अन्य किसी सरकारी कर्मचारी पर हाथ नहीं उठाया। १९ अगस्त को बलिया में बाजार के अन्दर निरपराध जन समूह पर पुलिस ने जब गोली चलाई (विवरण आगे दिया जायेगा) तो लोगों का धीरज जाता रहा। रसड़ा में जनता को पहले तो धोखा दिया गया और फिर गोलियां चलाई गईं. इससे जनता उत्तेजित हो उठी। बैरिया में निहत्थी जनता पर गोलियों की जो बौछार हुई, उससे तो नवयुवकों का खून उबल पड़ा और उनमें पुलिस से बदला लेने की भावना जाग उठी। यह अच्छी तरह प्रमाणित हो चुका था कि लाठी, बल्लम और कुदाल, फावड़े पुलिस की बंदूक का मुकाबला नहीं कर सकते। बंदूक का मुकाबला बंदूक से ही हो सकता है। जिन लोगों के पास बंदूकें थीं, वे बहुधा सरकार के भक्त थे। जिले में दो चार ही आदमी

ऐसे थे जिन्होंने अपनी बंदूकें क्रान्तिकारियों को दी थीं। अधिक बंदूक प्राप्त करने के तीन ही साधन रह गये थे—(१) पुलिस से छीनी जांय, (२) पब्लिक से छीनी जांय, (३) सरकारी अफसरों से छीनी जांय। क्रान्तिकारियों ने तीनों मार्गों का अनुसरण किया। दो, चार बंदूकें तो देहात के कई थानों पर आक्रमण करने के समय मिल चुकी थीं किन्तु वे पर्याप्त न थीं। आवश्यकता थी अधिक बंदूकों की। क्रान्तिकारियों ने धीरे धीरे अपनी आवश्यकता की पूर्ती कर ही ली।

फेफना में

पुलिस के ८ बंदूकधारी सिपाही १३ या १४ अगस्त को जेल से कुछ कैदियों को लेकर गाजीपुर गये थे। उधर से वापस आते समय गाड़ियां बंद थीं। अतएव उन्हें पैदल चलना पड़ा। १८ अगस्त को जब वे चीट बड़ा गाँव में पहुँचे तो श्री शिवपूजन पांडे के नेतृत्व में बागियों ने उनका पीछा किया। सिपाहियों ने अपनी बंदूकें भर लीं और आक्रमण कारियों को रोका। पुलिस आगे बढ़ती जाती थी और बलवाई उनके पीछे पीछे थे। बलवाइयों का दल बढ़ता गया। जब सरजू के पुल के पास आये तो वे सिपाहियों पर टूट पड़े। खूब हाथा पाई हुई। सड़क के नीचे खंदक में पानी था। सिपाहियों ने फायर किया, लोग डर कर भागे और कई तो खंदक में कूद पड़े। सिपाही सशंक थे किन्तु आगे बढ़े जा रहे थे। फेफना के पास उन्हें आगे एक भीड़ का सामना करना पड़ा। यह भीड़ पहले से ही रेल की पटरी उखाड़ रही थी। उधर पीछे से चीट बड़ा गाँव वाली भीड़ के सैकड़ों आदमी पहुँच गये। सिपाही दोनों ओर से घिर गये। उनकी खैरियत न थी। इस बार वे बंदूकें नहीं चला सके। उनकी ८ बंदूकें, ८० कारतूस और पेटी छीन ली गई। दोनों दलों में जो झड़प हुई उसके परिणाम स्वरूप उभय

पक्ष के कुछ लोगों को चोट आई। सिपाहियों का इलाज तो पुलिस अस्पताल में हुआ, किन्तु क्रान्तकारियों को इलाज की जरूरत न थी।

सिपाही जब बलिया पहुँचे तो अधिकारियों को बड़ा तैश आया। श्री मथुरा सिंह लाइन इन्सपेक्टर दो लारी सशस्त्र पुलिस लेकर बागियों का सामना करने चले। फेफना गाँव में उन्होंने अंधाधुँध गोली चलाई जिससे श्री सागर राम की तत्काल मृत्यु हुई। सिंहपुर के श्री वासुदेव सिंह को खूब पीटा गया और नरही के श्री रामजतन तेली की मूछें उखाड़ी गई। इसके बाद उन्होंने बन्धैता गांव पर छापा मारा। उन्होंने सुन रखा था कि बा० शिवनारायण सिंह अपने दल बल के साथ फेफना में लाइन उखाड़ रहे थे और उन्होंने ही सिपाहियों की बंदूकें छीनी हैं। उनके घर की तलाशी ली गई किन्तु न कोई बंदूक मिली और न कारतूस। उनके मकान के पास ही राम भरोसा सिंह और नौरंग सिंह आदि ८ आदमी गिरफ्तार किये गये। बा० शिव नारायण सिंह उस समय घर पर उपस्थित न थे।

बंदूक लूटने और पुलिस को चोट पहुँचाने के संबंध में सर्व श्री शिवनारायण सिंह, शिवमुनी सिंह, मानधाता सिंह, और जगदीश सिंह, आदि पर मुकदमे चले किन्तु सबके सब रिहा कर दिये गये।

तुर्तीपार (थाना उभांव) के पुलपर सिपाहियों का पहरा था।

भरखरा में

१९ अगस्त १९४२ को यहां से एक हेड कान्सटेबिल और ४ कान्सटेबिल बलिया के लिये रवाना हुये। रेल का आना जाना बंद था अतएव वे सिकंदरपुर-बलिया वाली सड़क से पैदल चले। २० अगस्त को लगभग ८ बजे सबेरे ये लोग भरखरा (बलिया से १० मील

उत्तर) पहुंचे। वर्षा होने लगी अतएव उन लोगों ने जाकर भरखरा गांव में एक आदमी के मकान पर शरण ली। बंदूक के साथ ५ सिपाहियों का आना उन दिनों अस्वाभाविक था। लोगों ने उन्हें देखकर बन्दूक छीनने की तैयारी करदी। अभी पुलिस वाले आराम कर ही रहे थे कि लगभग ढाई तीन सौ आदमियों की भीड़ उन पर टूट पड़ी। पहले तो पुलिस वालों ने घुड़की सुनाई और बंदूकें भर लीं किन्तु कुछ समझ कर उन्होंने फायर नहीं किया। सारी बंदूकें जनता ने ले लीं।* पुलिस वालों से कहा गया कि वर्दी भी निकाल दो। उन्होंने वर्दी भी निकाली फिर एक जुलूस निकला जिसमें आगे आगे पुलिस वाले ही रहे। जुलूस के साथ उन्होंने उत्साह पूर्वक नारे लगाये। एक मील तक आने के बाद पुलिस वालों को छोड़ दिया गया। वे सीधे बलिया आये, तब कहीं जान में जान आई।

इस मुकदमे के संबंध में कई आदमी गिरफ्तार किये गये। बाद को सर्व श्री बैजनाथ पांडे, बैजनाथ कांदू, मुसाफिर अहीर और नागेश्वर सिंह पर मुकदमा चला। प्रथम तीन अभि-युक्तों के विरुद्ध सेशन जज की अदालत में बयान देते हुये केदार सिंह कान्सटेबिल नं० १०८० मिलिटरी पुलिस गारद

---

*आज से १८, १६ दिन पहले पुलीस गारद थाना उभांव से बंदूक लेकर जात रहल। जब गांव सुखपुरा गारद पहुँचल ३, ४ सौ आदमी चारों ओर घेर कर पुलिस गारद के बंदूक ५ के छीन लीहल न।

ए घड़ी थाना नहीं रहल। एसे इतलाय करे नहीं अइलीं। बयान सुन लीं ठीक रहल हे।

थाना बांस डीह वकूआ २० अगस्त रिपोर्ट कुनिन्दा दरसन चौकीदार मोजा सुखपुरा, तारीख ६ सितम्बर १९४२:—

सीतापुर ने ११ जुलाई १९४४ को सेशन जज की अदालत में बयान देते हुये कहा कि—अगस्त १९४२ में आर्म गारद उमाँव से बलिया पुलिस लाइन गया था। मैं उनमें से एक था। जब यह भरखरा गांव के पास आया तो बारिश होने लगी। तब हम लोगों ने भरखरा में एक ब्राह्मण के मकान पर शरण ली। ७ बजे सबेरे का वक्त था। करीब २५० आदमियों का एक मजमा आ पहुँचा। उसने हमारी बंदूकें छीन लीं।

छात्रा में

१८ अगस्त को जब बैरिया थाने में निहत्थी जनता पर गोली चली तभी से लोगों की प्रवृत्ति कुछ हिंसा की ओर जा चुकी थी। पुलिस वाले अगर सीधे से कहना मान जांय तो ठीक है किन्तु वे जब बार-बार धोखा दें और गोलियां चलावें तो इसका जवाब क्या है? अब तक फेफना में ८ बंदूकें १६ अगस्त को लूटी जा चुकी थीं, भरखरा में ५ बंदूकें २० अगस्त को हाथ लगी थी, एक जालिम गंज चौकी पर १९ अगस्त को, १ पं० काशीनाथ मिश्र के मकान पर और १ बंदूक १९ अगस्त को गड़वार में मिली थी। नरही में १ बंदूक और १ रिवाल्वर २१ अगस्त को मिले थे। इसके अतिरिक्त २ रिवाल्वर (१ गड़वार में और १ बलिया में) भी मिल चुके थे। यद्यपि आवश्यकता पड़ने पर इनका सामूहिक रूप से उपयोग हो सकता था किन्तु केवल इतना ही हथियार काफी नहीं था। जिले के अन्दर प्रायः प्रत्येक रईस के पास बंदूक थी किन्तु दो-चार को छोड़ कर (जिन्होंने जरूरत पड़ने पर अपनी बंदूकें दीं) शेष सब के सब बुरी तरह डरते थे और बंदूक मांगने पर कांप उठते थे।

२३ को सबेरे बलिया में जब से फौज आई इधर-उधर गोलियां फिर बरसने लगीं। आया हुआ अधिकार हाथ से जाता

दिखाई देने लगा। नवयुवकों के सामने जीवन मरण का प्रश्न था पहले छीने हुये हथियार एकत्र किये गये और फिर वे नये हथियार की तलाश में चले।

बलिया से लगभग ८ मील उत्तर पूरब छाता गांव में मि० अब्दुल सत्तार के पास दो बंदूकें थीं। इकट्ठे दो बंदूकों के लिये उनके मकान पर २३-२४ अगस्त वाली रात को लगभग २०० नवयुवकों ने धावा किया। मि० सत्तार को लोगों ने पकड़ा और कहा कि हम आपकी बंदूक और कारतूस लेने आये हैं, दे दीजिये। उन्होंने आना कानी की, इस पर लोगों ने उन्हें रस्सी में बांधा। बाद को वे बंदूक देने पर राजी हो गये। उन्हें पकड़ कर लोग उनके मकान के भीतर ले गये। वहां जाकर उन्होंने दोनों बंदूकें बलवाइयों के सुपुर्द कर दीं।

मि० अब्दुल सत्तार ने १ फरवरी १९४४ को अदालत में बयान देते हुये कहा:—

आज से १८ महीना का वाकिया हुआ. २ बजे रात का वक्त था। मेरे यहां करीब ३०० आदमी आये। मैं अपने मकान के बाहर सोया हुआ था। उन लोगों ने मुझे बांध दिया। मजमा के लोगों ने कहा कि बंदूक व ताला चाभी दे दो। तब मुझे खोल कर मकान के अन्दर घसीट कर लोग ले गये। एक मेरी बंदूक थी और एक रफीउद्दीन की थी। सूरज पाठक, महेश सिंह अन्दर मकान के थे और लोगों में परशुराम सिंह, मंगल सिंह, मोती सिंह, किसुन देव कमकर, मथुरा भर वगैरह थे।

भरसौता में

२५-२६ अगस्त वाली रात में भरसौता गांव में शिव बालक सिंह के मकान पर छापा पड़ा। उनके घर में एक बंदूक थी। वे स्वयं फौज के पेंशनयाफ़्ता सूबेदार थे। उसी गांव में राय साहब माधो

प्रसाद के पास भी एक बंदूक थी। लगभग ३० नवयुवक आधी रात को यहां आये। शिवबालक सिंह को जगा कर उनसे बंदूक मांगी किन्तु वे थे फौज के आदमी। उन्होंने कहा बंदूक लाये देता हूँ। इतना कह के वे बंदूक लेकर खड़े हो गये। धड़ाधड़ ४ फायर दाग दिया। सौभाग्य से कोई मरा नहीं। नवयुवकों ने उन्हें पकड़ा और बंदूक छीन ली। राय साहब माधो प्रसाद की बंदूक आसानी से हाथ लग गई। ये बंदूकें लेकर नवयुवक आगे बढ़े और सिंहाकुंड गांव पर आये।‡

सिंहाकुंड में डकैती

२५-२६ अगस्त की रात को लगभग २ बजे बंदूक लूटने की गरज से लगभग ३० नवयुवकों ने सिंहाकुंड में पं० राम नगीना तिवारी के मकान पर आक्रमण किया। उनके भाई श्री बैज नन्दन तिवारी गांव के मुखिया थे जो अपने को पुलिस विभाग का अवैतनिक कर्मचारी समझते थे। श्री राम नगीना तिवारी और बैजनन्दन तिवारी के पास एक-एक बंदूक थी।

---

‡ I am a pensioner military Subedar. I was sleeping at my door in the night of 25/26 August 1942. At 2 a. m., 20-25 dacoits armed with lathis spears and guns raided my house. They raided the house of Rai Saheb Madho Prasad also. I fired several shots. Four or five dacoits caught hold of me from behind and twisting my hand they snatched my gun by force. I and the servants of Rai Saheb raised an alarm. People of the village assembled there. All the dacoits ran away taking my gun and the gun of Rai Saheb with them.

Sheobalak Singh.

राम नगीना तिवारी के मकान के पास मक्के का खेत था जिसमें करीब ५-६ फीट ऊँची फसल लगी थी। इसी रास्ते से नवयुवक 'इनकलाब जिन्दाबाद' का नारा लगाते हुये एकाएक उनके दर्वाजे पर आये। आते ही ४, ५ बार बंदूक की खाली आवाजें की।

आक्रमण कारियों को पता था कि बाहर बरामदे में जो संदूक रखी हुई है, उसी में बंदूकें बन्द हैं। उन्होंने संदूक को तोड़ दिया। उसमें एक बंदूक मिली। संदूक के अन्दर और कौन-कौन सी चीजें हैं, उन्हें देखने की भी किसी ने चिंता नहीं की। वे वहां से हट ही रहे थे कि गांव के सैकड़ों आदमियों ने उन्हें आ घेरा। उनके हाथ में लाठियां थीं। आते ही उन लोगों ने डाकू समझ कर लाठियां चलानी शुरू कीं। नवयुवकों ने कहा हम कांग्रेसी हैं, केवल बंदूक लूटने आये हैं। हमारे हाथ पचीसों बंदूकें आ चुकी हैं, कुछ और मिल जाने पर हम बलिया में आई हुई फौज से मोर्चा लेंगे। गांव वालों ने एक न सुनी। उन्होंने हुल्लर राय और रामनाथ बरई को पकड़ लिया। उनके साथ एक बंदूक भी पकड़ी गई। बाकी नवयुवकों में से कुछ तो पास वाले मक्के के खेत में छिप रहे और कुछ वहां से चले गये। मक्के के खेत में जो छिपे थे उनके पास ३ बंदूकें थीं और ३१ कारतूसें। एक ने गांव वालों को संबोधित करके कहा कि हट जाओ नहीं तो हम फायर करते हैं। हुल्लर राय और रामनाथ ने ऐसा करने से मना किया। उन्होंने कहा अपने भाइयों पर हथियार उठाना कायरता है। मामले को बिगड़ते देख कर थोड़ी देर बाद खेत से फिर आवाज आई कि हम अब जरूर गोली छोड़ेंगे, वरना बंदियों को छोड़ दो, किन्तु बंदियों ने शपथ दिलाई और कहा कि किसी की भी जान जायेगी तो वह कांग्रेस और देश के नाम पर कलङ्क होगा। गांव वालों

की हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने पकड़े हुये नवयुवकों को बरामदे के खंभे में 'बांधा फिर लगभग ३०० आदमियों ने मक्के के खेत को चारों ओर से घेर लिया। दूसरे दिन सबेरे उस खेत में ६ अन्य नवयुवक पकड़े गये। उनके साथ-साथ ३ बंदूकें और ३१ कारतूसें भी मिलीं। सब लोगों को पकड़ कर खंभे से बांध दिया गया।

छट्टू मिश्र ने २६ अगस्त १९४२ को कोतवाली बलिया में निम्नलिखित रिपोर्ट लिखवाई:—

कल रात को राम नगीना तिवारी सा० सिंहा कुंड थाना सहतवार के घर पर ३०-४० आदमी बंदूक, लाठी, बल्लम लेकर २ बजे रात को डाका डालने आये। ३-४ फायर बंदूक का किया। हम लोगों ने और गांव के आदमियों ने डाकुओं का मुकाबला किया और चार डाकू और एक बंदूक मकान के दर्वाजे पर पकड़ लिया। बाकी डाकू भाग कर जनेरा के खेत में चले गये थे। रात भर खेत घेरे रहे। सबेरे ६ डाकू उस खेत में पकड़े और ३ बंदूकें टोपीदार उसी खेत में और कारतूस व एक पानी का बोतल उन्हीं डाकुओं के पास मिला और एक बंदूक का बक्स उसी जनेरा के खेत में मिला और एक अंगरेजी टोपी जो डाकू पहने था मिल गई। डाकुओं में हुल्लर राय भरसौता. शंकराचार्य अगरौली, परमेश्वर सिंह दौनी, श्रीनाथ सिंह दौनी. शिव टहल राम. सुदामा सिंह दौनी, रामचन्द्र कुँवर, शिवनाथ ओझा हल्दी. राम भजन पांडे बांसडीह. रामनाथ बरई बलिया ने पता नाम बतलाया है। जो भाग गये हैं उनमें से केदार. परमा. देवनाथ साकिन सिंहाकुंड और चन्द्र दीप राय बादिलपुर को हम लोगों ने पहचाना और देखे हुये हैं। डाकुओं को अपने दरवाजे पर गांव वालों की सुपुर्दगी में छोड़ कर आपके पास आये हैं। बगरी सिंह साकिन भरसौता

हमारे दरवाजे पर सबेरे आये। वे कहते थे कि बंदूक हमारी है, दे दो। हमने नहीं दिया।+

२६ अगस्त को देहात में शोर मच गया कि रामनगीना तिवारी के दरवाजे पर कांग्रेसी गिरफ्तार किये गये हैं। बस क्या था लगभग ४०० आदमी देहात से आये और इन बंदियों को छुड़ा ले गये। गांव वालों ने लाख विरोध किया किन्तु उनकी एक न चली।

बलिया के कोतवाल मि० नादिर अली खां ने अपनी रिपोर्ट में लिखा:—

यह तहरीर मुझको २६ अगस्त ४२ ई० ५ बजे शाम को राम नगीना तिवारी सा० सिंहाकुंड व छट्टू मिसिर सा० मुहम्मद पुर ने दी है। लाइन से कुछ गारद लेकर सिंहा कुंड गया। वहां पहुँच कर मालूम हुआ कि मुलजिमान मुंदर्जा तहरीर को ४-५ बजे शाम को मुलजिमान के मददगारान १००-१५० की तादाद में आकर छुड़ा ले गये हैं। मैं ४ अदद बंदूक व एक बक्स बन्दूक व कारतूस का और फौजी बोतल पानी की जो मिली रवाना करता हूँ। ३५ अदद सरकारी राइफिल के कारतूस थे, वह लाइन में दे दी है।

यदि नवयुवक चाहते तो ४ बंदूकों और अपनी कारतूसों से रात ही रात सारे गांव वालों को भून देते और गिरफ्तार न होते। ४ आदमियों के गिरफ्तार हो जाने पर भी मक्के के खेत में पड़े हुये नवयुवक यदि चाहते तो वे भी १०, २० लाशें गिरा कर अपने साथियों को छीन ले जाते। किन्तु ऐसा करना सिद्धान्त के प्रतिकूल था। देहात के लोग सिहाकुंड वालों की लाठी

+डायरी कोतवाली बलिया २६ अगस्त १९४२।

का जवाब जब लाठी से देने आये तो उनकी आँख खुली। लाचार होकर सारे बंदियों को छोड़ना ही पड़ा।

शाम को करीब ७ बजे जब नादिर अली खां सशस्त्र सिपाहियों को लेकर मारे हुये शिकार को फिर से मारने आये तो उन्हें पता चला कि वे उनकी पहुँच के बाहर हैं।

घटनाओं के पूर्वापर क्रम का विचार थोड़ी देर तक छोड़ कर हमने परिस्थितियों के अनुकूल क्रान्तिकारियों की परिवर्तित मनोवृत्ति का परिचय दिया है। यों तो प्रायः १६ अगस्त तक सारे जिले पर से सरकारी राज उठ चुका था किन्तु जिले के सदर मुकाम पर सरकार की कुछ-कुछ सत्ता बची हुई थी। कांग्रेसी बन्दी जेल में थे, खजाने पर ताला लगा था और मैगजीन पर सरकारी कब्जा था। बलिया कस्बे में किस प्रकार क्रान्ति का क्रमिक विकास हुआ तथा वहां से नौकरशाही के अवशेष चिह्न को कैसे मिटाया गया, इसका विवरण आगे के कुछ पृष्ठों में दिया जायगा।

बलिया शहर—अंतिम मोर्चा

खास बलिया शहर में १५ अगस्त तक कोई विध्वंसकारी घटना नहीं हुई। १४ अगस्त को शहर से थोड़ा हट कर श्री प्रद्युम्न मिश्र के निवास स्थान पर शहर के कार्य कर्ताओं की बैठक हुई। किन्तु उसमें घंटों की बक झक के बाद भी कुछ तय न हुआ।

१५ अगस्त को जो ट्रेन बनारस से आई उस पर कालेजों के कई विद्यार्थी थे। उनमें से लगभग ७, ८ विद्यार्थी बलिया पुलिस द्वारा स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिये गये। गाड़ी क्या थी, बिलकुल अपनी सवारी थी, जो जहां चाहता चढ़ता और जहां चाहता उतरता था। बलिया स्टेशन पर श्री गङ्गाप्रसाद गुप्त ने उस पर एक तिरंगा झंडा लगा दिया।

लगभग १॥, २ सौ आदमियों ने १५ अगस्त को एकाएक बलिया जहाजघाटके स्टेशन पर आक्रमण किया। वहां जो कुछ भी जहाज कंपनी का सामान था इकट्ठा करके फूंक दिया गया।

जहाजघाट

१५ अगस्त को ही बलिया के शहर वाले डाकखाने पर आक्रमण हुआ। एक जुलूस जिसमें बहुत से विद्यार्थी और लड़कियां थीं, तिरंगा झंडा लिए हुये पोस्ट आफिस पर चढ़ आया। डाकखाने वालों ने जुलूस के नेताओं से पूछा—आप क्या चाहते हैं? उत्तर मिला—हम पोस्ट आफिस पर तिरंगा झंडा फहरायेंगे। अब यह पोस्ट आफिस कांग्रेस का है। झंडा फहराया गया। इसके बाद पोस्ट मास्टर से कागजात मागे गये। कागजात मिल गये। जुलूस ने उनमें आग लगा दी और फिर कर्मचारियों से कहा जब तक हमारा हुक्म न होगा कोई डाक न आयेगी, न जायेगी।

सिटी पोस्ट आफिस

जुलूस दो भागों में बँट गया। कुछ लोग तो मालगोदाम की ओर बढ़े और कुछ लोग जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर आये। जुलूस ने मालगोदाम को रौंद डाला। रेलवे कर्मचारियों ने जुलूस को देखते ही अपना रास्ता पकड़ा। रेलवे के कुली और पल्लेदार जुलूस में शामिल हो गये। मालगोदाम पर खुल कर लूट हुई, और लूटी जाने वाली चीजों में विशेष प्रिय थे जूते। हजारों जोड़े जूते रखे पड़े थे, उन्हें लोग ले ले कर भागे।

मालगोदाम

९ अगस्त को कांग्रेस दफ्तर पर पुलिस ने ताला भर दिया था। लगभग ५०० आदमियों का जुलूस जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर आया। तिरंगा झंडा पुलिस ने जला डाला था और वहां

कांग्रेस दफ्तर

४ ५ पुलिस के सिपाहियों का पहरा रहा करता था। जुलूस को पहले तो पुलिस वालों ने बहुत रोका, किन्तु जब उसने देखा कि जुलूस का रुख धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है तो सब के सब वहां से हट गये। ताला तोड़ दिया गया और इमारत पर फिर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया।

पहली बार गोली चली

हफ्तों तक बाजारें बंद रहीं। इससे जनता को कष्ट होता था। १५ अगस्त को जनता की ओर से घोषणा हुई कि १६ अगस्त (रविवार) से बाजार लगा करेगा। उधर जिले के अधिकारियों की ओर से दफा १४४ लागू कर दी गई, जिसके अनुसार सभाओं और जुलूसों की मनाही कर दी गई। बाजार बड़े जोरों में लगा। सरकारी आज्ञा को तोड़ने के लिये मालगोदाम रोड से लड़कियों का जुलूस निकला जिसमें जानकी देवी, मानकी देवी, शान्ती देवी, कान्ती देवी, धूपा देवी, लखरानी देवी, श्यामा सुन्दरी देवी और गायत्री देवी आदि थीं। जुलूस चौक होता हुआ लोहार हट्टी की ओर बढ़ा। इतने में एक पुलिस की मोटर आई जिस पर ठा० रामलगन सिंह तहसीलदार थे। वह मोटर बाजार के बीच से बड़े जोरों में भागी। बहुतेरे रेलपेल में गिर पड़े, बहुतों को चोटें आईं। पुलिस लारी पर से ८, १० बार फायरिंग की भी आवाज आई। कुल ९ आदमी मरे और पचीसों को चोट आई। लड़कियों के जुलूस को पुलिस ने रोका, राष्ट्रीय झंडा छीन कर जला दिया और उनसे जुलूस भंग करने को कहा। लड़कियों ने जुलूस भंग करने से इनकार किया। बल्कि उल्टे उन्होंने राष्ट्रीय नारे लगाये। वे पकड़कर मोटर में बंद की गईं और उन्हें कोतवाली भेज दिया गया। उनसे कहा गया कि तुम लोग माफी मांग कर चली

जाओ किन्तु उन्होंने कोरा जबाब दिया। फिर वे जेल भेज दी गईं। उस रात को न उन्हें खाना दिया गया और न ओढ़ने बिछाने के कपड़े दिये गये। रात भर पानी पड़ता रहा और बैरक के अन्दर टपकता रहा। १७ अगस्त को लड़कियों से फिर माफी मागने के लिये कहा गया किन्तु वे बिलकल दृढ़ रहीं। जिले और कस्बे की हालत बिगड़ती गई। गोली गांड और लड़कियों की गिरफ्तारी से स्थानीय अधिकारियों के प्रति घोर असंतोष फैला। १७ अगस्त को संध्या समय जिला मजिस्ट्रेट ने लड़कियों को रिहा कर दिया।

स्टेशन जला

१८ अगस्त को बलिया के कार्यकर्त्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया। स्टेशन के अंदर सैकड़ों आदमी दाखिल हो गये। स्टेशन के कागज़ात और टिकट फार्म निकाल कर बरामदे में रखा। कई रोज से गाड़ियों का आना जाना बंद था, अतएव पार्सल वगैरह कम था। फिर भी जो कुछ सामान रेलवे का मिला एकत्र किया गया और आग लगा दी गई। कागजात जले और उनके साथ स्टेशन की इमारत का कुछ हिस्सा भी जला। कोई बागियों को रोकने वाला न था और न जलते हुये स्टेशन पर कोई एक लोटा पानी डालने वाला था।

अधिकारियों पर प्रभाव

१४ अगस्त के बाद से प्रतिदिन जिला अधिकारियों के पास बागियों की विजय का कोई न कोई समाचार अवश्य आता स्टेशनों, डाकखानों और थानों के पतन के समाचार से जिले के अधिकारियों के होश ठिकाने हो गये। कलेक्टर ने बनारस के अधिकारियों को सशस्त्र सिपाही भेजने के लिये लिखा था किन्तु वे आ न सके। यातायात के साधनों के नष्ट हो जाने के कारण अत्र

सिपाहियों अथवा सैनिकों का आना संभव भी नहीं प्रतीत होता था।

१६ अगस्त को सबेरे जिला मजिस्ट्रेट श्री जे० निगम और पुलिस कप्तान मि० रियाजुद्दीन अहमद ने नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया। कलेक्टर के बंगले पर सभा हुई। निश्चय हुआ कि नागरिकों का एक प्रतिनिधि मंडल जेल में बंद प्रमुख नेताओं से विचार विनिमय करे और पता लगावे कि आन्दोलन के प्रति उनके क्या विचार हैं। जिला बोर्ड के सेक्रेटरी पं० श्यामसुन्दर उपाध्याय को यह उत्तरदायित्व दिया गया। आपने जेल में आकर पं० चीतू पांडे, राधा मोहन सिंह और बा० जानकी प्रसाद आदि से भेंट की। बंदियों की ओर से अंतिम उत्तर दिया गया कि यहाँ बैठे बैठे हम बाहर के घटना चक्र का कोई उत्तरदायित्व नहीं लेते।

पं० श्याम सुन्दर उपाध्याय ने, आन्दोलन की जो परिक्रिया बंदियों पर हुई थी, उससे अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों की आशंका और भी बढ़ गई और वे अधिक सतर्क हो गये। स्थान-स्थान से पकड़ कर अधिकाधिक बंदी जेल में भरे जाने लगे। उनसे जनता की विद्रोह भावना तथा क्रान्ति की क्रमिक सफलता का समाचार बराबर मिलता रहा। आजादी के दीवाने अनेक नवयुवक भारत माता को मुक्त करने के लिये जेल की सींकचों के बाहर आने को लालायित थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बचे खुचे निशानों को मिटाने का श्रेय सब लेना चाहते थे। कटी हुई पतंग को भला कौन लूटना न चाहेगा! कुछ ऐसे भी लोग थे जो रेलवे स्टेशनों, डाकखानों और थानों पर लगी हुई आग से एक बार हाथ सेंक लेना चाहते थे और जुल्म व सितम के पुतले पुलिस कर्मचारियों का निहत्थी जनता से डर कर बेतहाशा भागने का दृश्य भर आंख देख लेना चाहते थे।

सरकारी कर्मचारियों का बुरा हाल था। वे अपने बँगलों में जा बैठे। जो सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी अफ़सर शहर में रहते थे, डर के मारे अपने बाल-बच्चों के साथ प्रायः १८ अगस्त को पुलिस लाइन में आ बसे।

समझौते की वार्ता

नागरिकों के प्रतिनिधि-मंडल के बाद अफसरों ने बारी-बारी जेल में बन्द नेताओं से भेंट की। १६ अगस्त को हाकिम परगना बलिया मि० ओवैस ने ठा० राधा मोहन सिंह से बातें की। इसी तारीख को शहर कोतवाल मि० नादिर अली ने जेल में जाकर ठा० राधा मोहन सिंह से बातें की और उनसे आन्दोलन के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करनी चाही। ठाकुर साहब ने बताया कि हमारा यह प्रोग्राम है कि हम पंचायती राज कायम करें और पुलिस तथा सरकारी कर्मचारियों से कहें कि वे पंचायती हुकूमत मान जांय। यह आन्दोलन व्यापक होगा। धीरे धीरे सारे हिन्दुस्तान में पंचायती हुकूमत कायम होगी। अगर सरकारी नौकर पंचायती हुकूमत नहीं मान लें तो पंचायती सरकार उन्हें गिरफ़्तार करेगी।

बलिया के कोतवाल ने इस भेंट की चर्चा करते हुये लिखाः—

मुझसे १६ अगस्त १९४२ ई० को राधा मोहन सिंह से बात चीत जेल में हुई थी और उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा था कि कांग्रेस का प्रोग्राम उनके पास ४ अगस्त को आ गया था। उसमें Power capture (शक्ति की प्राप्ति) करना भी शामिल है। यह हमारा प्रोग्राम है कि हम पुलिस और मुलाजिमान सरकारी के पास जाकर पूछें कि वे सरकार के नौकर हैं या पब्लिक के। अगर वे कहें कि गवर्नमेंट के नौकर हैं तो उनको कैद कर लें। अगर वे कहें कि पबलिक के मुलाजिम हैं तो उनको पंचायती हुकूमत के

अहकाम मनवाये। इस तरह एक एक जिला ले लें और पंचायती हुकूमत कायम करते जावें।‡

१७ अगस्त को जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान ठा० राधा मोहन सिंह से मिले। ठाकुर साहब ने उनसे भी कहा कि कांग्रेसी पंचायती सरकार बनायेगी और आप को पंचायती सरकार से आदेश मिलेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसा होने पर आप की फांसी होगी और मेरा सत्यानाश हो जायगा। *

'क्रान्ति में यही सब होता है' ठाकुर साहब ने कहा।

जिला मजिस्ट्रेट चलते समय कह गये २ दिन के बाद में फिर मिलूंगा।

१८ अगस्त को जिला मजिस्ट्रेट ने सरकारी अफसरों और बलिया के प्रमुख नागरिकों की फिर सभा की। सारी स्थिति का अवलोकन करते हुये जिला मजिस्ट्रेट को राय दी गई कि वे नेताओं को छोड़ दें। उनसे यह शर्त रखें कि वे जा कर शान्ति स्थापित करें और जनता को उपद्रव करने से रोकें।

किन्तु जिला मजिस्ट्रेट हिम्मत हारने वाले न थे। १८ अगस्त को उन्होंने ठा० रामलगन सिंह तहसीलदार को एक संदेश के साथ बनारस के कमिश्नर के पास भेजा। स्थिति का परिचय देते हुये कमिश्नर से अतिरिक्त पुलिस तथा फौज की मांग की गई।

तहसीलदार बनारस भेजा गया

उन्हें रायबहादुर पं० काशीनाथ मिश्र की कार दी गई और हिफ़ाजत के लिये १ रिवालवर, १ बंदूक, १४ कारतूस और २ चपरासी दिये गये।

---

‡ डायरी कोतवाली।

* "In so doing you will be hanged and I will be sacked"

ठा० राम लगन सिंह ने २६ नवम्बर १९४३ को मि० ओ० पी० गुप्ता डिप्टी कलेक्टर के सामने बयान दिया :—

मैं तहसीलदार बलिया १७ अगस्त सन् ४२ तक था। बतारीख १८ अगस्त सन १९४२ व उसके बाद मैं डिप्टी कलेक्टर बलिया मुकर्रर हुआ। १८ अगस्त सन ४२ को जनाब निगम साहब बहादुर कलेक्टर ने मुझे message S. O. S. (रक्षा के लिये अंतिम संदेश—लेखक) दिया जिसे लेकर कमिश्नर साहब बहादुर को दिया। मैं १८ अगस्त सन ४२ को बलिया सुबह जरिये कार पं० काशीनाथ साहब मिश्र रायबहादुर रवाना हुआ। एक रिवाल्वर मय ३६ कारतूस के मुझे दिया गया कि मैं अपनी हिफाजत कर सकूँ। इसके अलावा मेरे पास मेरी अपनी बन्दूक और १४ कारतूस रही।

क्रान्ति उत्तरोत्तर सफल होती जा रही थी। जिले भर से सरकारी अमलदारी उठ चुकी थी। १८ को बैरिया में पचासों नौजवान राष्ट्रीय झंडे की शान के लिये शहीद हो चुके थे। बांसडीह का खजाना लूटा जा चुका था। जिले के सारे स्टेशन जल चुके थे। थाने या तो जला डाले गये थे अथवा वे पंचायती सरकार मान चुके थे।

१९ अगस्त को उत्तेजित जनता ने जिले के अन्य स्थानों पर कब्जा करके बलिया शहर से ब्रिटिश सत्ता के बचे खुचे चिह्न को मिटा देने के लिये चारों ओर से आक्रमण किया। कुल चार सड़कें नगर की ओर आती हैं उन सब पर भीड़ उमड़ी आ रही था। जिले के अधिकारियों के होश ठिकाने न रह गये। उन्होंने प्रमुख नागरिकों को फिर बुलाया। इस बार केवल पं० श्याम सुन्दर उपाध्याय और खां बहादुर नजीरुद्दीन (अब सरकारी वकील) जिला मजिस्ट्रेट के बँगले पर गये। जिला मजिस्ट्रेट

तथा पुलिस कप्तान से बात चीत होने लगी। क्रान्ति अधिक जोर पकड़ती जा रही थी। मुकाबला करने के लिये अब तक सैन्यबल प्राप्त करने की जो आशा थी धीरे धीरे जाती रही। जिला मजिस्ट्रेट ने स्थिति को काबू में लाने के लिये एक अनोखी चाल चली। उपाध्याय जी तथा खां बहादुर साहब के परामर्श से निश्चय हुआ कि पं० चीतू पांडे और बाबू राधा मोहन सिंह तत्काल रिहा कर दिये जाय। बा० जानकी प्रसाद की धर्म पत्नी सख्त बीमार थी, उनकी हालत खराब हो चली थी। उनकी ओर से पेरोल की दरख्वास्त पड़ी थी, उसे भी जिला मजिस्ट्रेट ने मंजूर कर लिया। रिहाई का यह फरमान अभी सुनाया भी नहीं गया था कि एक पुलिस कांन्टेबिल वहां दौड़ा हुआ आया और बतलाया कि बांसडीह वाली सड़क से लगभग ३० हजार आदमी अस्त्र शस्त्र लिये आ रहे हैं। १० मिनट के बाद एक दूसरा सिपाही दौड़ा हुआ आया, उसने बताया कि सिंकदर पुर वाली सड़क से २० हजार आदमी कस्बे की ओर बढ़े आ रहे हैं। उनका पहला आक्रमण जेल पर होगा। उसके बाद खजाने और कचहरी पर धावा करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान का रुख उस वक्त देखने लायक था। जिला मजिस्ट्रेट ने लड़खड़ाती हुई ज़बान में किन्तु गंभीर मुद्रा से कहा अब हम प्रत्येक राजनीतिक बंदी को रिहा कर देंगे। एक एक मिनट पर संकट निकट आ रहा था। वे स्वयं पुलिस कप्तान के साथ जेल पर आये और जेलर को अपना आदेश दिया। उन्होंने पं० चीतू पांडे तथा बा० राधा मोहन सिंह आदि से भेंट की और कहा कि मैं आपको इस शर्त पर छोड़ रहा हूँ कि आप उमड़ते हुए जन समूह को समझा बुझा कर वापस लौटा दें। बंदियों की ओर से कहा गया कि हम इसका वादा नहीं कर सकते। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कम

से कम आप जेल, खजाना और जान माल की जिम्मेदारी तो ले सकते हैं। बंदियों ने कहा कि आपके जान माल की हिफाजत तो हम कर लेंगे, किन्तु अन्य बातों का वादा हम नहीं करते, हमें नहीं मालूम गाँधी जी के आदेश क्या हैं। लाचार होकर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, भीड़ बढ़ती आ रही है, स्थिति आप लोग चाहें तो संभाल सकते हैं। आप बाहर जाँय, भीड़ को रोकें, और शान्ति स्थापित करें। सारा उत्तरदायित्व अब आपका है, मुझसे कुछ मतलब नहीं रहा। पं० चीतू पांडे ने जिला मजिस्ट्रेट को आश्वासन दिया कि हम शान्ति स्थापित करने की कोशिश करेंगे। आप अपने बँगले में जाकर आराम कीजिये। जेल का फाटक खुला और मिनटों में सारे राजबंदी बाहर निकल आये। आते ही उन्होंने इनकलाब के नारे लगाये। चारों ओर से आने वाली भीड़ के युद्ध घोष और बीच में जेल से मुक्त बंदियों के विजय घोष से वायुमंडल प्रतिध्वनित हो उठा।

बलिया के कोतवाल ने रिपोर्ट में लिखा:—१८ अगस्त १९४२ को बाँसडीह का थाना तहसील व खजाना लूट जाने की खबर ने काग्रेसी बागियों के मनसूबे में चार चाँद लगा दिये। उन्होंने मुन्तजिम होकर सदर के ऊपर हमला करने की पूरी तैयारी कर दी। १९ अगस्त १९४२ ई० को दोपहर से हुक्काम को खबर मिली कि सिकंदर पुर रोड पर और बाँसडीह रोड पर आदमियों का हमला हो रहा है और आज जेल, कोतवाली और खजाना सदर पर हमला होगा। जुमला लीडरान कांग्रेसी याने चीतू पांडे, राधामोहन सिंह, राधा गोविन्द सिंह, राम अनन्त मुख्तार, महानन्द मिश्र मय जुमला दीगर मुलजिमान के जो इस तहरीक के सिलसिले में उस वक्त तक गिरफ्तार होकर जेल में थे रिहा कर दिये गये और यह सब

बशकल जुलूस शहर चले गये। पुलिस को अफसरान बाला ने हिदायत दी कि ये मुलिजमान बगरज मुसालहत छोड़े गये हैं। उनके मामलात और हरकात में दखल न दिया जावे। बाद एक मजमा में अनकरीब तखमीनन २-२॥ हजार आदमी लाठियाँ लिये थे। बाँसडीह सड़क की जानिब से कोतवाली की पूरब वाली सड़क पर आगया। कोतवाली के पुश्त पर बढ़ कर उस मजमा को आगे बढ़ने से रोक दिया और अफसरान बाला को जो लाइन में मौजूद थे खबर दी। मजमा जोश पर था और बाकायदा काँधों पर लाठियां रखे तीन तीन की कतार में था।‡

जेल से निकलने पर नेताओं ने दूसरी ही दुनिया देखी। लगभग ६० हजार आदमियों की भीड़ बलिया जैसे छोटे कस्बे के अन्दर दाखिल हो चुकी थी। टाउन हाल में समा हुई। पं० राम अनन्त पांडे, राधा मोहन सिह, राधा गोविन्द सिह और विश्व नाथ चौबे आदि के भाषण हुये। वक्ताओं ने बागियों का रुख देखकर समझ लिया कि उबलते हुये जोश को दबाना असंभव है। इसी बीच जिला मजिस्ट्रेट मि० निगम पं० चीतू पांडे को टाउन हाल के फाटक के पास लाकर छोड़ गये। पं० चीतू पांडे ने लोगों को मना किया और कहा कि विध्वंस कारी कार्यक्रम छोड़ दीजिये। थोड़े से लोगों ने उनका कहना माना और वे घर चले गये, किन्तु अधिकतर लोगों ने केवल हँसी उड़ाई।

सभा से उठकर नेता लोग परामर्श के लिये बा० शिव प्रसाद की कोठी में एकत्र हुए। उधर से ४-५ नवयुवक वापस आये। उन्होंने एकत्र जनता में जोश भरा और फिर कहा कि नेताओं से

---

‡पुलिस डायरी कोतवाली बलिया।

हम परामर्श कर आये हैं। आज जो करना है, हमें मालूम है। ऐसा जमाव बार बार न होगा। इस पर लोग उठ पड़े और फिर विध्वंस शुरू हुआ। कोतवाल अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं।‡

१९अगस्त १९४२ को जब कलेक्टर साहब ने उसको (पं० चीनू पांडे) सयासी लीडरान के साथ छोड़ा था तो साफ शब्दों में कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारी मैगजीन मय खजाना महफूज रहे। और इसपर कोई हमला न हो और तुम लोग जो चाहो करो। इसके बावजूद भी मुजहिर मजमें को लूट मार करने से बराबर रोकता रहा मगर मजमा उसके काबू का न था।

महेन्द्र लाल कान्सटेबिल डी० आई० एस ने २० अक्टूबर को अपने बयान में कहा:—

महानन्द मिश्र, प्रसिद्ध नारायन व विश्वनाथ चौबे व रामनाथ बरई मजमे को बराबर इश्तयाल देते और बलबलाते थे। यह तीनों नगाना चौबे, मंगल सिंह व परशुराम सिंह मीटिंग से उठकर शिव प्रसाद के घर लीडरान के मीटिंग में गये और जबानी लीडरान से बात चीत करके वापस टाउन हाल आये और मजमा से कहा कि हम लोग लीडरान से तै कर आये हैं, आओ जो करना हो किया जाय। इसी पर सब ने उठ कर लूट मार शुरू कर दिया।*

महेन्द्र प्रसाद कान्सटेबिल पीटा गया

सारे पुलिस कर्मचारी तो इधर उधर छिपे थे किन्तु खुफिया पुलिस का कर्मचारी महेन्द्र प्रसाद अपना काम बराबर करता जाता था। कागज पेंसिल लिये हुये वह हर एक कार्रवाई को दर्ज करता जाता था और क्रान्तकारियों के नाम भी लिखता जाता था। मना करने पर भी न माना। क्रोध के आवेश

---

‡डाइरी थाना कोतवाली बलिया ता० २० नवंबर १९४२।

में दो चार आदमियों ने उसे ऐसा मारा कि उसने साथ ही छोड़ दिया। महेन्द्रलाल लिखते हैं :—

मुजाहिर को गढ़ा के करीब बच्चालाल व भीखू कुर्मी और नगीना चौबे ने यह कह कर कि खुफिया पुलिस का आदमी है, बहुत मारा था और मरा हुआ समझ कर सड़क पर फेंक गये थे।

टाउन हाल से भीड़ कई हिस्सों में बँट गई। टाउन हाल के पास ही ओकडन गंज पुलिस चौकी थी इस पर अक्रमण हुआ। पुलिस के सिपाही अपनी अपनी चीजें ले ले कर भागे। चौकी के सारे कागजात और दीगर सरकारी सामानों को इकट्ठा करके आग लगा दी गई। चौकी के पास ए० आर० पी० की लारी खड़ी थी उसमें आग लगा दी गई।

ओकडन गंज चौकी जली

नादिर अली खाँ, कोतवाल बलिया ने जाँच के बाद लिखा :—

मैंने विन्देसरी हलवाई सा० ओकडन गंज से जो बिलकुल चौकी के मावतसिल रहता है बात चीत की। चौकी के लूटने का वाकया बचश्म खुद देखा था। मना करने पर दो लाठी उसको भी लुटेरों ने मारा था। उसने बलवाइयों में बच्चालाल उमा सोनार, सूरज कायस्थ, विश्वनाथ बरई, हीरालाल पसारी, रामचन्द्र प्रसाद, सुदेसर सिंह, रामनाथ बरई व मंगला सिंह व हरिहर सिंह सा० दवनी को देखा था।*

शहर के अंदर दूसरी चौकी जालिमगंज की पड़ती थी। क्रान्तिकारियों ने इस पर भी धावा बोल दिया। लगभग ४, ५ हजार आदमी थे। सिपाही बलवाइयों के डर के मारे चौकी छोड़ कर पहले ही भाग चुके थे। कमरों में ताले पड़े थे। किसी

जालिमगंज चौकी पर आक्रमण

*डायरी कोतवाली बलिया ३० अक्टूबर १९४२।

कमरे का ताला तोड़ा गया, किसी का दर्वाजा टूटा और किसी की दीवार ही तोड़ दी गई। हजारों आदमी बेरकों के अंदर घुस गये। जो कुछ भी सामान चौकी के अंदर मिला, उसे बाहर इकट्ठा किया और फूंक दिया। सिपाहियों के दो चार बर्तन बच गये थे। वे भंगियों को दे दिये गये। बागियों के हाथ यहां एक बंदूक भी लगी।*

सरकारी आदमियों पर धावा।

जब कभी डा० बब्बन से दुकान बंद करने की प्रार्थना की गई तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। अपने को वे सरकार के खैरख्वाह कहा करते थे। १४ अगस्त को बनारस के कमिश्नर उनके मकान पर गये भी थे। १४ अगस्त को जब विद्यार्थियों ने भाग कर उनकी दुकान के सामने वाले मकान में शरण ली

---

*......yesterday, the 19th of August 1942 at 5 p.m., a mob of 4 or 5 thousand men armed with guns, lathis and spears suddenly attacked the police putpost while shouting Gandhi Ji Ki Jai They entered the police outpost and barracks and looted away the Government and private property, the details of which shall be given later on. Out of them one Single Barrel muzzle loading gun belonging to Lal Mohamad Khan, constable No 23 was also looted away. I myself and all the employees recognised Dhani Ahir, Beni Ahir, Shama Ahir, Ramnath Kalwar and Srikant Pande......The Government papers were also burnt.

Md. Salim,
Chauki. Japlinganj.

थी तो उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को बुलवाया और उन्हें गिरफ्तार करवाया। जुलूस में जो विद्यार्थी थे उन्हें यह बात भूली न थी। उन्होंने डाक्टर साहब को पकड़ा और माफी मागने को कहा, किन्तु वे भाग कर अपने मकान में घुस गये। उनकी दुकान के अन्दर जो भी शीशी बोतल थे तोड़ फोड़ डाले गये।*

राय बहादुर पं० काशीनाथ मिश्र ने अभी एक दिन पहले तहसीलदार ठा० रामलगन सिंह को अपनी कार इसलिये दी थी कि वे कमिश्नर के यहां जांय और वहां से आन्दोलन दबाने के लिये फौज लेकर लौटें। उनके मकान पर भी धावा हुआ। वे तो नहीं मिले किन्तु बलवाइयों ने उदाहरण स्वरूप उनको भी कुछ दंड देना उचित समझा। उनकी बैठक से कुछ कपड़े लत्तो बाहर निकाल कर जला डाले गये। बलवाइयों ने उनकी बंदूक भी छीन ली।

मि० ओवैस डिप्टी कलेक्टर ने शुरू शुरू में आन्दोलन को दबाने के लिये बड़ी कोशिश की थी। १२ अगस्त १९४२ को उन्होंने स्टेशन के पास रेलवे क्रासिंग पर विद्यार्थियों को अपने हाथों से मारा था। उनसे बदला लेना जरूरी था। बलवाइयों ने

*About 3 or 4 days before the occurrence 7 or 8 persons had come to me to ask that I should close the shop and out of them were Lakhi Narain, Ramnath and Udai Narain accused present in the court. I refused to close the shop. There was a First Aid Post at my house and in this connection the Commissioner had come to my house on 14.8.42.

Evidence of Dr. Babban Pd.
in the Court of Mr M. B. Lal Addl
Sessions Judge, dated 2-8-44.

उनके घर पर धावा किया। वे पकड़े गये। उनकी धर्म पत्नी और उनके बाल बच्चों ने रोना चीखना शुरू किया। मि० ओवैस को दो बार उठाया बैठाया गया। फिर उनकी बंदूक मागी गई। उन्होंने दे दी। उनके मकान में चीनी के बर्तनों का ढेर था, वह तोड़ फोड़ दिया गया। कीमती सामान कोई नहीं था।

मि० ओवैस के बँगले के पास मि० ॰ यगल मुंसिफ का बँगला था। बिना सोचे समझे कुछ लोग उनके मकान पर भी पहुँच गये। मुँसिफ साहब का वास्तव में कोई अपराध नहीं था वे हाल ही में बलिया आये थे। भीड़ को देख कर वे बँगला छोड़ कर भागे और डा०प्रबोध कुमार के मकान में शरण ली। यदि वे अपने बँगले पर ठहरे होते तो कदाचित उनकी चीजें कोई नहीं छूता।

पं० श्री गोपाल मिश्र अभी चन्द रोज पहले नायब तहसील-दार रह चुके थे। लड़ाई के दिनों में उन्होंने रंगरूट भर्ती और चंदा वसूली का काम अपने ऊपर ले लिया। नायब तहसीलदार से वे रिक्रूटिंग अफसर हो गये। फौज में जबरदस्ती भर्ती जोरों पर चल रही थी और इसका बहुत कुछ श्रेय मिश्र जी को था। आन्दोलन के शुरू में जहां जहां डिप्टी कलेक्टरों और पुलिस अफसरों ने ज्यादतियाँ कीं वहां वहां अक्सर आप भी देखे जाते। जब तख्ता पलटा और बलिया जिले पर बलवाइयों का अधिकार हुआ तब रिक्रूटिंग अफसर की खोज में उनके मकान पर एक भीड़ गई। पता चला कि वे अपना सामान लाद कर पुलिस लाइन में जा छिपे हैं। मकान पर ताला पड़ा था। दर्वाजा और जंगले तोड़ ताड़ कर ही बलवाइयों ने अपने क्रोध को शान्त किया।

पास ही श्री एन० डी० कक्कर डिप्टी कलेक्टर का बंगला था। विद्यार्थियों को उन्होंने अपने हाथों पीटा था तथा कइयों को गिर-फ़्तार कराया था। उन्हें आक्रमणकारियों का डर था। भाग कर

उन्होंने पुलिस लाइन में शरण ली। अपना असबाब उठवा कर पड़ोसियों के घर रखवा दिया था। बलवाइयों के साथ ६, ७ ऐसे आदमी भी बंगले में घुसे जिनको कक्कड़ साहब ने पहले से ही ठीक कर रखा था। इन लागों ने कीमती चीजों को सबसे पहले अपने सर पर उठा लिया और लेकर चलते बने। आक्रमण कारियों को असबाब से कोई मतलब नहीं था, वे तो कक्कड साहब को ढूंढ़ते थे। जब नहीं मिले तो उस स्थान को छोड़कर वे आगे ।*

*On the 19th of August '42 at about 5 30 p. m. a mob of 4 or 5 hundred persons comprising persons of urban and rural areas armed with lathis, spears and guns attacked the bungalows of Syed Md. Owais Saheb, Deputy Magistrate Mishra Saheb, Treasury Officer, Gopal Mishra Saheb, Recruiting Officer and Sahgal Saheb, Munsif, shop of Dr. Babban Prasad and the house of Rai Bahadur Kashinath Mishra Saheb.......

Reported by the Head Moharrir
Kotwali, Ballia, on 24 8. 42

At the headquarters of this district (Ballia), a mob led by a prominent local Congressman sacked the residences of four Government Officers and two non-official gentlemen who had given some support to the Government; one of the latter was a doctor the entire contents of whose dispensary were wantonly destroyed.

Congress Responsibility
for the Disturbances (42-43),
Published with authority, P.32

गाँजे और शराब को दूकानों पर भी हमला हुआ। शराब की बोतलें चूर चूर कर दी गईं। और वर्तन भांडे तोड़ फोड़ डाले गये। दुकान से शराब की धारा बह चली। गाँजे के दुकान दार ने अपना स्टाक एकत्र करके उसमें अपने हाथों आग लगा दी

गाँजे और शराब की दूकानें

जिला मजिस्ट्रेट राजनीतिक बंदियों को जिला जेल से रिहा करने के बाद सीधे खजाने पर आये। अभी २४ घंटे पहले ही तहसील बाँसडीह का खजाना लूटा जा चुका था। बलिया का खजाना लूट जाने में भी कोई संदेह नहीं था। उन्होंने नोटों का नंबर नोट कर लिया और फिर एक डिप्टी कलेक्टर को आज्ञा दी कि सारे नोटों को जलवा दें। बागियों से डिप्टी कलेक्टर साहब को भी डर था। उन्होंने यह काम किसी अन्य अधिकारी को सौंपा और अपने घर की राह ली। नोटें जलने लगीं। कुछ को खजाने के कर्मचारियों और वहाँ पहरा देने वाले सिपाहियों ने अपने पाकेट के हवाले किया। भीड़ ने देखा कि नोट जला दिये गये, फिर वह वापस चली गई। लगभग ३ लाख रु० के नोट तो खजाने के कर्मचारियों और गारदों के हाथ लगे। ५, ६ लाख रुपये के नोट वास्तव में जला डाले गये। एक महीने के बाद देखा गया कि खजान्ची साहब पागल हो गये हैं किन्तु उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं है।

बलिया खजाने पर धावा

सरकारी बीज गोदाम में हजारों बोरा अन्न था। लोगों ने इस पर भी आक्रमण कर दिया। ३०, ४० मिनट के अन्दर सारा अन्न बीज गोदाम से बाहर हो गया। देहाती लोग अन्न के बड़े भूखे थे बाँध कर घर लेते गये।

बीज गोदाम

दिन भर परिश्रम करने के बाद जनता बहुत थक चुकी थी। काम की गर्मी में किसी को खाने पीने की सुधि न रही। बरमाइन निवासी श्री राधा कृष्ण ने अपनी गोदाम से ५ बोरा आटा और ५ टिन घी निकला। शहर के हलवाई आये। पूड़ियाँ तैयार हुई और सड़क पर पांत की पांत बैठकर देहाती जनता ने अपनी क्षुधा शान्त की।

पुलिस ने फिर गोली चलाई

यद्यपि जेल से निकलते समय कांग्रेसी नेताओं के ऊपर शहर का सारा भार दे दिया गया था और कहा गया था कि लाइन के बाहर पुलिस न जायेगी फिर भी २० तारीख को पुलिस की एक लारी शहर में घूमती नजर आई। उसने माल गोदाम से लगाकर गुदड़ी बाजार के बीच कई बार गोलियां चलाईं जिनसे २ आदमी मर गये। इन्हीं मरने वालों में श्री मोहित लाल थे जो दो वर्ष पहले पेशकार रह चुके थे और अब पेंशन पाते थे। वे बालेश्वर जी के मंदिर से पूजा करके वापस आ रहे थे।

सार्वजनिक उत्सव

२० अगस्त को संध्या समय बलिया के नागरिकों की एक विराट सभा टाउन हाल में हुई। इसमें हिन्दू मुसलमान, छोटे बड़े सब आये थे। बड़ी खुशियाँ मनाई गईं। शहर के धनी मानी लोगों वह २५००) चंदा करके दिया ताकि जब तक टैक्स वगैरह नहीं लगते तब तक बलिया प्रजातंत्र का खर्चा चले। वहीं पर मुहल्लों के लिये अलग अलग पंचायतें कायम हुईं और जनता की रक्षा का भार कांग्रेस के स्वयं सेवकों को दिया गया।

जिला कांग्रेस कमेटी का दफ़्तर बलिया प्रजातंत्र का सदर दफ्तर बना और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेन्ट पं० चीतू पांडे पहले जिलाधीश कहलाये। मंडलों को सूचना भेज दी गई कि

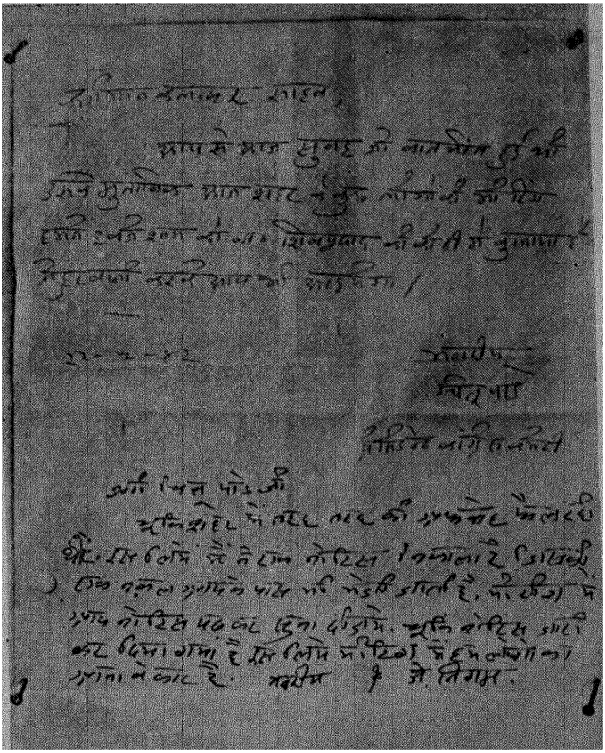

[illegible]

[illegible]

चितू पांडे

[illegible]

श्री चितू पांडे जी

[illegible]

[illegible] जे. निगम.

श्री चीतू पांडे और श्री जे० निगम जिला मजिस्ट्रेट का पत्र व्यवहार, पृ० १५७

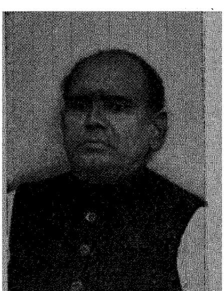

श्री चीतू पांडे, एम०एल०ए०

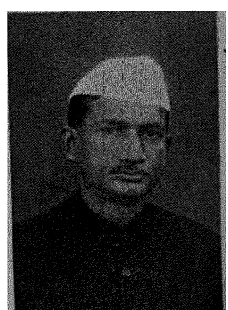

श्री राधामोहन सिंह, एम०एल०ए०

गाँव गाँव में पंचायतें कायम हों। स्वयं शहर कोतवाल मि० नादिर अली खाँ ने मि० महाराज बहादुर लाल सेशन जज के सामने ९ अगस्त १९४४ को बलिया की कैफियत का बयान करते हुये कहा था कि अगस्त १९४२ में बलिया में आन्दोलन हुआ था। जिले के १० थानों में बलवाइयों ने ७ थानों पर अधिकार कर लिया था और बाकी तीन पर भी काम बन्द था।

पं० चीतू पांडे (नये जिलाधीश) ने २० अगस्त को डुग्गी पिटवाई कि अब बलिया में कांग्रेस का शासन है। लोग शान्ति पूर्वक रहें और दुकाने खोलें। यह भी कहा गया कि जिसको ज दर्खास्त देनी हो जिला कांग्रेस कमेटी में दे, उसकी उचित सुनवाई होगी।

बलिया के कोतवाल ने इस संबंध में अधिकारियों को निम्न-लिखित सूचना दी :—

दूसरे दिन (२० अगस्त को) चीतू पांडे ने डुग्गी शहर में पिटवाई थी कि अब लाइन इस पार कांग्रेस का राज्य है। जिसको जो दर्खास्त देनी हो या उजर करना हो वह चीतू पांडे से करे।

२२ अगस्त को सबेरे पं० चीतू पांडे मि० निगम से मिले और उनसे जिले की शासन व्यवस्था सम्बन्धी बातें हुईं। वहां यह भी निश्चय हुआ कि प्रमुख नागरिकों की सभा बुलाई जाय जिसमें मि० निगम शासन संबंधी छोटी मोटी बातें समझा जांय। बैठक उस दिन ३ बजे संध्या समय बा० शिवप्रसाद की कोठी में हुई। पं० चीतू पांडे ने मि० निगम को पत्र लिखा कि वे बैठक में सम्मिलित हों। मि० निगम नहीं आये। उन्होंने उत्तर में लिख भेजा कि चूंकि तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, बैठक में उनका सम्मिलित होना बेकार है। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने एक नोटिस निकाली और घोषणा की कि कस्बे में जो लोग अशांक

फैलायेंगे, गिरफ्तार किये जायेंगे। इस नोटिस की एक प्रति उन्होंने पं० चीतू पांडे के पास भेज दी।

विद्यार्थियों का संगठन

अगस्त के अंतिम सप्ताह तक जाहिरा तौर पर आन्दोलन समाप्त हो चुका था। मिलिटरी और पुलिस के आंतक के मारे जनता त्रस्त थी। गाँव गाँव में खुफिया का जाल बिछा हुआ था। फिर भी कई नवयुवक अपने काम में लगे हुये थे। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया और बाहरी जिलों से भी संतर्क स्थापित किया। तोड़ फोड़ के शिक्षा केन्द्र स्थापित हुए जहां उन्होंने शिक्षा पाई। वे जिले भर दौरा करते और जहां तहां पर्चे बांट आते थे। यद्यपि ऐसे सभी कार्यकर्ताओं पर वारंट थे, फिर भी वे पुलिस की आँख में धूल झोंकते हुये अपना काम करते जाते थे। बहुतेरे स्कूलों के विद्यार्थी आकर इस दल में मिल गये। इन विद्यार्थियों का खास काम था पर्चा बांटना। प्रायः प्रति सप्ताह पर्चे छपते और स्कूलों के विद्यार्थियों, नगर के दुकानदारों और देहात के किसानों में बांट दिये जाते थे। अध्यापकों की किताबों और दफ्तर के क्लर्कों की फाइलों में भी पर्चे पहुंच जाते थे। इस बानरी सेना की कार्रवाइयों से परेशान आकर सिटी मजिस्ट्रेट मि० ओवेस ने आज्ञा निकाली कि जहां पर्चा पाया जायेगा उसके १०० गज के इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्तियों से जुर्माना लिया जायेगा। लोग अपने घरों और मुहल्लों को जुर्माने से बचाने के लिये अधिक सतर्क होगये। इस आज्ञा के निकलने ही एक दिन बाद मि० ओवेस के मकान के पास पर्चे पाये गये। खुफिया पुलिस ने जब उनसे रिपोर्ट की तो उन्हें आज्ञा रद्द करनी पड़ी।

जनवरी १९४३ में मेस्टन कालेज का एक छात्र श्री मुक्तेश्वर प्रसाद पर्चा बांटते हुये पकड़ा गया। कोतवाली में ले जाकर पुलिस

ने उन्हें खूब पीटा। फिर वे मुखबिर बन गये। उनके बताने पर कई विद्यार्थी पकड़े गये। पर्चा बांटने के संबंध में सर्व श्री पुरंजय चतुर्वेदी, विंध्याचल प्रसाद, मुक्तेश्वर प्रसाद और ब्रज किशोर आदि पर मुकदमे चले किन्तु वे छूट गये।

गवर्नमेन्ट स्कूल और मेटस्न कालेज के दफ्तर जले

८ जनवरी १९४३ की रात में १०, १२ विद्यार्थियों ने गवर्नमेन्ट स्कूल का दफ्तर जला डाला। दफ्तर के पास जो चौकीदार सोया करता था। उससे कहा गया कि बाजार से मिठाई खरीद लावे। विचारा चकमें में आ गया। उसके जाने के बाद दर्वाजे का शीशा तोड़ा गया और पिचकारी से कमरे के अन्दर चारों ओर स्पिरिट छिड़की गई। इसके बाद आग लगा दी गई। सारे कागजात, मेज कुर्सियां, टाइप राइटर आदि १० मिनट में जल गये। गवर्नमेन्ट स्कूल के दफ़्तर में आग लगने के १५ मिनट बाद मेस्टन कालेज के दफ्तर में आग लगाई गई। वहां का भी यही हाल रहा, वहाँ स्पिरिट की कमी से नुकसान कम हुआ। इन कांडों के संबंध में सर्व श्री सूरज बली यादव, मुस्तफा अन्सारी, बिहारी पटहेरा और प्रताप पासी पर पहले मुकदमे चले। सबको २, २ वर्ष कैद और १०, १० बेंत की सजा हुई। हाई कोर्ट में अपील करने पर श्री बिहारी के अतिरिक्त अन्य सब अभियुक्त छोड़ दिये गये। स्कूल के ऐसे लड़के जिन पर हेडमास्टर और अध्यापकों को संदेह था, पकड़े गये। उसमें श्री बलराम उपाध्याय, भगवान और शिवराम वर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्हें कोतवाली में भाँति भाँति की यातनायें दी गईं।

२५ जनवरी १९४३ को प्रान्त के गवर्नर मि० हैलेट बलिया आये। रेलवे लाइनों पर कड़ा पहरा था। लाइनों के आस पास के गांवों के मुखिया और चौकीदार लाइनों पर आ डटे थे।

फिर भी दो स्थानों पर लाइन के किनारे के नार काटकर नवयुवकों ने अपने कौशल का परिचय दिया। अगस्त १९४३ में पुलिस बहुत सतर्क थी कि कहीं राष्ट्रीय झंडा न फहराया जाय। श्री श्याम नारायण सिंह ने बलिया स्टेशन पर झंडा फहरा ही दिया। उन्हें १ वर्ष की सजा हुई।

स्कूल के दफ्तरों के जलाने के संबंध में धीरे-धीरे श्री रवींद्रनाथ श्रीवास्तव, श्री राम गोविन्द लाल, और श्री कुबेर प्रसाद गिरफ्तार हुये। श्री रवीन्द्रनाथ पर शस्त्र कानून तोड़ने का भी एक मुकदमा था। उसमें उनकी ६ महीने कैद की सजा हुई, जो अपील करने पर रद्द हो गई। आफिस कांड वाले मुकदमे की पैरवी में यद्यपि पुलिस ने बड़ी मिहनत की और सबूत पक्ष की ओर से कई गण्य-मान्य लोगों की गवाहियां हुईं, फिर भी सेशन अदालत से सारे अभियुक्त रिहा कर दिये गये।

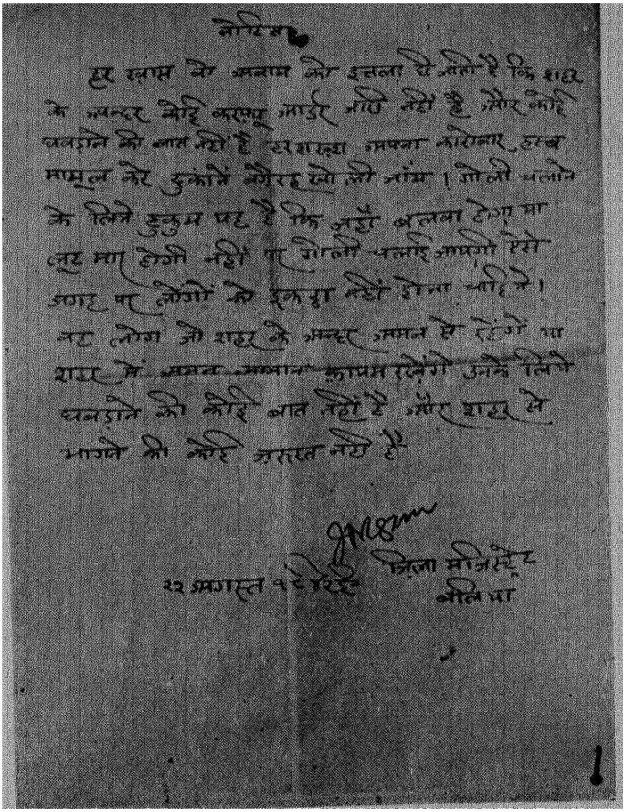

नोटिस

हर खास व आम को इत्तला दी जाती है कि शहर के अन्दर कोई करफ्यू आर्डर जारी नहीं है और कोई घबड़ाने की बात नहीं है हस्ब क़ायदा अपना कारोबार, हस्ब मामूल और दुकानें वगैरह खोली जांय। गोली चलाने के लिये हुकुम यह है कि जहाँ बलवा होगा या लूट मार होगी वहीं पर गोली चलाई जायगी ऐसी जगह पर लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिये। वह लोग जो शहर के अन्दर अमन से रहेंगे या शहर में अमन अमान क़ायम रक्खेंगे उनके लिये घबड़ाने की कोई बात नहीं है और शहर से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
बलिया

२२ अगस्त १९४२

श्री जे० निगम की नोटिस पृ० १५७

श्री गंगाप्रसाद (बलिया) पृ० १३८

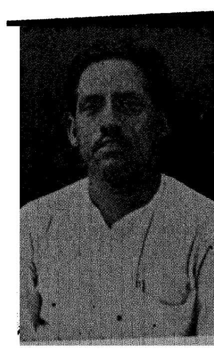

श्री त्रिवेणी सिंह (बलिया)

अध्याय ३

दमन का दौर

ठाकुर राम लगन सिंह जिस काम के लिये बनारस गये थे उस में वे सफल हुये। वहां से फौज की दो

सेना का आगमन

टुकड़ियां चलीं। एक सीधे गाजीपुर होते हुये बलिया आई और दूसरी बनारस से ई० आई० आर० रेलवे से बक्सर गई; वहां से स्टीमर पर चढ़कर बलिया पहुँची। छोटी लाइन से जो फौज गाजीपुर होते हुये बलिया आई उसे जगह जगह रुकते आना पड़ा था। रेलवे लाइन कट चुकी थी, साथ में इन्जीनियर और बीसों कुली थे जो लाइन की मरम्मत करते चलते थे। २२, २३ अगस्त की बीच वाली रात को ट्रेन से फौज बलिया में उतरी। सैनिकों के साथ मि० मार्शस्मिथ और नेदर सोल भी आये। उतरते ही खुफिया पुलिस वाले साथ लग गये। सैनिक इधर उधर गोलियाँ छोड़ते हुये आगे बढ़े। सब से पहले रातों-रात उन लड़कों की गिरफ़्तारी हुई जो आन्दोलन के दिनों में आगे ही आगे रहते थे। इनमें सर्व श्री उमाशङ्कर, सूरज प्रसाद, हीरा पंसारी, विश्वनाथ, बच्चा लाल और राजेन्द्रलाल के नाम उल्लेखनीय हैं। ज्यों ही ये लोग पकड़े जाते बुरी तरह पीटे जाते थे। मार खाते-खाते

जब ये लेट जाते तो इनको घसीट कर पुलिस की मोटर में भर दिया जाता और ऊपर से संगीन की नोक इनके सीनों पर रख दी जाती।

इसके बाद फौज की टुकड़ी बा० मुरली मनोहर गवर्नमेंट एडवोकेट के मकान पर पहुँची और सारा मकान घेर लिया। बा. मुरली मनोहर बाहर निकले, उन्हें बड़ी फटकार सुनाई गई। बा० मुरली मनोहर ने जब बताया कि मैं गवर्नमेंट एडवोकेट हूं तब तो सैनिक कुछ ढीले पड़े। उनके भतीजे को सैनिकों ने पकड़ लिया और लेकर चलते बने।

लगभग ५ बजे फौज वालों ने सतनी सराय मुहल्ले में बीसू और गंगा बिसुन का मकान जलाया। उन पर यह अभियोग था कि उन्होंने कस्बे के अन्दर लूट फूंक के लिये आदमी इकट्ठा करने में हाथ बँटाया था। बीसू और गंगा बिसुन भाग चुके थे।

श्री रामनाथ बरई के मकान पर आक्रमण हुआ। फौज वाले मकान के अन्दर घुस गये और एक-एक चीज बाहर निकाली। बरामदे में रखा और आग लगा दी। ऊपर जा कर मकान की छत भी तोड़ दी।

सर्व श्री उमाशङ्कर, सूरज प्रसाद, हीराराम, विश्वनाथ, बच्चा लाल और राजेन्द्र को सबेरे ५॥ बजे बलिया पुलिस लाइन में पहुँचाया गया। वहां उन्हें मुर्गा बनाया गया और चूतड़ों और फोतों पर ठोकर मारी गई। मारने वालों में सर्वोच्च अधिकारी भी थे। इसके बाद इन्हें पेड़ पर चढ़ाया गया। लोग चढ़ते जाते और उन्हें नीचे से संगीनों से भोंका जाता था। सूरज की अवस्था केवल १६ साल की थी। उसे पीटा भी बहुत गया था। पेड़ पर न चढ़ सका। फिर क्या था, उसे जमीन पर पटक कर एक बार खूब पीटा गया, तब संगीनों के बल पर ऊपर चढ़ाया

गया। फिर हुक्म हुआ कि इन लोगों को शाम को चौक में ले चलो वहां पबलिक के सामने बेंत मारी जायेगी।

कहा जाता था कि मि० मार्शस्मिथ को गवर्नर का अधिकार प्राप्त था। उन्हें लोग 'योर एक्सीलेंसी' कहा करते थे। ३ बजे शाम को मि० मार्शस्मिथ, पियर्स (नये पुलिस कप्तान) और नार्मन वाकर (नये अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) शहर के ऐसे लोगों की सूची लेकर, जिनके विषय में खुफ़िया पुलिस ने रिपोर्ट दी थी कि उन्होंने आन्दोलन ने भाग लिया है अथवा वे धनी मानी आदमी हैं, ८० जवान एस० ए० सी० सीतापुर बैटेलियन के साथ शहर के अंदर आये। सब से पहले गोपीसिंह के मकान पर आक्रमण हुआ। मि० मार्शस्मिथ एक कुर्सी मंगाकर सामने बैठ गये. मि० पियर्स ऊपर चढ़ गये और सिपाहियों ने मकान घेर लिया। मकान के अंदर से कपड़ों के बक्स, खाने पीने के बर्तन, मेज कुर्सियां इत्यादि बाहर फेंकी जाने लगीं। सामान पुलिस लाइन में भेजा जाने लगा और हुक्म हुआ कि मकान में आग लगा दो। हुक्म की देर थी, मिट्टी का तेल तत्काल आया और छिड़का जाने लगा। इतने में गोपीसिंह के भाई कांपते कराहते हुये आये। मार्श स्मिथ ने कहा अगर तुम १००००) लाकर दे दो तो मकान न जलायेंगे। ऐसा ही किया गया, १००००) नकद १० मिनट के अन्दर दे दिये गये।

उसके बाद श्री राधाकृष्ण के मकान पर आये। उनका अपराध यह था कि उन्होंने १० अगस्त को बलवाइयों को अपने यहां खिलाया था। उनके मकान और दुकान की तलाशी ली गई। बहुत सामान जिसमें मनों घी, चीनी और साबुन था फेंक दिया गया। श्री राधा कृष्ण के भतीजे को गिरफ़्तार कर लिया गया। सारा सामान गाड़ी पर लाद कर पुलिस लाइन भेज दिया गया।

दुकान में लगभग ३०) की रेजकारी मिली। मार्शस्मिथ ने भर रेजकारी दुकान के सामने ही गरीबों में बाँट दी।

इसके बाद लोग देबीराम के यहाँ गये। वहाँ कोई न मिला। दुकान पर ताला बंद कर दिया गया और हुक्म हुआ कि ५०००) जुर्माना जल्द से जल्द दे दिया जाय। बा० बेनीमाधव की दुकान से १४० बोरा चीनी निकाली गई। सारी चीनी ठेले पर लादकर पुलिस लाइन भेजी गई।

अब वे बा० शिव.प्रसाद की कोठी पर आये। उनके खजाने का दर्वाजा काट डाला गया। फिर लोहार को बुलवा कर लोहे का संदूक काटा गया। ७, ८ सिपाहियों ने संदूक की सारी चीजें निकाल फेंकी। उसमें एक चांदी के कटोरे में ८५) रखा मिला। लाकर मि० मार्श स्मिथ के सामने रखा गया। ५) निकाल कर उन्होंने सिपाहियों को मिठाई खाने के लिये इनाम दिये। फिर डरा धमका कर चलते बने।

उसी समय एक काला हवाई जहाज बहुत नजदीक उड़ता हुआ बलिया चौक के ऊपर आया और सारे शहर का चक्कर लगाया। फौज के डर के मारे शहर के आधे से अधिक आदमी पहले ही भाग चुके थे। जहाज की गड़गड़ाहट सुनकर बचे खुचे लोग भी निकल कर भागने लगे। मि० मार्शस्मिथ ने मि० निगम से कहा, "यह जहाज हम इलाहाबाद से मंगवाया था। अभी सिगनल देगा वो तुम्हारा शहर जलने लगेगा।"

चौक में लगभग ५॥ बजे ९ बंदियों को ७, ७ बेंत लगी। सिविल सर्जन उपस्थित थे। बेंत कपड़ा पहना कर लगी थी। मि० पियर्स ने कहा नहीं ऐसे बेंत नहीं लगती। कपड़े निकाल कर ७, ७ बेंत फिर से लगाओ। बंदियों के शरीर से जनेऊ तक उतार लिया गया। एक एक लंगोट पहनने को दी गई। फिर जोर

गया। ओर से बेंत गिरने लगी। सातो बंदी बुरी तरह छटपटा रहे थे। सारा शरीर लहूलुहान हो गया। अर्द्ध मूर्छित दशा में सब के सब गिर गये।

बच्चा बाबू अगरवाल पर सैनिकों का पहला हमला लगभग ४ बजे सबेरे ही हुआ। उनका दर्वाजा खटखटाया गया। वे और उनकी स्त्री साथ हो आईं। ज्यों ही दर्वाजा खोला, किसी ने दो फ़ायर किये। बच्चा बाबू सपत्नीक बाल बाल बच गये। दोनों गोलियों से छिदा हु-। दर्वाजा अब भी मौजूद है।

उनके मकान को चारों ओर से घेर लिया गया। दर्वाजों और जङ्गलों में खस की टट्टियाँ लगी थीं, उन पर स्पिरट छिड़क कर आग लगा दी गई और स्वयं बच्चा बाबू को पकड़ कर बाहर खड़ी मोटर में बैठा दिया गया, बाद को सैनिकों ने उन्हें छोड़ दिया और उनका रेडियो लेकर चलते बने।

शाम को लगभग ३ बजे मार्शस्मिथ सैनिकों के साथ फिर बच्चा बाबू के मकान पर आये। १५०००) माँगा गया। न देने पर उनके ३ लोहे के संदूक तोड़े गये। सराफे का माल भरा था, किसी ने अंगूठी निकाल ली, किसी ने सोने की दो चार जंजीरें पहन लीं, जिसके जी में जो आया ले लिया। किसी तरह ४०००) रु० देकर गला बचा। बंदूक रिवाल्वर और पिस्तौल भी ले ली गई। दो दिन बाद रेलवे के दरोगा आये और कहा कि ५०००) दो, वर्ना तुम्हारे लड़कों को मुकदमे में फाँस देंगें। १०००) पर सौदा पट गया। दरोगा साहब लेकर अलग हुये।

बलिया के सीनियर गवर्नमेंट प्लीडर और खरौनी के ताल्लुकेदार बा० शमशेर बहादुर सिंह उकछी गाँव से जहाँ उनकी जमींदारी है, घोड़े पर चढ़कर बलिया की ओर चले आ रहे थे। पचखोरा के पास उन्हें एक फौजी लारी और एक कार से भेंट हुई। कार पर मि० पियर्स, मि० एन० डी० कक्कर (डिप्टी कलेक्टर) और

डिस्ट्रिक बोर्ड के इंजीनियर मि० कृष्णानन्द सिनहा थे। कार खड़ी कर दी गई। पियर्स ने पूछा आप कौन हैं ?

बा० शमशेर बहादुर ने अपनी कैफियत बतलायी।

फिर मि० पियर्स ने पूछा—क्या यहां आपको कोई पहचानता है ?

बा० शमशेर बहादुर ने कहा इस कार पर बैठे हुये सब लोग हमें पहचानते हैं।

बा० कृष्णानन्द ने कहा कि ये सरकार के खैर ख्वाह हैं।

मि० पियर्स ने जाने की इजाजत दे दी।

तब मि० एन० डी० कक्कर ने कहा कि इनके भाई बा० राधा गोविन्द सिंह बड़े भारी कांग्रेस मैन हैं। उन्होंने ही बाँसडीह तहसील का खजाना लुटवाया है।

फिर क्या था इन्हें पकड़ कर मोटर पर बिठाया गया। घोड़े को मार कर भगा दिया गया। पुलिस लाइन में लाकर ठा० शमशेर सिंह को जिले भर के पुलिस अफसरों और बलिया के शरीफों के सामने जूतों, थप्पड़ों, और बेतों से खूब मारा गया। स्वयं मि० मार्श स्मिथ बूट पहन कर कभी तो बूट की ठोकर से और कभी घुटने से मार कर रंग रूटों को सिखाते थे कि बागियों को ऐसे मारा जाता है। दो ही दिन पहले पुलिस के कर्मचारी और सरकारी अफसर जो वहाँ मौजूद थे, उन्हें सलामी देने जाते थे किन्तु आज किसी की हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़े और एक बेगुनाह रईस की जान बचावे।

हुक्म हुआ रात को इसे बंद करो, सवेरे गोली मारी जायगी।

सुबह सबेरे डाक बंगले के सामने उन्हें खड़ा कराया गया। एक फौजी सिपाही ने मि० पियर्स और मि० वाकर की उपस्थिति में लगभग २५ गज की दूरी से राइफिल का निशाना साधा।

श्री शिवप्रसाद जी (बलिया)

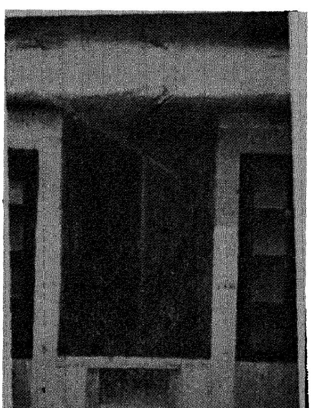

श्री शिवप्रसाद का खजाना,
दरवाजा काटकर गिरा दिया गया है

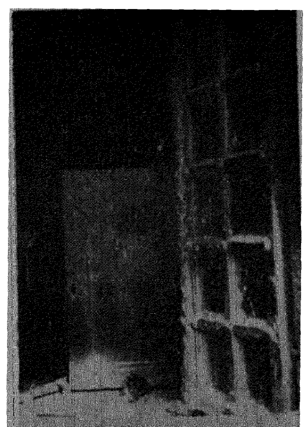

लोहे की तिजोरी
तोड़ी गई है

फायर का आर्डर अभी दिया जाने को ही था कि मि० निगम आ गये। उन्होंने आते ही कहा, फायर न करो। फिर अफसरों को समझाया कि यह आदमी हजारों रुपये का मालगुजार है। सीनियर गवर्मेंट लीडर है और हद दर्जे का खैरख्वाह है। गोली नहीं चली। बाद को वे कोतवाली की हवालात में ७ दिन के लिये बंद किये गये।

हवालात में पुलिस कप्तान आ कर कहते—इतना रुपया मिलेगा, कोतवाल साहब जिसे बतावें उसके खिलाफ गवाही दो तो छोड़ दिये जाओगे। बा० शमशेर बहादुर इस प्रलोभन में नहीं आये। ३० अगस्त को मि० ओवैस ने हवालात में आकर आज्ञा सुनाई कि आप रिहा किये जाते हैं किन्तु शर्त यह रहेगी कि आप सरकार के खैरख्वाह रहेंगे।

२४ अगस्त को बा० शिवप्रसाद की बलिया वाली कोठी पर फिर आक्रमण हुआ। कोठी के अंदर जो कुछ भी सामान मिला बाहर किया गया। सैकड़ों बोरा चीनी निकली। उसे कंट्रोल रेट पर वहीं बेच दिया गया। जो दाम मिला उसे नवागत अफसरों ने लिया।

२६ अगस्त को हनुमानगंज पर आक्रमण हुआ। बा० शिवप्रसाद की कोठी में फौज के कर्मचारी बगैर रोक टोक घुस पड़े। उनके मकान से एक एक चीज उठा ली गई, यहां तक कि औरतों के कपड़े और बच्चों के खिलौने तक नहीं छोड़े गये। इसके बाद आज्ञा हुई कि कोठी में आग लगा दी जाय। एक सिपाही भेजा गया कि जाकर दुकान से मिट्टी का तेल उठा लावे। दुकानदार को पहले ही से पता लग गया था। उसने तेल का सारा स्टाक पास के नाले में फेंकवा दिया। बा० महादेव प्रसाद की कोठी बा० शिवप्रसाद की कोठी से लगी हुई थी। एक कोठी के जलाये

जाने से दूसरी में आग लगने का डर भी था। फिर निश्चय हुआ कि सामने वाला हिस्सा जो बा० महादेव प्रसाद की कोठी से मिला हुआ है गिरा दिया जाय तब आग लगाई जाय। काम बहुत बड़ा था। सामान बहुत सा बाहर निकल चुका था, उसे भेजना भी था, अतः आग लगाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। सारा सामान कुल १९ बैलगाड़ियों पर लाद कर बलिया पुलिस लाइन में जमा हुआ।

बरमाइन निवासी बा० राधा कृष्ण की कोठी पर भी आक्रमण हुआ। उनकी कोठी की सब चीजें लूट ली गईं. और फिर कोठी में आग लगा दी गई। आधी कोठी जल गई। पुलिस और फौज के सिपाहियों ने बहुत सी बेशकीमत चीजें अपने पाकेटों में रख ली थीं। लाइन में आने पर मि० मार्श स्मिथ ने सब की तलाशी ली और सारा माल जमा करा लिया। फिर एक चाँदी की थाली उठा कर कहा, बोलो कौन लेगा ? सब ने साथ ही मांगा। उन्होंने थाली रख दी और कहा एक आदमी मागो तो देंगे। फिर एक चाँदी का कटोरा उठाया और कहा 'कौन लेगा' ? दो आवाजें आईं. उसे भी रख दिया। इसके बाद एक चादर उठाई। इस बार एक भी आवाज नहीं दिया।

२४ अगस्त को ही डा० प्रबोध कुमार भट्टाचार्य के मकान पर मि० मार्श स्मिथ दलबल के साथ गये। किसी ने बता दिया था कि पं० चीतू पांडे और बा० राधा मोहन सिंह का पता डाक्टर साहब जानते हैं। वास्तव में उस समय डाक्टर साहब के घर में मि० सहगल मुंसिफ छिपे हुये थे, जिनका सर्वस्व १९ अगस्त को ही लूटा जा चुका था। डाक्टर साहब के बड़े लड़के पकड़े गये, किन्तु मुंसिफ की सिफारिश पर छोड़ दिये गये। उनसे २०००) एक घंटे के अंदर सामूहिक जुर्माना मागा गया। शाम का वक्त था,

बैंक बंद हो चुके थे. किसी तरह रुपया जुटा कर दिया। यह सामूहिक जुर्माना नगर के और कई आदमियों से भी बात की बात में वसूल किया गया। बा० केदारनाथ सिन्हा और पं० श्यामसुन्दर उपाध्याय जैसे सरकार के खैरख्वाहों से भी लिया गया। डा० प्रबोध कुमार फिर दूसरे दिन गिरफ्तार किये गये और एक हफ्ते के बाद १० हजार की जमानत और ५०००) के मुचलके पर छोड़े गये।

जिले भर में दमन का चक्र जोरों पर चला। जैसे जनता ने स्टेशनों, थानों, डाकखानों, आदि में आग लगाई,

लूट फूँक

वैसे ही पुलिस और फौज ने करना शुरू किया। पुलिस और फौज प्रतिदिन दो चार गाँवों पर धावा बोलती और बहुत सा माल लूटकर लाइन में लाती।

२४ अगस्त को फौज की एक टुकड़ी सुखपुरा (बलिया से ८ मील उत्तर) में आई। इसी गांव के पास ४, ५ दिन

सुखपुरा में

पहले बंदूकें छीनी जा चुकी थीं। लारी की घरघराहट सुनते ही गांव के सब लोग गांव छोड़कर खेतों में भाग निकले। घरों में औरतें, बच्चे और बुड्ढे बच गये थे। आते ही फौज वालों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। सुखपुरा के महंथ सरकार के अंध भक्त थे। उन्होंने अभी केवल २ महीने पहले १०,०००) लड़ाई का चंदा दिया था। उनका मकान ऊँचा था, फौज वाले उस पर चढ़ गये। बूढ़े महंथ जी प्राण रक्षा के लोभ से पीछे की ओर लगभग ४० फीट नीचे कूद पड़े। जान तो बच गई किन्तु टांग टूट गई दर्वाजे पर विशालकाय हाथी बंधा था। उसे गोली मार दी गई वह गरज तड़प कर मर गया। माकान लूट लिया गया। गाँव के बाहर बा० चंडी प्रसाद चले जा रहे थे। फौज वालों ने उन्हें रोका। किसी आदमी ने

बतला दिया कि ये कांग्रेसी हैं। वे खद्दर के कपड़े पहने थे और वास्तव में बीसों वर्ष से कांग्रेस का काम करते आ रहे थे। उन्हें गोली मार दी गई। बा० चंडी प्रसाद बलिया लाये गये, वहाँ अस्पताल में वीर गति प्राप्त हुये।

बाँसडीह में

२४ अगस्त को ही बांसडीह के नायब थानेदार मि० जाफर लगभग ३० सैनिकों को लेकर अपने थाने को फतह करने चले। गांव के लोगों ने उनके भग जाने के बाद उनके बाल बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा लिया था। गांव वालों ने उन्हें रोका किन्तु वह मोटर पर से फायर करते सीधे गढ़ पर गये। जनता ने पीछा किया और गढ़ को घेर लिया। इस पर मि० जाफर तथा उसके साथ के सिपाहियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। श्री रामनगीना सिंह और शंकर भर को गोली लगी। दोनों वहीं ढेर होगये। इनके अतिरिक्त एक ८ वर्ष की लड़की भी मरी। ७, ८ आदमियों को गोली से सख्त चोट आई, वे अस्पताल में भर्ती किये गये। इसके बाद गाँव के ६ मकान जला डाले गये।

२५ अगस्त को मि० नेदरसोल लूटे हुये खजाने तथा जली हुई तहसील तथा थाने की इमारतों को देख कर के खुद जल उठे। आस पास जो भी मिल गया, उसे पकड़ कर पिटवाना शुरू किया। इनमें सर्व श्री शिवाजी मिश्र, डिगरी उपाध्याय, रघुबीर सिंह, रामकृष्ण मलहोरी तथा नागेश्वर सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं। राम कृष्ण सिंह और नागेश्वर सिंह को तो इतना पीटा गया कि वे दोनों कुछ ही दिनों के बाद मर गये।

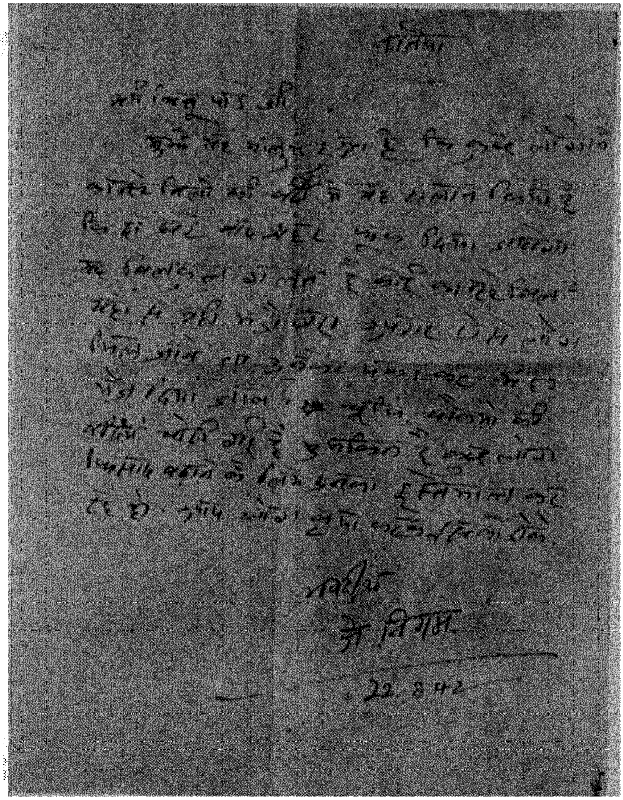
भवदीय
जे. निगम.
22.8.42

श्री निगम का अंतिम पत्र पृ० १५७

डा० हरचरणलाल
[सीयर] पृ० ५९

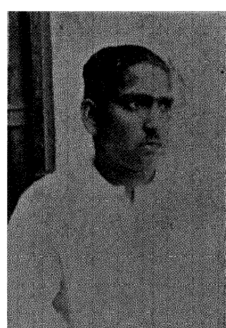

श्री इन्द्रदेव प्रसाद [सहतवार] पृ० १७१

२४ अगस्त को ही सहतवार पर सैनिकों का आक्रमण हुआ। सारा बाजार बंद था। गांव में भी कोई आदमी नजर न आता था। गाँव में घुसते ही पहला काम जो सैनिकों ने किया वह लोगों को आतंकित करना था। जो भी मिल जाता बुरी तरह पीटा जाता था। इसके बाद श्री जमुनाराय का घर एक दम जला दिया गया। श्री इन्द्र देव प्रसाद के घर पर तो सैनिकों ने पूरा कब्जा ही कर लिया। घर के लोगों को मकान खाली करना पड़ा। उनकी निजी जायदाद तथा उनके भाई की जायदाद भी जब्त कर ली गई। यह कुल लाखों रुपये की संपत्ति थी। सरजू प्रसाद की पक्की इमारत को १० घंटे के भीतर खाली करना पड़ा। श्री कृष्ण प्रसाद की दुकान लूट ली गई।

सहतवार में

२४ अगस्त को ही छाता गांव पर आक्रमण हुआ। अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गई। श्री महाबीर कोइरी को गोली लगी। उनका प्राणान्त हो गया। सर्व श्री विजली अहीर, कपिलदेव कान्दू, बैजनाथ बरई और कुबेर भर को गोली की सख्त चोट आई।

छाता में

२४ अगस्त को सिकन्दरपुर थाने के पुलिस सब इन्सपेक्टर के साथ सैनिकों की एक टुकड़ी ने सिकन्दरपुर पर आक्रमण किया। बा० लक्ष्मी लाल यहां एक धनीमानी आदमी हैं। उनके लड़के बा० कन्हैया लाल और बा० शङ्कर दत्त पर यह अभियोग था उन्होंने थाना लूटने और फूंकने में विशेष भाग लिया था। बा० लक्ष्मी लाल की दो दुकानें थीं। एक किराने की और दूसरी कपड़े की। दुकानें तोड़ी गई और उनमें जो कीमती माल था वह बाहर नकाल लिया गया, फिर दुकानों में आग लगा दी गई। किराने की

सिकंदरपुर में

दुकान के जलने से इतना अधिक धुंआ निकला और इतनी गन्ध निकली कि २, ३ मील तक मालूम हुई। गन्ध के मारे आस-पास खड़े होना मुश्किल था। आकाश में उठता हुआ धुवां और तड़-तड़ की आवाज से ऐसा मालूम होता था मानो श्मशान का दृश्य हो। मीलों दूर से देखने वालों के होश उड़ गये।

किराने की दुकान पर जब छापा पड़ा तो बा० शङ्कर दत्त के दो नौकर डर कर पीछे की कोठरी में जा छिपे। जब आग लगी तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बा० शङ्कर दत्त दौड़े आये, उन्होंने नौकरों को बचाना चाहा, किन्तु वे खुद हिरासत में ले लिये गये। कोठरी के पीछे की दीवार कच्ची थी, उसमें किसी तरह नौकरों ने सूराख बनाया। फिर वे निकल भागे। एक के सिर का कुछ हिस्सा जल गया किन्तु दूसरा सकुशल बच गया।।

बा० लक्ष्मी लाल के घर पर भी छापा पड़ा। पुलिस और सेना के साथ-साथ देहाती गुन्डों का भी समूह था। बहुत सा जेवर और नगद लूट गया। सारा मकान खोद डाला गया और जमीन के अन्दर से भी काफी सम्पत्ति निकली जो लूट ली गई।

पन्दह में

पन्दह निवासी बा० गौरीशङ्कर प्रसाद उर्फ छोटेलाल का आन्दोलन में विशेष हाथ रहा। २४ को ही उनके मकान की ओर सैनिक बढ़े। नजदीक जाने पर पता चला कि हजारों आदमी वहां हथियार लिये हुये मुकाबला करने को तैयार हैं। फौज वापस लौट गई। फिर दूसरे दिन आई। मुकाबला करने से कुछ लाभ नहीं था। बा० गौरीशङ्कर राय अपने बाल बच्चों को लिये दिये घर से हट गये। फौज आई, पहले तो सैनिकों ने खुलकर लूट की, फिर गुन्डों की सहायता से मकान खोद डाला। जमीन में गड़ा हुआ काफी धन निकाला गया। अंत में मकान में चारों ओर से आग लगा दी

गई। बा० गौरीशङ्कर राय का हाथी भी पकड़ा गया। बाद को उसे सरकार ने नीलाम कर दिया।

किसोर में

२७ अगस्त को सिकन्दर पुर के थानेदार मि० अशफाक हुसेन ने फौज की एक टुकड़ी के साथ किसोर गाँव पर आक्रमण किया। गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बा० जमुना राय पोखरे के किनारे मुँह धो रहे थे। थानेदार ने बगैर कुछ सोचे समझे उन्हें गोली दाग दी। श्री जमुना राय तत्काल मर गये।

इसके बाद सिकन्दर पुर मंडल कॉंग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट श्री राम नगीना राय के मकान पर छापा पड़ा। जो कुछ भी मकान के अन्दर मिला, निकाल कर थाने पर लाया गया और मकान में आग लगा दी गई।

रेवती में

२६ अगस्त को मि० मार्शस्मिथ, और नेदरसोल आदि के साथ साथ सेना के लगभग ३० जवान रेवती में पहुँचे। कस्बे के सारे नर नारी भाग कर खेतों में जा छिपे। यहां तक कि श्री सूर्य नारायण मिश्र 'चंचरीक' की धर्म पत्नी ३ दिन के नव जात शिशु को लेकर मीलों तक भागती चली गईं। घर बार लूट जाने पर उन्हें प्रायः निर्वासित ही रहना पड़ा और एक दिन उस पुत्र रत्न को देश के नाम पर समर्पण करना पड़ा।

कहीं से घूमते फिरते श्री राम नारायण जी (कांग्रेस के कैप्टन) मार्शस्मिथ के सामने पड़ गये। फिर तो जो मार पड़ी वह अवर्णनीय है। बाद को उन्हें १॥ वर्ष का कारावास मिला।

रेवती का सारा बाजार लूट लिया गया। गाड़ियों पर लाद कर बहुत सामान बलिया आया। सैनिकों ने कई मकानों में आग लगा दी।

बिल्थरा रोड रेलवे स्टेशन और तुर्तीपार के पुल पर जो सैनिक थे उन्होंने आस पास बड़ा आंतक फैलाया।

चरौंवा में २४ अगस्त के बाद (जिस दिन बिल्थरा रोड में गोली चली) से उन्होंने बागियों के गांवों पर छापा मारना शुरू किया। २६ अगस्त को सैनिकों ने चरौंवा पर आक्रमण किया। उन्होंने एक चौकीदार को गांव के मुखिया के पास भेजा और उनको बुलवाया। चौकीदार के प्रस्ताव पर गांव वाले बहुत बिगड़े। उसे बांध कर रोक लिया। गांव में सैकड़ों आदमी हथियार लेकर सामना करने के लिये तैयार हो गये। चौकीदार की गिरफ़्तारी का समाचार जब सैनिकों को मिला तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू की। श्रीशिव शंकर सिंह, खर बियार, मंगला सिंह और श्रीमती जमुना माली को गोलियां लगीं। खर बियार हाथ में भाला लिये सैनिकों पर आक्रमण करने की ताक में बैठा था, वहीं गिर कर मर गया। श्रीमती जमुना माली और बा० शिव शंकर सिंह उसी तारीख को मर गये। ठा० मंगला सिंह दो दिन बाद मरे।

लाल चंद भगत गांव में बड़े धनी मानी आदमी थे। उनके घर पर सैनिक आ पहुँचे। बैठके में गांधी जी की तस्वीर दिखाई दी, अंगरेज अफसर ने एक गोली उस पर भी चलाई। शीशा चकनाचूर होकर गिर पड़ा। इसके बाद सैनिक लाल चंद के मकान के अन्दर दाखिल हुये और सारा कीमती सामान मय नकद जो ५०-६० हजार रुपये का बताया जाता है, लूट लिया। राम देनी भगत महाजन के घर से लगभग ८०००) के जेवरात और नकद उठा ले गये। श्री राम सेवक तिवारी के घर से भी बहुत सा जेवर और कपड़ा लेते गये। ठा० कन्हैया सिंह के मकान पर धावा हुआ। वहां भगत सिंह का एक चित्र मिल गया। उसे

गोली से उड़ा दिया गया। फिर २८ अगस्त को बैल गाड़ियां लेकर वे ही सैनिक आये बा० कन्हैया सिंह के मकान और बैठके के तलाशी ली गई। पहनने ओढ़ने के कपड़े, २३५) नकद और ५ गाड़ी अनाज लूट लिया। उनके जनाने मकान, बैठके तथा जानवरों के मकान को जला डाला।

हल्दी में

२९ अगस्त को हल्दी पर आक्रमण हुआ। वहां बा० देवेन्द्र सिंह का मकान था। परिवार के सब लोग मकान छोड़ कर पहले से ही दूसरी जगह रहने लगे थे। फौज वालों ने मकान का ताला तोड़ा और ३ गाड़ी सामान जिसमें गल्ला, कपड़ा (नया) और कुछ दरियां थीं, उठा लाये। इसके बाद मकान में आग लगा दी गई। बाहरी हिस्सा जल गया।

मिश्रवली में

२७ अगस्त को ही मिश्रवली के श्री परसनाथ मिश्र के मकान पर फौज आई। खपरैल का मकान था, पीट पीट कर सैनिकों के साथ गये हुये गुंडो ने गिराया। इसके बाद तेल छिड़क कर मकान जला डाला गया। जितना गल्ला और कीमती सामान मिला, उठा कर बिल्थरा रोड लाया गया।

नरही में

२३ अगस्त को लगभग ८ बजे सबेरे फेफना की ओर से फौज नरही में आई। कलेक्टर के संदेश वाहक नायब तहसीलदार अभी तक वहीं थे। बागियों के गांव में एक-एक क्षण उनके लिये एक युग सा हो रहा था। फौज सीधे थाने पर गई। वहीं श्री राम लगन सिंह भी आये। यद्यपि दुश्मनों के चंगुल से छूटने पर उन्हें हार्दिक प्रसन्नता थी किन्तु उनकी आंखें लाल हो रहीं थीं और बदला लेने की भावना से भरी हुई थीं।

थाने के सामने थोड़ी दूर पर मुक्तेश्वर सोनार पान की दुकान

पर खड़ा था। यह सुन कर कि फौज आ रही है, वह गांव छोड़ कर जा रहा था। श्री रामलगन सिंह ने सिपाही भेज कर उसे बुलवाया। सामने बुला कर कहा—तुमको गोली मारी जायेगी, तैयार हो जाओ। मुक्तेश्वर ने कपड़े अलग रख दिये और सीना तान कर वह खड़ा हो गया। दो बार फायर हुये। एक गोली उसके गले से निकली और दूसरी सीने से। बिचारा अपने खून में नहाने लगा। उसे दो भंगियों ने पकड़ा और थाने से १ मील दूर पानी से भरे एक गड्ढे में फेंक दिया। दो घंटे के बाद उसे होश आया। गड्ढे से उठ कर घर आया। फिर १ महीने तक बक्सर अस्पताल में पड़ा रहा। वहां से घर आया तो गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया। उसे ५ वर्ष की सजा हो गई।

गांव के अन्दर मिलेटरी ने सर्व श्री बलभद्र उपाध्याय, जगत लाल और ब्रजनन्दनराय का मकान लूटा और फूंका। सर्व श्री त्रिपुरारी राय, लक्ष्मी तिवारी और नर्मदेश्वर का मकान लूट लिया।

नरही से मिलेटरी चौरा गांव में आई। वहां सर्व श्री जंग बहादुर सिंह, सच्चिदानन्द सिंह और देवनारायण सिंह का मकान लूटा और फूंका। लक्ष्मण पुर में डा० राम दहिन राय, और मुरली राय का मकान लूटा। बसन्तपुर में श्री सच्चिदानन्द तिवारी, अमांव में बा० शिवपूजन राय तथा भरवली में श्री राम सिंहासन राय के मकान लूटे गये।

नरायन पुर में श्री ब्रह्मदेव राय का मकान फूंका गया। उनके मकान से ३० बोरा गल्ला उठा कर गाजीपुर भेज दिया गया। श्री शिवमुनी मल्लाह का मकान भी फूंक दिया गया।

मिलिटरी की लूट का कुछ पता निम्नलिखित पत्र से चलता है:—

२७-८-४२ को करीब १० बजे दिन में अलगू चौकीदार को

हार्डी साहब कलक्टर व कप्तान मिलेटरी ने साथ लेकर लोहार से चाचर का ताला खुलवाया। दालान के फाटक पर चार पिस्तौल मारा। सूराख चार हो गया लेकिन उसका सिकड़ी ताला नहीं खुला लोहार से उसका भी ताला खुलवा कर अन्दर दालान से ४६ बोरा रकम गेहूँ, चना, केराव निकलवाया और इन्द्रदेव राय मुखिया के सुपुर्द किया कि गाजीपुर सदर तहसील में भेजवा दो और दालान की आलमारी का ताला तोड़ कर ३१७) नगद निकाल लिया। घड़ी ५०) का ले लिया। एक ट्रंक रेशमी कपड़ा कई जोड़ा धोती, कई जोड़ा कोट, मुरेठा, चदरा, ५ तोसक, ४ अंडी, दो गलीचा, ३ फरद दरी, ४ रजाई, ४ कम्बल मोटर से लाद कर मिलिटरी वाले ले गये।

अदालती कागज का बस्ता व सरखत, पांच पलंग, एक छोटा तख्ता सब बटोर कर पेटरोल छिड़क कर दालान में फूंक दिया। कोई चीज एक पैसा का बैठका में नहीं छोड़ा।

२३ अगस्त को सैनिकों को जो ट्रेन बनारस की ओर से आई वह सुबह सबेरे चीट गांव में रुकी। लगभग १५ सैनिक उतर पड़े और वे कस्बे की ओर बढ़े। एकाएक भगदड़ मच गई एक मक्के के खेत में पचासों नौजवान जा छिपे और सैनिकों को पकड़ना चाहा। सैनिकों ने देख लिया, फिर तो वे मक्के के खेत में लगे गोली चलाने। एक आदमी की मृत्यु हो गई और एक आदमी सख्त घायल हुआ। गोली की आवाज सुन कर गांव के नर नारी अपना घर छोड़ कर भागे। पास ही छोटी सरजू नदी बहती थी। सैकड़ों आदमी उसमें कूद पड़े। एक बच्चा डूब मरा, बाकी लोग किसी तरह बाहर आये। फौज फिर मि० गफूर के गोले पर आई। उससे कहा कि हमारे खाने के लिये ८ बोरा चावल दो। हम लोग फिर कल

चीट बड़ागांव में

लौटेंगे। जो बंदूकें फेफना में लूटी गई हैं उन्हें रेलवे लाइन पर रखवा दो वरना कल सारा कस्बा जला दिया जायेगा। चावल दे दिया गया और दूसरे दिन बंदूकें भी यथास्थान रखी मिलीं।

गड़वार में

३० अगस्त को गड़वार के थानेदार ठा० बंश गोपाल सिंह सैन्यबल के साथ थाने को फिर से स्थापित करने चले। फौजी कमान्डैंट ने थाने के रजिस्टर पर लिखा कि आज थाना फिर कायम होता है। उसने अपनी दस्तखत भी नीचे कर दी। इसके बाद फौज गांव में गई और वहां सर्व श्री शिवपूजन सिंह, हरी और खेदू का मकान लूटा और फूंका।

इस प्रकार प्रत्येक थाने पर बारी बारी जा कर सेना ने फिर से सरकारी राज कामय किया। अगस्त १९४२ के अंत में जिला मजिस्ट्रेट ने प्रान्तीय सरकार को तार दिया कि बलिया को फिर से जीत लिया गया।

पुलिस का राज

फौज के चले जाने के बाद पुलिस का राज कायम हुआ। पुलिस के कर्मचारियों ने जो व्यवस्था फौजी शासन में देखी थी उसी को कायम रखा। लोगों में आंतक जोरों का फैल चुका था। एक एक चौकीदार से लोग ऐसे डरने लगे मानो वह सब इन्सपेक्टर हो। थाने के सिपाही पुलिस कप्तान से कम रोब न रखते थे। बलिया जिले के पुलिस कप्तान का क्या कहना, बिलकुल नादिरशाही चलती थी, जिसे चाहा मार कर बिछा दिया। मनुष्य उनके सामने भेड़ बकरी से भी बदतर था। सलाम कराने का उन्हें बड़ा रोग था। सामने पड़ने पर अगर किसी आदमी ने सलाम नहीं किया तो फिर उसकी खैरियत नथी। पुलिस कप्तान यों तो कई चीजों से चिढ़ते थे, किन्तु गांधी टोपी तो देख नहीं सकते

थे। अगस्त १९४२ के अंत से लगा कर फरवरी १९४४ तक बलिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो अपने सिर पर गाँधी टोपी रख सके। फरवरी १९४४ से बलिया के राजनीतिक बंदियों के मुकदमों की पैरवी के संबंध में जब श्री फिरोज गाँधी (कानूनी सहायक कमेटी के सेक्रेटरी) तथा इलाहाबाद के प्रतिष्ठित वकील पं० शिव चरणलाल, श्री गोपाल जी मेहरोत्रा तथा श्री सतीश चन्द्र खरे बलिया आने जाने लगे तब से गाँधी टोपी कहीं कहीं दिखाई देने लगी।

गाँधी टोपी के विरुद्ध बलिया की सरकार ने ऐसा जिहाद बोल दिया था कि ट्रेन में बैठे हुये मुसाफिर भी टोपी पहन कर नहीं जा सकते थे। अप्रैल १९४४ में मुजफ्फरपुर जिले के श्री हरिहर सिंह बलिया स्टेशन पर ट्रेन में गाँधी टोपी पहने हुये जा रहे थे। पुलिस कप्तान की आंख उन पर पड़ी। बुला कर हुक्म दिया कि टोपी उतार लो। श्री हरिहर सिंह ने कहा "मैं अपने हाथ से टोपी नहीं उतारूँगा। आप चाहें तो उतार सकते हैं। इतना सुनना था कि सिपाही उन पर टूट पड़े और मारते मारते उन्हें प्लेटफार्म पर ढेर कर दिया। सारी जनता खड़ी देखती रही। इसके बाद वे जेल भेज दिये गये। एक महीने तक हवालात में रहे और फिर एक महीने की सजा मिली।

श्री फिरोज गांधी जब पहले पहले फरवरी १९४२ में बलिया गये तो ३, ४ खुफिया पुलिस के आदमी बराबर उनके साथ लगे रहे। लोगों में आंतक इतना था कि खुफिया पुलिस के सामने श्री गांधी से बात करने में भी डरते थे। नतीजा यह हुआ कि दिन भर चुपचाप कचहरियों में घूम कर वे शाम को वापस इलाहाबाद चले गये।

कानूनी सहायक कमेटी की ओर से जब वकील लोग बलिया

आये तो उन्हें कोई अपना मकान किराये पर देने को तैयार न था। पुलिस ने मकान वालों को मना कर दिया था। निदान वे शहर के बाहर एक मकान किराये पर लेकर रहे।

पुलिस कप्तान हफ्ते में ३, ४ दिन तक पुलिस लारी लेकर जिले के अन्दर इधर उधर दौरा किया करते थे। अगस्त आन्दोलन से संबद्ध मामलों में जो लोग फँसाये गये थे और फरार हो गये थे उनके घरों पर अकस्मात रातों रात छापा मारते थे। फरार व्यक्ति मिले अथवा न मिले, उन्हें ऐसे दौरों में रुपया काफी मिल जाया करता था। बलिया में दरबार लगता था। पुलिस कप्तान का अलग, उनकी धर्म पत्नी का अलग। दोनों जगह रुपयों की वर्षा होती थी।

प्रायः सारे पुलिस सब इन्सपेक्टरों ने रुपया एकत्र करना अपना धंधा बना लिया। गांव गांव चौकीदार से कहला दिया गया कि लोग थाने पर रुपया भेज दें वर्ना गांव जला दिये जायेंगे।* जनता पुलिस के चंगुल में थी। पुलिस के रजिस्टर खुले थे, जिसको चाहा किसी न किसी मुकदमे में चालान कर दिया।

गांव फूक डालने की धमकी

---

*कथित सुल्ताना डाकू सुन्दर सिंह थानेदार का पहली बार प्रवेश अमांव गांव मे सैकड़ों पिंडारी दल लाठी बन्द, मिलिटरी, सशस्त्र पुलिस औप पुलिस के दलालों के साथ हुआ। हम लोगों को वहीं बुलाया। गाली और फटकार देने के बाद कहा कि यदि आप लोग गांव फूँकने से बचवाना चाहते हों तो स्वामी जी (कपिलदेव राय) से तै कर लीजिये। तै हुआ कि गांव के लोग १५०० रु० दे दें।

द० राम दरस राय, ब्रह्मदेव राय.
हरिप्रसाद राय, राम बरन राय।

अक्टूबर से सामूहिक जुर्माने की वसूली की धूम चली। लगभग ७ लाख रुपया जुर्माना बांसडीह तहसील पर लगा और ६ लाख बलिया और रसड़ा तहसीलों पर मिलकर लगा। यह रुपया जब वसूल होने लगा तो पुलिस कर्मचारी, पटवारी और कानूनगो लोगों की बन आई। जिस पर १०) जुर्माना था उससे ५०) मागा जाता। खुशामद मिन्नत करने पर ३०. ३५) पर तय होता। १०) तो खजाने में जमा होता, बाकी वसूल करने वालों की फीस थी। जिन पर जुर्माना नहीं लगा था उनसे भी लिया गया। रसीद लेने देने की तो कोई प्रथा ही नहीं थी। हिन्दू मात्र में छोटे बड़े सबसे (सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त) सामूहिक जुर्माना वसूल हुआ।

सामूहिक जुर्माने की वसूली

सामूहिक जुर्माना न अदा करने पर लोगों की बड़ी दुग जाती थी। सिपाहियों चौकीदारों और चपरासियों से तरह पिटवाया जाता था। बहुतों को धूप में खड़ा कराया जाता और फिर मुर्गा बनाया जाता था।*

अक्टूबर १९४२ में खरौनी के बा० शमशेर बहादुर सिंह पर ५०००) जुर्माना हुआ। इसके पहले आप ५००) सामूहिक जुर्माना दे भी चुके थे। इस बार देने से इनकार किया। उनके बड़े भाई बा० राधाकृष्ण सिंह को गिरफ्तार करके बांसडीह

---

* २०) कलेक्टिव फाइन (सामूहिक जुर्माना-लेखक) लेने के वास्ते हमको मुर्गा बनाया गया और मारा गया। उस हालत में हम बीमार थे। बलिया तहसील के नायब नाजिर ने हमें मारा। हमारी पीठ पर ईंटें रख कर धूप में बैठाया और इतनी मार पड़ी कि मुँह से खून निकलने लगा।

राम वृक्ष म, सा० करनई।

तहसील की हवालात में बंद किया गया और कहा गया कि जब तक रुपया वसूल नहीं हो जाता तुम छोड़े न जाओगे।

इस जुर्माने के विरुद्ध दीवानी में बा० शमशेर बहादुर की ओर से मुकदमा दायर हुआ। जुर्माना कानूनन जायज नहीं था। डिग्री बा० शमशेर बहादुर की होती। कलेक्टर ने यह समझ कर कि यदि बा० शमशेर बहादुर जीत जाते हैं, तो इसी आधार पर वसूल किये हुये लाखों आदमियों का सामूहिक जुर्माना वापस करना होगा। उन्होंने बा० शमशेर बहादुर से मुकदमा उठा लेने के लिये कहा। बा० शमशेर बहादुर ने १३७) बतौर खर्चा मागा, सो सरकार की ओर से दे दिया गया और मुकदमा उठा लिया गया।

लड़ाई का जमाना था। तरह तरह के चंदे चालू हुये थे। कोई वायसराय के नाम पर, कोई गवर्नर के नाम पर चंदा, युद्ध ऋण और विजय ऋण और रेडक्रास के नाम पर। अफसरों में चंदा वसूल करने की होड़ मची हुई थी। जमीदार जब मालगुजारी जमा करने जाते तो उन्हें चंदे की रसीद दी जाती और हंस कर कह दिया जाता कि फिर मालगुजारी दे दीजियेगा, हर साल मालगुजारी तो देनी ही है। विरोध करने की किसी में हिम्मत न थी। जो बंदूक का लाइसेंस बदलवाने जाता अथवा गल्ले, कपड़े और किसी चीज के कारबार का लाइसेंस मांगता, अथवा किसी भी दूसरे काम से जाता तो कुछ न कुछ चंदे की रकम अनिवार्य थी। जब एक बार आदमी चंदा दे देता तो दूसरी बार युद्ध ऋण देना पड़ता और फिर इसके बाद विजय ऋण देना पड़ता। कई बार युद्ध सहायक कार्यों के लिये पुलिस की ओर से दंगल अथवा नाटक कराने की घोषणा होती। टिकट जबरदस्ती लोगों के हवाले किये जाते और सारे टिकट बिक जाने पर दंगल सदा के लिये स्थागित कर दिया जाता।

जिला बोर्ड पर भी सरकार का नियंत्रण था। मि० एम० एम० जलील अफसर इनचार्ज थे। अध्यापकों को आज्ञा हुई कि फी अध्यापक आठ आने का डिफेंस बांड प्रति मास खरीदे। स्कूल के लड़कों पर एक पैसा फी विद्यार्थी चन्दा लगाया गया।

कोतवाली में अमानुषिक अत्याचार

बलिया कस्बे अथवा आसपास के गाँवों में जो लोग गिरफ्तार किये जाते थे वे पहले बलिया कोतवाली की हवालात में रखे जाते थे। साधारणतः बंदियों को एक रात कोतवाली में रखकर दूसरे दिन जेल भेज देना चाहिये किन्तु यहाँ मजिस्ट्रेट की खास तौर से इजाजत लेकर बंदियों को हफ्तों तक और कभी कभी तो महीनों तक हवालात में बंद रखा जाता था। अगस्त के महीने में कोतवाली अथवा जेल के रजिस्टर पर इसकी लिखा पढ़ी भी नहीं होती थी कि कौन आया और कौन गया। कोतवाली में आते ही लोग मार कर बिछा दिये जाते। भीतर जाने पर खाने पीने का सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं था। कोठरी गंदी पड़ी रहती, कभी उसमें झाड़ू नहीं लगता था।

पुलिस और खुफिया विभाग के कर्मचारी प्रतिदिन आते और बंदियो से तरह तरह के प्रश्न करते थे। कभी कभी एक बंदी को हवालात के कमरे से बाहर निकाल कर ऊपर दफ्तर में ले जाते। वहाँ बंदी डंडों से पीटा जाता था। जब बंदी पुलिस वालों के काम की बातें नहीं बताता तो उसे सर नीचे और पैर ऊपर करके उलटे खड़ा कराया जाता। पैर को रस्सी से ऊपर बाँध दिया जाता और तलवे में डंडों से मारा जाता तथा चूतड़ों पर बूट से ठोकर मारी जाती था। चूतड़ों पर मारने से बंदी घड़ी के पेंडुलम की तरह हिलता रहता। इससे भी काम नहीं बनता तो अंगुलियों में पिन

चुभाया जाता, बंदी चीख कर अपना सर और हाथ आत्म रक्षा के लिये ऊपर उठाता कि इतने में चूतड़ों पर फिर बूट पड़ता और बंदी फिर झूलने लगता। इसमें बंदी कभी कभी बेहोश हो जाता तो उसे उतारा जाता था। इसे पुलिस वाले उल्टी कवायद बोलते थे।

सीधी कवायद सर्व साधारण के लिये रोमांचकारी किन्तु पुलिस कर्मचारी के लिये मनोरंजन का साधन था। पहले तो बंदी को खूब पीटा जाता, फिर उससे कहा जाता कि पैर फैलाओ--और फैलाओ--और फैलाओ। बंदी पैर काफी फैला देता था। इसके बाद उसके फोते में एक ईंट बांध दी जाती जो लटकती रहती और इसलिये कि बंदी कहीं झुक कर ईंट को जमीन से न लगा दे उसके चूतड़ के सहारे एक डंडा लगा कर जमीन में टिका दिया जाता था। १० मिनट के बाद बंदी चिल्लाने लगता और अगर ईंट खोली न जाती तो बेहोश होकर गिर पड़ता था।

कुछ अधिक खतरनाक बंदियों के लिये और अधिक खतरनाक यातनायें थीं। गुह्यागों पर मिरच लगाना और पुरुषेन्द्रिय पर छड़ी मारना तथा उसे रगड़ना भी खास मौकों पर बड़े काम का सिद्ध होता था। पुरुषेन्द्रिय को पुलिस की आज्ञा पाकर कोई भंगी हाथों से रगड़ता, पहले तो वीर्य निकलता किन्तु बाद को रगड़ते रगड़ते खून आने लगता। बंदी का दिमाग ठिकाने न रहता और वह बहुत सी बातें पुलिस को बतला देता जिससे पुलिस को कभी कभी बड़ा लाभ होता। कोतवाली में पहले २-३ महीनों के अंदर जो भी बंदी गये उनमें आधे से अधिक संख्या में ऐसे हैं जिनके साथ उपर्युक्त अमानुषिक व्यवहार किये गये। बाद को गिरफ्तार होने वालों में इन क्रियाओं के शिकार सर्व श्री बालाराय, प्रभुनाथ सिंह, रामनाथ बरई और रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव हुये।

जेल में पिशाचों का सामना

१९४२ में बलिया जेल के अंदर केवल १५० बंदियों के रहने के लिये स्थान था। सितंबर खतम होते होते लगभग ५५० बंदी जेल में भर गये। बारिगों के अंदर कैदियों को सोने की कौन बात करे बैठने तक का ठिकाना न था। कहीं जगह न मिलने पर लोग पेशाब खाने में बैठे बैठ रात काटते थे। न ओढ़ने बिछाने के लिये कंबल और न पहनने के लिये कपड़ा मिलता था। खाने पीने के लिए मिट्टी का एक एक कसोरा मिलता। उसी को लेकर चाहे बंदी शौच के लिए जाय, अथवा नहाये अथवा उसी में भोजन करे। केवल डेढ़ सौ आदमियों के लिए सामान था इतने बंदियों के लिए एकाएक प्रबन्ध कैसे हो सकता है? शुरू शुरू में अर्थात् अगस्त और सितंबर के महीनों में बंदियों को एक ही वक्त भोजन मिलता. सो भी चोकर की कच्ची रोटियाँ जो टूट कर अपने आप गिर पड़तीं। दाल और सब्जी का नाम न था। अगस्त के पहले जेल में २४ मन चोकर (गेहूँ और जौ की खुद्दी) थी। कैदियों ने १५, २० रोज के अंदर खा पी कर साफ कर दिया। पेचिश और आँव की बीमारी तो साधारण थी। दवा मागने पर डाक्टर साहब फरमाते कि मैं जीने की दवा देने नहीं आया हूँ। मरने की दवा दूंगा। बागियों को कहीं दवा दी जाती है?

जेल में जब नया बंदी आता तो उससे जेलर साहब पूछते आप किस देश के राजा हैं। उत्तर दिया जाय अथवा नहीं. उनका हुक्म होता—देखो राजा साहब को गुड़ खिलाओ और तब बेड़ी पहना कर मेरे सामने लाओ। जेलों में गुड़ खिलाने का अर्थ मारने के होता है। बंदी खूब पीटा जाता फिर चाहे वह बुड्ढा होता अथवा नौजवान, उसे बेड़ी जरूर पहनाई जाती थी।

लाठी चार्ज

२४ मार्च १९४३ को जेल के बंदियों को कुछ खाने को नहीं दिया गया। जब वे बारिगों में बंद किये गये तो उन्होंने चिल्लाना और तसला पीटना शुरू किया। यह आवाज मीलों तक सुनाई पड़ी। पुलिस कप्तान जेल में आये। जेल के सुपरिन्टेडेन्ट उपस्थित न थे। पुलिस कप्तान ने बारिगें खुलवाईं और सैकड़ों पुलिस के सिपाहियों को बारिगों के अंदर घुसा कर आज्ञा दी कि सारे कैदियों को खूब पीटो। घंटे भर तक तड़ातड़ डंडे बजते रहे। किसी का सर टूटा, किसी के हाथ में मोच आई, किसी की उंगली टूटी और किसी की नाक से खून बह निकला। दूसरे दिन बारिकों में कतार के कतार मरीज सोये सोये कराह रहे थे। फिर ७, ८ प्रमुख कांग्रेस वादियों को निकालकर अलग भंगी से पिटवाया गया।

जेल से कोतवाली और फिर जेल

दफा ३९५ और ४३६ (ताजीरात हिन्द) के मामलों में अभियुक्तों की जमानत साधारणतः मंजूर नहीं होती। विशेष परिस्थिति में यदि कोई किसी तरह जमानत पर छूटता तो जेल के फाटक से बाहर निकलते ही खुफिया पुलिस द्वारा दफा १२९ में गिरफ्तार कर कोतवाली में बंद कर दिया जाता और दूसरे दिन सबेरे फिर जेल भेज दिया जाता। जेल अधिकारियों को हिदायत थी कि यदि कोई बंदी छूटने लगे तो कोतवाली में समाचार दे दिया जाय। जो आदमी १२९ से बचना चाहता उसे रुपया देना पड़ता। बहुत से बंदी तो जेल से छूटते ही भाग खड़े होते और खुफिया वाले उनका पीछा करते थे। यदि वे किसी तरह बच जाते तो फिर वारंट जारी होता और गिरफ्तार कर लिये जाते।

श्री छोटेलाल (पंद्रह)
पृ० १७२

Hindi Seminar Library
OSMANIA UNIVERSITY
No. ४९४

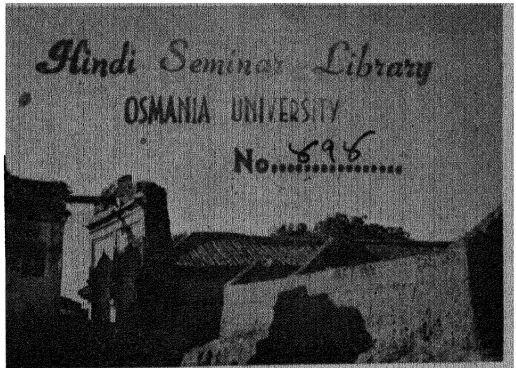

Hindi Seminar Library
OSMANIA UNIVERSITY
No. ४९४

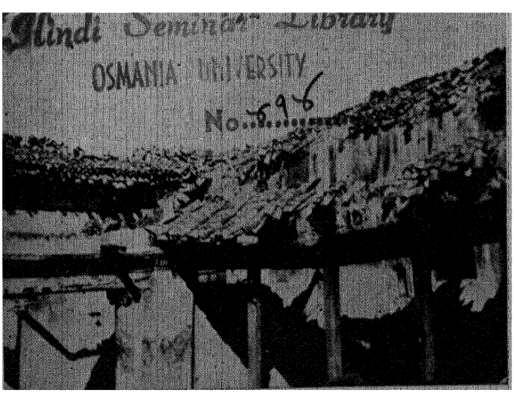

श्री छोटेलाल के
जलाये हुए
मकान

अध्याय ४

अदालतों में अन्याय

अभी आन्दोलन चल ही रहा था कि २० अगस्त १९४२ को गवर्नमेंट गजट में प्रकाशित स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट्स आर्डिनेन्स न० २ के अनुसार फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेटों को बहुत से ऐसे मुकदमों को देखने का अधिकार दिया गया जिन्हें वे साधारणतः नहीं देख सकते थे। उन्हें लंबी सजा देने का भी अधिकार मिल गया। वास्तव में मजिस्ट्रेटों को केवल उन्हीं मुकदमों में फैसला देने का अधिकार मिला था जो २० अगस्त के बाद की तारीखों में हुई घटनाओं के कारण उठाये गये हों। आर्डिनेन्स का अभिप्राय था—लंबी लंबी सजायें दी जांय और अपील करने पर विशेष रूप से रोक हो। *अपील करने के लिये केवल एक सप्ताह का समय दिया गया था। अदालतों को सरसरी तौर पर फैसला करने का अधिकार

नया आर्डिनेन्स

---

‡... .. But the Ordinance effects more than one procedure, since it authorises the infliction of hiher punishments by magistrates and severely restricts the right of appeal.

. Broome, Sessions Judge Azamgarh, Date-10-9-42

था। गवाही शहादत की विशेष आवश्यकता नहीं थी। अभियुक्तों को अपनी सफाई देने की समुचित सुविधा नहीं दी जाती थी। अभियुक्त पकड़ कर जेल में रख दिया जाता था, जेल में ही अदालत बैठती और एक ही दिन में फैसला सुना दिया जाता था। ये सजायें ५, ७ साल सख्त कैद से कम की न दी जाती थीं, साथ में १०, २० बेंत मारने की भी व्यवस्था होती और किसी किसी पर जुर्माना भी लगा दिया जाता था। मि० एस० एम० ओवैस और मि० एन० डी० कक्कर के बँगले बलवाइयों ने लूट लिये थे। वे जले भुने थे ही। अधिकार मिल जाने पर बदला लेने की भावना से उन्होंने अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दी।

वकीलों पर संकट

बलिया के वकीलों में सब से पहले बा० मुरली मनोहर (सरकारी वकील) पर सरकार की कोप दृष्टि पड़ी। जैसा पहले कहा जा चुका है मिलिटरी ने २२ अगस्त को सबेरे ही उनके मकान पर धावा किया था और उनके भतीजे श्री कुबेर नाथ को गिरफ्तार कर लिया था। अवसर-वादियों ने नवागन्तुक अधिकारियों का कान भरना शुरू किया। मि० नेदर सोल ने बा० मुरली मनोहर को बुलाया। सरकरी वकील को खद्दर की पोशाक में देख कर मि० नेदर सोल बिगड़ खड़े हुये। विशेष बातचीत न हो सकी और बा० मुरली मनोहर धीरे से वापस लोट आये। सरकारी वकील का पद उनसे छीन लिया गया और उनके स्थान पर खां बहादुर मि० नजीरुद्दीन सरकारी वकील बनाये गये।

अभियुक्तों की ओर से कोई वकील अदालत में खड़ा होने की हिम्मत न करता था। पं० शिवदान पांडे ऐडवोकेट ने अपने ऊपर खतरा उठाकर आन्दोलन से संबद्ध मुकदमों की पैरवी करनी शुरू की। फिर बा० मुरली मनोहर ने भी आन्दोलनकारियों

की ओर से वकालत करनी शुरू की। उक्त दोनों वकीलों ने इतने कौशल पूर्वक कार्य किया कि कई मुकदमों में सरकारी पक्ष की हार हो गई और अपील से अभियुक्त छूटने लगे। अधिकारियों ने पांडे जी से बार बार कहा कि वे मुकदमों की पैरवी करना छोड़ दें, किन्तु वे मानने वाले न थे। परिणाम स्वरूप उन्हें दफा १२९ के अंतर्गत नजर बंद कर लिया गया। लगभग ३ हफ्ते के बाद रिहा किये गये और उनसे कहा गया कि दो महीनों तक प्रान्त से बाहर रहें। २ महीने के बाद लौटकर आने पर उन्होंने बनारस में सेशन जज के इजलास में कई अपीलें दाखिल कीं और कई अभियुक्तों को छुड़ा भी लिया। बलिया की सरकार यह कब बर्दाश्त कर सकती थी? बलिया आने पर उन्हें फिर दफा १२९ में नजर बंद कर जेल में २ महीने तक बन्द रखा गया। बा० मुरली मनोहर को दफा २६ (भारत रक्षा कानून) के अंतर्गत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया जहाँ वे अगस्त १९४४ तक पड़े रहे। बलवाइयों की ओर से खड़े होने वाले दोनों वकीलों को जेल में बंद करके सरकार ने बलिया की अदालतों में खूब धाँधली चलाई और हजारों निर्दोष व्यक्तियों को सजा दे दी। एक बार जो किसी तरह गिरफ्तार होकर आ गया फिर बचकर बाहर नहीं जा सका। मनुष्य क्या था, पशु के समान समझा जाता था। उसे बोलने का अधिकार नहीं था। जेल ठसाठस भरा रहता। जमानत पर भी किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। पुलिस की राय के अनुकूल मजिस्ट्रेटों को कार्रवाई करनी पड़ती थी। इन्हीं सब ज्यादतियों से ऊब कर श्री पुरुषोत्तम सेठ डिप्टी कलेक्टर ने इस्तीफा दे दिया। पुलिस के डर के मारे बलिया का का कोई भी वकील वर्षों तक आन्दोलन से संबद्ध किसी भी मुकदमे में सफाई पक्ष की ओर से खड़ा नहीं हुआ।

इलाहाबाद की कानूनी सलाहकार कमेटी की ओर से जब पं० शिवचरन लाल, श्री गोपाल जी मेहरोत्रा और श्री सतीश चन्द्र खरे आये तब से कुछ वकीलों की हिम्मत बढ़ी। फिर भी बहुत थोड़े से वकील जैसे बा० बालेश्वर नाथ, बा० राधा कृष्ण सिंह, मि० अली अकरम, बा० जमुना राय, बा० जगत नारायण लाल, बा० हरिहर लाल, पं० राम आधार पाठक और बा० शिवकुमार राय ने आन्दोलन से लगभग १॥, २ साल बाद कुछ अभियुक्तों की ओर से काम करने का जिम्मा लिया। बा० मुरली मनोहर ने नजर बन्दी से रिहा होने पर पचासों अभियुक्तों की ओर से सेशन अदालत में बगैर फीस लिये पैरवी की।

पुलिस की धांधली

पुलिस ने मुकदमों के संचालन में कानून की कोई परवा नहीं की। आन्दोलन के कारण थानों के कागजात तो जल चुके थे। महीनों तक कई थानों का काम प्रायः बन्द सा रहा। आन्दोलन बन्द होने पर भी पुलिस लूट खसोट में लगी रही, उसे मुकदमों की जांच करने की अधिक फुर्सत नहीं रही। फल यह हुआ कि आगे चल कर जो कार्रवाई हुई उसका विशेषांश बनावटी था। पुलिस ने सैकड़ों आदमियों को पुरानी दुश्मनी के कारण गिरफ्तार करके चालान कर दिया और उनके नाम चार्ज शीट लगा दी। जब तक आर्डिनेन्स अदालतें थीं तब तक तो बेधड़क सजायें होती गईं किन्तु बाद को जब आर्डिनेन्स अदालतें रद्द हुईं तब से जितने अभियुक्त अदालत के सामने आये उनमें से लगभग १० प्रतिशत की सजा हुई, शेष रिहा कर दिये गये।

जिले के प्रायः सारे रेलवे स्टेशन जलाये जा चुके थे और हर जगह कोई न कोई कांड हुआ था। कुल हजारों मुकदमें दफा ३९५, ३९७, ३०४, ३०७, ४३५, ४३६ (ताजीरात हिंद),

३४, ३८, और ३५ (भारत रक्षा कानून) तथा आर्म्स ऐक्ट और जाब्ता फौजदारी के चल रहे थे। हर मामले की जाँच हो रही थी। अवसरवादी लोग प्रलोभनों में पड़कर पुलिस के गवाह बने थे। कोई भी आदमी, चाहे उसने आन्दोलन में भाग लिया अथवा नहीं, मुकदमे में फँसा कर जेल भेजा जा सकता था। सिंतबर के अन्दर अन्दर गांव गांव से रुपया वसूल होकर थानों पर आ गया। सब इन्सपेक्टरों के लिये दो चार लाख रुपया कमाना बायें हाथ का खेल था।

रेलवे दारोगा की ज्यादती

कई जगह लाइन उखाड़ी गई थी और रेलवे के सामान लूटे गये थे। रेलवे के पचासों मुकदमे बलिया की अदालतों में आये। रेलवे दारोगा ठा० कृष्णधारी सिंह न केवल अभियुक्तों के खिलाफ पैरवी करना अपना कर्तव्य समझते थे, बल्कि जिसे चाहते उसे ही अभियुक्त बनाते थे। इसका एक उदाहरण चीट बड़ागांव रेलवे स्टेशन कांड वाले मुकदमें में मिलता है। उक्त मुकदमे की जांच करने के लिये ठा० कृष्णधारी सिंह २४ सितम्बर को चीट बड़ागांव गये। स्टेशन मास्टर ने ७ अभियुक्तों की एक लिस्ट उन्हें दी जिस पर उनके तथा असिस्टैन्ट स्टेशन मास्टर राम सवारथ चौधुरी के हस्ताक्षर थे। १५ दिसम्बर १९४२ को दारोगा फिर चीट बड़ा गांव गये। स्टेशन मास्टर का तबादला हो चुका था। दारोगा ने असिस्टैंट स्टेशन मास्टर राम सवारथ चौधुरी से अभियुक्तों की नई लिस्ट मांगी। चौधुरी ने कहा कि लिस्ट दी जा चुकी है, इस पर दारोगा ने उनके हाथ में एक कागज दिया और कहा कि जैसा बोलते जाते हैं लिखिये। चौधुरी ने पहले के ७ अभियुक्तों के नाम लिखे, फिर दारोगा ने आठवें अभियुक्त छेदी का नाम लिखने को कहा। चौधुरी ने नाम तो

लिख दिया किन्तु कहा कि वह अभियुक्त नहीं है। दारोगा ने कहा आप नाम भूलते हैं। फिर उन्होंने शिवपूजन का नाम लिखने को कहा; चौधुरी ने लिखने से इनकार किया। दारोगा ने कहा, इस पर २४ सितम्बर की तारीख दीजिये, ऐसा चौधुरी ने कर दिया। २२ दिसम्बर १९४२ को जब चौधुरी इस मुकदमें में गवाही देने गये तो दारोगा ने उन्हें बुलवाया और ७ की जगह पर १० अभियुक्तों का नाम बताने के लिये कहा। चौधुरी ने कहा कि जिन लोगों को मैंने नहीं देखा है उनका नाम मैं नहीं ले सकता। दारोगा ने इस पर गालियां दीं और कहा—साला, लिखकर नाम नहीं देता है। चौधुरी को धक्का देकर गिरा दिया और दो थप्पड़ मारा, फिर अपने मुँशी को बुलाकर कहा कि इसे हथकड़ी लगाओ और मारो। अंत में १० आदमियों की लिस्ट दारोगा ने लिखवा ली और उस पर २४ सितम्बर की तारीख डलवाई।* बाद को चौधरी ने दरोगा पर मान हानि का मामला चलाया। दारोगा पर जुर्म साबित हुआ और चौधुरी को १) मुवायजा मिला।

---

* ... Then he (Sub Inspector) sent for me and asked me to name ten persons as accused. I told him that I could not name the persons whom I had not seen. The S.I. asked me not to teach him. Then he siad, '*Nonsense, sala, likhkar man nahin deta hai*' When he abused me, I told him that I was going away and that it would not be good for him. When I came ten steps, he pushed me and gave me two slaps on the cheek and near the eye and caught hold of me and made me take my seat. He then sent for his Munshi and asked him to handcuff me and beat me. I asked for his forgiveness....... then he took a writting from me containing the names of ten persons. It was antedated as 24.9.42,

Ram sawara Chanduri in the court of B. Shyam Bihari Lal Dated 12-2-43.

चीट बड़ा गांव के ही एक दूसरे मुकदमे में वहां के मंडल कांग्रेस कमेटी के सभापति श्री बेनी माधव सिंह पर एक बार ममला चला। वे रिहा कर दिये गये। जब घर गये तो पुलिस ने उन्हें फिर गिरफ्तार किया और वही मुकदमा दुबारा चलाया। लगभग साल भर तक हवालात में रहे, मुकदमा मातहद अदालत से सेशन अदालत में गया तब भूल का पता चला।

रसड़ा के श्री कन्हैया लाल सोनार पर एक मुकदमा खड़ा किया गया। वास्तव में कन्हैया लाल नामी एक दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा चल चुका था और उन्हें सजा भी मि। चुकी थी। जब दूसरे कन्हैया लाल पकड़े गये तो उन पर भी चार्जशीट लग गया। लगभग ६ महीने तक हवालात में रहे। अदालत मातहद को अपने विवेक से काम लेना ही नहीं था। सीधे मुकदमा सेशन अदालत में भेज दिया गया। वहां से श्री कन्हैया लाल इस आधार पर रिहा कर दिये गये कि उस नाम का वास्तविक अभियुक्त सजा पा चुका है और उनका चालान गलत तरीके पर हुआ है। उसी प्रकार लिलकर निवासी बा० विश्वनाथ राय भी लगभग १ साल तक हवालात में पड़े रहे और उन पर मुकदमे चलते रहे। अंत में अदालत को पता चला कि उस नाम का वास्तविक अभियुक्त, जो किसोर का रहने वाला था, पहले ही सजा पा चुका था।

चीट बड़ा गांव निवासी बा० राधाकृष्ण तपेदिक के पुराने मरीज थे। आन्दोलन के दिनों में वे इतने बीमार थे कि चल फिर नहीं सकते थे। उन पर दो, मुकदमे चले। एक में सजा हुई किन्तु दूसरे में सेशन जज ने उन्हें रिहा करते हुये लिखा कि अभियुक्त आन्दोलन के दिनों में इतना बीमार था कि उसका चलना फिरना मुश्किल था, अतएव उसके लिये लूट

फूंक करना असंभव है। पहले मुकदमे में तो उन्हें सजा काटनी ही पड़ी।

अधिकतर मुकदमों में पुलिस ने अपने विरोधियों से बदला लेने के लिये उन्हें आन्दोलन से संबद्ध मुकदमों में फँसाया। पन्दह निवासी बा० छोटेलाल के खिलाफ बीसों गवाहों ने इसलिये गवाहियां दीं कि थानेदार ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया था। सेशन जज बा० महाराज बहादुर लाल ने आपको मुकदमे से रिहा करते हुये लिखा—सारी गवाहियों को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अभियुक्त छोटेलाल सब इन्सपेक्टर अशफाक अहमद के इशारे से जिनसे उनके संबंध अच्छे नहीं थे, गलती से फंसाये गये हैं।...... राम सवारथ पांडे सब इन्सपेक्टर (गवाह नं० ३७) अफसर दोयम थे और अशफाक अहमद के नियंत्रण और दबाव में थे। मेरे सामने उन्होंने जो बयान दिया है उससे पता चलता है कि वे सब कुछ कहने के लिये तैयार हैं।*

*After carefully considering all the evidence on the record, I have come to the oonlusion that Chhotelal accused has been falsely implicated in this case, at the instance of S.O. Ashfaq Ahmad, ,with whom his relations were not happy......Ramsa warath Pande, S. I. bing 2nd Officer under the control and influence of S.O. Ashfaq Ahmad, his statement before me shows that he is prepared to say anything and every thing.

M. B. Lal, Sessions Judge, Ballia.

अध्याय ५

धन जन की हानि

लूट फूंक, सामूहिक जुर्माना और रिश्वत की रकमें जो बलिया के विवध मंडलों में वसूल हुईं उनका परिचय देना कठिन कार्य है। फौज तथा पुलिस के अत्याचार से कोई गांव, कोई मुहल्ला या कोई घर बचा नहीं है। एक एक गांव, एक एक मुहल्ले, एक एक घर या यों कहिये कि एक एक आदमी का आंदोलन के जमाने का कुछ न कुछ इतिहास है। धन जन की जो हानि हुई उसका साधारण परिचय देने का यत्न किया जायेगा।

पुलिस और मिलिटरी की गोली तथा संगीनों की चोट से सैकड़ों आदमियों की मृत्यु हो गई। कुछ लाशों का पता नहीं चला और कुछ लाशें पहचानी नहीं जा सकीं। पुलिस की मार तथा जेल और कोतवाली की जातनाओं से बहुत से लोग कुछ दिन बाद मर गये और बहुतेरे अंधे, बहरे या लंगड़े होकर जी रहे हैं। दमन के दिनों में बलिया का गाँव गाँव वास्तव में जालियाँ वाला बाग था।*

---

* ······ बलिया का गाँव गाँव जालियाँवाला बाग है। ·········

श्री चीतू पांडे एम० एल० ए०

इलाहाबाद, १४ नवम्बर १९४५

कौन बंदी किस हैसियत से कितने दिन तक जेल में रहा, यह अलग अलग बताने की अपेक्षा, सारी अवधि एक साथ जोड़ कर बताना सुविधाजनक समझा गया है। बात यह है कि बहुतेरे बंदी ऐसे थे जिन पर दो एक मुकदमे चलते रहते और साथ ही वे दूसरे मुकदमों में सजा भुगतते रहते। इस प्रकार वे साथ ही हवालाती और बंदी दोनों रहे। कुछ साथ ही नजरबंद और हवालाती थे। कुछ ऐसे थे जो जेल से जमानत पर निकलते और फिर नजरबंद करके वापस बुला लिये जाते। ऐसे आवागमन में यह कहना कि अमुक बंदी अमुक हैसियत से है, कुछ कठिन है। कुछ ऐसे बंदी थे जिनकी ८, १० मुकदमों में सब जोड़ कर ८०, ९० वर्ष तक की सजा होती। आगे दी हुई तालिका में (जेल की अवधि) कोष्टक में बंदी जितने समय तक कुल जेल में रहा हो, अथवा अदालत द्वारा जितने समय तक जेल में रहने की आज्ञा मिली हो, उतने समय को लिखा गया है।

बलिया पूर्वी मंडल

जेल यात्रियों की नामावली :—

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
श्री राम जी तिवारी	६ माह	श्री जमुना कुम्हार	१ वर्ष
श्री राम गोविन्द लाल	१५ माह	श्रीमती पार्वती देवी	२ माह
श्री कुबेर प्रसाद गुप्त	१॥ वर्ष	श्री छबील मिश्र	५ दिन
श्री बुद्धू राम	२ वर्ष	श्री हरिहर सिंह	२० दिन
श्री समरथ ठाकुर	३ माह	श्री भोला ठाकुर	४ माह
श्री उदय नारायण	६॥ वर्ष	श्री सहदेव पांडे	२ माह
श्री बरमेश्वर पांडे	२ वर्ष	श्री बचन पांडे	२ माह

श्री केशव पांडे	१। वर्ष	श्री जगदीश नारायण	२२ माह
श्री देवनाथ सिंह	१० माह	श्री परशु राम सिंह	३ वर्ष
श्री सुदामा सिंह	२॥ वर्ष	श्री मुक्तेश्वर सिंह	६ माह
श्री विश्व नाथ सिंह	१ माह	श्री राम ध्यान सिंह	१ वर्ष

बलिया पश्चिमी मंडल

इस मंडल में लूट फूंक से अनुमानतः ४ लाख रुपये का नुकसान हुआ। सामूहिक जुर्माने के नाम पर १ लाख से अधिक रुपया वसूल हुआ जिसमें ६००००) की रसीदें दी गईं।

जेल यात्रियों की नामावली :—

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
श्री महानन्द मिश्र	३ वर्ष	श्री रामनाथ बरई	७ वर्ष
श्री गङ्गा प्रसाद गुप्त	२ वर्ष	श्री अलगू राम	२ वर्ष
श्री चीतू पांडे	२ वर्ष	श्री राधा मोहन सिंह	८ माह
श्री जानकी प्रसाद	३ दिन	श्री मुरली मनोहर	२ वर्ष
श्री रवीन्द्र नाथ	१॥ वर्ष	श्री कांत पांडे	५ वर्ष
श्री हीरालाल	१ वर्ष	श्री प्रभु नाथ सिंह	६ माह
श्री राम नगीना मिश्र	६ माह	नन्द किशोर सिंह	१ वर्ष

बांसडीह मंडल

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
श्री रामजीत सिंह	१ माह	श्री गजाधर शर्मा	५ वर्ष
श्री तपेसा भर	,,	श्री शिवकुमार सिंह	६ माह
श्री डिगरी उपाध्याय	,,	श्री जगन्नाथ सिंह	३ वर्ष
श्री निरंजन सिंह	,,	श्री हरी पांडे	१ वर्ष
श्री सूर्य नारायण सिंह	१० दिन	श्री राम ऋषि पांडे	३ माह

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
श्री राधा गोविन्द सिंह	३ माह	मि० सिराजुद्दीन	१ वर्ष
श्री रामेश्वर शर्मा	५ माह	श्री जगदीश पांडे	१ वर्ष
श्री सुधाकर पांडे	१। माह	श्री राम नगीना पांडे	२ माह
श्री राम सेवक तिवारी	६ माह	श्री बल्ली भर	६ माह
श्रीकृष्ण सिंह	२ माह	श्री बाबू लाल भर	२ वर्ष

बेरुआर बारी मंडल

श्री शिव पूजन सिंह (१)	२ वर्ष	श्री शिव पूजन सिंह (२)	१ वर्ष
" नागेश्वर सिंह	२॥ वर्ष	" बैजनाथ पांडे	२ वर्ष
" बैजनाथ कान्दू	२ वर्ष	" मुसाफिर अहीर	२ वर्ष

सहतवार मंडल

जेल यात्रियों की नामावली :—

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
सर्व श्री महेश्वर सिंह	१। वर्ष	विश्वनाथ रौनियार	२ वर्ष
रामसेवक सिंह	५ वर्ष	जमुनासिंह	७ वर्ष
श्री कृष्ण कलवार	५ वर्ष	रापटराय	५ वर्ष
गंगा माली	५ वर्ष	मनधीर अहीर	५ वर्ष
रामलखन सोनार	५ वर्ष	शिवबालक तुरहा	५ वर्ष
महेश सिंह	१० माह	सूरज पाठक	६ माह
बल्ली पाठक	६ माह	अनंत सिंह	१० माह
इन्द्र देव प्रसाद	३ वर्ष	राम नरेश सिंह	१॥ वर्ष
ऋषि देव सिंह	६ माह		

रेवती मंडल

इस मंडल में अंगरेजी सरकार की सेना मि० नेदरसोल की अध्यक्षता में पहले पहल गाय घाट में आई। वहां बा० रूप-

नारायण सिंह, बलराम सिंह तथा विश्वनाथ बरई के मकानों को जला डाला गया और गांव में घंटों तक बे रोक-टोक लूट होती रही। औरतों के गहने और कपड़े तक नहीं छोड़े गये। औरतों बच्चों तथा लड़कियों के शरीर पर से बरबस गहने उतारे गये। जमुना प्रसाद हलवाई बेतों से बुरी तरह पीटे गये। ३००) देकर उन्होंने जान बचाई। झरकटहा निवासी बा० रामधारी सिंह तथा चौबे छपरा निवासी श्री बच्चा तिवारी के घरों की लूट में बहुत सा उपयोगी सामान अधिकारियों के हाथ लगा। रेवती में १०.०००) सामूहिक जुर्माने के रूप में थोड़ी देर में ही लोगों को मुर्गा बना कर वसूल किया गया।

जेल यात्रियों की नामावली :—

श्री रामनारायण मिश्र	१॥ वर्ष	सूर्यनारायण मिश्र	३ वर्ष
लाल मनोहर राय	३ वर्ष	कैलाश शंकर शर्मा	२ वर्ष
रामधारी सिंह	६ वर्ष	बलराम सिंह	५ वर्ष
हरिहर केसरवानी	८ माह	नगीना राम	१ वर्ष

बसरिका पुर मंडल

बंदियों की नामावली :—

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
विश्वनाथ सिंह	५ वर्ष	देवनाथ तिवारी	७ वर्ष
नर्मदेश्वर चतुर्वेदी	३ वर्ष	राम लक्षण तिवारी	३ वर्ष
धनंजय चतुर्वेदी	१ माह	पुरंजय चतुर्वेदी	१ माह
केदार तिवारी	१॥ वर्ष	नन्द जी तिवारी	१॥ वर्ष
वीरेन्द्र बहादुर सिंह	१॥ वर्ष	शंकरा चार्य	७ वर्ष
भोला सिंह	५ वर्ष	विश्वनाथ सिंह	५ वर्ष

मझौंवा मंडल

जेल यात्रियों की नामावली :—

नाम	जेल की अवधि	नाम	सजा
श्री पारसनाथ शुक्ल	१ वर्ष	राधा कृष्ण	१ वर्ष
बलराम	६ माह	पंचदीन तिवारी	६ माह
देवनन्द सिंह	६ माह		

बैरिया मंडल

जेल यात्रियों की नामावली :—

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
श्री काली प्रसाद बजाज,	९ माह	मोती लाल	३ माह
केदार नाथ तिवारी	७ माह	रामनगीना राय	५ माह
हरिवंश मिश्र	११ माह	लक्ष्मण दास	१ वर्ष
राम उदार तिवारी	६ माह	मेधू अहीर	६ माह
भगवती पांडे	१० माह	बृज विहारी सिंह	१३ माह
रामधनी सिंह	१८ माह	लक्ष्मी तिवारी	१८ माह
राम पूजन सिंह	७ माह	सूरज सिंह	८ माह
सुदामा राम	७ माह	जीउत राम	८ वर्ष
बाबू राय	३॥ वर्ष	रामचन्द्र राम	३ माह
ध्वजा राय	३ माह	शिव पूजन सिंह	७ माह
अशरफी सिंह	७ माह	गौरी शंकर राम	३ माह
हित नारायण सिंह	२ माह	अमीर चंद	२ माह
अनरुद्ध राय	१८ माह	सुखन उपाध्याय	७ वर्ष
राम मोहन सिंह	४ माह	राम कृष्ण राम	७ वर्ष
जगत नारायण मिश्र	५ माह	जंग बहादुर सिंह	४ माह
रामा नन्द राम	५ वर्ष	लक्ष्मण राम	१ वर्ष

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
श्री सुन्दर	५ वर्ष	श्री बली अहीर	५ वर्ष
वंश रोपन	५ वर्ष	शिव पूजन सोनार	१८ वर्ष
देव नारायण तिवारी	१।। वर्ष	चन्द्रदेव उपाध्याय	१।। वर्ष
खेदन तिवारी	१ माह	डोमन चमार	५ वर्ष

दलन छपरा मंडल

जेल यात्रियों की नामावली :—

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
श्री शिव दर्शन सिंह	७ वर्ष	श्री भूप नारायण सिंह	४ वर्ष
परशुराम सिंह	३ वर्ष	राम जनम पांडे	३ वर्ष
केदार तिवारी	१० दिन	प्रभुनाथ तिवारी	२ माह
बसगित राम	६ माह	देबी दयाल सिंह	१५ दिन
राधिका रंजन मिश्र	२ माह	शिव शंकर मिश्र	२ माह
राम रतन सिंह	२।। वर्ष	विद्या नन्द सिंह	५ दिन
इन्द्रदेव तेली	६ माह	अयोध्या सिंह	६ माह
राम अनंत पांडे	१ वर्ष	पंचानन मिश्र	२ माह
तुलसी राम	२ माह	त्रिभुवन राम	६ माह
विश्वनाथ सिंह	२ माह	श्याम बिहारी सिंह	४ माह
दीप नारायण सिंह	५ माह	हरिहर सिंह	७ दिन
अमीर सिंह	१।। वर्ष	रामदयाल अहीर	४ दिन
तारकेश्वर पांडे	४ वर्ष	नागेश्वर पुरी	५ वर्ष
राम सकल अहीर	६ माह	द्वारिका राम	१ वर्ष
मोती अहीर	१ वर्ष	गुदरी	३ माह

चिलकहर मंडल

जेल यात्रियों की नामावलः—

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
श्री विश्वनाथ चौबे	४ वर्ष	मानधाता सिंह	१ वर्ष
जगदीश सिंह	१। वर्ष	ब्रह्मा सिंह	१।। वर्ष
सिद्धेश्वर लाल	१ वर्ष	महाराज बहादुर	१।। वर्ष
राम चन्द्र बहादुर	१।। वर्ष	शिव शङ्कर राम	५ वर्ष
विश्वनाथ राम	६ वर्ष	मोहन राम	१ वर्ष

रसड़ा मंडल

रसड़ा व्यावसायिक कस्बा होने के नाते धनधान्य पूर्ण भी है। इस क्षेत्र के परगना हाकिम साहब ने कस्बे से एक दिन ८ बजे सबेरे से ४ बजे शाम तक ८८ हजार रुपया वसूल किया। छितौनी गाँव में फौज के सिपाहियों ने ३ औरतों की धोतियां अपने हाथ से खोल लीं और लेकर चलते बने। २३ अगस्त को नवपुरा गाँव में आग लगा दी गई जहाँ लगभग ६ घंटे तक धुंआ उठता रहा। रसड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ता मि० अयूब शौकती की दुकान तथा मकान पर रात को पुलिस ने छापा मारा। सारा सामान उठा ले गई, फिर आग लगा दी। नारायन पुर में श्री राजेश्वर तिवारी का मकान लूटा और फूंका, यद्यपि आन्दोलन के दिनों में वे जेल के अन्दर थे। डा० हरिचरण लाल का मकान जला डाला गया और उसकी दीवारें तोड़ डाली गईं।

सरदास पुर के बाबू विश्वनाथ सिंह के मकान पर पुलिस ने बड़ी तैयारी के साथ आक्रमण किया। उनके बैठके के बाहर बरामदा था। उसके खम्भे काट डाले गये फिर तेल छिड़क कर उसे जला डाला गया। उस गांव में नीम का एक पेड़ था जिस पर

बा० विश्वनाथ सिंह (सरदासपुर) का ध्वस्त मकान
खंभे बीच में काटे गये हैं पृ० २०८

मि० अयूब शौकती, रसड़ा
पृ० २०८

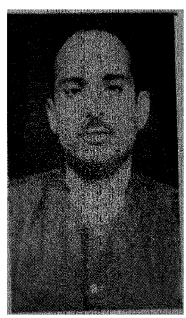

श्री राजेश्वर तिवारी, नरायनपुर
पृ० २०८

राष्ट्रीय झंडा फहराया करता था। पुलिस ने गाजा भर और २ अन्य आदमियों को उस पेड़ की डाल से उल्टे लटकाया और इतना मारा कि वे तीनों बेहोश हो गये। उसी गांव के २२ वर्षीय नवयुवक श्री रामेश्वर राम तेली का हाथ-पैर रस्सी से बांधा गया और फिर उसे हाथी के पांव में बांध दिया गया। हाथी जोर से भगाया गया। रामेश्वर राम कुछ देर तक जब तक उसे होश था रोता, चीखता और चिल्लाता रहा, किन्तु बाद को बेहोश हो गया। उसका हाथ टूट गया और शरीर को नीरोग होने में लगभग ६ महीने लगे। रसड़ा के थानेदार ने उसी गांव में ३ औरतों को पकड़ा। उनके शरीर पर से गहने उतरवा लिये, फिर अपने सामने उनकी धोतियां उतरवा लीं। मुहम्मद अहमद की मां अपने झोंपड़े में बैठी थी, पुलिस ने झोंपड़े में आग लगा दी। वह किसी तरह जान बचा कर भागी। उसके कपड़ों में आग लगी, फिर उस बुड्ढी औरत को बुरी तरह पीटा गया। निम्नलिखित गावों में मकान जलाये गयेः—

रसड़ा में ३, नरायणपुर में ३, नवापुरा में ५, सरदास पुर में १२, भेलाई में १, जाम में २, पूरा में १ और छितौनी में १।

मंडल में कुल ६० मकानों को लूटा गया। लूट में कुल लगभग ५ लाख रुपये का माल पुलिस और मिलिटरी के हाथ लगा। मंडल के २१ गांवों पर ९० हजार रुपया सामूहिक जुर्माना लगा। छोटे बड़े सारे सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों ने जो घूस की रकमें वसूल कीं उसका कोई लेखा नहीं हो सकता।

रसड़ा के रर्द-गिर्द पुलिस ने जो अंधेर मचा रखा था, उसका कुछ परिचय बलिया के सेशन जज के १४ जून १९४४ के एक फैसले से मिलता है, जिसमें उन्होंने लिखा है—बलिया के पुलिस कप्तान रसड़ा गये और पुलिस द्वारा डा० हरिचरण का मकान

लुटवाया और फुँकवाया, उसी दिन अयूब अली की दुकान की कुल जायदाद उनकी आज्ञा से जलाई गई। लगभग १५ दिन के बाद सरदास पुर (थाना रसड़ा) के निवासी विश्वनाथ सिंह का घर तहसीलदार रसड़ा की आज्ञानुसार लूटा फूंका और गिरधारी का मकान भी लूटा फूंका गया। ......जिन अफसरों ने जनता के घर पुलिस द्वारा लुटवाये और फुंकवाये उन्हें, यदि गवर्नर जनरल ने माफी का आर्डिनेन्स उनके लिये जारी न किया होता तो, निश्चय ही मुवायजा देना पड़ता।*

रतनपुरा मंडल

जेल यात्रियों की नामावली:—

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
सर्व श्री मथुरा प्रसाद	६ वर्ष	महेन्द्र मिश्र	२॥ वर्ष

*"......the Superintendent of Police, Ballia visited Rasra and got the house of Dr. Haricharan looted and burnt by the Police and the same day some property of the shop of Ayub Ali was also burnt under the orders of the Superintendent of Police. About 15 days later the house of Bishwanath Singh at village Sardaspur P.S. Rasra was also looted and burnt under the orders of the Tahsildar Rasra, and the house of Girdhari was also looted and burnt............ the officers who got the house of public looted and burnt would certainly have been liable for damages if the Indemnifying Ordinance had not been passed by the Governor General."

Nandlal Singh, Sessions Judge Ballia

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
सरजू पांडे	६ वर्ष	रामदास लोहार	६ वर्ष
कुंवर लोहार	६ वर्ष	केशव सिंह	१ वर्ष
कुलदीप सिंह	४ माह	हरगोविन्द अहीर	१ वर्ष
खेदन लोहार	३ माह	लगन भर	११ दिन
राम सरूप सिंह	३ माह	हरिहर सिंह	१॥ वर्ष
लक्ष्मी सिंह	१॥ वर्ष	हरनन्दन भर	१ वर्ष
फेंकू चमार	६ माह	सागर चमार	६ माह

अवराई कलां मंडल

जेल यात्रियों की नामावली:—

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
सर्व श्री सहदेव अहीर	६ माह	बिक्रमा सिंह	८ माह
रामवृक्ष सिंह	६ माह	दुख हरन सिंह	६ माह
नेउर भर	५ माह	जङ्ग बहादुर सिंह	८ माह
नगीना सिंह	८ माह	राजदेव सिंह	३ माह
बुझारत लोहार	३ माह	शिवनाथ लोहार	३ माह
गोवर्धन अहीर	३ माह	चिरई कानू	३ माह
महादेव अहीर	३ माह	गुल्जार अहीर	३ माह
सखरज अहीर	३ माह	जदू अहीर	३ माह
सच्चिदानन्द सिंह	६ माह	कृष्ण सिंह	३॥ माह
वेचन सिंह	३ माह	महादेव सिंह	३ माह
कन्हैया सिंह	५ माह	कपिलदेव सिंह	५ वर्ष
राधा कृष्ण सिंह	८ माह	हरदान सिंह	१० दिन
श्री राम कांदू	१० दिन	इन्द्रासन लोहार	१० दिन

साधु द्वारका दास	१० माह	विष्णु भर	१० माह
करन बियार	१० दिन	मुन्नी लाल	१० दिन
सत्य नारायन माली	१० दिन	शिवदान तिवारी	४॥ दिन
कपिल देव राम	११ माह	झगारी कोइरी	१ माह
दुख हरन राम	९ माह		

सीयर मंडल

जेल यात्रियों की नामावली:—

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
सर्वश्री देवेन्द्र सिंह	९ माह	सर्वश्री सीताराम	२ माह
राम ऋषि तिवारी	९ माह	पारस नाथ मिश्र	२ वर्ष
जगन्नाथ पांडे	९ माह	हर्षनारायण	६ माह
द्वारिका प्रसाद	१ माह	भुवाल प्रसाद	१ माह
द्वारिका अहीर	२ माह	जगधारी अहीर	२ माह
रामदेव जी	३ वर्ष	सरजू राम	२ माह
सहदेव तुरहा	१॥ वर्ष	सीताराम कान्दू	१॥ वर्ष
विश्वनाथ कलवार	३ माह	विश्वनाथ चोटाई	१॥ वर्ष
राधाकान्त	१॥ वर्ष	मटुकी पनहेरी	५ माह
परमा लोहार	५ माह	चन्द्रशेखर उपाध्याय	२ माह

सिकंदर पुर मंडल

आंदोलन के १ वर्ष बाद तक सिकंदर पुर थाने के सामने से जो कोई गुजरता उसे पकड़ कर पीटा जाता था। बाजार में जब पुलिस जाती तो अकारण ही किसी किसी पर बरस पड़ती। सिवान निवासी श्री अवध किशोर को सिकंदर पुर के बाजार में

एक कान्सटेबिल ने अकारण पीटा और उन्हें हवालात में बंद कर दिया। फिर वे बलिया जेल भेजे गये, जहाँ लगभग १ महीने तक रहने के बाद छोड़ दिये गये।

श्री शिव पूजन सिंह (हरदिया) फ़रार थे। पुलिस ने आपके घर पर छापा मारा। उनकी स्त्री को आठ दिन पहले बच्चा हुआ था। पुलिस उसे पकड़ कर गाँव के बाहर लाई। उसके शरीर के जेवर निकाल कर छोड़ दिया।

बा० राधा कृष्ण काँदू (सिवान) फरार थे। पुलिस ने एक दिन जाड़े की रात में उनके वृद्ध पिता और बूढ़ी माता को पकड़ा। गाँव के बाहर तालाब में ले जाकर उन्हें रात भर पानी में खड़ा रखा।

मलेजी के देवनाथ उपाध्याय फरार थे। उनके भाई पं० श्री नारायण उपाध्याय जो मिडिल स्कूल में अध्यापक थे, मुअत्तल कर दिये गये। उन पर यह अभियोग लगा कि अपने भाई को शरण देते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अफसर इनचार्ज ने उन्हें नोटिस दी कि अपने भाई को हाजिर कराओ वरना नौकरी से निकाल दिये जाओगे। वे हाजिर न करा सके, अतएव नौकरी से निकाल दिये गये।

थानेदार ने पचासों आदमियों का आन्दोलन में भाग लेने के अभियोग में चालान किया।

जेल यात्रियों की सूची :—

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
सर्व श्री राम नगीनाराय	१ वर्ष	सुग्रीव राय	१ वर्ष
रामधन राय	१ वर्ष	विश्वनाथ राय १	१। वर्ष
विश्वनाथ राय २	१। वर्ष	राम सकल राय	१ वर्ष

शंकर दत्त लाल	६ माह	कन्हैयालाल	२ माह
अच्छे लाल	१३ दिन	बैजनाथ प्रसाद	४ माह
कमला दुबे	१ वर्ष	धर्मराज पांडे	१ वर्ष
नागेश्वर पांडे	१ वर्ष	मँगरु राम	१ वर्ष
गौरी शंकर प्रसाद	१ माह	सीताराम अहीर	२ वर्ष
ठाकुर राय	१ वर्ष	सूर्यदेव राय	१ वर्ष
जवाहर राय	१० दिन	खूबलाल	१० दिन
हीरा राय	१। वर्ष	हजारी राय	१। वर्ष
हीरा राय	१। वर्ष	प्रमोद राय	१।। वर्ष
हरिनाथ	१।। वर्ष	राधाकृष्ण कांदू	५।। वर्ष
रामधारी शर्मा	८ माह	अवध किशोर	१ माह
राम सज्जन तिवारी	६ माह	चन्द्रिका ओझा	१० माह
शिवपूजन सिंह	१।। वर्ष	बाबूलाल कांदू	२ माह
केदार राम	१।। माह	सूर्यदीप पांडे	१। वर्ष
रामलच्छण	१ वर्ष	धर्मदेव पांडे	१ वर्ष
कवलदेव अहीर	१। वर्ष	हरि राय	१ वर्ष
देव नाथ उपाध्याय	८ माह		

खेजुरी मंडल

२८ अगस्त को खेजुरी गांव में फौज के सिपाहियों ने सारे गांव को रौंद डाला, स्वतंत्र आश्रम जला डाला तथा श्री चन्द्रिका प्रसाद के ३ मकानों को लूट फूंक दिया ।

पूर गांव के कार्यकर्ताओं, सर्व श्री राज किशोर सिंह, लक्ष्मण तिवारी, हरि विलास जी तथा जलधारी सिंह के मकान लूट लिये गये। एक कांग्रेस कार्तकर्ता की स्त्री को घर से बाहर निकाल कर

उसे बेंतों से मारा गया। एक अन्य परिवार की महिला को पुलिस जबरदस्ती उठा ले गई और उसके साथ बलात्कार किया।

जेल यात्रियों की नामावली :—

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
श्री राजकिशोर सिंह	१॥ वर्ष	नन्दलाल शर्मा	८ दिन
चन्द्रिका प्र० गुप्त	१॥ माह	विश्वनाथ लाल	१ वर्ष
दुर्गा सिंह	२ माह	जलधारी सिंह	१॥ वर्ष
राम जन्मसिंह	२ वर्ष	विश्वनाथ मर्दाना	१ वर्ष

खसंड मंडल

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
सर्व श्री सत्यदेव	१ वर्ष	गोरख राय	५ माह
हरिनारायण प्रसाद	२ वर्ष	सुखदेव राय	१ वर्ष
ब्रह्म प्रकाश नारायण	१। वर्ष	देवी शरण नोनिया	२ माह
शिवदत्त नोनिया	२ वर्ष	शिवपूजन सिंह	५ वर्ष
श्यामासिंह	८ माह	शमशेर सिंह	७ माह
श्याम नारायण सिंह	१। वर्ष		

नगरा मंडल

जेल यात्रियों की नामावली

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
स्वामी चंद्रिका दास जी	३ वर्ष	ठा० बालेश्वर सिंह	३॥ वर्ष
ठा० हंसनाथ सिंह	३ वर्ष	” सत्यनारायण सिंह	६ वर्ष
” हरगोविन्द सिंह	५ वर्ष	श्री मुसाफिर अहीर	५ वर्ष
श्री रामवचन गोंड	२० माह	” सहदेव चमार	६ माह
” गौरी कलवार	२ वर्ष	” इन्द्रदेव	२। वर्ष

चीट बड़ागांव मंडल

जैसा पहले कहा जा चुका है, चीट बड़ागांव में सैनिकों का बहुत भीषण आक्रमण हुआ था। गांव बड़ा है, कुछ धनी मानी लोग भी वहाँ बसते हैं, अतएव पुलिस के लिये यह गाँव बड़ा अच्छा आकर्षण था।

जेल यात्रियों की नामावली:—

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
श्री बेनीमाधव सिंह	१॥ वर्ष	श्री प्रसिद्धनारायण सिंह	१ वर्ष
" अच्छेलाल	१ "	" राधाकृष्ण	४ "
" जगदीश राय	१। "	" जगन्नाथ तिवारी	२ माह
" महगू राम	२ "	" शिवनारायण सिंह	१ वर्ष
" शिवमुनी सिंह	१ "		

सोहांव मंडल

सुन्दर सिंह की काली करतूत

नरही से थानेदार कुँवर सुन्दर सिंह अपने को सुल्ताना डाकू कहा करते थे। हजारों चौकीदारों और गुंडों को साथ लेकर देहातों में छापा मारते और लूटते रहे। बहुतों को नंगा करके पेड़ों में बाँधा और ठीक सड़क पर सैकड़ों आदमियों के सामने बेंत से पीटा। कइयों के मुंह में सिपाहियों से थुकवाया।

एक दिन कुँवर साहब लूट करने जा रहे थे। रास्ते में खेत जोतते हुये चौरा निवासी शिव दहिन हलवाहा मिला। उन्होंने उससे कुछ पूछा। हलवाहा बहिरा था, सुनाई न दिया। इसपर थानेदार ने अपने हाथ से गोली मार दी जिससे हलवाहा वहीं मर गया।

३० सितंबर १९४४ से १० अक्टूबर १९४२ तक कुं० सुन्दर सिंह लछमन पुर में डा० राम दहिन राय के मकान पर पड़े रहे। डाक्टर राम दहिन राय उन दिनों फरार थे। घर में एक स्त्री का देहान्त हो गया। थानेदार ने ३ दिनों तक लाश नहीं निकलने दी। बा० महेश्वर राय ने जब लाश निकालने का हुक्म मांगा तो थानेदार ने उन्हें नंगा किया और उन्हीं की धोती से उन्हें कटहल के पेड़ में बाँधा, फिर मुँह में थूका और सैकड़ों हंटर पीट दिया।

कुँवर सुन्दर सिंह के अत्याचारों का कुछ परिचय निम्नलिखित वर्णनों से मिलेगा :—

"उस दिन घर में एक औरत मर गई जिस की लाश करीब ४ दिन रोक रखा। और दफन नहीं होने दिया। महेश्वर राय (८० वर्ष) ने थानेदार से प्रार्थना की कि लाश नहीं सड़ाई जाती लेहाजा परवाह करने दीजिये। इस पर थानेदार ने खुद कटहल के पेड़ में बाँधा और सैकड़ों बेंत मारा। खुद थूका और बुड्ढे से चटवाया। करीब १०००) घूस लेकर हमारे दरवाजे से हटे।

माह दिसंबर में कुर्की आई। नायब थानेदार ने जो सिक्ख थे ३००) घूस लिया।"

राजनाथ राय, लछमन पुर
शिव नंदन राय, लछमनपुर

"हम लोग कुल ४९ आदमी घाट से दो मुर्दों की परवाह करके आ रहे थे। थानेदार सुन्दर सिंह तथा उनके सिपाहियों ने हम लोगों को घेर कर बंदूक से डरा कर प्राइमरी स्कूल पर ले जाकर सब लोगों को धूप में पीठ तले लिटा दिया। जूता पहन कर हम लोगों के सीने को चहला और मुंह में थुकवाया। कुछ लोगों

को जिसमें भगवान राय सा० चौरा भी थे, नंगा कर धोती से पेड़ में बँधवाया और बुरी तरह से पीटा तथा अमानुषिक अत्याचार किया। सीने पर चहलने के सबब से कई दिन तक हम लोगों के सीने में दर्द रहा और दो दिन बाद गुली राय, महादेव राय जो हम लोगों के साथ थे हृदय में चोट लग जाने की वजह से मर गये। हम लोग १० बजे से ५ गजे तक सोये रहे। थानेदार कुँवर सुन्दर सिंह के साथ कपिलदेव राय सा० नरही भी शामिल थे। इसके बाद कपिलदेव राय और राम सेवक सा० चौरा ने कहा कि हम लोग इन लोगों से २५००) दिला देते हैं आप छोड़ दें। तब हम लोगों ने घर आकर रात ही रात किसी तरह रुपया जुटा कर दिया।"

द: सुखदेव राय, चौरा।

"३० अगस्त १९४२ को १२ बजे दिन से ५ बजे शाम तक कुँवर सुन्दर सिंह सब इन्स्पेक्टर ने हजारों आदमियों के साथ हमारे मकान को लूटा। फिहरिस्त नीचे लिखे मुताबिक है:—

नकद लोहे की आलमारी में	२०००)
जमीन में गड़ा हुआ दो तांबे के घड़ों में रुपया	१००००)
बर्तन	५००)
कपड़ा	५०००)
जेवर	२००००)
पिट्रोमाक्स, ग्रामोफोन और फुटकर	५५००)
हैंडनोट दस्तावेज वगैरह	७०४८८।≈)॥

हम बलिया कलेक्टर, इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस और गवर्नर को उत्तर लिखी लिस्ट उन्हीं दिनों भेज चुके हैं।"

राम नगीना प्रसाद राय,
सा० उजियार

जेल यात्रियों की नामावली

नाम	जेल की अवधि	नाम	जेल की अवधि
सर्व श्री जंगबहादुर सिंह	५ वर्ष	बाला राय	१२ वर्ष
शिवपूजन राय	१॥ "	रामनाथ राय	१॥ "
ब्रह्मदेव राय	५ "	वशिष्ठ राय	१॥ "
शिवमुनी मल्लाह	५ "	रामदहिनराय	१॥ "
मुक्तेश्वर राम	५ "	मुनीश्वर सिंह	१ "
सच्चिदानन्द सिंह	१॥ "	लक्ष्मी तिवारी	३ "
जगतलाल	७ "	जगदीश राय	३ "
हरद्वार राय			

शहीदों की टोली

जिन शहीदों का पता चल सका उनके नाम, अवस्था और पते निम्नलिखित हैं :—

१ श्री चन्द्रदीपसिंह (२५ वर्ष) आरीपूर सरयां, सीयर गोलीकांड में
२ " अवतार भर (२२ वर्ष) टँगुनियां, सीयर "
३ " शिवशङ्कर सिंह (२४ वर्ष) चरौवां, मशीनगन द्वारा
४ " मंगला सिंह (५० वर्ष) चरौवां, मशीनगन द्वारा
५ " खर बियार (३० वर्ष) " "

६ श्रीमती जमुना माली (५४ वर्ष) ,,
७ श्री गनपत नोनिया (२४ वर्ष) कोलवर गोली कांड में
८ ,, श्रीकृष्ण मिश्र (५७ वर्ष) मलप, नगरा ,,
९ ,, हरी चमार (२३ वर्ष) सुल्तानपुर, रसड़ा ,,
१० ,, विश्वनाथ हलवाई (२८ वर्ष) रसड़ा ,,
११ ,, सहदेव सिंह (६० वर्ष) नवापुरा जेल में
१२ ,, वृन्दा तिवारी (३० वर्ष) चित बड़ा गांव, गोली द्वारा
१३ ,, शिवदहिन (३२ वर्ष) दरियापुर, नरही थानेदार की गोली से
१४ ,, दुखी कोइरी (२० वर्ष) खोरी पाकड़ बलिया गोली कांड में
१५ ,, हरिद्वार राय (४० वर्ष) नारायणपुर, जेल में
१६ ,, गणेश पांडेय (४५ वर्ष) तुर्ती पार, जेल में
१७ ,, सूरज मिश्र (१९ वर्ष) मिश्रौली सीयर, बलिया गोलीकांड में
१८ ,, रामनगीना सिंह (३२ वर्ष) बांसडीह, बांसडीह ,,
१९ ,, रामतपस्या भर (२५ वर्ष) बंदूक के कुन्दों से मारने से
२० ,, राम आधार राय, (१८ वर्ष) भरौली, मारने से
२१ ,, ढेला दुसाध, (३२ वर्ष) नेउरी, बलिया गोली कांड में
२२ ,, रामकृष्ण माली (३० वर्ष) बांसडीह, गोली में
२३ ,, रामसुभग चमार, (३४ वर्ष) दवनी, गोली कांड में
२४ ,, महाबीर कोइरी (२८ वर्ष) छाता ,, ,,
२५ ,, रामलच्छण कोइरी (२४ वर्ष) आसचौरा, फरारी में मृत्यु
२६ ,, मोहितलाल (६० वर्ष) कारो, बलिया में गोली द्वारा
२७ ,, रामसागर राम (२८ वर्ष) फेफना गोली द्वारा
२८ ,, शङ्कर भर (३० वर्ष) बांसडीह गोली से
२९ ,, शिवमङ्गल राम (३८ वर्ष) भरतपूरा ,,
३० ,, रघुनाथ अहीर (३६ वर्ष) जीरा बस्ती गोली द्वारा
३१ ,, गौरी सोनार (१८ वर्ष) सुखपुरा, गोली द्वारा

३२ श्री चण्डीप्रसाद लाल, (४२ वर्ष) सुखपुरा, गोली द्वारा
३३ ,, जमुना राय (३८ वर्ष) किशोर ,,
३४ ,, श्रीकृष्ण तिवारी (४४ वर्ष) महुलानपार, जेल में
३५ ,, रामधनी राय (३८ वर्ष) किशोर ,,
३६ ,, गनपत पांडेय (२८ वर्ष) गोपालपुर गोली द्वारा
३७ ,, राजकुमार,राम 'बाघ' (४० वर्ष) सीसोटार, जेल में
३८ ,, रामरेखा शर्मा (५८ वर्ष) गंगापुर ,,
३९ ,, यमुना सिंह (२८ वर्ष) चित्तपिसांव ,,
४० ,, बालेश्वर सिंह (३२ वर्ष) जिगनी जेल में
४१ ,, सूरजलाल (१८ वर्ष) बलिया, मारने से
४२ ,, कौशल्या कुमार सिंह (३५ वर्ष) बैरिया-गोली कांड में
४३ ,, बसन कोइरी (३८ वर्ष) गोन्हिया छपरा ,,
४४ ,, निर्भय कुमार राम (१६ वर्ष) ,, ,,
४५ ,, भीम अहीर (२२ वर्ष) भगवानपुर ,,
४६ ,, छट्टू राम (१८ वर्ष) बैरिया ,,
४७ ,, राम वृक्ष राय (३८ वर्ष) बैरिया ,,
४८ ,, नगीना राम सोनार (१८ वर्ष) बैरिया ,,
४९ ,, मुक्तिनाथ तिवारी (२५ वर्ष) बहुआरा ,,
५० ,, शिवराम तिवारी (२० वर्ष) मुरार पट्टी ,,
५१ ,, धर्मदेव मिश्र (१८ वर्ष) शुमनथही ,,
५२ ,, रामप्रसाद उपाध्याय (२६ वर्ष) चांदपुर ,,
५३ ,, विद्यापति गोंड़ (२४ वर्ष) मिल्की ,,
५४ ,, मैनेजर सिंह (३८ वर्ष) गुदरी राय का टोला ,,
५५ ,, बिक्रीराम (१९ वर्ष) श्रीपालपुर ,,
५६ ,, रामदेव कुम्हार (२६ वर्ष) सोनबरसा, जेल में
५७ ,, गदाधर पांडे (३० वर्ष) दया छपरा, जेल में

५८ श्री कुमारी जानकी, (१३ वर्ष) बँकवा, गोली से
५९ " राम नगीना शर्मा (४० वर्ष) किशोर, जेल की बीमारी से
६० " चन्द्रिका ओझा (२४ वर्ष) मुजही, " "
६१ " कोशल राम (२६ वर्ष) चौबे-छपरा
६२ " दूधन हलवाई (४८ वर्ष) नरही गोली द्वारा।
६३ " गुली राय (४० वर्ष) चौरा, पुलिस के मारने से।
६४ " महादेव राय (५० वर्ष) चौरा पुलिस के मारने से।